खण्ड-480, अंक-10
सोमवार, 11 आषाढ़, शक संवत् 1934
(02 जुलाई, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 480 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को लिये जाने की मांग... ...	7
प्रश्नोत्तर	7-78
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	78-80
वित्तीय वर्ष 2011-12 में नगरपालिका परिषद्, फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिये पेयजल कार्यों हेतु अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर स्थिति के कारण लगातार बन्द हो रहे उद्योगों से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80-81
नानपारा बहराइच के गांधी पार्क पर सड़ी मछलियों के बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
विधान सभा क्षेत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में बीस वर्ष पूर्व निर्मित पोस्टमार्टम हाउस को शुरू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
उ0 प्र0 श्रम विभाग के अन्तर्गत व्याप्त अधिकारियों की मनमानी तथा भ्रष्टाचार से विभाग को हो रही निरन्तर क्षति तथा अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के बैदली में स्थित सब-स्टेशन की विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
बरखेड़ जनपद पीलीभीत में स्थित चीनी मिल, मझौला को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
आगरा ग्राम पंचायत ककुआ विकास खण्ड बरौली अहीर में पशु चिकित्सालय क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत ग्राम सभा सुनावर में मुड़ियार एवं नैठी के बीच पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
विधान सभा क्षेत्र महोबा में स्थित उद्योगों को बचाने तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85-86

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत समुचित विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
उ0 प्र0 में एन0आई0एस0 डिप्लोमाधारी खिलाड़ी कोचों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र में करंट लगने से मृतकों को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी विद्युत व्यवस्था ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87-88
जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत किशनपुर में यमुना नदी पर स्थायी पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद मऊ के विकास खण्ड मधुवन विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत नन्दोर चट्टी से कुसहा तक नहर के किनारे की सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	89
उत्तर प्रदेश के संतुलित विकास के लिए सभी विधान सभा क्षेत्रों का समान विकास व बिना भेदभाव के धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	89-92
विधान सभा परिसर स्थित महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाओं पर छतरी एवं शीशे लगवाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	92
श्री उमेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किये जाने का अनुरोध	92-93
वाराणसी पुलिस प्रशासन द्वारा श्री सुशील सिंह, सदस्य, विधान सभा तथा उनके परिजन को अपमानित किये जाने विषयक व्यक्तिगत प्रकरण... ...	93-94
श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज तथा श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा विषयक व्यक्तिगत प्रकरण	94-97
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-2 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2009 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	98

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फतेहपुर के ब्लाक ऐरायां के ग्राम दावतपुर मजरा मुहम्मदपुर गौती, गंज मजरे अफोई आदि विभिन्न गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एखलाख अहमद व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयीं)	98
जनपद फतेहपुर के ब्लाक हथगाम के ग्राम सभा चकसानपुर, उजाड़े का पुरवा आदि विभिन्न गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 नफीस व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयीं)	98
जनपद फतेहपुर के ब्लाकम भिटौरा के पहाड़पुर मजरे सिमौरा, कमालपुर मजरे औढेरा आदि विभिन्न गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौसार व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयीं)	98
जनपद फतेहपुर के ब्लाक ऐरायां में रामगंगा कमाण्ड नहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 शुऐब व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयीं) ...	98
जनपद फतेहपुर के 242 हुसैनगंज, विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 शोएब व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयीं) ...	99
जनपद फतेहपुर के ब्लाक हथगाम में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 नसीम व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयीं)	99
जनपद फतेहपुर के ब्लाक भिटौरा में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयीं)	99
जनपद फतेहपुर के ब्लाक ऐरायां में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 शुऐब व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयीं)	99
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-289 का उल्लंघन करते हुए श्री उपेन्द्र तिवारी के ऊपर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर मा0 सदस्य द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी	99-103
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	103-112

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग मतदान-अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण..... (स्वीकृत)	112-189
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग ..... (स्वीकृत) ...	189-204
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग ..... (स्वीकृत)... ...	204-206
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय ..... (स्वीकृत)	206
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय ..... (स्वीकृत)	206-207
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) ..... (स्वीकृत)	207
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग ..... (स्वीकृत)...	207
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग ..... (स्वीकृत)	208
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग ..... (स्वीकृत)	208
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग ..... (स्वीकृत)...	208-209
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग ..... (स्वीकृत)...	209
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग ..... (स्वीकृत)...	209
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) ..... (स्वीकृत) ...	210
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ..... (स्वीकृत) ...	210
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) ..... (स्वीकृत) ...	210-211

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) .... (स्वीकृत) ...	211
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) ..... (स्वीकृत)..	211-212
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ..... (स्वीकृत)... ...	212
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) ..... (स्वीकृत) ...	212
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग ..... (स्वीकृत)...	213
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	213-215
जनपद पंचशील नगर में हापुड़ से मोदीनगर के बीच मार्ग के निर्माण में किये गये घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	215-217
जनपद बागपत स्थित ग्राम सुभानपुर में स्थापित फैक्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में श्रीमती हेमलता चौधरी एवं श्री लोकेश दीक्षित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	217-218
जनपद हरदोई के चार ग्रामों में अलग से 11 के0वी0 फीडर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रजनी तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..... (व्यपगत)	218
जनपद मिर्जापुर के ग्राम सेमरा में हुई नाव दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ..... (व्यपगत) ...	218
जनपद सिद्धार्थनगर के पीठानी में लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ..... (व्यपगत)	218
जनपद फैजाबाद की विकास खण्ड मसोधा में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खेलकूद मंत्री का वक्तव्य ..... (व्यपगत)... ...	218

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सेबेध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	219-220
प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु आधुनिक स्तर के स्टेडियम, एथेलेटिक्स स्ट्रोक व शूटिंग रेंज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खेलकूद मंत्री का वक्तव्य ..... (व्यपगत)	220
जनपद सन्तकबीर नगर के ग्राम पंचायत महुली में दिनांक 02 अप्रैल, 2010 को बिजली का जर्जर तार टूटने से सैकड़ों एकड़ गेहूं जलकर राख हो जाने के अपराध में अज्ञात किसानों पर गम्भीर धारा लगाकर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अलगू प्रसाद चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	220-222
जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड फैजाबाद द्वारा पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजनान्तर्गत झरना नाले पर पुलिया का निर्माण व कतिपय मार्गों के अपूर्ण रहने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री का वक्तव्य ...	222-224
उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को गृहकर व जलकर जमा करने से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	225
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास से होकर गुजरने वाले सिंचाई खण्ड सगरा रजबहा की सर्विस रोड को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ..... (व्यपगत)	225
नत्थी	226-263

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 02 जुलाई, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-335

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र ''टेनी'', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
21. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
24. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
25. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
28. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
30. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
32. अविनाश, श्री — सोनभद्र
33. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
34. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
35. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
36. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
44. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
45. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
46. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
47. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
48. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
49. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
50. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी

51. उदयराज, श्री उन्नाव
52. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
53. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
54. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
55. उमाशंकर, श्री बलिया
56. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
57. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
58. ओम कुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
60. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
61. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
62. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
63. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
64. कामेश्वर, श्री देवरिया
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्या, श्री कौशाम्बी
70. कैलाश, श्री गाजीपुर
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
73. गंगा, श्री कुशीनगर
74. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
75. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
76. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
77. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
78. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
79. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
82. गोमती यादव, श्री लखनऊ
83. गोरख पासवान, श्री बलिया
84. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
85. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
86. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
87. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
88. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
89. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
90. जफर आलम, श्री अलीगढ़
91. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
92. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
93. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
94. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
95. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
96. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
97. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
99. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
100. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
101. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
102. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
103. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
104. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
105. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
106. दलजीत सिंह, श्री बांदा
107. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
108. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
109. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
110. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
111. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी

112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
114. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
116. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
117. धर्मराज, श्री बाराबंकी
118. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
119. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
120. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
121. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
122. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
123. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
124. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
125. नारद राय, श्री बलिया
126. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
127. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
128. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
129. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
130. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
131. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
132. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
133. पीतमराम, श्री पीलीभीत
134. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
135. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
136. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
137. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
138. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री सहारनपुर
139. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
140. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
141. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
142. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
143. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
144. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
145. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
146. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
147. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
148. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
149. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
150. बदलू खां, श्री उन्नाव
151. बाबू खां, श्री हरदोई
152. बाबूलाल, श्री गोण्डा
153. बावन सिंह, श्री गोण्डा
154. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
155. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
156. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
157. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
158. बैजनाथ, श्री मऊ
159. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
160. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
161. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
162. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
163. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
164. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
165. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
166. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
167. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
168. मनबोध, श्री देवरिया
169. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
170. मनीष रावत, श्री सीतापुर
171. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
172. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
173. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
174. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
175. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
176. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई

177. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
178. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
179. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
180. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
181. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
182. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
183. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
184. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
185. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
186. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
187. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
188. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
189. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
190. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
191. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
192. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
193. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
194. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
195. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
196. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
197. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
198. मो0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
199. मो0 इरफान, श्री मुरादाबाद
200. मोहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
201. यासर शाह, श्री बहराइच
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
203. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
204. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
205. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
206. रघुराज प्रताप सिंह , श्री प्रतापगढ़
207. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
208. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
209. रणजीत सुमन, श्री एटा
210. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
211. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
212. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
213. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
214. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
215. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
216. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
217. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
218. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
219. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
220. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
221. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
222. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
223. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
224. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
225. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
226. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
227. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
228. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
229. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
230. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
231. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
232. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
233. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
234. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
235. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
236. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
237. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
238. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
239. राम गोविन्द, श्री बलिया

240. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
241. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
242. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
243. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
244. राम मगन, श्री बाराबंकी
245. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
246. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
247. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
248. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
249. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
250. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
251. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
252. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
253. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
254. रामेश्वर सिंह, श्री एटा
255. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
256. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
257. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
258. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
259. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
260. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
261. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
262. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
263. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
264. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
265. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
266. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
267. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
268. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
269. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
270. विजय सिंह, श्री रामपुर
271. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
272. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
273. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
274. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
275. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
276. वीरपाल राठी, श्री बागपत
277. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
278. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
279. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
280. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
281. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
282. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
283. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
284. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
285. शाकिर अली, श्री देवरिया
286. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
287. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
288. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
289. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
290. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
291. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
292. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
293. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
294. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
295. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
296. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
297. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
298. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
299. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
300. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
301. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
302. संजय कपूर, श्री रामपुर

303. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
304. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
305. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
306. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
307. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
308. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
309. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
310. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
311. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
312. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
313. सन्तराम, श्री जालौन
314. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
315. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
316. सियाराम सागर, डा0 बरेली
317. सीमा, श्रीमती जौनपुर
318. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
319. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
320. सुधाकर, श्री मऊ
321. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
322. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
323. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
324. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
325. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
326. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
327. सुल्तान बेग, श्री बरेली
328. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
329. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
330. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
331. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
332. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
333. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
334. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
335. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को लिए जाने की मांग

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने नियम-311 में अपनी सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

वह नियम-56 में ले ली है।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, हजारों की संख्या में आयुष डाक्टर सड़कों पर आ गए हैं और वह अपने नियमितीकरण के लिए और अपनी व्यवस्थाओं के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और हम सब विधायकों से मांग कर रहे हैं कि उनकी व्यवस्था को विधान सभा में उठाया जाए। उनको नियमित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप पार्टी के लीडर हैं, यदि यह नियमों में आता है तो आप उठाइये, हम स्वीकार करेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आपका ध्यान हम इस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं, मान्यवर, उनके सड़कों पर आने से रास्ता जाम हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम प्रश्न ले रहे हैं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बुनकरों की समस्याओं के समाधान हेतु संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं

**1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई (अनुपस्थित)-

क्या वस्त्र उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुनकरों की समस्याओं के समाधान एवं उनके आर्थिक विकास के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार राज्य स्तर पर बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिये बुनकर आयोग का गठन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)-

जी हां,

बुनकरों को सहायता, समर्थन और सुविधा प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की जा रही हैं :--

केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं :--

1-एकीकृत हथकरघा विकास योजना

1-क्लस्टर 2-ग्रुप एप्रोच 3-विपणन प्रोत्साहन 4-स्वास्थ्य बीमा योजना।

राज्य सेक्टर की योजनाएं :--

1-पावरलूम क्षेत्र के विकास हेतु प्रोत्साहित योजना (एस0सी0पी0)।

2-पावरलूम क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास योजना।

3-राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना।

उपरोक्त के अतिरिक्त बुनकरों के समग्र विकास हेतु भारत सरकार के सहयोग से एक महत्वाकांक्षी योजना इस वर्ष आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधायें दी जायेंगी :--

1-बुनकर शीर्ष समितियां, प्राथमिक सहकारी समितियां एवं अन्य बुनकरों के दिनांक 31-3-2010 तक बकाया ऋण धनराशि पर अधिकतम रु0 50 हजार प्रति बुनकर तक माफ किया जायेगा।

2-बुनकरों को क्रेडिट कार्ड जारी किया जायेगा जिस पर उन्हें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ सस्ता ऋण उपलब्ध होगा जिसकी सीमा 2.00 लाख होगी।

3-बैकों से प्राप्त होने वाले ऋण पर उन्हें अलग से कोई गारंटी नहीं देनी होगी।

4-बुनकरों के उत्थान हेतु कच्चा धागा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा 10 प्रतिशत विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इस हेतु बुनकरों की पास बुक तैयार करायी जा रही हैं, जिससे उन्हें सस्ते दाम पर कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना का क्रियान्वयन नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेन्ट कारपोरेशन एवं राज्य सरकार की नामित संस्था के माध्यम से किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बुनकरों के हित के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना, पावरलूम कामगारों के लिये समूह बीमा योजना आदि संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य स्तर पर बुनकरों की समस्याओं के समाधान हेतु जिलाधिकारी कार्यालय, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय एवं परिक्षेत्रीय कार्यालय, सहायक निदेशक हथकरघा उपलब्ध है। अतः अलग से बुनकर आयोग के गठन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष-

पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-01 पर डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने रूचि दर्शायी थी। मा0 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का प्रश्न है। पहले वह ले लेते हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, सारे अनुपूरक एक साथ पूछ लेता हूं, नहीं तो आप बाद में टोकेंगे। पहला तो यह जो सरकार ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड जारी होगा, तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ सस्ता ऋण, सीमा दो लाख। मा0 मंत्री जी इस तथ्य से अवगत होंगे कि एक पावरलूम को लगाने में और उसका शेड बनाने में कुल मिलाकर तकरीबन तीन लाख का खर्चा आता है, इसके अतिरिक्त सिर्फ पावरलूम लगाने से ही उनका व्यवसाय नहीं चलता है, तीन पूंजी उनको लगानी पड़ती है, डाईंग एवं प्रोसेसिंग से

नोटः--अल्पसूचित ता0प्र0 सं0-1 नत्थी-'ग' के तारांकित प्र0 सं0-5 के उपरान्त डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की रूचि पर लिया गया।

गुजरते हुए जो वह पक्का माल तैयार करते हैं, तीन गुना पूंजी उन्हें एक साथ लगानी पड़ती है, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि यह जो दो लाख की ऋण सीमा आपने तय की, जो उनकी मजबूरी और जो उनकी जरूरत है उसको देखते हुए, इस सीमा को दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने पर सरकार कोई निर्णय लेगी, यह पहला सवाल। दूसरा, मा0 अध्यक्ष जी, जो मुख्य समस्या है वह धागे की उपलब्धता है, उत्तर प्रदेश की पचासों मिलें आप जानते हैं परिचत होंगे जानकारी होगी, सब बन्द पड़ी हैं, धागा दक्षिण भारत से आता है और इस नाते यहां आते-आते वह मंहगा हो जाता है, मंहगा होने के नाते यह जो बुनकर सामान तैयार कराते हैं, मार्केट में जो दक्षिण भारत के बुनकर होते हैं, उनके मुकाबले हमारे उत्तर प्रदेश के बुनकर आर्थिक रूप से खड़े नहीं हो पाते। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो हमारी मिले बन्द पड़ी हैं सरकार उन्हें स्वयं अपने आधार पर, फेडरेशन के आधार पर, पैक्सफेड के आधार पर, सरकारी आधार पर, यह सब चला-वला कर के आपने देख लिया, लेकिन चली नहीं। क्या सरकार उन्हें अपने आधार पर चलाने पर विचार करेगी या जब तक नहीं चला पाती है, जिस दर पर दक्षिण भारत में बुनकर धागा पा लेते हैं, उस दर पर उत्तर प्रदेश के बुनकरों को धागा मिल सके, इसके लिए कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? तीसरा सवाल, एक सवाल और पूछ लूं या कहिये तो बाद में पूछ लूं, ठीक है पहले आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दें, तीसरा अनुपूरक मैं उसके बाद कर लूंगा।

श्री शिव कुमार बेरिया-

देखिये जो सवाल आपने किया बुनकरों की चार मुख्य समस्यायें हैं, पहली उनकी पूंजी की व्यवस्था दूसरा माल बिकने की समस्या, तीसरा कच्चा माल धागा सस्ता हो, चौथा सामाजिक समस्या उनके स्वास्थ्य के बारे में, तो चार मुख्य समस्यायें उनकी हैं। तो पूंजी की जो व्यवस्था है, उसमें 50 हजार रुपये तक का ऋण हम लोग माफ करने जा रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपने सम्भवतः ध्यान नहीं दिया मेरा प्रश्न दूसरा है, एक बुनकर जब एक पावर-लूम लगाता है, 80-90 हजार या एक लाख का पावरलूम हो गया, शेड वगैरह बनाता है, मिलाकर उसका तीन लाख रुपये तक का उसका शेड तैयार होता है, इसके बाद जब उत्पादन करना शुरू करता है तो उसको तीन गुना पूंजी लगानी पड़ती है। लाइन प्रोसेसिंग से लेकर माल बेचने तक। आपने सीमा लगा दी दो लाख, दे रहे हैं उसको ऋण, मैं सिर्फ यह आग्रह करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एक सामान्य बुनकर जिस पावरलूम को लगाना चाहता है और तकरीबन खर्चा उसका सात से आठ लाख रुपया आ जाता है, सम्पूर्ण उत्पादन में क्या सरकार इस सीमा को दो लाख से बढ़ाकर के आप ऋण दे रहे हैं उसको अनुदान नहीं दे रहे हैं, क्या उस सीमा को बढ़ा कर के पांच लाख करने पर विचार करेगी ?

श्री शिव कुमार बेरिया-

श्रीमन्, अभी तो जो बुनकर जिन्होंनें ऋण नहीं लिया है, उनके लिए दो लाख तक का बैंक क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, अभी जो हमारी योजना है, जिसमें तीन प्रतिशत ब्याज माफी के साथ ऋण दिया जायेगा और 42 रुपया मार्जिन मनी भी बैंक के माध्यम से उन्हें दी जायेगी। अभी तक सरकार के या विभाग के अधीन यही व्यवस्था है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या उसको बढ़ा कर पांच लाख रुपये किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 डाक्टर साहब पहले पूरा उत्तर सुन लीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा, यह जो धागा की अनुपलब्धता है और जो उत्तर प्रदेश की सारी धागे की मिले बन्द पड़ी हैं। क्या सरकार, उन मिलों को प्रारम्भ कराने में, या जब तक प्रारम्भ न हों। जिस दर पर दक्षिण भारत के बुनकरों को यह धागे मिल जाते हैं, उस दर पर उत्तर प्रदेश के बुनकरों को धागे उपलब्ध हो सकें, ऐसी कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ?

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, कताई मिलें हमारे विभाग के अधीन नहीं हैं। पास बुक के माध्यम से एक प्रतिशत छूट के साथ कच्चा धागा नेशनल हैण्डलूम डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन, जो संस्था भारत सरकार की है, उसके माध्यम से बुनकरों को दिया जाता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी का कहना है और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि बुनकरों के सामने प्रमुख समस्या धागे की उपलब्धता है। मा0 मंत्री जी यह कह रहे हैं, यह जो पचासों कताई मिलें बन्द हैं, इससे सम्बन्धित मान्यवर, इन्होंने बुनकर की समस्याओं के समाधान के बारे में जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, इस मूल प्रश्न को देखने का कष्ट करें मान्यवर, यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आप मान रहे हैं कि धागे की समस्या है लेकिन बाहैसियत मा0 मंत्री आप यह कह रहे है कि यह उनसे सम्बन्धित नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि क्या सरकार आपस में अन्य विभागों से समन्यवय करके धागे के उत्पादन की उपलब्धता की दृष्टि से कोई योजना बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप अपना मूल प्रश्न मा0 सदस्य कृपया देख लें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, उससे ही जुड़ा हुआ है कि यू0पी0 हैण्डलूम और यूपिका लगभग बंद पड़ी हुई हैं। उसके नाते बुनकरों के सामने विपणन की समस्या हो रही है। बुनकर उत्पाद करते हैं। मान्यवर, हम चाहते हैं कि उसके उत्पाद का विपणन हो सके। इसके लिए कोई योजना बनायेंगे ?

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, हमारे शो रूमों में माल उपलब्ध नहीं हो रहा है। वह बुनकरों के माध्यम से माल उपलब्ध हो सके और वह शो रूमों के माध्यम से पूरे देश में सप्लाई कर सकें इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बुनकर वर्ग देश की आजादी के संग्राम के समय से जुड़ा रहा है। यह बात तो ठीक है कि जब आजादी के संग्राम के समय यह बात हुई थी कि ब्रिटिश कारखानों मे उत्पाद कपड़े नहीं लिये जायेंगे भारतीयों द्वारा तो फिर वह बुनकर ही था जो भारतीयों के तन ढ़कने का काम करता था। मान्यवर, हम उन पर बिजली का बहुत बकाया है दूसरी ओर उनके उत्पाद के कच्चे माल के मंहगे होने से उनकी कमर टूट रही है तो क्या सरकार ऐसी स्थिति में एक निश्चित समय तक की अवधि का उनके बिजली बिल के बकायों को माफ की घोषणा करेगी उन्हें निरन्तर बिजली आपूर्ति मिले इसके बारे में भी सरकार सोचेगी ?

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, यह प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन है और इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, बुनकरों की जो प्राथमिकता हथकरघा सहकारी समितियां हैं उनके ऋण सम्बन्धी मामलों के लिए इस बजट मे 5 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इस तरीके से हथकरघा के विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार से पावरलूम और बिजली के लिए 127.06 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मुख्य मुद्दा उनके उत्पाद और उसके विपणन का आता है। जो बुनकर अपना कपड़ा तैयार करते हैं व पावरलूम और टैक्सटाइल से थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। चूंकि हाथ से जो कपड़ा बनाया जाता है उसकी लागत भी ज्यादा आती है तो मैं जानना चाहता हूं कि बुनकरों के द्वारा जो कपड़ा तैयार हो रहा है उन उत्पादों के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार ने क्या की है ? अगर उनकी मार्केटिंग नहीं होती है तो वह फिर मरने के कगार पर बैठे रहते हैं। मैंने पीछे भी 8 जून को यह प्रश्न उठाया था और माननीय मंत्री जी के समक्ष बात रखी थी कि जो कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए जो दो वस्त्र देने की बात हुई है क्या यह कपड़े उनको दिये जा सकते हैं या फिर उनकी मार्केटिंग के लिए और कोई सरकार की और नीति है ?

श्री अध्यक्ष-

विपणन का सवाल है कि जैसे वह बेचते हैं तो लागत ज्यादा आती है, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि शोरूम मे रखकर बिकवायेंगे।

श्री शिव कुमार बेरिया-

जो हमारे शोरूम हैं, उनके माध्यम से हम बिकवायेंगे कपड़ा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब तो बहुत स्पष्ट है कि बुनकरों की समस्या का समाधान कोई एक मंत्री अकेले नहीं कर सकता। माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने जवाब में कह दिया कि कताई मिलों की समस्या मेरी समस्या नहीं है, सरकार के दूसरे मंत्री जाने, बिजली की समस्या बिजली विभाग की समस्या है। इस प्रकार से बुनकर बहुत विभागों की समस्याओं से पीड़ित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा बुनकरों की सारी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और हम किस प्रकार से उनकी बेहतरी कर सकें और प्रदेश के निर्माण में उनका योगदान और बेहतर कर सकें, क्या यह सरकार किसी बुनकर आयोग के गठन पर विचार करेगी ?

श्री शिव कुमार बेरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय बुनकर बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य सरकार के स्तर पर ऐसी कोई संस्था या फोरम उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि बुनकर आयोग के स्थान पर उ0प्र0 राज्य हथकरघा विकास परिषद् का गठन फरवरी, 2007 में 02 वर्ष के लिए किया गया था, जो फरवरी, 2009 को समाप्त हो चुका है। इस परिषद् में माननीय मंत्री वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 अध्यक्ष, माननीय मंत्री, वस्त्रोद्योग द्वारा नामित उपाध्यक्ष एवं 9 सदस्य थे। उक्त आयोग का विस्तार का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में नवम्बर, 2009 में वित्तीय स्थिति को देखते हुए उचित नहीं पाया गया।

(श्री प्रमोद तिवारी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, जोशी जी ने तो चिट्ठी लिखी है कि हमें उत्तर दिलवा दीजिए तो उत्तर तो उनके पास चला गया तो फिर आप क्यों इसमे रूचि दिखा रहे हैं उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि उत्तर दिला दीजिए तो फिर उसमें रूचि दिखाने का क्या है ? आप बैठ जायें। आप विषय समझते हैं, सीनियर मेम्बर हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं समझ गया इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

नत्थी (ख)

प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाओं को रोकने की कार्यवाही

*1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने कोई कारगर योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए नवम्बर, 2007 में आतंकवाद निरोधक दस्ते का गठन किया गया है। आतंकवादी अभिसूचना के संकलन, उससे जुड़े अभियोगों की विवेचना और उसके विचारण के लिए इस दस्ते को पूरा उत्तरदायी बनाया गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा निम्न कार्यवाही की जाती हैः--

(1) सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण तथा वहां पर सम्पर्क सूत्र विकसित करना जहां पर राष्ट्र-विरोधी तत्व छिपने/रहने की जगह बना सकते हैं।

(2) अभिसूचना का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं संकलन करना। अन्य राज्यों की अभिसूचना इकाईयों तथा केन्द्रीय एजेंसियों आदि से समन्वय स्थापित करना।

(3) राज्य में किसी आतंकवादी ग्रुप की उपस्थित/गतिविधि के सम्बन्ध में प्राप्त अभिसूचना कार्यवाही करना एवं फालो-अप आपरेशन करना। ऐसे आतंकवादी ग्रुपों की मदद करने वाले एवं उनके शरणदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं कराना।

(4) ऐसे आतंकवादी तत्वों, जिनके विदेशी अभिसूचना एजेंसियों से सम्पर्क है, की गतिविधियों का अनुश्रवण करना।

(5) जाली मुद्रा, स्वचालित आग्नेयास्त्रों, हवाला (मनी लाण्डरिंग) विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने वाले तत्वों से सम्पर्क रखने वाले माफिया तत्वों, आई0एस0आई0 एजेन्टों, आतंकवादियों एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों को निष्प्रभावी करने हेतु उनके विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्यवाही करना एवं अन्य पुलिस इकाईयों से सहयोग कर ऐसी कार्यवाही कराना।

(6) प्रदेश के अभिसूचना विभाग के सतत् सम्पर्क में रहकर प्राप्त सूचनाओं का अनुश्रवण करना तथा किसी विशेष जानकारी प्राप्त होने पर अभिसूचना विभाग से सहयोग प्राप्त करना।

(7) महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं की विवेचना तथा प्रचलित अभियोजन में सहयोग।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सुअर से होने वाली बीमारियां एवं शहरी आबादी में इसके पालन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध करने की मांग

*2-डा0 रीता बहुगुणा जोशी (अनुपस्थित)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुअर नामक अपदूषक जानवर किन-किन जीवाणुओं का वाहक है तथा वे जीवाणु किन-किन बीमारियों के कारक हैं ? क्या सरकार शहरी आबादी के क्षेत्रों में उक्त के सन्दर्भ में सुअर पालन पूर्णतः प्रतिबन्धित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्प संख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

सुअर ब्रुसेल्ला स्विस जीवाणु तथा इनफ्लूंजा वायरस (एस0आई0वी0) एवं जापानीज इन्सेफ्लाईटिस वायरस नामक विषाणु का वाहक है जो क्रमशः स्वाइन ब्रेसिलोसिस (मानव में अन्डुलेन्ट फीवर), स्वाइन फ्लू एवं जापानीज इन्सेफ्लाइटिस नामक बीमारी के कारक हैं।

जी हां। उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली 2004 के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 रीता बहुगुणा जोशी जी का पत्र आ गया है कि वह उपस्थित नहीं रहेंगी।

तारांकित प्रश्न

नत्थी (ग)

प्रदेश में पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जाने की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था नियंत्रित करने की दृष्टि से जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त पुलिस और आधुनिक हथियार न होने के कारण आधुनिक हथियारों से लैस अपराधियों से मोर्चा लेने में विभाग असहाय हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस बल को मजबूत बनाने हेतु अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

शासनादेश संख्या-4147/6-पु-1-08-120/08 दिनांक 11-12-2008 द्वारा जनसंख्या के आधार पर विभिन्न श्रेणी के कुल 204021 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है इन पदों पर 35844 आरक्षियों की भर्ती की जा चुकी है एवं शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। उ0प्र0 पुलिस बल आधुनिक हथियारों से लैस अपराधियों से मोर्चा लेने में असहाय नहीं हैं। अपराधियों से मोर्चा लेने हेतु उ0प्र0 पुलिस बल के पास निम्नलिखित आधुनिक हथियार उपलब्ध हैं:--

1- 7.62 एस0एल0आर0

2- 5.56 ईसास रायफल

3- ए0के0 47

4- एल0एम0जी0

5- 7.62 गन मशीन

6- 7.62 एम0एम0 एल0एम0जी0-ईसास

7- रिवाल्वर पिस्टल 9 एम0एम0

8- ग्लाक पिस्टल

9- एंटी राइट गन

10-टीयर गैस गन

पुलिस बल को और मजबूत बनाने हेतु आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अत्याधुनिक शस्त्र क्रय किये जा रहे हैं, जो क्रयोपरांत उ0प्र0 पुलिस बल को उपलब्ध करा दिये जायेंगे:--

1- 12 बोर पम्प एक्शन

2- एम0पी05 सब मशीन गन

3- ग्लाक पिस्टल

4- स्नाइफर रायफल

प्रश्न नहीं उठता।

(मा0 मंत्री श्री राज किशोर सिंह द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं है। प्रश्न तो वही है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, यह तारांकित प्रश्न नत्थी-(ग) का है। नत्थी (ख) के प्रश्न में मुकेश श्रीवास्तव जी उपस्थित नहीं थे। दूसरे प्रश्न में डा0 रीता बहुगुणा जोशी जी उपस्थित नहीं थीं और अल्पसूचित में डा0 बाजपेयी जी उपस्थित नहीं थे। इस तरह से तीन प्रश्न गए। अब नत्थी (ग) का श्री श्याम देव राय चौधरी जी का जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त पुलिस बल से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न तो वही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन उत्तर गलत है। प्रश्न तो वही है पर उत्तर किसी और प्रश्न का है मान्यवर। मान्यवर, उत्तर दूसरे प्रश्न का है, जो मंत्री जी ने पढ़ा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी यह प्रश्न है मैं उत्तर पढ़ रहा हूं शासनादेश संख्या-4147/6-पु-1-08-120/08 दिनांक 11-12-2008 द्वारा जनसंख्या के आधार पर विभिन्न श्रेणी के कुल 204021 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, चौधरी साहब का प्रश्न है।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, स्थिति बड़ी विषम है।

श्री अम्बिका चौधरी-

कोई स्थिति विषम नहीं है, आपके रहते कोई विषम स्थिति हो ही नहीं सकती। आपकी उपस्थिति सारी स्थितियों को सम करती हैं। अब मैं उत्तर दूं, मा0 सदस्य आप कृपया बैठ जाइए, आप खड़े रहेंगे तो डर लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर दीजिए।

(श्री मोहम्मद आजम खां के आगमन पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

अब मा0 संसदीय मंत्री जी आ गए हैं, वह ही जवाब देंगे। यह आप का सौभाग्य है कि एक प्रश्न का तीन मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

इससे पहले कि ये जवाब देना शुरू करें, इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्यों, किसलिए आप जानते हैं ?

श्री सतीश महाना-

आपने जो गिफ्ट दिया है, उसके लिए धन्यवाद, जानते हैं कि हाउस की संपत्ति हुई है, पर हम सभी सम्मानित सदस्यों की संपत्ति है वह।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मैंने अपने प्रश्न में यह सवाल किया था कि जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त पुलिस बल नहीं है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आदर्श स्थिति कौन सी है, जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में कितना पुलिस बल होना चाहिए, एक तो मैं यह जानना चाहूंगा और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा साथ ही कि जो कुछ भी भर्ती हो चुकी है और जो होने वाली है ये सारी भर्तियां हो जाने के बाद वो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कितनी जनसंख्या के अनुपात में वो कितना पुलिस बल हमारे उत्तर प्रदेश में होगा और क्या वह संख्या सरकार पर्याप्त मानती है या अभी भी कमी महसूस करती है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह मुनस्सिर करता है इस पर कि अपराध की संख्या क्या होगी, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती लेकिन जो हैं हमारे पास उसको बढ़ाने के लिये प्रयास है और उस प्रयास को बताया गया है। अगर संभावनायें बढ़ती हैं तो प्रयास बढ़ेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

शायद मैं प्रश्न समझा नहीं पाया आप को। मेरी जिज्ञासा यह है मा0 अध्यक्ष महोदय कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसके अनुपात में अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए वो कौन सी आदर्श अनुपात की संख्या होगी, जो पुलिस बल में होनी चाहिये, ये मेरा प्रश्न है ? अपराध बढ़ते हैं तो पुलिस बल बढ़ाया जायेगा, ये नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अभी कोई ऐसा मापदण्ड नहीं है कि इतनी आबादी पर इतने पुलिस वाले हों, इतनी आबादी पर इतने हथियार हों। क्राइम के हिसाब से ही उसमें बढ़ोत्तरी होती है, कमी तो हुई नहीं है। अब

आबादी जितनी बढ़ रही है, उस हिसाब से क्राइम का अनुपात भी बढ़ रहा है क्योंकि क्रिमिनल्स के पास जो हथियार हैं, उन हथियारों से मुकाबला करने के लिये हमने फेहरिस्त सामने रखी है तो उस ऐतबार से कर रहे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मेरा ये सवाल नहीं है कि हथियार ही पर्याप्त हैं अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिये। मेरा प्रश्न बहुत सीधा सा है, आप बहुत अनुभवी मंत्री हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप बहुत बेसब्र हुये जा रहे हैं। बैठिये, तशरीफ रखें आप, हम तो नहीं खड़े होते जब आप प्रश्न रखते हैं अब आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल पुलिस बल को आधुनिक शस्त्र प्रदान करने के लिए और वर्तमान क्राइम को कन्ट्रोल करने से सम्बन्धित है। पुलिस बल चुस्त-दुरुस्त रहे, यह हम सबकी अपेक्षा है, इसलिए क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि जिन पुलिस वालों के पेट बहुत मोटे हैं, आगे बहुत निकले हैं और वह किसी अपराधी को पकड़ने के लिए सक्षम नहीं हैं क्या उनको मेडिकल ग्राउन्ड पर पचास साल के बाद बराबर हर साल टेस्ट कराकर कम्पलसरी रिटायर करेंगे ? मान्यवर, बहुत मोटे-मोटे पेट हैं, वह चल नहीं सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह कौन सा सवाल है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सवाल तो है, आप हमारे संरक्षक हैं, यह पूरे पुलिस के लिए एक तरह का अभिशाप है, यह आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वह पूरी तरह से हेल्थ से फिट हों, मेडिकली फिट हों, हेल्थ साउन्ड हो, इसलिए जिनके बहुत मोटे-मोटे पेट हैं मोटर साइकिल की टंकी पर उनका पेट रहता है जब वह बैठते हैं, मान्यवर, इसको हंसी में न लें। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेडिकली फिट नहीं हैं, उन लोगों का हर साल मेडिकल कराया जाना चाहिए और जिनके बहुत मोटे-मोटे पेट हैं खास तौर से उनको क्या कम्पलसरी रिटायर करने पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस प्रश्न से इसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन प्रश्न क्योंकि बड़ा ही सच्चा है इसलिए मैं जवाब दूंगा। एक तो जिनके पेट बहुत आगे हैं और दूसरे वे जिनके पेट बहुत अन्दर हैं। अब श्यामदेव राय जी का पेट बहुत अन्दर है इनका पेट कुछ लेबल पर आ जाए इसके लिए भी कुछ प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, यह समस्या है, कल यह बात आई थी कि गत सरकार ने दौड़ाना शुरू किया था और उसमें कई लोग मर भी गये थे तो हमारी तरफ से यह कोशिश होना चाहिए कि पेट कुछ अन्दर हो लेकिन मान्यवर, अगर पेट बाहर निकल गया है तो उसे अन्दर ले जाना बड़ा मुश्किल

है, जो दांत बाहर निकल गया उसे अन्दर ले जाना बड़ा मुश्किल है और चौधरी साहब जो बिगड़ गया उसे सुधारना बड़ा मुश्किल है। आगे से यह कोशिश की जाए कि चौड़ी बेल्ट दे दी जाए और जब नौकरी दी जाए तो वह बेल्ट विभाग फिट कर दे और जब रिटायर हों तभी उसका ताला खुले, इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं, भाई कुदरत के निजाम को थोड़े काबू किया जा सकता है। इस देश में देश चलाने वाले ऐसे लोग रहे हैं जिनके बहुत बड़े-बड़े पेट रहे हैं, ऐसे भी रहे हैं जिनके बड़े पेट नहीं रहे और मान्यवर, जिनके पेट नहीं जरा उनके स्टेटस देखिये क्या है अभी जेल से छूटे हैं। तो मान्यवर, पेट होने नहीं होने से कुछ नहीं होता, जो अच्छा है, वह अच्छा है लेकिन कोशिश जरूर की जानी चाहिए, यह सामाजिक समस्या है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा मतलब सिर्फ फिजिकली फिट होने से है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये खन्ना जी, सवाल जनसंख्या के आधार पर और क्राइम के आधार पर अस्त्र-शस्त्र का था, पेट का तो था नहीं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपने हमें प्रश्न पूछने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मंत्री जी ने सारे असलहों की जानकारी दी, पुलिस फोर्स के बारे में जानकारी दी, लेकिन इन असलहों की चांदमारी की क्या व्यवस्था है क्योंकि पिछले कार्यकाल में देखा गया कि एक डाकू 72 तक एक बन्दूक और 15 गोली से लड़ता रहा, 500 पुलिस वाले उसे पकड़ने गये थे उसमें एडिशनल डी0जी0 तक गये थे फिर भी उसने कइयों को मार डाला और हमारी यू0पी0 फोर्स के सिपाही 25 गज से निशाना नहीं मार पा रहे थे। मान्यवर, जो यह असलहे हैं, उनकी चांदमारी की क्या व्यवस्था है और अगर कोई मानक है चांदमारी करने का तो क्या वह चांदमारी होती है जिससे कि उनका निशाना सही रहे और पिछले वर्ष सरकार में जो स्थिति आई उसकी पुनरावृत्ति न हो कि एक व्यक्ति चार सौ पुलिस वालों पर भारी पड़े ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, क्या चांदमारी होती है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, चांदमारी कागजों में तो होती है लेकिन सच यह है कि राइफल्स की और जितने हथियार हैं, उनकी सफाई तक नहीं होती है और वह इतने ज्यादा जंकालूद हो गये हैं पिछले पांच वर्ष में कि कई जगह ऐसा हुआ है अभी जब टेस्टिंग हुई तो वह पीछे से फट गई है उसकी नाल और पीछे गोली निकल गई है। एक अधिकारी से हमने पूछा, जो टारगेट लगाया जाता है, भाई क्योंकि मुझे छिपकली से बड़ी दिक्कत होती है, मान्यवर, एयरगन का मेरा निशाना बड़ा अच्छा है, सुनते हैं अगर मैं छिपकली की खोपड़ी पर मारूं तो जरूर लगेगी और यह भी सुनते हैं कि जिनका एयरगन का निशाना अच्छा होता है उसका राइफल का भी अच्छा होता है। मान्यवर, मैं पुलिस लाइन गया और टारगेट

लगाये गये, मैंने जितने निशाने लगाये वह सब ऊपर लगे और जब बढ़े अधिकारियों ने टारगेट लगाये उनके नीचे लगे। मैंने पूछा कि भाई क्या आपकी गन से गोली निकली नहीं तो वह बोले मान्यवर, गोली तो निकली लेकिन हमें ट्रेनिंग होती है जिस्म के नीचे गोली मारने की। अब बताइये मान्यवर, इसका क्या करें, कैसे निशाना ठीक करें एक तरफ तो आप कहते हैं कि गोली ऐसे चलाइये कि लोग मरे नहीं अब अगर वह यह सीखता है कि गोली ऐसे चलानी है जिससे कि व्यक्ति मरे नहीं तब तो निशाना चूक ही जाएगा। मान्यवर, यह बड़ी समस्या है, डकैत के लिए निशाना सही होना चाहिए लेकिन जहां आम समस्या होती है वहां निशाना नहीं लिया जाता। मान्यवर, चांदमारी का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है, हथियारों की सफाई शुरू की जा रही है और प्रैक्टिस को बढ़ाया जा रहा है।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो चांदमारी के स्थान बने हुए हैं उसके पीछे तमाम आबादी है। अभी हमारे मथुरा में दो कैजुअलटी हो गई थी तो चांदमारी का जो स्पॉट बना रखा है उसके आसपास की आबादी में इस प्रकार की कैजुअलटी न हों क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी उस स्पॉट को चेन्ज करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसके लिए तो स्थान चेन्ज करने की जरूरत नहीं है, उसे थोड़ा सा और ठीक से बनाया जा सकता है जिससे कि गोली बाहर न निकले।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निशाना भी सही नहीं बैठ रहा है या तो ऊपर से निकल जा रहा है या फिर नीचे से जा रहा है इसलिए मान्यवर, कुछ आप उपाय करें कि निशाना सही बैठे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सही उत्तर दे दें ताकि हमको संतुष्टि हो जाए। मान्यवर, मैंने जो सवाल किया कि उसमें स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में, अपराध के अनुपात में पुलिस बल की कमी है और इसको सरकार ने स्वीकार भी किया है कि हां आरक्षियों की इतनी भर्ती की है इतनी भर्ती विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों की, आरक्षियों की अपेक्षित है और यह भी स्वीकार किया है कि हथियार भी कम हैं और यह भी कहा है कि इतने हथियारों का आर्डर दे दिया गया है, ये हथियार उपलब्ध करा दिये जाएंगे। मान्यवर, एक चीज तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध और बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस बल और हथियारों की कमी है, इस बात को सरकार स्वीकार करती है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि वह कौन सा अनुपात होगा, वह कौन सी आइडियल स्थिति होगी जिसे हम कह सकते हैं कि इतनी जनसंख्या पर इतना पुलिस बल है तो हम बहुत आसानी से अपराध पर और अपराधियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हथियार होना पर्याप्त नहीं है जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि ट्रेनिंग है ऊपर मारने की, नीचे मारने की तो हथियार देकर क्या करेंगे वह भी नीचे ही मारेंगे, तो मान्यवर, मेरा निशाना सही बैठ जाए, आप थोड़ी कृपा कर दें ताकि उत्तर आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप ही बता दें कि कितना मानक है यह तो उस हिसाब से पूछा कि उतना मानक है कि नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हर व्यक्ति को अपराधी मानकर नहीं चला जा सकता। पूरी जनसंख्या अपराधियों की जनसंख्या है यह मानकर हथियार नहीं दिये जा सकते और यह मानकर पुलिस भर्ती भी नहीं हो सकती। हम यह मानकर चलते हैं कि जितने अपराध हैं उन अपराधों को हम कम करें। हथियारों का इस्तेमाल कम करें, हथियार बढ़ें, यह तो कोशिश रहनी चाहिए लेकिन हथियारों का इस्तेमाल यह मानकर कि हर व्यक्ति अपराधी है, यह मानक नहीं हो सकता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपराधी मान करके मानक तय नहीं किये जा सकते। आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो मानक तय करने का प्रोसीजर है उसमें हर व्यक्ति को अपराधी मानकर मानक तय करने का है या अपराध के हिसाब से उसका मानक तय किया जाता है। पूरी की पूरी जनसंख्या अपराधी है इस बात को ध्यान में रखकर मानक तय करना है कि उस जनसंख्या के ऊपर अपराध नियंत्रण के लिए इतने लोगों की आवश्यकता है, यह मानकर मानक तय करना है। मान्यवर, कभी भी यह बात मानकर मानक तय नहीं किये जाते हैं कि सारी की सारी जनसंख्या अपराधी है। उस जनसंख्या की सुरक्षा के लिए मानक तय होते हैं। यह मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जवाब दे चुके हैं, बार-बार वही जवाब दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं बार-बार जवाब दे रहा हूं इसलिए कि वही जवाब है। आप उसे कितनी बार बदलकर पूछ लीजिए, जवाब तो वही रहेगा, खरबूजा छूरी पर ही आयेगा।

पश्चिमी उ0प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उ0प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार में सबसे ज्यादा न्यायप्रिय और इंसाफ पसन्द मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, यह मेरा विश्वास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्डपीठ की स्थापना हो, यह प्रकरण पिछले 32 साल से पेंडिग है। 1980 में एक जसवंत सिंह आयोग का गठन किया गया था, उस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी आ गयी। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने संस्तुतियां दी थीं क्या उत्तर प्रदेश सरकार उस पर अपना अभिमत व्यक्त करेगी ? दूसरे, क्या सरकार इस पक्ष में है कि सस्ता न्याय हो, इस आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर भी खण्डपीठ स्थापना का उसका विचार है। कार्यान्वित होना न होना तो केन्द्र सरकार के पाले में है। क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना हो एक सवाल, दूसरा, जो जसवंत सिंह आयोग की संस्तुतियां हैं उस पर सरकार का क्या अभिमत है ? यही दो छोटे-छोटे सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जसवंत सिंह आयोग पर राज्य सरकार का अभिमत क्या हो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरा मामला भारत सरकार से सम्बन्धित है और खण्डपीठ का मामला क्योंकि राजनैतिक भी बन गया और कई जगहों से मांग होने लगी कि वहां पर खण्डपीठ हो। दूसरी परेशानी यह खड़ी हुई कि जब भी खण्डपीठ का सवाल उठा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील साहबान ने, खुद लखनऊ बेंच के वकील साहबान ने इतने बड़े प्रोटेस्ट किये कि सरकारों को विचार करना पड़ा और शायद निर्णय लेने में सरकारें पीछे हट गयीं, काम नहीं कर सकीं। राज्य सरकार का इस निर्णय से लेना-देना नहीं है। राज्य सरकारें जाहिर है कि राजनैतिक दलों की बुनियाद पर ही बनकर आती हैं और हर राजनैतिक दल अपनी सहूलियत के इतबार से यह चाहता रहा कि खण्डपीठ कहां हो ? ऐसा भी हुआ कि जब सरकारों के समर्थन में राजनैतिक पार्टियां मिलकर सरकारें बनाने में कामयाब हुईं तो आवाज उठी कि मेरठ में होनी चाहिए, शाहजहांपुर में होनी चाहिए, आगरा में होनी चाहिए और हमने इस ख्याल से कि सबका केन्द्र बिन्दु रामपुर है और मैं आपको उसकी वजह बताता हूं इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में साढ़े तीन सौ एकड़ म्यूनिसपल एरिया सिविल लाइन्स में नेशनल हाईवे पर किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा महल जो गिर रहा है बहुत बड़ी राष्ट्रीय धरोहर है वह गिर रहा है। साढ़े तीन सौ एकड़ म्यूनिसिपल एरिया के बीच नेशनल हाईवे पर बना हुआ महल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की इमारत से कहीं ज्यादा खूबसूरत है अगर कल घोषणा कर दी जाए कि रामपुर में हाईकोर्ट होगा तो सिवाय रंग पालिस के कोई पैसा खर्च नहीं होगा कोठियां हैं सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कुछ नहीं लगाना पड़ेगा सिर्फ जजेज के एप्वाइंटमेंट्स करना पड़ेगा। इसलिए मान्यवर, सबकी अपनी-अपनी सोच है कहां होना चाहिए लेकिन उस सोच पर राज्य सरकार का असर इसलिए नहीं पड़ता कि जो भारत सरकार तय कर देगी हमें खण्डपीठ वहां बनानी है। मेरी ख्वाहिस है शाहजहांपुर रामपुर के करीब है

शाहजहांपुर में बन जाएगा तो कम से कम इलाहाबाद जाने से भी छुट्टी मिल जाएगी तो हम वसूलन इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि खण्डपीठ होना चाहिए लेकिन कहां हो यह तय हम नहीं करेंगे यह भारत सरकार करेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक सवाल जब तक खण्डपीठ की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न हो तब तक वह जिले जैसे रुहेलखण्ड या मुरादाबाद डिवीजन यह डिवीजन लखनऊ बेंच से जोड़ने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार पास करेगी जब तक न बने तब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, खन्ना साहब बहुत सीनियर सदस्य हैं आप पर मुकदमें भी चलते हैं जब राजनीति में काम करते हैं तो 323 तो लगता ही होगा 151 में भी बन्द होते होंगे। मान्यवर, यह हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है इस पर नहीं कर सकते।

प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में ठेके पर सफाई की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

*3-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में सफाई की दोहरी व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार ठेके पर सफाई की व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक होने के कारण सफाई कर्मचारियों की भर्ती सम्प्रति संभव न होने तथा नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण जनहित में ठेके पर सफाई की व्यवस्था को समाप्त करना उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

मान्यवर, यह विभागीय जवाब है अभी क्योंकि नशा नहीं उतरा है पुराने जवाब देने का इस जवाब से मैं बहुत हद तक सहमत हूं और बहुत हद तक असहमत भी हूं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती आपको याद होगा जब गत समाजवादी सरकार थी तब एक लाख सफाई कर्मचारियो को भर्ती करने की हमने घोषणा की थी और 65 हजार सफाई कर्मचारी रखे भी गए थे। उनकी तनख्वाहें बहुत कम थीं हमने एक सिस्टम तय कर दिया था कि इतनी तनख्वाह इतने दिनों बाद बढ़ेगी और इतने लोग उसमें रेगुलराइज किए जाएंगे जिस पर दलितों की सरकार ने दलित प्रेमियों की सरकार ने 40 हजार करोड़ के पत्थर खरीदने वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया। वह मैं कहूंगा तो मौर्य जी बुरा मान जाएंगे। उन 35 हजार की भर्ती के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। आर्थिक हालात कमजोर है वजह क्या है नगर पालिका को नगर निगम को कोई टैक्स तो देते नहीं न वाटर टैक्स न हाउस टैक्स तो आमदनी तो बहुत कम है यह आप जानते हैं और हम दबाव भी नहीं देते उस कम आमदनी के बावजूद हम सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर न सिर्फ विचार कर रहे हैं बल्कि बहुत जल्द उसकी भर्ती करने की कोशिश में हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कुछ तो अनुपूरक प्रश्न होंगे। यह नगर निगम की सफाई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकारियों, ठेकेदारों और पार्षदों के मध्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नगर विकास मंत्री भी हैं इसलिए वह इस तथ्य से अवगत होंगे कि एक नेक्सस बन गया है। आज स्थिति यह है कि मार होती है कि हमारे वार्ड में सरकारी कर्मचारी सफाई न करें बल्कि ठेके पर सफाई हो इसलिये कि यह ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को 10 हजार 12 हजार रुपये प्रतिमाह की तनख्वाहें देते हैं और इसका फल यह होता है कि जिस क्षेत्र में उनकी जिस जनप्रतिनिधि से सेटिंग हो जाती है वहां के नागरिक सफाई के लिये तड़पते रह जाते हैं। नगर निगम, मैं अगर गोरखपुर के हवाले से कहूं, 1700 पद हैं, 900 पदों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं और बाकी सारे पद खाली पड़े हैं। अब जो पद खाली थे, जो लोग रिटायर हो गये, जिनकी मृत्यु हो गई उन पदों पर नौजवानों की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी वह सारे पद खाली पड़े हैं, एक अजीब सी नीति बना दी गई कि उन खाली पदों पर हम स्वयं संविदा पर नियुक्ति कर लें। इसके स्थान पर हमने आउट सोर्सिंग कर दिया और आउट सोर्सिंग का खेल केवल पैसे के लिये हुआ अधिकारियों के द्ववारा। खेल यह हुआ कि 120 रुपये प्रतिदिन पर नियुक्ति की जाती है। जमीनी सच्चाई यह है कि जो काम करता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में भी 120 रुपया देना चाहिए। जब नगर निगम स्वयं 120 रुपये प्रतिदिन में नियुक्ति कर रहा है तो उस कर्मचारी को मिलता है 60-70 रुपया। हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अतिक्रमण नगर निगम के द्ववारा करवाते हैं। 25 लोगों की नियुक्ति के स्थान पर 12 लोग काम करते हैं। पूरा का पूरा तंत्र माननीय नगर विकास मंत्री जी भ्रष्टाचार से ग्रसित हो गया। आप जिन सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं अगर वह शहरी क्षेत्र के भी हैं तो मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया लेकिन अगर वह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के हैं क्योंकि जिन नियुक्तियों की आप चर्चा कर रहे हैं, आपकी पूर्ववर्ती सरकार में वह नियुक्तियां ग्रामीण क्षेत्र की नियुक्तियां थी सफाई कर्मियों की। माननीय मंत्री जी के माध्यम से आ जायेगा, अगर वह शहरी क्षेत्र की नियुक्तियां थीं तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। 5 साल नारकीय स्थिति रही है, अगर सरकार उसको बदलने को तैयार तो यह मेरे प्रश्न का अपने आप में जवाब हो जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो 1 लाख हमने घोषणा की थी वह शहर की ही नियुक्तियां थी और जो समस्या आपने रखी है ठेकेदारों वाली, मेम्बर्स वाली वह बिल्कुल सही है और बात तो यहां तक है मान्यवर, कि जो मुस्तकिल मुलाजिम हैं वह जाते ही नहीं। उन्होंने हजार दो हजार रुपया किसी को खुद अपने राजनीति कर रहे हैं, राशन डिपो चला रहे हैं, दलाली कर रहे हैं और दुःखी कर रहे हैं। अब नजर तो है उन पर, अब कितना कामयाब हो पायेंगे, यह देखना है। भर्ती करेंगे, सफाई बेहतर करेंगे। जहां तक ठेकेदार प्रथा का सवाल है, हम लोग तर्जुबों की दुनिया में रह रहे हैं यह तर्जुबा किया गया कि शायद ठेकेदारी से बेहतर हो। कुछ जगहों पर वह तर्जुबा कामयाब भी हुआ और कुछ जगह पर नहीं कामयाब हुआ। जो लोग मुस्तकिल कर्मचारी हैं, वह बिल्कुल नहीं काम करके देते, आप क्या कर लेंगे मान्यवर। अब देखिये इन्साफ पाना तो सबका अधिकार है। आजकल एक प्रश्न आया था वह आगे नहीं बढ़ा, खन्ना जी ने बहुत अच्छा जुमला बोला था कि न्याय सस्ता है। मान्यवर, हुआ यह है कि

न्याय में सस्तापन आ गया है। जब तक यह सस्तापन रहेगा अब उस सस्तेपन के हम भी शिकार हैं। किसी भी मुस्तकिल कर्मचारी को चाहे वह क्लास फोर के नीचे का भी हो उसको न्याय मिल जाता है और उस वक्त हम बड़े लाचार होते हैं।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की जानकारी में है, माननीय मंत्री जी स्वाभाविक रूप से बड़े विजिलेंट रहते हैं। जब ठेके पर सफाई व्यवस्था देने का प्रचलन चला तो इसमें भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा अंश सालिड वेस्ट मैंनेजमेंट के माध्यम से उन ठेकेदारों को देने की पहल की है जो शहर भर का कूड़ा उठाकर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में उसमें विद्युत उत्पादन का एक धोखा देकर, माननीय मंत्री जी आप सहमत होंगे धोखा देकर उस पैसे को हड़पने का एक प्रयास किया। उसके माध्यम से मान्यवर, उन्होंने किया यह कि एक तो सरकार से पैसा ले लिया, सरकार की जमीन ले ली और सरकार की जमीन सरकार का पैसा और नगर निगम के साथ उन्होंने वहां से भी कुछ पैसा लेना शुरू किया कि हम आपका कूड़ा उठायेंगे, हम आपकी सफाई व्यवस्था करेंगे। कूड़ा भी वह जिससे वह खाद बनाते हैं, जिस कूड़ा का उपयोग वो करते हैं जिसमें से वह कमाई करते हैं और उसके बाद भी वह सारी कम्पनियां, कानपुर नगर में एक कम्पनी है। मैं निवेदन कर चुका हूं आपको जानकारी है जो यूजर्स चार्जेज के नाम से, उस उपभोक्ता से, उस घरवाले से, पैसा भी लेते हैं, जो हाउस टैक्स देता है, सीवर टैक्स देता है, वाटर टैक्स भी देता है जो सारे टैक्स देता है उसके बावजूद उसका भी शोषण करके पैसा लेने का काम करते हैं। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये उससे पैसा लेने का काम करते हैं। कोई नर्सिंग होम है तो उससे चार हजार रुपया लेंगे पांच हजार रुपया लेंगे। उसमें से भी हैरेसमेंट करके षडयंत्र करके पैसा लेने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कानपुर महानगर में 56 करोड़ रुपया दे दिया, इतनी बेशकीमती जमीन जो शहर के बीचों बीच है वह जमीन दे दी। पैसा दिया जमीन दी। नगर निगम ने फिर कूड़ा उठाने के लिए और पैसा दे दिया। उसके बाद जिसके घर से या जिस नर्सिंग होम से कूड़ा उठाया जाता है तो उससे पैसा लेते हैं। यह अत्याचार हो रहा है उस आदमी के ऊपर जो सारे के सारे टैक्स दे रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की माननीय मंत्री जी को जानकारी है अगर जानकारी है तो क्या उनके ऊपर सख्ती करके उनके खिलाफ जांच कराके कार्यवाही करेंगे इसमें कोई नई व्यवस्था लागू करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

पूरी तरह से जानकारी में है। जिस तरफ आपका इशारा है जमीनें भी उनको बहुत बेशकीमती मिल गईं पैसा भी उनको मिल गया, एग्रीमेंट यह था कि बिजली बनायेंगे। बिजली ही हमारी प्राथमिकता है लेकिन वह किसी के यहां ढाई किलो खाद बन रही है किसी के यहां दो पौंड बन रही है। रात को छोटा सा पैकेट दिखा देते हैं कि खाद बन रही है, यह खाद बनाई है। मान्यवर, खाद की हमें उतनी जरूरत नहीं है जितनी हमें बिजली की जरूरत है और उससे ज्यादा बिडम्बना यह है, जिन्होंने जमीन दी, जिन्होंने पैसा दिया और जिन लोगों ने लिया उस वक्त तक बसपाई थे जैसे ही हमारे पास विभाग आया वह सब सपाई हो गए अब इन सपाइयों की सफाई करना है। बाजा-बाजा तो ऐसा है कि ए टू जेड फ्राड है। यह पूरे प्रदेश पर छाए हैं। एक ही

व्यक्ति है अब बैठे हैं वहां, क्या पूछें इनसे, इन्हें बस एक ही अच्छा लगा अब वह सपाई हो गया है कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, अभी बहुत कम समय लगा है। कोशिश कर रहे हैं या तो बिजली बनायेंगे या जाएंगे।

श्री सतीश महाना-

जो उन्होंने बिजली बनानी भी है वह अपने प्लान्ट को चलाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लिया कि वह बिजली बनाकर पूरे शहर को देंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं वैसे आदरणीय मंत्री जी भी बनारस के ऊपर या मेरे ऊपर मेहरबान हैं उस दिन पूछ रहे थे कि बनारस की अब क्या स्थिति है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं और सल्यूशन भी चाहता हूं कि इसके पहले जो एटूजेड आने के पहले जो सीवर लाइनें हैं बनारस की जो बहुत पुरानी और अंग्रेजों के समय की हैं उन सीवर लाइनों की सफाई नगर निगम के कर्मचारी द्वारा हो जाती थी। फिर बीच में आउट सोर्सिंग करके संविदा पर कर्मचारी रख लिए गये और वह संविदा पर संख्या कुछ और रहती है और चालीस परसेंट पचास परसेन्ट कमीशन खाकर के कम संख्या में कर्मचारी रखकर काम कराए जा रहे हैं जिससे कई दिन सीवर की सफाई नहीं होती है और जनता परेशान है सूचना देत-देते। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या वह संवेदनशील हैं ऐसा मैं मानता हूं इसका कोई सल्यूशन निकालेंगे ताकि यह कमीशनखोरी बन्द हो और जो पर्याप्त संख्या में कर्मचारी होने चाहिए सफाई के लिए, या तो पुरानी व्यवस्था को लागू कर दें या नई संख्या जो दर्शाया जाता है वह संख्या में लोग काम करें ताकि लोगों को मुक्ति मिले सीवर ओवर फ्लो से, प्रदूषित जल आपूर्ति से ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इधर क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिला है, इन सब चीजों पर कार्यवाही का, सरकार आई, फिर सत्र शुरू हो गया। बड़ा गम्भीर प्रश्न है और संविदा शब्द ऐसा है, अब तो इस शब्द से कभी-कभी ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा है। संविदा का इतना मिसयूज हुआ है, मान्यवर, पिछले वर्षों में, मैं जा रहा था, फिर मुरादाबाद की नगर निगम में चला गया। मैं यह समझा कि जीन्स-शर्ट पहने हुए बच्चे-बच्चियां इनका नगर निगम में क्या काम है, इन्हें कहां सफाई कराना है। फिर मेरा ख्याल यह हुआ कि शायद यह युवा नेता होंगे, इनके मोहल्ले में गन्दगी होगी, फिर लगा छात्र नेता होंगे। मैंने पूछा बेटे, आप यहां कैसे ? कहा-जी, मैं कम्प्यूटर पर हूं। भर्ती हुई है, आपकी ? मुझे तो यही मालूम है कि पिछड़े 15-20 साल से भर्ती-वर्ती नहीं हो रही है। कहा, संविदा पर हूं। दूसरे से पूछा, बेटे आप यहां कैसे, उसने कहा-संविदा पर हूं। 30, 40, 50 नौजवान ऐसे थे जो संविदा पर थे और उनके लिए सारा कम्पयूटर का इन्तजाम भी था। तो बहुत मिसयूज हो रहा है, इस शब्द का और सत्र के बाद कोशिश करेंगे कि संविदा शब्द पर भी, कम से कम हम अपने विभाग में थोड़ा सा काम करें और कुछ इसका रास्ता निकालें।

श्री अध्यक्ष-

माइकल साहब, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री माइकल चन्द्रा-

मान्यवर, संविदा शब्द की जो बात है, प्लीज मुझे इस पर एक मिनट का टाइम दीजिएगा। मुझे कह लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कहा नहीं जाता है।

श्री माइकल चन्द्रा-

मान्यवर, मुझसे ज्यादा दर्द किसी को नहीं पता है, इस चीज का। मैं जानता हूं, इस दर्द को संविदा कि जैसा आदरणीय मंत्री जी ने बात कही है, मैं समझता हूं कि पुरानी सरकार में जिस तरीके से भर्ती की गई, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिससे 40 हजार, 50 हजार रुपये न लिए गए हों।

श्री अध्यक्ष-

चलिए छोड़िये, यह प्रश्न नहीं था।

श्री माइकल चन्द्रा-

मान्यवर, सबसे बड़ा दर्द यह है कि जो समाज सदियों से आपका गन्दा, आपका कचरा अपने सिर पर उठाकर घूमता रहा, गांधी जी ने 7 दिन मैला उठाया था।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न प्रहर है, आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न प्रहर में भाषण नहीं दिए जाते हैं, आप बैठिए।

श्री माइकल चन्द्रा-

अध्यक्ष जी, यह दर्द मेरा है, आप सुन लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग व्यवहार कर रहे हैं, आपका संरक्षण दोनों तरफ के लोगों के लिए चाहिए। हम लोग यहां पर इनकी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं।

श्री अध्यक्ष-

जबसे वह खड़े हुए तभी से कह रहा हूं। माइकल साहब, बैठ जाइये। अब आपका लिखा नहीं जायेगा। यह प्रश्न प्रहर है, इसमें भाषण नहीं दिया जाता, इसका नियम है, आप नियम समझिए, आप नए सदस्य हैं। आपको मैं बार-बार समझाता हूं कि आप नियम समझ कर तब बोलो।

प्रदेश में पी0सी0एस0, पी0सी0एस0 (जे)आदि की परीक्षाओं मे प्रतियोगी छात्रों की आयु सीमा में बढ़ोत्तरी

*4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिमांचल प्रदेश, झारखण्ड, हरियाणा, बिहार एवं छत्तीसगढ़ प्रान्तों की ही तरह उ0प्र0 में पी0सी0एस0, पी0सी0एस0 (जूडिशियल), अपर सबार्डिनेट तथा

ए0पी0ओ0 आदि परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतियोगी छात्रों की आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अधिसूचना सं0-18/2/81-का-2-2012 दिनांक 06 जून, 2012 द्वारा ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष थी, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

अध्यक्ष जी, ग्रामीण परिवेश से आए हुए तमाम नौजवान जिनकी पढ़ाई बहुत बाद में शुरू होती है, उनके लिए लगातार हम लोगों का यह प्रयास रहा है और हम लोग तमाम सरकारों से मांग करते रहे हैं कि उनकी उम्र 35 से बढ़ाकर 40 की जाए और इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने अभी इसको जून में कर दिया, मैं इनको इसके लिए बधाई देता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, विधान सभा के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं, जब प्रश्नकर्ता के ऐसे जज्बात सामने आते हैं और उसके लिए किसी भी सरकार और उस मंत्री को जो उसका जवाब दे रहा है, भावुक होना जरूरी है। मान्यवर, पूरे सदन को इस बात से सबक लेना चाहिए। श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की राजनीतिक जिन्दगी से और उनके राजनीतिक सफर से। मैं अभी इलाहाबाद गया था तो मुझसे लोगों ने कहा कि क्या विधान सभा में कोई ऐसा सदस्य है जो पुराने स्कूटर और पुरानी मोटरसाइकिल से चलता हो। मैं उनके सवाल को नहीं समझ सका। मैंने कहा आप मेरी जानकारी में इजाफा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या आप श्री अनुग्रह नारायण सिंह को नहीं जानते। मैंने कहा मैं उन्हें बहुत जमाने से जानता हूं जो जवाब उन्होंने दिया है मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह अपनी जिन्दगी के रास्ते को इसी तरह बनाते रहें।

(मेजें थपथपाई गईं)

प्रदेश में बढ़ते बाल यौन दुराचार को रोकने के उपाय

*5-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बाल यौन दुराचार के मामलों को रोकने के लिये सरकार द्वारा विशेष विधेयक लाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख व्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 में बाल यौन शोषण का अपराध दर राष्ट्रीय अपराध दर से कम रहा है, जैसे अपराध दर में वर्ष 2008 में उ0प्र0 का भारत वर्ष में 19वां, 2009 में 23वां व 2010 में 27वां स्थान रहा तथा अपराध दर 0.5 की अपेक्षा उ0प्र0 में अपराध दर 2009 में 0.3, 2010 में 0.2 तथा वर्ष 2008 में राष्ट्रीय दर के बराबर ही रहा है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख व्यूरो के वर्ष 2011 के आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं, अतः विशेष विधेयक की आवश्यकता अभी नहीं पाई गई है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी प्रदेश में बाल यौन दुराचार के मामले हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अभी तक मौजूदा कानून है उससे बाल यौन दुराचार के मामले रूक नहीं रहे हैं। क्या सरकार कोई नया सख्त कानून बनाने पर विचार करेगी जिससे बाल यौन दुराचार के मामले रूक जायें। मेरा दूसरा सवाल है कि अप्रैल, मई और जून 2012 में कितने बाल यौन दुराचार के मामले दर्ज हुए और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की यह मैं मा0 मंत्री जी के माध्यम से जानना चाहता हूं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, घटनाओं की संख्या निम्नवत् है। वर्ष 2008 में 900, 2009 में 625, 2010 में 451, 2011 में 288। मान्यवर, मैं मा0 सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि जब मैं इसके उत्तर की तैयारी कर रहा था तो मुझे यही जवाब मिला कि इतना कम और इतना ज्यादा है और उस पर मेरा कहना यही था कि यह ऐसे अपराध हैं जिसमें हम कम और ज्यादा की गिनती न करे तो अच्छा है। अपराधमुक्त होना चाहिए। इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है कि कोई नया बड़ा कानून बने। इस पर विचार किया जा सकता है।

*6-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विधान सभा सचिवालय, एनेक्सी के कतिपय रास्तों को भूमिगत पथ बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*7-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय विधायकों एवं सचिवालय कर्मियों के लिये ट्रैफिक समस्या के निराकरण हेतु विधान भवन से दारुलशफा, सचिवालय, एनेक्सी, बापू भवन, राजभवन, रायल होटल चौराहा, हजरतगंज चौराहा आदि के आवागमन हेतु भूमिगत पथ बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 विधायकों एवं सचिवालय कर्मियों के लिये ट्रैफिक समस्या के निराकरण हेतु एनेक्सी भवन, बापू भवन, विधान सभा एवं इसके आस-पास के क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है। साथ ही यातायात को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु सिसेन्डी से रायल होटल के मध्य एकल दिशा मार्ग घोषित किया गया है। सभी प्रकार के चार पहिया/दो पहिया वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु विधान भवन गेट नम्बर-4 के पास मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है जिसमें काफी संख्या में वाहनों की पार्किंग करायी जा रही है। प्रश्नगत क्षेत्र में ट्रैफिक नियंत्रण हेतु पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस के

नोटः--नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न सं0-5 के उपरान्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 लिया गया, तदुपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

टी0एस0आई0/एच0सी0पी0/हेड कान्सटेबल/कान्सटेबेल/होमगार्ड की दो शिफ्टों में ड्यूटी लगाकर यातायात/पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। विधान भवन, सचिवालय, एनेक्सी, बापू भवन, राजभवन आदि स्थल सुरक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं जिस कारण इन स्थानों पर आवागमन हेतु भूमिगत पथ बनाने की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना

*8-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')-

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 23.63 लाख इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके हैं एवं 2644 पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 1146 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों को वर्ष 2022 तक पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की कार्ययोजना बनाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बरेली के थाना शाही में श्री खूबकरन कश्यप पुत्र श्री लालता प्रसाद निवासी आमौर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने सम्बन्धी कथित पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

1-श्री सुल्तान बेग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 14-05-12 जो खूब करन कश्यप पुत्र लालता प्रसाद नि0 आमौर थाना शाही बरेली द्वारा उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने सम्बन्धी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

दिनांक 14-5-12 को जब श्री खुब करन कश्यप ग्राम आमौर, शाही बरेली, श्री लाल सिंह निवासी ग्राम पंडरी, थाना भोजीपुरा, बरेली की मोटरसाइकिल से ओमकार व मनोहर, निवासी ग्राम पंडरी थाना भोजीपुरा को बिठाकर ग्राम कपकटी थाना शीशगढ़ बरेली एक एक्सीडेन्ट के फैसले में जा

रहे थे। पंडरी से आमौर जाते समय यह तीनों लोग रास्ते में रुककर डा0 बंगाली से बातचीत करके चले तभी प्रेम सिंह व इन्द्रपाल पुत्रगण तुलाराम, निवासीगण ग्राम आमौर ने रोक लिया, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहा-सुनी व गाली-गलौज हो गई क्योंकि दोनों पक्ष नशे में थे। दोनों पक्षों में गांव में भीमसेन के मेले को लेकर पुरानी रंजिश है। विपक्षी प्रेम सिंह मेले की कमेटी का अध्यक्ष है तथा खूब करन कश्यप द्वारा उस पर चन्दे के तमाम रुपये खाने का आरोप लगाया गया है। खूब करन कश्यप व उसके साथी नशे में होने के कारण थाने में नहीं आये। खूब करन कश्यप जल्दी-जल्दी में एक दस्ती प्रार्थना-पत्र लिखकर किसी व्यक्ति को देना बताया जिसके द्वारा प्रार्थना-पत्र थाने पर नहीं दिया गया। प्रकरण संज्ञान में आने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सिमरावा के शबाना बेगम पत्नी मो0 हारुन से रंगदारी वसूलने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

2-श्री सुल्तान बेग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम0-पी0जी0 100032749/ 2012 दिनांक 11-05-2012 जो ग्राम सिमरावा थाना व ब्लाक शेरगढ़ त0 मीरगंज जनपद बरेली के गांव की एक गरीब महिला शबाना बेगम पत्नी मो0 हारून से गांव के दबंगों द्वारा रंगदारी वसूलने तथा रंगदारी देने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देने आदि के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

श्रीमती शबाना बेगम पत्नी मो0 हारुन नि0 ग्राम सिमरावा थाना शेरगढ़, बरेली करीब 9 वर्ष से लगातार राशन कोटा डीलर थीं। ग्राम के श्री रमेश गंगवार, जहूर इस्लाम, अहमद हुसैन आदि ने श्रीमती शबाना बेगम के विरुद्ध राशन कोटा में अनियमितता की शिकायत उप जिलाधिकारी, मीरगंज को लिखित प्रार्थना-पत्र के द्वारा की थी, जिसकी जांच पूर्ति निरीक्षक से कराई गई। पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 15-5-12 को उप जिलाधिकारी, मीरगंज द्वारा श्रीमती शबाना बेगम उपरोक्त राशन कोटा निलम्बित कर दिया गया। राशन कोटा निरस्त होने के कारण श्रीमती शबाना बेगम द्वारा ग्राम के श्री रमेश गंगवार, जहूर इस्लाम व अहमद हुसैन आदि के ऊपर अवैध धन उगाही करने के व हफ्ता वसूली (रंगदारी) आदि के आरोप लगाये हैं। जांच से पाया गया कि आरोप पेशबन्दी में लगाये गये हैं। श्रीमती शबाना बेगम उपरोक्त द्वारा न ही इस सम्बन्ध में विपक्षीगण के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र थाना शंकरगढ़ पर दिया गया है और न ही इस सम्बन्ध में विपक्षी के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के ग्राम व पोस्ट पयागपुर के श्री शिवनरेश पुत्र श्री जगप्रसाद के आपरेशन हेतु आर्थिक सहायता दिलाये जाने की मांग

3-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवनरेश पुत्र श्री जगप्रसाद ग्रा0 पो0 पयागपुर-बहराइच के आपरेशन के लिये मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/ख-5 नं0-005986/413 दिनांक 13 मई, 2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त बीमार व्यक्ति के इलाज/आपरेशन हेतु आर्थिक मदद कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि जिलाधिकारी बहराइच के पत्र संख्या-157/आपदा-तेरह-विवेकाधीन कोष/12, दिनांक 19-6-2012 द्वारा श्री शिवनरेश पुत्र श्री जगदेव प्रसाद साहू के उपचार हेतु रु0 50,000 की आर्थिक सहायता शासन के आदेश सं0 एफ-49/12 दि0 22-6-12 द्वारा अधीक्षक, छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को भेज दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

4-श्री राम सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़, विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सई व गोमती नदी के किनारे स्थित ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां। विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत कुल 04 विकास खण्ड पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा (आंशिक) एवं बाबा बेलखरनाथ (आंशिक) के ग्राम सम्मिलित हैं। वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्राम भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प से संतृप्त हैं व क्षेत्र में 05 ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना एवं 18 नग एकल ग्राम पेयजल योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2012-13 में भी प्रति विकास खण्ड 100 नये/रिबोर इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्ययोजना स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के अनेकों विकास खण्डों में ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के रिक्त पदों की संख्या व रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

5-श्री राम सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के वि0खं0 आसपुर देवसरा, पट्टी बेलखरनाथ धाम, मंगरौरा में ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के सापेक्ष 20 मई, 2012 को कितने कर्मचारी तैनात हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-आसपुर देवसरा, पट्टी, बेलखरनाथ तथा मंगरौरा में ग्राम विकास अधिकारी के स्वीकृत पदों, तथा उनके सापेक्ष दिनांक 20 मई, 2012 को तैनात कर्मियों तथा रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनात कार्मिक	रिक्त पद
1	आसपुर देवसरा	10	8	2
2	पट्टी	10	7	3
3	बेलखरनाथ	0	0	0
4	मंगरौरा	12	5	7

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को रिक्त पदों के सापेक्ष चयन/नियुक्ति की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 22-5-2012 को निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के मुख्य अभियन्ता जल निगम को बक्शी खुर्द दारागंज में नलकूप लगाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

6-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बक्शी खुर्द दारागंज में पेयजलापूर्ति हेतु नलकूप लगवाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-05-2012 मुख्य अभियन्ता जल निगम, इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मो0 आजम खां-

जी हां।

प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद तथा अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड (वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद द्वारा कर लिया गया है। अपेक्षित कार्य कुम्भ मेला 2012-13 के अन्तर्गत द्वितीय चरण की योजना में सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

7-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य अभियन्ता जल निगम इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद को सम्बोधित इलाहाबाद में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 प्रथम चरण के अन्तर्गत 'डी' सेक्टर में स्थित ओम नगर, शान्तीनगर, क्लाइव रोड सिविल लाइन्स आदि क्षेत्र में शेष गलियों में सीवर लाईन बिछाने सम्बन्धी पत्र दिनांक 21 मार्च, 2012 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत इलाहाबाद नगर की सीवरेज परियोजना (सीवरेज जोन-डी) के तहत क्लाइव रोड की गलियों में सीवर लाइन बिछा दी गई है। ओम नगर एवं शान्ती नगर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य वर्षा ऋतु के पश्चात् कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की कतिपय तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने विषयक प्रस्ताव की जानकारी

8-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की भानपुर एवं रुधौली तहसील में अग्निशमन केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायकों के चुनाव क्षेत्रों में विधायकों संस्तुति पर हैण्डपम्प स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

9-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-2013 में विधायकों के चुनाव क्षेत्रों में मा0 विधायकों की संस्तुति पर इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अद्यतन दिशा-निर्देशानुसार मा0 विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पर इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के प्राविधान नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय मुहल्लों में सीवर लाइन डालने की योजना

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में स्थित तुलाराम बाग, सोहबतियाबाग, मधवापुर, दारागंज मुहल्ले में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा प्रथम चरण 'डी' सेक्टर में सीवर डालने हेतु चयनित है ? यदि हां, तो अभी तक इन मुहल्लों में कितना कार्य पूर्ण कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि आगामी कुम्भ मेला को दृष्टिगत करते हुए जनवरी, 2013 के पूर्व इन स्थानों पर सीवर व्यवस्था करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

तुलाराम बाग में 40 प्रतिशत, सोहबतियाबाग में 30 प्रतिशत, मधवापुर में 30 प्रतिशत तथा दारागंज मुहल्ले में 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया गया है।

कुम्भ मेला 2012-13 से पूर्व इन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक सीवर व्यवस्था उपलब्ध करा दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड में भीमपुरा को ब्लाक बनाये जाने की योजना

11-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया अन्तर्गत बेल्थरा रोड तहसील में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने भीमपुरा को ब्लाक बनाये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार भीमपुरा को ब्लाक बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

निर्धारित मानकों के पूरा होने पर।

मानक एवं औपचारिकतायें पूर्ण होते ही।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने की मांग

12-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की बैरिया तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र बनाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि सोनबरसा में अग्निशमन केन्द्र के लिये जगह क्यों सुरक्षित की गई है ? क्या सरकार बैरिया तहसील मुख्यालय पर ही अग्निशमन केन्द्र स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सोनबरसा में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु कोई जगह सुरक्षित नहीं है।

तहसील बैरिया, जनपद बलिया में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु राजस्व विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर जमीन तलाश करायी गई परन्तु तहसील मुख्यालय पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण तहसील मुख्यालय से लगभग 04 कि0मी0 दूर इब्राहिमाबाद में भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के ठंडी पुलिया की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग

13-श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के कम्पनीबाग से ठंडी पुलिया (अरिहन्त अपार्टमेन्ट) तक जाने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गढ्ढ़ायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

मरम्मत/निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा। सड़क को एक सप्ताह में मोटरेबल बना दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वाटर लाइन डालने के पश्चात्।

प्रश्नगत सड़क पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 2100 एम0एम0 व्यास की फीडरमेन (वाटर सप्लाई) लाइन डालने का प्रस्ताव है। अतः सड़क निर्माण का कार्य वाटर लाइन डालने के पश्चात् जल निगम द्वारा किया जायेगा।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के गांवों को पेयजल योजना से जोड़ने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

14-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के कुछ गांवों को पाइप वाटर पेयजल योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/2012-13/क-एस0नं0-022532/454, दिनांक 23 मई, 2012 अधिशासी अभियन्ता, जल निगम बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

विकास खण्ड-पयागपुर के दो ग्राम पंचायतों नामत पयागपुर एवं सोहरियावां में पाइप पेयजल योजना के विरचन का कार्य एवं विकास खण्ड-जरवल के ग्राम पंचायत-विराहिमपुर बिल्हौरा में पाइप पेयजल योजना हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के टोंस नदी से घिरे कतिपय ग्रामों की पेयजल समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

15-श्री उमाशंकर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया के अन्तर्गत टोंस नदी एवं लकड़ा नाले से घिरे हुए अठिलापुरा, खरुआँव, मुण्डेरा एवं नरांव गांव जो कि

आर्सेनिक से बुरी तरह से प्रभावित है और इनका भूजल स्तर भी काफी नीचे है ? यदि हां, तो क्या सरकार की इन गांवों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) लगाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

टोंस नदी एवं लकड़ा नाले से घिरे क्षेत्रों में आर्सेनिक नहीं है। उल्लिखित गांवों में मानक के अनुरूप इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इन ग्रामों में ग्रीष्म ऋतु में भू-जल स्तर कुछ नीचे चला जाता है परन्तु उससे इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प प्रभावित नहीं होते हैं एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता रहता है।

इन चारों ग्रामों की वर्तमान जनसंख्या 5000 से अधिक होने के कारण इन ग्रामों में पाइप पेयजल योजना विरचन की कार्यवाही प्रस्तावित है। योजना विरचन के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त निर्माण कार्य संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर में लगवाये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर चालू कराये जाने की मांग

16-श्री अजय कपूर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर में वर्ष 2010 एवं 2011 में नगर निगम द्वारा क्षेत्र में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये गये हैं ? उनमें से कितने चालू हालत में हैं और कितने बन्द हैं तथा कितने रि-बोर होने योग्य हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर में वर्ष 2010 एवं 2011 में जलकल विभाग नगर निगम कानपुर द्वारा 40 नये हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

सभी 40 हैण्डपम्प चालू हालत में हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

न्याय विभाग हेतु स्वीकृत बजट एवं सरकारी गवाहों को दी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में जानकारी

17-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007 से 2011 में न्याय विभाग हेतु कितना बजट स्वीकृत किया गया है ? क्या उक्त बजट में सरकारी गवाहों के लिये भी कोई धनराशि जारी की गई है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2007 से 2011 में न्याय विभाग हेतु कुल रु0 62621347000/-का बजट स्वीकृत किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर के अनेकों मोहल्लों की जर्जर सड़कों को सी0सी0 स्तर तक बनवाये जाने की मांग

18-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला गदियाना में मंजीत सिंह के मकान से मिला हुआ 100 मी0 कच्चा मार्ग, रामशंकर शर्मा के मकान के आगे वाला 100 मीटर रास्ता, बुद्धसेन के मकान से रामसनेही के मकान तक 150 मी0 रास्ता, तो0 ख्वाजा फिरोज नई बस्ती ग्रीनवैली स्कूल से मिला हुआ कच्चा रास्ता, 200 मी0 विशाल कश्यप के घर तक मोहल्ला बक्सरिया में बाबू होटल से जवाहर रस्तोगी के घर तक 200 मी0 मोहल्ला रेती के बालेश्वर के मकान के सामने 100 मीटर रास्ता, मो0 बाबूजेई में पुलिस चौकी बेरी के सामने वाली बरवार (अनु0 जाति) वाली गली पर 100 मी0 तलौआ बहादुरगंज श्री अनन्त कुमार सिंह वाली गली 60 मी0 मो0 सुभाषनगर में यादवों के मकान से बी0एस0एन0एल0 के टावर तक रास्ता 150 मी0 मो0 वाला तिराही में महमूद कोटेदार के मकान से ताहिर डेन्टर के मकान तक 150 मी0 आदि मार्ग बहुत जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों को सी0सी0 स्तर तक बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला गदियाना में मंजीत सिंह के मकान से मिला हुआ 100 मी0 कच्चा मार्ग पालिका सीमा से बाहर है।

रामशंकर शर्मा के मकान के आगे वाला 100 मी0 रास्ता, बुद्धसेन के मकान से रामसनेही के मकान तक 150 मी0 रास्ता, ख्वाजा फिरोज नई बस्ती ग्रीनवैली स्कूल से मिला हुआ कच्चा रास्ता 200 मी0 विशाल कश्यप के घर तक मोहल्ला बक्सरिया में बाबू होटल से जवाहर रस्तोगी के घर तक 200 मी0 एवं मोहल्ला रेती के बालेश्वर के मकान के सामने 100 मीटर रास्ते के कार्य हेतु यथा आवश्यकता इंटरलॉक/खड़न्जा निर्माण का आगणन तैयार कर लिया गया है।

मो0 बाबूजई में पुलिस चौकी बेरी के सामने वाली बरवार (अनु0 जाति) वाली गली पर 100 मी0 के कार्य की निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

तलौआ बहादुरगंज श्री अनन्त कुमार सिंह वाली गली 60 मी0, मो0 सुभाषनगर में यादवों के मकान से बी0एस0एन0एल0 के टावर तक रास्ता 150 मी0 एवं मो0 बाला तिराही में महमूद कोटेदार के मकान से ताहिर डेण्टर के मकान तक 150 मी0 के इण्टरलॉक कार्य का आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध क्रम में आगणनों की स्वीकृति के उपरान्त उक्त कार्य कराये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के खदरा क्षेत्र में फैली संक्रामक बीमारी की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय

19-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार वर्षों में लखनऊ के खदरा क्षेत्र में फैली संक्रामक बीमारी से सैकड़ों लोग मरे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में उक्त बीमारी की पुनरावृत्ति के निराकरण हेतु उक्त क्षेत्र में सफाई, जल निकासी व नगरीय सुविधाओं की स्थापना हेतु आवश्यक उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

खदरा क्षेत्र में वर्ष 2010 में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु अल्प समय में हुई थी परन्तु मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त मौतें संक्रामक रोग के कारण नहीं हुई थी। वर्तमान में संक्रामक रोग जैसी कोई स्थिति नहीं है।

बरसात के बाद मच्छर जनित बीमारियों में संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए खदरा क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया एवं घर-घर से कूड़ा एकत्रित कर निस्तारण कराया गया। जलभराव के स्थान पर पानी की निकासी करायी गयी। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिये स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम का संयुक्त अभियान के अन्तर्गत एण्टीलार्वा का छिड़काव तथा फॉगिंग कराकर स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के अनेकों वार्डों में जल निकासी एवं सीवर लाइन बिछवाये जाने की मांग

20-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज वार्ड में स्थित प्रीतिनगर, हर्ष विहार, रहीमनगर, डुडौली, नौवस्ता खुर्द, बसन्त विहार, श्याम विहार कालोनी, अजीजनगर दाऊदनगर इच्छुपुरी कालोनी एवं सियरा आदि बस्तियों में सीवर व पेयजल व जल निकासी का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्तियों में सीवर लाइन बिछाने, पानी की टंकी स्थापित करने तथा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। प्रीतिनगर में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध है तथा शेष क्षेत्रों हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राक्कलन कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विरचित किया गया है। फैजुल्लागंज वार्ड में सीवर लाइन डालने का कार्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है।

फैजुल्लागंज वार्ड में स्थित रहीमनगर, डुडौली, नौबस्ता खुर्द, दाऊद नगर एवं सिमरा गांव पुरानी आबादी है जो नगर निगम सीमान्तर्गत आते हैं, जिसमें नगर निगम द्वारा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। इन चार गांवों के अतिरिक्त प्रीतिनगर, हर्ष विहार, बसन्त विहार, श्याम विहार कालोनी, अजीजनगर, इच्छुपुरी कालोनी आदि बस्तियों को प्राइवेट कालोनाइजरों द्वारा अनाधिकृत रूप से बसाया गया है जिनके तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों के विकास का दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव में मनरेगा अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच की मांग

21-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी की देख रेख में मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों में बड़े पैमाने पर मिट्टी के कार्यों एवं आवास शौचालयों आदि में वर्ष 2010-11 व 2011-12 में अनियमिततायें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी की देख-रेख में कराये गये सम्पूर्ण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

प्रश्नगत विकास खण्ड में वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 में मनरेगा अन्तर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में परती भूमि के विकास की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

22-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत बैरिया विधान सभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की परती जमीन के विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में बैरिया, मुरलीछपरा, रेवती व बेलहरी विकास खण्डों के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित समेकित जल संग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) की परियोजनायें स्वीकृत हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत नमी एवं जल संरक्षण, जल संसाधन विकास, उद्यानीकरण एवं वनीकरण के कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के चयनित ग्रामों को पाइप वाटर पेयजल योजना से जोड़ने सम्बन्धी मांग

23-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत निर्मल ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायत सेमरौना को पाइप वाटर पेयजल योजना से आच्छादित कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/2012- 13/क-एस0नं0-22533/455 दिनांक 23-05-12 अधिशासी अभियन्ता जल निगम-बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अनेकों विकास खण्डों में शुद्ध पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगवाये जाने की मांग

24-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्डों हजूरपुर, जरवल एवं कैसरगंज में बाढ़ की विभीषिका से वहां का जल प्रदूषित हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल हेतु सभी गांवों में अतिरिक्त इन्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

पेयजल के ऐसे स्रोत जो बाढ़ में डूब जाते हैं, उनका जल प्रदूषित होने की संभावना रहती है। परन्तु विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के हुजूरपुर, जरवल एवं कैसरगंज विकास खण्डों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के डूबने की अभी कोई सूचना नहीं है।

बाढ़ के उपरान्त पेयजल स्रोतों के जल विसंक्रमण हेतु क्लोरीनेशन किया जाता है एवं अतिरिक्त पेयजल स्रोतों की आवश्यकता पर आपदा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त हैण्डपम्प लगाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ताजमहल के ऊपर वायु सेना के जहाजों को उड़ान भरने पर रोक

25-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में विगत 08 मई, 2012 को विश्वविख्यात स्मारक ताजमहल के ऊपर भारतीय वायु सेना के मालवाहक विमान गजराज आई0एल0-76 ने स्मारक के ऊपर बहुत नजदीकी से उड़ान भरी जिससे ताजमहल को बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मालवाहक विमान गजराज आई0एल0-76 भारतीय वायु सेना का सबसे बड़ा विमान है और उसके द्वारा उड़ान सुरक्षित दूरी रखते हुए भरी गयी थी तथा उससे ताजमहल की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी।

ताजमहल की सुरक्षा व संरक्षण के सम्बन्ध में वायु सेना को पूर्ण जानकारी है। वायु सेना द्वारा राष्ट्रीय धरोहर/स्मारकों की सुरक्षा/संरक्षा के सम्बन्ध में सदैव सावधानी बरती जाती है।

वायु सेना द्वारा ताजमहल के ऊपर के एयर स्पेस को प्रतिबन्धित एयर स्पेस (NO FLYING ZONE) के रूप में पालन किया जाता है।

जनपद बलिया के नगरपालिका क्षेत्र रसड़ा के जर्जर गांधी पार्क का जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग

26-श्री उमाशंकर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के रसड़ा नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत गांधी पार्क स्थित जर्जर तालाब की मरम्मत, शेडयुक्त चबूतरा निर्माण एवं गांधी प्रतिमा का जीर्णोद्धार करके सोलर लाइट लगाने तथा पार्क की बाउण्ड्री निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

आदर्श नगरपालिका परिषद्, रसड़ा की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण।

श्री इन्द्रजीत सहायक अध्यापक बाल गृह ढैलवारा ललितपुर की बीमारी के कारण मांगी गयी सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

27-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रजीत सहायक अध्यापक, बाल गृह ढैलवारा (ललितपुर) के लगातार 3 वर्षों से बीमारी के कारण मांगी गयी सहायता के सम्बन्ध में जिला प्रोबेशन अधिकारी ललितपुर का पत्रांक-781-87/प्रो0का0/रा0बा0गृ0/स्था0/2011-12 दिनांक 22 अक्टूबर, 2011 निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)-

जी हां।

निदेशक, महिला कल्याण के पत्र दिनांक 27-6-2012 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, ललितपुर को इस सम्बन्ध में नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मवैया रेलवे पुल के नीचे वर्षा से जल भराव की समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही की मांग

28-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मवैया रेलवे पुल के नीचे वर्षा ऋतु में हमेशा जल भराव हो जाने से वाहन फंसकर भयंकर जाम लगने की समस्या खड़ी हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

उक्त समस्या के समाधान हेतु नगर निगम द्वारा 14 एच0पी0 के दो पम्प लगाकर जल निकासी का कार्य किया जाता है परन्तु अतिवृष्टि होने पर हैदर कैनाल का जल स्तर अधिक बढ़ जाने

के कारण कुछ समय के लिये जल जमाव हो जाता है जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। इस वर्ष भी पम्प लगाकर जल निकासी की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में बी0पी0एल0 सूची धारकों की संस्था एवं ब्लाकवार प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

29-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ब्लाकवार ग्राम पंचायतों में कुल कितनी विधवा बी0पी0एल0 सूची धारक है जो कि पात्र होने के बाद भी पेंशन की सुविधा नहीं पा रही हैं ? क्या उन सभी नामों का प्रस्ताव ग्राम सभा/ब्लाक स्तर पर तैयार करवाकर भारत सरकार को भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/क-एस0 नं0 043051/326 दिनांक 01-05-12 मुख्य विकास अधिकारी बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में 32, विशेश्वरगंज में 23, जरवल में 27, हुजूरपुर में 76 एवं कैसरगंज में 24 इस प्रकार कुल 182 बी0पी0एल0 धारकों के आवेदन-पत्र लम्बित हैं। पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र एवं अर्ह महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधानित किया जा चुका है। अतः पात्र एवं अर्ह महिलाओं को पेंशन की स्वीकृति की कार्यवाही जनपद स्तर पर ही की जायेगी। प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजा जाना है।

जी हां।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन एवं उनकी पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तर के अधिकारियों को है। इसलिए इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी बहराइच को दे दिये गये हैं।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में गिरते भू-जल स्तर की रोकथाम के उपाय

30-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में भू-जल स्तर गिरने के कारण खराब पड़े हैण्डपम्पों को समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत रि-बोर कराने एवं पेयजल संकट के स्थायी समाधान के लिये पानी की टंकियों का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्रति विकास खण्ड में 100 नये/रि-बोर हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित कराये जाने की कार्य योजना स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2022 तक पाइप पेयजल योजना के माध्यम से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति किये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा रिफाइनरी से हो रहे अवैध व्यापार में पंजीकृत अभियोगों का विवरण एवं रोकथाम की मांग

31-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा में वर्ष 2007 से 2012 तक मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादनों (काले तेल) की हेरा फेरी से विख्यात अवैध व्यापार में कितने मुकदमें कायम हुये ? क्या यह भी सही है कि जनपद-मथुरा में कई थानों के अन्तर्गत काले तेल के अवैध व्यापार में पुलिस की भी संलिप्तता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसको रोकने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा में रिफाइनरी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादनों (काले तेल) के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में वर्ष 2007 से 2012 तक पंजीकृत अभियोगों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

2007	2008	2009	2010	2011	2012
06	03	04	--	38	03

काले तेल के अवैध व्यापार में पुलिस की संलिप्तता का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य विकास अभिकरण पीलीभीत के अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष किये जाने की मांग

32-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्गत सेवा शर्तों के अनुसार अधिवर्षता आयु राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान किये जाने की विधिक व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पीलीभीत के अधिकारियों/कर्मचारियों को 58 वर्ष में ही सेवानिवृत्त किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अभिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटी ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इनके कार्मिक राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आबादी का मानक शिथिल करने की मांग

33-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 5000 आबादी के गांवों में पाइप वाटर पेयजल योजना लागू है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि अनेक ग्रामों में जहां का पानी रसायन युक्त है आबादी कम होने के कारण इस योजना को लागू नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आबादी का मानक शिथिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु राज्य को प्राप्त धनराशि के परिप्रेक्ष्य में 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है, परन्तु भारत सरकार के गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत 5000 से कम आबादी वाले ग्राम पंचायतों में भी पाइप पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त रसायनयुक्त पानी से ग्रसित ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा अन्य कई विकल्प भी अपनाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के सरधना में छोटे-छोटे बूचड़खाने खोले जाने पर रोक लगाये जाने की मांग

34-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के सरधना में जगह-जगह गली कूंचों में छोटे-छोटे बूचड़ खाने खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद्, सरधना (मेरठ) के द्वारा कोई पशुवधशाला संचालित नहीं है। नगर पालिका परिषद्, सरधना (मेरठ) द्वारा केवल 22 मीट विक्रेताओं को मीट विक्रय हेतु लाइसेन्स जारी किये गये हैं। लाइसेंस धारकों द्वारा ही अन्यत्र स्थानों से मीट लाकर निर्धारित स्थानों पर मीट विक्रय किया जाता है।

जनपद मेरठ में प्राप्त शस्त्र लाइसेन्स के आवेदन एवं जारी लाइसेन्स के सम्बन्ध में जानकारी

35-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में वर्ष 2012 में 15 मई, 2012 तक कितने शस्त्र लाइसेंस के आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुये और उनमें से कितने शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये एवं कितने आवेदकों के शस्त्र लाइसेंस अपात्र घोषित किये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि जारी किये लाइसेंस किन-किन की संस्तुति पर जारी किये गये ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 01-01-2012 से 15-05-2012 तक जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के कार्यालय में कुल 482 शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। 68 शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है जबकि 14 शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-पत्र निरस्त किये गये हैं।

आयुध अधिनियम, 1959 तथा आयुध नियम-1962 में उल्लिखित प्राविधानों तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-पत्रों पर निर्णय लिया जाता है। उक्त प्रकरणों में भी उक्त प्राविधानों के अनुसार निर्णय लिया गया है।

आगरा नगर के शिवनगर सराय ख्वाजा कमाल खां में नाला निर्माण कराये जाने की मांग

36-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के शिवनगर सराय ख्वाजा कमाल खां में नाला न होने के कारण जल भराव से घरों में गन्दा पानी प्रवेश कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर नाले का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

हां।

शिवनगर सराय ख्वाजा कमाल खां क्षेत्र में जल निकासी हेतु नाला निर्माण की योजना जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), आगरा द्वारा यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा से धनांक रु0 1892.23 लाख की तैयार करायी गयी है जो निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है।

योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर का छः फीट नाला काजीपाड़ा की सफाई कराये जाने की मांग

37-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर का छः फीट नाला काजीपाड़ा गन्दी सिल्ट व कूड़े से भरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बरसात से पहले उक्त नाले की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नाला काजीपाड़ा (मिश्री सैयद रेलवे पुल के पास से बिजली घर रेलवे पुल तक) का पुनः निर्माण कार्य जल निगम, आगरा की यमुना प्रदूषण इकाई द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से जनहित में आंशिक रूप से नाले की सफाई करायी जा चुकी है।

नाला निर्माण के उपरान्त सम्पूर्ण नाला सफाई नगर निगम, आगरा द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

आगरा मण्डल के थानों/कोतवालियों में अनुसूचित जातियों के एस0ओ0 एवं एस0एच0ओ0 की तैनाती का विवरण

38-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न थानों/कोतवालियों में एस0ओ0 कोतवाल की पोस्टिंग में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कोटा पूरा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद आगरा में अनुसूचित जाति के कितने एस0ओ0 एवं कितने एस0एच0ओ0 वर्तमान समय में तैनात है एवं किन-किन थानों/कोतवाली पर उनकी तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

आगरा मण्डल (परिक्षेत्र) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में 98 थाने हैं। कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 23 प्रतिशत अर्थात् 23 थाना प्रभारी नियुक्त होने चाहिए। किन्तु उपयुक्तता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल 13 थाना प्रभारी नियुक्त हैं।

जनपद आगरा के थानों में निम्न अनुसार अनुसूचित जाति के पुलिस उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष के पद पर तैनात किया गया है :-

क्र0	उ0 नि0 का नाम	जाति	थाने का नाम
1	उ0 नि0 कामता प्रसाद	धोबी	एस0ओ0 जगदीशपुर
2	उ0 नि0 सुभाष बाबू कठेरिया	कठेरिया	एस0 ओ0 चित्राहार
3	उ0 नि0 रामचन्द्र सरोज	पासी	एस0ओ0 मन्सूखपुरा
4	उ0 नि0 सीताराम सरोज	पासी	एस0ओ0 पिढौरा
5	उ0 नि0 सुनील कुमार सेंगर	बेड़िया	एस0ओ0 बसई अरेला

उपरोक्तानुसार।

गंगा नदी की सफाई हेतु प्रतिवर्ष आवंटित बजट एवं कार्यों का विवरण

39-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002 से वर्ष 2012 तक गंगा नदी की सफाई हेतु प्रतिवर्ष कितना बजट आवंटित किया गया तथा उस बजट से क्या-क्या कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वित्तीय वर्ष 2002-03 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के मध्य गंगा नदी की सफाई हेतु गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) तथा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष निम्नानुसार बजट आवंटित किया गया है :-

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण)	एन0जी0आर0बी0ए0
1	2002-03	4144.80	--
2	2003-04	3171.00	--
3	2004-05	0250.00	--
4	2005-06	4083.75	--
5	2006-07	13190.02	--
6	2007-08	4693.97	--
7	2008-09	21808.21	--
8	2009-10	22234.01	--
9	2010-11	7863.17	21907.39
10	2011-12	5413.10	11095.42
	कुल योग :-	86852.03	33002.81

उपर्युक्त आवंटित धनराशि से गंगा नदी की सफाई हेतु मुख्यतया निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं :-

गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत कुल 216 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से बिजनौर नगर की तीन योजनायें ड्राप कर दी गयी हैं। इस प्रकार अवशेष 213 योजनाओं में से 202 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, जिसके अन्तर्गत 844.35 एम0एल0डी0 क्षमता के 24 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्मित किये गये हैं। शेष 11 योजनायें निर्माणाधीन हैं।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0) कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 07 परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं जिसके अन्तर्गत 313 एम0एल0डी0 क्षमता के 09 सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पंचशीलनगर के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ में खराब टंकियों की मरम्मत कराकर चालू कराये जाने की मांग

40-श्री गजराज सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पंचशीलनगर के हापुड़ विधान सभा क्षेत्र में कितनी पानी की टंकी है ? क्या सरकार बतायेगी कि वे सभी सुचारु रूप से काम कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार खराब टंकियों की मरम्मत कराकर पुनः चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद पंचशीलनगर के हापुड़ विधान सभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों में हापुड़ में 05 व बाबूगढ़ में 01 अवर जलाशय हैं। हापुड़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 04 पानी की टंकियां हैं।

नगरीय क्षेत्र में पेयजल योजना के रख-रखाव का कार्य नगरपालिका/नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है, जो सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 03 पेयजल योजनायें-ततारपुर पेयजल योजना, बछलौता पेयजल योजना एवं नूरपुर पेयजल योजना, ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित हैं। असौड़ा पेयजल योजना का रख-रखाव उ0 प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है जो चालू हालत में है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हापुड़ के देहात थाना का भवन निर्माण कराये जाने की मांग

41-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ शहर में हापुड़-देहात थाना का भवन बन गया है ? यदि नहीं, तो थाने के भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

थाना हापुड़ देहात के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु रु0 44.82 लाख की लागत अनुमानित है। थाना के प्रशासनिक भवन का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने का प्रकरण

42-श्री छोटे लाल वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में भू-गर्भ जल काफी गहरा होने के कारण पीने के पानी का घोर संकट है, जिससे वहां लगाये गये हैण्डपम्प 75 प्रतिशत खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों को रि-बोर

कराकर उक्त क्षेत्र में कम से कम 1000 नये हैण्डपम्प लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के कस्बा सरधना में गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था कराये जाने की मांग

43-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के कस्बा सरधना में गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जलभराव की समस्या से सम्पूर्ण कस्बा प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार की कोई कार्य योजना हैं ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। नगरपालिका परिषद् सरधना में गन्दे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है। नगर पालिका द्वारा नाले-नालियों की नियमित सफाई करायी जाती है। जल निकासी की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु मोहल्ला छावनी में झिटकरी रोड के दोनों तरफ नाले के निर्माण एवं मोहल्ला वैरून सराय में कच्चा नाला खुदाई हेतु कार्य का आगणन तैयार करा लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर आगणनों की स्वीकृति के उपरान्त उक्त कार्य कराये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जानकीपुरम् वार्ड की अनेकों बस्तियों में सीवर व पेयजल की समस्या के निस्तारण की मांग

44-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् वार्ड में स्थित सुल्तानपुर, राधेश्यामपुरवा, चौधरीपुरवा, रामपुर विष्फ सिकन्दरपुर, पहाड़पुर आदि बस्तियों में सीवर व पेयजल की कोई व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्तियों में सीवर लाइन बिछाने तथा पानी की टंकी स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था हेतु रु0 478.56 लाख का प्राक्कलन जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के द्वितीय चरण हेतु विरचित किया गया है। कार्यक्रम के आगामी द्वितीय चरण के प्रारम्भ होने के पश्चात् परियोजना की स्वीकृति तथा धनावंटन के बाद प्रस्तावित कार्य कराये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के चौक वार्ड के सर्राफा बाजार में पार्किंग तथा सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराये जाने की मांग

45-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में चौक वार्ड स्थित सर्राफा बजार में कोई पार्किंग और सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण व्यापारियों और ग्राहकों को बहुत असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पार्किंग एवं सुलभ शौचालय स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। चौक वार्ड स्थित सर्राफा बाजार में कोई पार्किंग और सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्नगत क्षेत्र में कोई भी सरकारी भूमि उपलब्ध न होने के कारण पार्किंग और सुलभ शौचालय की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है।

लखनऊ के जानकीपुरम् वार्ड के कतिपय सेक्टरों में जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

46-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् वार्ड के सेक्टर-3 एवं 8 जानकीपुरम् विस्तार क्षेत्र में कई वर्षों से पानी की टंकी स्थापित है ? यदि हां, तो कब तक क्षेत्रवासियों को जलापूर्ति की जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्यदायी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा टंकी में हो रहे लीकेज की मरम्मत करायी जा रही है। मरम्मत के उपरान्त टंकी से क्षेत्रवासियों को जलापूर्ति की जायेगी। वर्तमान में नलकूप से सीधी जलापूर्ति समुचित रूप से की जा रही है।

लखनऊ के मोहन मीकिन्स के पास की बस्तियों के बन्द पड़े सीवर नाले को सीवेज लाइन से जोड़ निकासी की व्यवस्था

47-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के कदम रसूल वार्ड में मोहन मीकिन्स के पास बसी दलित वाल्मीकि बस्ती में सीवर, नाला कई वर्षों से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीवर के नाले को जोड़कर कोई निकासी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

लखनऊ के कदम रसूल वार्ड में मोहन मीकिन्स के पास दलित बस्ती में पुरानी सीवर लाइनों की उचित निकासी नहीं है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कदम रसूल वार्ड में नयी सीवर लाइन डाली जा चुकी है, जिसे मोहन मीकिन्स सीवेज पम्पिंग स्टेशन से जोड़ा भी जा चुका है। सीवर लाइन की टेस्टिंग के पश्चात् दिसम्बर, 2012 तक इस क्षेत्र की सीवर व्यवस्था को चालू करके इसका लाभ नागरिकों को दिया जाना संभव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के कपूरथला बाजार में समुचित व्यवस्थाओं हेतु कार्य योजना के सम्बन्ध में जानकारी

48-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अलीगंज वार्ड में कपूरथला बाजार में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुये क्या सरकार सुचारु यातायात व्यवस्था पार्किंग एवं शौचालय की व्यवस्था हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कपूरथला बाजार में यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिये सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ, डिवाइडर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पार्किंग हेतु नगर निगम द्वारा व्यवस्था है। बाजार में शौचालय की व्यवस्था पहले से ही होने के कारण शौचालय बनाने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

एटा, काशीराम नगर एवं हाथरस जनपदों में मनरेगा योजना में बिना टेण्डर खरीददारी की जांच का कथित प्रकरण

49-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार वर्षों में एटा काशीराम नगर एवं हाथरस जनपदों में मनरेगा योजना हेतु बिना टेंडर के 2 करोड़ रुपये के सामान अलीगढ़ के वन संरक्षक द्वारा खरीदा गया ? यदि हां, तो क्या सरकार बिना टेंडर के 2 करोड़ की खरीददारी की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में बी0पी0एल0 सूची के अनुसार इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिये जाने की मांग

50-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में बी0पी0एल0 सूची में दर्ज अवशेष 40 प्रतिशत सामान्य व पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को इन्दिरा आवास योजना का लाभ कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

इन्दिरा आवास योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश निर्धारित है। भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने पर बी0पी0एल0 सूची में दर्ज एवं पात्र 40 प्रतिशत सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को इन्दिरा आवास योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी की अनेकों कालोनियों में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने की मांग

51-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत श्यामनगर, रामपुरम, गंगानगर, न्यू आजादनगर, मंगला विहार, भवानीनगर, दहेली सूजानपुर, सी0ओ0डी0 कालोनी, चाणक्यपुरी, न्यू पी0ए0सी0 कालोनी आदि क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट न होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा एवं अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्नगत छावनी विधान सभा क्षेत्र में सी0ओ0डी0 कालोनी एवं न्यू पी0ए0सी0 कालोनी की मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य नगर निगम के अधीन नहीं है। शेष प्रश्नगत क्षेत्रों में कुल 571 प्रकाश बिन्दु हैं जिसमें निरन्तर प्रकाश व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सुनिश्चित की जाती है। खराब प्रकाश बिन्दुओं की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य भी वित्तीय संसाधनों के अनुसार यथाशीघ्र किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के श्याम नगर में जल संकट दूर किये जाने की मांग

52-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत श्याम नगर 'बी' ब्लाक की पानी की टंकी को के0डी0ए0 ने जलकल को हस्तगत कर दी है परन्तु अभी तक यह टंकी चालू नहीं की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि श्यामनगर 'सी' ब्लाक की पानी टंकी जो पूर्ण रूप से तैयार है उसे अब तक जलकल विभाग को हस्तगत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्यामनगर वासियों के गम्भीर जल संकट को देखते हुये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत श्याम नगर 'बी' ब्लाक की पानी की टंकी को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित किया गया है, परन्तु ओवरहेड टैंक में

सीपेज/लीकेज के कारण जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर द्वारा जलापूर्ति हेतु इस टंकी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

श्यामनगर 'सी' ब्लाक में भी कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 30 वर्ष पूर्व पानी की एक टंकी का निर्माण किया गया था, जिसे जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर को हस्तान्तरित नहीं किया गया है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत कानपुर की पेयजल परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत श्यामनगर क्षेत्र में 800 कि0ली0 तथा 1600 कि0ली0 के दो उच्च जलाशयों का निर्माण प्रगति पर है, जिसको जुलाई, 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के कतिपय क्षेत्रों में जर्जर पेयजल लाइनों को बदलवाने की मांग

53-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बाबूपुरवा, लालबंगला, छावनी क्षेत्रों में पेयजल पाइप लाइन अत्यन्त जर्जर होने के कारण लीकेज होने से पानी सीवर एवं जल भराव के प्रदूषित जल में मिश्रित होकर घरों तक जाता है जिसके कारण कई गम्भीर एवं संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन जर्जर पेयजल पाइप लाइनों को बदलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। बाबूपुरवा एवं लालबंगला क्षेत्र में जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था का रख-रखाव करते हुए पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रश्नगत क्षेत्रों में नई पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है/प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के अनेकों मोहल्लों में मूलभूत सुविधाओं हेतु समग्र योजना चलाये जाने की मांग

54-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले श्यामनगर, गंगानगर, दहेली सुजानपुर, न्यू आजादनगर, मंगला विहार, भवानीनगर आदि क्षेत्रों के विकास हेतु कोई समग्र योजना न चलाये जाने के कारण क्षेत्र अभी भी सड़क पानी एवं बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों हेतु कोई समग्र योजना चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय थानों में लम्बित शस्त्र लाइसेन्स का निस्तारण कराये जाने की मांग

55-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद अल्लागंज मिर्जापुर कलान व परौर के अन्तर्गत दिनांक 25-5-11 से 29-05-12 तक कितने शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत हुये एवं कितने लम्बित है ? क्या सरकार बतायेगी कि लम्बित शस्त्र लाइसेंस का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत थाना जलालाबाद, अल्लागंज, मिर्जापुर, कलान व परौर में दिनांक 25-05-2011 से 29-05-2012 तक 116 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं एवं 284 शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

लम्बित 284 शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-पत्रों को स्थानीय निकाय चुनाव हेतु प्रभावी आदर्श आचार संहिता के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के कतिपय ब्लाकों में रिक्त पड़े ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर तैनाती की मांग

56-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ब्लाक जलालाबाद मिर्जापुर व कलान में कितने ग्राम विकास अधिकारी के पद स्वीकृत है तथा उक्त के सापेक्ष कितने तैनात हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ब्लाक जलालाबाद में 15 ब्लाक मिर्जापुर में 10 एवं ब्लाक कलान में 10 ग्राम विकास अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रत्येक ब्लाक में 4-4 ग्राम विकास अधिकारी तैनात हैं।

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 को रिक्त पदों के सापेक्ष चयन/नियुक्ति की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 22-05-2012 को निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में टी0टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

57-श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र, खेरागढ़ में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है ? क्या यह सही है कि अधिकांश गांवों में खारा पानी है तथा जल स्तर काफी नीचे उतर चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी0टी0एस0पी0 योजना के

अन्तर्गत पीने के पानी की टंकियों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2008 से अब तक कुल 615 नग टी0टी0एस0पी0 के निर्माण कार्य पूर्ण करके जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की कतिपय ग्राम पंचायतों में खारे पानी की समस्या के निदान के उपाय

58-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की ग्राम पंचायत अकोला, रामनगर, पिनानी, घढ़ी हरदयाल, नानपुर एवं सहारा आदि में खारे पानी की समस्या है ? यदि हां, तो इसके निदान के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

ग्राम पंचायत अकोला में सम्मिलित ग्राम-रामनगर, पिनानी, गढ़ी हरदयाल में पाइप पेयजल योजना विरचित है, जिसमें वर्तमान में अकोला ग्राम में अवर जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, जबकि रामनगर, पिनानी, गढ़ी हरदयाल में टी0टी0एस0पी0 के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।

ग्राम पंचायत नानपुर में पाइप पेयजल योजना के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, जबकि सहारा ग्राम में अवर जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

59-श्री काली चरन सुमन-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने का कथित प्रकरण

60-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में पीने के पानी की समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

61-श्री महेश नारायण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में गर्मी के दिनों में कुएं, नलकूप एवं हैण्डपम्प सूख जाने से पीने के पानी की समस्या होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने की मांग

62-श्री कुंवर कौशल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो महराजगंज जनपद मुख्यालय से 74 (चौहत्तर) कि0मी0 दूरी पर स्थित नौतनवां तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में तहसीलों के मुख्यालय स्तर पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु सम्बन्धित बार एसोसियेशन आदि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यायालय की स्थापना हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर न्यायालय की स्थापना हेतु शासन द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

जनपद महराजगंज की नौतनवां तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से वर्तमान में कोई संस्तुति/आख्या प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती पर रोक तथा मृतक आश्रितों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

63-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर भी रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मृतक आश्रितों की नौकरी मृतक परिवार को मानवीय अनुकम्पा के आधार पर दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक आश्रित पर लगी रोक हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

रिक्त पदों की आवश्यकता का आंकलन करने के उद्देश्य से रोक लगाई गई है। जहां-जहां पर भर्ती की आवश्यकता पाई गई है, वहां लगी रोक हटाई जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मृतक आश्रित की नियुक्ति पर रोक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ नगर के मध्य खुला ओडियन नाला की समस्या के समाधान हेतु उपाय

64-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर के मध्य से बहने वाला खुला ओडियन नाला बरसात में भर जाता है जिससे मोहल्लों में उसका पानी आ जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

ओडियन नाले के ऊपर से अतिक्रमण जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित की गई टीम के माध्यम से अभियान चलाकर हटवा दिया गया है। उक्त नाले की सफाई का कार्य पोर्कलेन मशीन द्वारा प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। सफाई के दौरान नाले से निकलने वाली सिल्ट उठाकर डम्पिंग ग्राउन्ड में डलवाई जा रही है। उक्त नाले की सफाई का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद आगरा की ग्राम पंचायत अकोला ऊदर में लगे बन्द पड़े मीठा पानी के प्लान्ट को चालू कराये जाने की मांग

65-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की ग्राम पंचायत अकोला ऊदर में खारे पानी को मीठा पानी करने हेतु करोड़ों रुपये की लागत से विगत वर्ष एक प्लान्ट लगा था ? जो वर्तमान समय में बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद आगरा के ग्राम पंचायत अकोला थोक ऊदर में सांसद निधि से वर्ष 2009 में खारे पानी को पीने योग्य बनाने के उद्देश्य से प्लान्ट लगवाया गया था, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा उचित रख-रखाव न करने के कारण वर्तमान समय में खराब है।

जी हां।

ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर के फूलबाग के भूमिगत जलाशय को गंगा बैराज से भरे जाने के सम्बन्ध में जानकारी

66-श्री सलिल विश्नोई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर फूलबाग में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बनाये गये ओवर हेड टैंक व अवर जलाशय में कब तक बैराज का पानी प्राप्त हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर के फूलबाग में बनाये गये ओवर हेड टैंक व भूमिगत जलाशय को फीडरमेन के माध्यम से गंगा बैराज के पानी से भरकर जुलाई, 2013 तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ की अनेकों ग्राम पंचायतों को छजलैट ब्लाक में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

67-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कांठ, जनपद मुरादाबाद की ग्राम पंचायत बहादरपुर खददर, महदूद कलमी, कुम्हरिया जुबला, मेण्डी फरीदपुर, सीतापुर एवं मुस्तफापुर खण्ड साल आदि को रामगंगा नदी के दूसरी ओर स्थित ब्लाक-डिलारी से हटाकर ब्लाक-छजलैट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के दादरी नगरपालिका में सीवर लाइन डालने का कार्य कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

78-श्री सुरेश बंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गौतमबुद्ध नगर के दादरी नगर पालिका में सीवर लाइन नहीं डाली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नगर पालिका में सीवर लाइन डालने का कार्य सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वर्तमान में दादरी नगर पालिका में लगभग 50 एल0पी0सी0डी0 (50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) की दर से पानी उपलब्ध हो रहा है। मानक के अनुसार 136 एल0पी0सी0डी0 की दर से

पेयजल उपलब्ध होने के उपरान्त ही जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत सीवर परियोजना को विरचित किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के माडल टाउन वेस्ट मोहल्ले में बने पार्क एवं क्लब की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग

69-श्री सुरेश बंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के माडल टाउन वेस्ट मोहल्ले के पार्क में आजादी के समय से क्लब बना हुआ है ? जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं क्लब की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर निगम के नये निर्वाचित सदन का गठन होने पर उक्त क्लब व पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं क्लब की मरम्मत कराने का प्रस्ताव रखकर सदन के अनुमोदन के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पंचशीलनगर की नगरपालिका परिषद् (हापुड़) के नगरीय क्षेत्र में स्थापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी

70-श्री गजराज सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पंचशीलनगर की नगरपालिका परिषद् (हापुड़) के नगरीय क्षेत्र में कितने इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प किस-किस स्थान पर दिनांक 05-06-12 से पिछले पांच वर्षों में लगवाये गये हैं ? क्या वह सभी ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सभी हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद पंचशीलनगर की नगर पालिका परिषद्, हापुड़ के नगरीय क्षेत्र में दिनांक 05-06-2012 से पिछले पांच वर्षों में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा 100 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं। सूची संलग्न† है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 226-229 पर)

उत्तर प्रदेश पुलिस कान्सटेबिल एवं हेड कान्सटेबिल के भत्तों/डी0ए0 में वृद्धि के सम्बन्ध में जानकारी

71-श्री गजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0-जी0-2-175/दस 2011-601/011, दिनांक 31-3-2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कान्सटेबल एवं हेड कान्सटेबल के भत्तों/डी0ए0 में तीन गुना वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो क्या वी0आई0पी0 ड्यूटी में गनर के रूप में लगे कान्सटेबल एवं हेड कान्सटेबल के भत्तों/डी0ए0 में तीन गुना वृद्धि नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के भत्तों/डी0ए0 में भी वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शासनादेश सं0-जी-2-175/दस-2011-601/2011, दिनांक 31-03-2011 द्वारा पुनरीक्षित यात्रा भत्ते की दरें वी0आई0पी0 ड्यूटी में गनर के रूप में लगे कान्सटेबल एवं हेड कान्सटेबल पर भी लागू हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा बन्द पड़ी योजनाओं को चालू कराये जाने की मांग

72-श्री सुल्तान बेग-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यकों की सहायतार्थ चलायी जा रही योजनाएं कई वर्षों से बन्द हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सम्बन्धी ऋण योजना, टर्मलोन, मार्जिन मनी तथा गरीबों की सहायता समूह योजनायें पुनः चालू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित योजनाएं शैक्षिक ऋण योजना, टर्मलोन योजना, मार्जिन मनी तथा स्वयं सहायता समूह योजनाएं वर्ष 2006-07 से बन्द हैं। वर्तमान में उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा प्रदेश सरकार से वित्त पोषित व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना तथा कोचिंग योजना संचालित की जा रही है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वर्ष 2005-06 से प्रदेश निगम को उक्त योजनाएं संचालित करने हेतु ऋण उपलब्ध न कराने के कारण उक्त योजनाएं बन्द हैं।

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। धनराशि प्राप्त होते ही पुनः अल्पंसख्यकों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित की जायेंगी।

जिला मुरादाबाद की नगर पंचायत कांठ में कुमार फिलिंग स्टेशन से मानकनगर तक सी0सी0 रोड के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

73-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत कांठ, जिला-मुरादाबाद में जून, 2012 से लगभग एक वर्ष पूर्व कुमार फिलिंग स्टेशन से माननगर तक सी0सी0 रोड निर्माण स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग की साईडें एवं मार्ग का निर्माण अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य को पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। नगर पंचायत, कांठ, जिला मुरादाबाद में जून, 2012 से लगभग एक वर्ष पूर्व कुमार फिलिंग स्टेशन से मानकनगर तक सी0सी0 रोड के नाम से कोई निर्माण स्वीकृत नहीं हुआ था, अपितु नगर पंचायत, कांठ में निम्नलिखित सी0सी0 रोड का निर्माण स्वीकृत हुआ था :-

1-पेट्रोल पम्प से रामलीला मैदान तक

2-रामलीला मैदान से रविदास मंदिर तक

3-रविदास मंदिर से प्राइमरी पाठशाला मानकनगर तक

जी हां।

जी हां।

02 माह में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वक्फ सम्पत्ति की बिक्री के सम्बन्ध में जानकारी

74-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वक्फ की सम्पत्ति की बिक्री की जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि शाहजहांपुर में वक्फ सम्पत्ति 42-ए का शाहजहांपुर में बैनामा दिनांक 13-4-2012 को कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-51 के अन्तर्गत वक्फ बोर्ड की विधिवत् पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त, वक्फ के हित में, किसी वक्फ सम्पत्ति का विक्रय लोक नीलाम द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

दिनांक 13-4-2012 को वक्फ सम्पत्ति 42-ए खाता खेवट सं0-303 गाटा संख्या-1710 मि0 क्षेत्रफल 1,570 हेक्टेयर का बैनामा किया गया है। उक्त बैनामे में चौहद्दी गाटा संख्या-1718 को दर्शाकर गाटा संख्या-1710 का बैनामा गलत ढंग से कराया गया है। यह प्रथा वक्फ बोर्डों में आमतौर पर प्रचलित है।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जांच करायी गयी, जिसमें उक्त बैनामा अनियमित पाया गया। इस सम्बन्ध में उप निबन्धक, सदर, को गाटा संख्या-1710 से 1718 तक किसी भी गाटे का तितम्मा न किये जाने हेतु तथा नायब तहसीलदार, सदर को प्रश्नगत अनियमित बैनामा दिनांक 13-4-2012 का दाखिल खारिज न करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ ही उ0 प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को भी नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है, परन्तु कोशिश की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विकास खण्डों में पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा तथा शुद्ध पेयजल की सप्लाई की जानकारी

75-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्डों में पीने के पानी में आर्सेनिक जहर पाया गया है ? यदि हां, तो उसका प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पानी पीने से बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार शुद्ध पीने के पानी हेतु गहरी बोरिंग वाले इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद खीरी के कुल 4764 बस्तियों के सापेक्ष 05 विकास खण्डों यथा-निघासन, धौरहरा, रमियाबेहड़, ईशानगर एवं पलिया के 165 बस्तियों में आर्सेनिक की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गयी है।

3.46 प्रतिशत।

जी हां।

समस्त प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप पेयजल तथा अत्यधिक गहरे हैण्डपम्पों से आच्छादित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के कतिपय विकास खण्डों में जल स्तर नीचे होने के कारण खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में

76-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में जल स्तर काफी नीचे होने के कारण पीने के पानी की गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्डों में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी एवं पसगवां में वर्तमान में जल स्तर 07 से 10 मीटर है जो सामान्य है, जबकि इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प औसतन 35 मीटर की गहराई पर अधिष्ठापित किये जाते हैं। अतः उक्त विकास खण्ड में जल स्तर नीचे होने के कारण पेयजल की कोई गम्भीर समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम गोरखपुर के मुहल्ला बिलंदपुर आनन्दपुरवा दलित बस्ती में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था एवं आगणन की जानकारी

77-श्री सुदामा प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गोरखपुर के मुहल्ला बिलंदपुर आनन्दपुरवा में दलित बस्ती में स्ट्रीट लाइट (पथ प्रकाश) अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी पथ प्रकाश) नगर निगम, गोरखपुर ने अपने पत्रांक-337/ अधि0अभि0/2011-12, दिनांक 10-8-11 में प्रभारी तहसील दिवस सदर गोरखपुर को पत्र द्वारा बताया है कि आनन्दपुरवा में पथ प्रकाश का काम पूरा है और मुहल्ला-बिलंदपुर के लिए दिनांक 16-8-11 तक स्थल निरीक्षण कर आगणन कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त स्थल का निरीक्षण कर आगणन तैयार कर लिया गया है। पूर्वांचल विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम गोरखपुर द्वारा पोल न लगाये जाने के कारण पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। उक्त हेतु अधिशासी अभियन्ता पूर्वांचल विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम गोरखपुर को पत्र दिनांक 16 जून, 2012 भेजा जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के थाना कैण्ट में दर्ज मुकदमें की एस0आई0एस0 से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

78-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 नेता विरोधी दल द्वारा प्रमुख सचिव, गृह उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित पत्र सं0-282/ने0नि0द0/2012, दिनांक 21-5-2012 जो कि जिला गोरखपुर के थाना-कैण्ट में दर्ज मु0 अपराध संख्या-311/12 अन्तर्गत धारा-307, 504, 506 आई0पी0सी0 व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट की निष्पक्ष जांच एस0आई0एस0 से कराये जाने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मु0 अपराध की विवेचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के आदेश दिनांक 22-6-12 द्वारा एस0आई0एस0 गोरखपुर को स्थानान्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के थाना चिरैयाकोट के मनाजीत गांव के बदमाशों व पुलिस से हुई मुठभेड़ में मृतक किसान को उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

79-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के थाना चिरैयाकोट के मनाजीत गांव के बदमाशों एवं पुलिस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर के साथ उसी गांव का एक गरीब किसान भी शहीद हुआ था ? जिसे केवल एक लाख का मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गरीब किसान के परिवार को उचित मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन से प्राप्त रु0 2,00,000.00 (रुपया दो लाख) गरीब किसान को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन से प्राप्त रु0 2,00,000.00 (रुपया दो लाख) गरीब किसान के परिवार को मुआवजा के रूप में प्रदान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के कतिपय स्थानों पर सुअरों के विचरण की रोकथाम के सम्बन्ध में जानकारी

80-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय (अप दूषण कारक) पशुओं विनियमन और नियंत्रण नियमावली, 2004 लागू है ? यदि हां, तो क्या पुराना विधायक निवास माल ऐवन्यू, उदयगंज जैसे वी0आई0पी0 क्षेत्र में अभी तक सुअर विचरण करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों से सुअरों को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्रों में सुअर विचरण करते पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर नगर निगम लखनऊ द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

विगत वर्षों में कुल 94 सुअरों को पकड़ा गया। आरोपित सुअर पालकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही करके मा0 सक्षम न्यायालय में प्रेषित किये जाते हैं तथा सक्षम न्यायालय द्वारा किये गये चालानों के विरुद्ध अर्थदण्ड निर्धारित कर वसूल किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सचिवालय के गेटों पर बाहर से आने वाले आगंतुकों हेतु जलपान गृह स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

81-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सचिवालय के द्वार संख्या-05, 09 एवं 10 पर स्थित प्रवेश-पत्र कार्यालयों पर बाहर से आने वाले आगन्तुकों हेतु सरकार जलपान गृह स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय की सुरक्षा के दृष्टिगत सचिवालय के प्रवेश-पत्र कार्यालयों पर जलपान गृह का निर्माण कराया जाना उपयुक्त नहीं है।

जनपद आगरा के कतिपय ग्रामों में निर्मित पानी की टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

82-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम महुआ खेड़ा, कुण्डौल दिगनेर, खासपुर, नांनपुर, मिढ़ाकुर आदि ग्रामों में निर्मित पानी की बड़ी टंकियां अभी तक चालू नहीं की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की समस्या के समाधान हेतु इन्हें कब तक चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में बिचपुरी फाटक से चोहटना सदरवन तक खुदी सीवर लाइन को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

83-श्री काली चरन सुमन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में बिचपुरी फाटक से चोहटना सदरवन तक सीवर लाइन डालने हेतु सड़क खोदकर छोड़ दी गयी है ? यदि हां, तो सीवर लाइन डालकर सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्णित क्षेत्र में कोई सीवर लाइन नहीं डाली जा रही है अपितु जनपद आगरा में बिचपुरी रोड स्थित मेन पम्पिंग स्टेशन से चौहटना होते हुए सदरवन के बीच पी0एस0सी0 राइजिंगमेन डालने का कार्य आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के लिए किया जा रहा है। राइजिंगमेन हेतु जहां भी सड़क काटी गयी है, वहां मिट्टी भराई का कार्य साथ-साथ कराया जा चुका है। अब तक डाली गयी राइजिंगमेन के लिए लगभग 530 मीटर लम्बाई में की गयी सड़क कटिंग का सबग्रेड बनाने का कार्य तथा इसके ऊपर सी0सी0 एवं लेपन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में प्रजापति समाज द्वारा गृह कार्य हेतु लायी जा रही मिट्टी को रोककर पुलिस द्वारा अवैध वसूली के सम्बन्ध में जानकारी

84-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के रोहता नहर चौराहा देवरी की पुलिया, शमशाबाद रोड, मलपुरा बिचपुरी अरतौनी आदि रास्तों पर प्रजापति समाज व अन्य द्वारा गृह कार्य हेतु ट्रैक्टर ट्राली आदि से लायी जा रही बर्तन बनाने की मिट्टी को रोककर पुलिस द्वारा अवैध वसूली की जाती है एवं ट्रेक्टर ट्राली का चालान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र में प्रजापति समाज व अन्य द्वारा गृह कार्य हेतु ट्राली आदि से लाई जा रही बर्तन बनाने की मिट्टी को रोककर पुलिस द्वारा किसी प्रकार अवैध वसूली नहीं की जा रही है। ट्रैक्टर चालकों द्वारा खनन कर अवैध धन अर्जित करने के उद्देश्य से लायी जा रही बालू मिट्टी के खनन को रोकने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा ट्रैक्टर चालकों के चालान किये जाते हैं। यदि प्रजापति समाज व अन्य द्वारा गृह कार्य एवं बर्तन बनाने हेतु लायी जा रही मिट्टी को रोककर पुलिस द्वारा अवैध वसूली का कोई प्रकरण में संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में सुअर पकड़ने के अभियान की जानकारी

85-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में सुअर पकड़ने के अभियान के अन्तर्गत सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम, लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में दिनांक 11-8-2009 से अब तक 366 सुअर पकड़े गये तथा समय-समय पर सुअर पालकों के विरुद्ध उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के हाथरस शहर में सीवर के पानी की निकासी की समस्या दूर किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

86-श्री गेंदा लाल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के हाथरस शहर में सीवर के पानी की निकासी की समस्या को दूर करने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत हाथरस शहर सीवर की पानी के निकासी की समस्या के निराकरण हेतु रु0 110.35 करोड़ की परियोजना का विरचन किया गया है, परन्तु मिशन अवधि के लिए यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में उ0 प्र0 का परिव्यय समाप्त हो जाने के कारण उक्त परियोजना भारत सरकार से स्वीकृत नहीं करायी जा सकी है।

भारत सरकार से यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के आगामी चरण के लागू होने की दशा में परियोजना की स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त होने पर कोई कार्यवाही संभव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के विधान सभा क्षेत्र हाथरस में पेयजल की समस्या के निदान के सम्बन्ध में जानकारी

87-श्री गेंदा लाल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विधान सभा क्षेत्र हाथरस में भीषण गर्मी के कारण पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रीय जनता को सुचारू पेयजल की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बवीना विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट के निदान के सम्बन्ध में जानकारी

88-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बवीना विधान सभा क्षेत्र में चिरगांव (न0पा0) से पहाड़ी बुजुर्ग, रामनगर, बरुआसागर (न0पा0) से जरवो व घुघुआ, खैलार, रक्सा, माताटीला पाइप लाइन सिमरावारी से सिमरावारी, चन्द्रनगर, पनिहारी, खजराहा बुजुर्ग, दयानगर, पथरवारा, टौरिया, मोटा, सरवां, खजराहा खुर्द, किल्चवारा खुर्द किल्चवारा बुजुर्ग, छर्रा, कसावरी, वडैरा, भड़रा, टूँका, वैदोरा, डुबकी मुरारी, गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु जो पाइप लाइन करीब 20 वर्ष पूर्व बिछायी गयी थी, क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे उक्त गांवों में वर्तमान में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेयजल समस्या के निदान हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

बरुवासागर से जरवो एवं घुघवा के लिये पूर्व में बिछाई गयी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हुई है किन्तु इससे प्रश्नगत सभी ग्रामों में वर्तमान में कोई पेयजल संकट उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि प्रश्नगत सभी ग्रामों के हैण्डपम्पों से संतृप्त होने के कारण वहां पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

89-डा0 धर्मसिंह सैनी-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विधान सभा तिंदवारी में गिरते भू-जल स्तर के कारण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना की जानकारी

90-श्री दलजीत सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के समस्त जिलों में गिरते भू-जल स्तर के कारण विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के अधिकांश ग्रामों में लगे हुये हैण्डपम्प बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में सम्मिलित विकास खण्ड तिन्दवारी, जसपुरा एवं बड़ोखरखुर्द के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 8822 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जो कि वर्तमान जनसंख्या के सापेक्ष औसतन 55 व्यक्तियों पर 01 हैण्डपम्प का है।

उक्त विकास खण्डों में कुल 23 पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से भी पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

91-श्री काली चरन सुमन-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र के कैला भट्टा एवं उद्धल नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

92-श्री सुरेश बंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र के कैला भट्टा एवं उद्धल नगर में कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सामुदायिक केन्द्र बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में कैला भट्टा क्षेत्र में पूर्व से कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं है। वहां लगभग 1000 वर्ग गज भूमि मस्जिद के पास उपलब्ध है। उस पर सामुदायिक केन्द्र बनाया जा सकता है। इसके लिये निर्वाचन के उपरान्त नवीन गठित सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा जायेगा। निगम

सदन के अनुमोदनोपरान्त सामुदायिक केन्द्र बनाया जा सकेगा। उद्धल नगर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी कालोनी है जिसमें कोई सामुदायिक केन्द्र प्राधिकरण द्वारा नहीं बनाया गया है। उक्त कालोनी में कोई खाली भूमि उपलब्ध न होने के कारण वहां सामुदायिक केन्द्र बनाया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के नगर निगम के मो0 सुरेन्द्र नगर स्थित महाराणा प्रताप पार्क में प्रकाश व नाली की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

93-श्री दलवीर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ नगर निगम के मो0 सुरेन्द्र नगर स्थित ''महाराणा प्रताप पार्क'' में प्रकाश व्यवस्था, सिंचाई हेतु साधन तथा माली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो उक्त सुविधाएं उक्त पार्क में कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सुरेन्द्र नगर स्थित ''महाराणा प्रताप पार्क'' में प्रकाश व्यवस्था सौर ऊर्जा से संचालित की जाती है तथा पार्क के आस-पास चारों ओर 07 सोडियम लाइट एवं 03 ट्यूब लाइट फिक्सर लगे हैं जो प्रकाशवान हैं। नगर निगम द्वारा अधिष्ठापित नलकूप द्वारा पार्क में सिंचाई की व्यवस्था है। पार्क में एक माली की व्यवस्था करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ शहर में फूलबाग के निकट हुसैनगंज नाले के ऊपर से अवैध कब्जा हटाकर नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में फूलबाग निकट हुसैनगंज में नाले के ऊपर अवैध कब्जा कर नाला बन्द कर दिया गया है जिससे सफाई कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवाकर नाले की सफाई कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत नाले पर अवैध कब्जा किया गया है परन्तु इससे नाला बन्द नहीं हुआ है एवं सफाई कार्य बाधित नहीं है।

नाले की सफाई का कार्य कराया जा रहा है। कब्जे को भी हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सहायक रेडियो अधिकारियों को शासनादेश के अनुसार नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की जानकारी

95-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त सहायक रेडियो अधिकारियों को शासनादेश के अनुसार नोशनल प्रोन्नति सम्बन्धी वेतन निर्धारण कराने के सम्बन्ध में डा0 रमापतिराम त्रिपाठी स0वि0प0 का पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2011 तथा श्री मोती सिंह पूर्व विधायक, पट्टी, प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 विधायकों के पत्रों में श्री सन्त बहादुर सिंह सहायक रेडियो अधिकारी (सेवानिवृत्त दिनांक 31-1-1995) को लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 द्वारा प्रोन्नति के आधार पर सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर चयनित अधिकारियों को प्राप्त नोशनल प्रोन्नति सम्बन्धी वेतन निर्धारण कराने का उल्लेख है।

शासनादेश संख्या-3960/छः-पु-1-1300(32)/88, दिनांक 17-11-98 के द्वारा कुल 28 सहायक रेडियो अधिकारियों के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान की गयी थी। इनमें से श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं रमेश कुमार सिंह को नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि के पूर्व से ही सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर कार्यरत थे तथा सहायक रेडियो अधिकारी पद का वेतन प्राप्त कर रहे थे। अतः इनके वेतन निर्धारण किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

शेष 26 अधिकारियों के वेतन निर्धारण के प्रस्ताव पर विस्तृत विचारोपरान्त यह पाया गया कि लोक सेवा आयोग ने मात्र कार्मिकों की पदोन्नति की संस्तुति की थी न कि नोशनल पदोन्नति की। शासनादेश संख्या-3960/छः-पु-1-1300(32)/88, दिनांक 17-11-98, के आदेश जिसके द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को नोशनल प्रोन्नति प्रदान की गयी थी, को कार्मिक/वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया। अतः उक्त आदेश दिनांक 17-11-98 को विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-700/6-पु-1-2003-1300 (32)/88, दिनांक 29-01-2003 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के कतिपय गांवों में पीने के पानी में आर्सेनिक व भू-जल स्तर नीचे होने के कारण ओवर हेड टैंक से पानी की सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

96-श्री उमाशंकर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की ग्रामसभा सराय भारती एवं हजौली टोंस नदी के किनारे एवं लकड़ा नाला आदि होने से यह गांव आर्सेनिक से बुरी तरह से प्रभावित है और इन गांवों का भूजल स्तर भी काफी नीचे है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

टोंस नदी एवं लकड़ा नाले से घिरे क्षेत्रों में आर्सेनिक नहीं है। ग्राम सभा सराय भारती एवं हजौली में आबादी के अनुसार इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में इन क्षेत्रों में भू-जल स्तर कुछ नीचे चले जाने पर भी उससे इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प प्रभावित नहीं होते हैं एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता रहता है।

इन दोनों ग्राम सभाओं की वर्तमान जनसंख्या 5000 से अधिक होने के कारण इन ग्रामों में पाइप पेयजल योजना विरचन की कार्यवाही प्रस्तावित है। योजना विरचन के उपरान्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त निर्माण कार्य संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पात्र सभी विधवाओं की संख्या एवं पेंशन दिये जाने की कार्य योजना की जानकारी

97-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी पात्र विधवाओं को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश की सभी पात्र विधवाओं को पेंशन दिये जाने हेतु कोई ठोस तथा पारदर्शी कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जी हां।

प्रदेश में सभी पात्र विधवाओं को पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ दिये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 16,27,985 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

जनपद इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर में वर्ष 2007 से 2012 तक अल्पसंख्यक लड़कियों में विवाह हेतु दिये गये अनुदान एवं वर्तमान वर्ष में शेष आवेदकों के दिये जाने वाले अनुदान की जानकारी

98-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर में कितने अल्पसंख्यक परिवार की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान प्रदान किया गया ? क्या शेष आवेदकों को भी इस वर्ष विवाह अनुदान प्रदान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश में विगत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011 तथा 2011-12 में इलाहाबाद, लखनऊ तथा कानपुर में अल्पसंख्यक परिवार की लड़कियों की शादी हेतु प्रदत्त किया गया अनुदान निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की जनपदवार सं0		
		इलाहाबाद	लखनऊ	कानपुर
1	2007-08	10	12	108
2	2008-09	214	264	238

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की जनपदवार सं0		
		इलाहाबाद	लखनऊ	कानपुर
3	2009-10	161	132	177
4	2010-11	185	408	234
5	2011-12	241	391	162

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

शासनादेश सं0-5302/52-3-09-सा (4)/07, दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 में यह व्यवस्था दी गयी है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उक्त वित्तीय वर्ष के शेष लम्बित आवेदन-पत्र निरस्त माने जायेंगे तथा यदि समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अगले वर्ष में होने वाले विवाह के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं तो उन पर सम्बन्धित माह में विचार किया जायेगा। अतः शासनादेश की उक्त व्यवस्थानुसार वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 की समाप्ति पर शेष लम्बित प्रार्थना-पत्र निरस्त हो गये हैं।

जनपद रामपुर के ग्राम पंचायत नरपतनगर एवं दढ़ियाल को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की मांग

99-श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नरपत नगर एवं दढ़ियाल को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों का दर्जा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

निदेशक, पंचायती राज एवं सम्बन्धित ग्राम सभाओं की अनापत्ति प्राप्त होने एवं मानकों के पूर्ण होने पर नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

100-श्री छोटे लाल वर्मा-

[5वें बुधवार के अता0 प्र0 सं0-196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के हैदर कैनाल की नियमित सफाई कराये जाने की जानकारी

101-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के हैदर कैनाल नाले की सफाई विगत एक वर्ष से न होने के कारण आगामी वर्षा ऋतु में नाले के किनारे बसी बस्तियों को बाढ़ का खतरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की नियमित सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। हो सकता है कमी रह गयी हो, जिसे इस वर्ष नहीं रहने दिया जायेगा।

वर्तमान में हैदर कैनाल नाले की सफाई मशीनों द्वारा करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मदरसों में नियुक्त आधुनिक विषयों के शिक्षकों का वेतन खाते में भेजने की जानकारी

102-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मदरसों में नियुक्त आधुनिक विषयों के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान निर्धारित समय से नहीं, किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका वेतन मुख्यालय से सीधे उनके खाते में भेजने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मदरसा आधुनिकीकरण योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर नियुक्त शिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया जाता है।

शासन द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने के उपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को धनराशि का आवंटन किया जाता है। जिनके द्वारा योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को नियमानुसार मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि उनके खाते में अंतरिम की जाती है। शिक्षकों का वेतन मुख्यालय से सीधे शिक्षक के खाते में भेजे जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के मदरसों के आधुनिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान कतिपय वर्षों में शत-प्रतिशत न करके टुकड़ों में करने के स्थान पर पूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

103-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 1446 पुराने मदरसे, एवं 1228, 446 एवं 223 नये मदरसों के आधुनिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान शत-प्रतिशत न करके टुकड़ों में किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों के मानदेय का प्रतिमाह भुगतान कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। वर्ष 2009-10 में 1446, 1228, 440 एवं 223 मदरसों के आधुनिक शिक्षकों के मानदेय का भुगतान तथा वर्ष 2010-11 में 1446 मदरसों के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान शत-प्रतिशत न करके टुकड़ों में किया गया है। वर्ष 2010-11 में 1228, 440 एवं 223 मदरसों के आधुनिक शिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण अभी नहीं किया गया है।

मदरसा आधुनिकीकरण योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हो जाने के उपरान्त योजना में नियुक्त आधुनिक विषयों के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के सकलडीहा में स्थित कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की कार्य योजना

104-श्री सुशील सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के क्षेत्र सकलडीहा में मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रदेश के कब्रिस्तानों की भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने व भूमि की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने की प्रदेश स्तरीय योजना है, इसके अन्तर्गत जनपद चन्दौली में स्थित कब्रिस्तानों की भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, चन्दौली से समेकित सूचना प्राप्त हुयी है, जिसमें सकलडीहा में मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान हेतु बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की सूचना भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली की बाजार एवं तहसील सकलडीहा की आबादी के दृष्टिगत टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

105-श्री सुशील सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद चन्दौली की बाजार एवं तहसील सकलडीहा की आबादी 15000 को देखते हुए इसे टाउन एरिया बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-6250/9-1-86-77सा (3)/82, दिनांक 10 सितम्बर, 1986 द्वारा आबादी के साथ कतिपय अन्य मानक भी निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित मानकों की पूर्ति के उपरान्त ही यथा प्रक्रिया टाउन एरिया बनाये जाने की कार्यवाही की जाती है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला में मीटिंग हाल के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

106-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा के अकोला विकास खण्ड के परिसर में मीटिंग हॉल न होने से कर्मचारियों की बैठक खुले में होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर मीटिंग हॉल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बैठक खण्ड विकास अधिकारी के कक्ष में होती है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला के ग्राम पंचायत मनकेन्डा के मजरा नगला कारे में स्थापित टी0टी0एस0 टंकी से जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

107-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के नगला कारे, विकास खण्ड अकोला में श्री मोहन सिंह चाहर के घर के सामने लगी पानी की टी0टी0एस0 की टंकी चालू नहीं है जिससे जलापूर्ति बाधित है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला के ग्राम पंचायत मनकेंडा के मजरा नगला कारे में श्री मोहन सिंह चाहर के घर के पास 03 वर्ष पूर्व टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण कार्य कराया गया था तथा उसे ग्राम पंचायत को हस्तगत करा दिया गया था, जिसकी मरम्मत का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में लेखा कर्मचारियों के परिवर्तित पदनाम की भांति सचिवालय पुस्तकालय के कर्मचारियों के पदनाम में पुस्तकालय शब्द जोड़े जाने के सम्बन्ध में

108-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत लेखा कर्मचारियों का पदनाम परिवर्तित कर पदनाम के साथ ''लेखा'' शब्द जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सचिवालय के पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारियों के पदनाम में भी ''पुस्तकालय'' शब्द जुड़वायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 अप्रैल, 1998 द्वारा सचिवालय पुस्तकालय हेतु निम्नलिखित 15 तकनीकी अस्थाई पदों का सृजन किया गया है :-

1-मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी-कम मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-	01 पद
2-प्रलेखीकरण अधिकारी-कम-पुस्तकालयाध्यक्ष-	01 पद
3-उप पुस्तकालयाध्यक्ष-	04 पद
4-सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष-	04 पद
5-पुस्तकालय सहायक-	05 पद

सचिवालय पुस्तकालय हेतु सृजित उपरोक्त सभी पदों में पूर्व से ही पुस्तकालय शब्द जुड़ा हुआ है, अतः पदनाम के साथ अलग से पुस्तकालय शब्द जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद आगरा के ग्राम पंचायत दौरेठा की गली नं0-1 में स्थित पानी की टंकी की मरम्मत कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

109-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत दौरेठा, विकास खण्ड बिचपुरी, आगरा में गली नं0-1 में अम्बेडकर पार्क के पास स्थित पानी की टंकी काफी समय से खराब होने के कारण जलापूर्ति नहीं, हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी की मरम्मत कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

वर्ष 2008-09 में 10 कि0ली0 की टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट (टी0टी0एस0पी0) का निर्माण किया गया था एवं उसे चालू कर स्थानीय ग्राम समिति को रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया था। टी0टी0एस0पी0 योजनाओं के मरम्मत सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली के कतिपय ग्रामों में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में स्वीकृत सी0सी0 नाली के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने तथा दोषियों के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में जानकारी

110-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड-बरौली के ग्राम नगला कली, कौलक्खा, रजरई, रोहता आदि ग्रामों में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में स्वीकृत सी0सी0 नाली निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अनियमितता के लिए दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-47/43/डा0अ0ग्रा0स0वि0वि0/10-11, दिनांक 27-4-2011 द्वारा चयनित अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण हेतु प्रत्येक ग्राम के लिये अधिकतम् 3.00 करोड़ रु0 की सीमा निर्धारित की गयी थी, जिसके अनुसार ग्राम नगला कली, कौलक्खा, रजरई रोहता ग्रामों को संतृप्त करने हेतु क्रमशः 160.407 लाख, 299.619 लाख, 83.53 लाख एवं 299.996 लाख की कार्य योजना तैयार की गयी थी।

सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ करा दिये गये, तदोपरान्त शासनादेश संख्या-224/43/डा0 अ0ग्रा0स0वि0वि0/10-11, दिनांक 01-08-11 द्वारा पूर्वोक्त शासनादेश दिनांक 27-4-2011 को अवक्रमित करते हुए प्रत्येक ग्राम हेतु मानक लागत 60.00 लाख रु0 निर्धारित की गयी। इस अवधि में ग्राम कौलक्खा एवं ग्राम रोहता में 60.00 लाख रु0 से अधिक के कार्य कराये जा चुके थे, इनको उपयोगिता स्तर तक लाने हेतु ग्राम कौलक्खा में 78.256 लाख एवं ग्राम रोहता में 78.865 लाख रु0 का कार्य कराया गया। ग्राम कौलक्खा एवं ग्राम रोहता में मानक लागत से अधिक कराये गये कार्य हेतु पंचायती राज विभाग अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3518/33-3-2011-25/2011, दिनांक 23-3-2012 द्वारा अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गयी थी। ग्राम नगला कली एवं रजरई में उपलब्ध धनराशि 60.00 लाख के अन्तर्गत कार्य कराया गया। इस प्रकार उक्त ग्रामों में निर्धारित मानक लागत के अन्तर्गत उपयोगिता स्तर तक कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

प्रश्नगत ग्रामों में निर्धारित मानक लागत के अन्तर्गत उपयोगिता स्तर तक कार्य पूर्ण कराये जाने के कारण जांच की आवश्यकता नहीं है।

111-श्री मुकुट बिहारी-

[5वें बुधवार के अता0 प्र0 सं0-197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के नगरीय परिक्षेत्रों के अन्तर्गत पृथक-पृथक रूप से सब्जी, फल, गल्ला, मछली मण्डी लगने के बावजूद जनपद पीलीभीत की नगरपालिका बीसलपुर में तहसील मार्ग की मण्डी को मण्डी परिषद् से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

112-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर परिक्षेत्रों में नगर निगम पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत पृथक-पृथक सब्जी मण्डी एवं फल मंडियां सामान्य बाजार (गल्ला, मछली, सर्राफ एवं कपड़ा आदि-आदि) से पृथक होती हैं ? यदि हां, तो क्या यह मण्डियां मार्गों पर लगती हैं ? यदि नहीं, तो क्या जनपद-पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में बारह पत्थर-विलसंडा मार्ग पर सब्जी एवं फल मंडी तथा तहसील मार्ग (निकट तहसील द्वार) पर कपड़ा मंडी लगाने की अनुमति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या कथित फल एवं सब्जी मंडी बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कौन से स्थान पर तथा कब तक उक्त फल और सब्जी मण्डी संचालित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश के बड़े नगरीय परिक्षेत्रों के अन्तर्गत सब्जी, फल, गल्ला, मछली, सर्राफ एवं कपड़े आदि की मण्डियां सामान्य रूप से पृथक-पृथक होती हैं, किन्तु छोटे नगरीय परिक्षेत्रों के अन्तर्गत ये मण्डियां मिश्रित स्वरूप में होती हैं। स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप मण्डियां सड़कों के किनारे फुटपाथ आदि पर अस्थायी रूप से भी लगती हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के नगला परसोती, नगला भर्ती मलिन बस्ती में नाला निर्माण कराने के सम्बन्ध में जानकारी

113-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के नगला परसोती, नगला भर्ती, मलिन बस्ती में गन्दा पानी, उफनता सीवर से बीमारी भयंकर रूप ले चुकी है ? यदि हां, तो वहां नाले का निर्माण सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगला परसोती से देवरी रोड तक तथा नगला भर्ती से ग्वालियर रोड तक नाला निर्माण कराये जाने हेतु रु0 145.00 लाख का आगणन तैयार किया गया है। उक्त नालों का निर्माण धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 2 जुलाई, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 45 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री मनीष असीजा की 2011-12 में नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिये पेयजल कार्यों हेतु अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर स्थिति के कारण लगातार बन्द हो रहे उद्योगों से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की नानपारा बहराइच के गांधी पार्क पर सड़ी मछलियों के बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अजय मिश्रा की विधान सभा क्षेत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में बीस वर्ष पूर्व निर्मित पोस्टमार्टम हाउस को शुरू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, (मा0 सदस्य के द्वारा अपनी सूचना सदन में पढ़ी गयी)। पांचवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की उ0 प्र0 श्रम विभाग के अन्तर्गत व्याप्त अधिकारियों की मनमानी तथा भ्रष्टाचार से विभाग को हो रही निरन्तर क्षति तथा अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के बैदली में स्थित सब-स्टेशन की विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री हेमराज वर्मा की बरखेड़ जनपद पीलीभीत में स्थित चीनी मिल मझौला को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में है, (मा0 सदस्य के द्वारा अपनी सूचना सदन में पढ़ा गया)। आठवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की आगरा ग्राम पंचायत ककुआ विकास खण्ड बरौली अहीर में पशु चिकित्सालय क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में है, (मा0 सदस्य के द्वारा अपनी सूचना सदन में पढ़ा गया)। नवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित)। दसवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत ग्राम सभा सुनावर में मुड़ियार एवं नैठी के बीच पुलिया का

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया विधान सभा क्षेत्र महोबा में स्थित उद्योगों को बचाने तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत समुचित विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, (मा0 सदस्य के द्वारा अपनी सूचना सदन में पढ़ा गया)। तेरहवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुबेश (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित)। चौदहवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की उ0 प्र0 में एन0आई0एस0 डिप्लोमाधारी कोचों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में है। (श्री पंकज कुमार मलिक ने अपनी सूचना पढ़ी)। पन्द्रहवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र में करंट लगने से मृतकों को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री रामचन्द्र चौधरी की जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी विद्युत व्यवस्था ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

इसमें जो दो मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं,

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

अरे कितने लोगों का लेंगे, कल सबका आ जायेगा जो दो मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं उनके स्थान पर मा0 श्रीमती कृष्णा पासवान और मा0 उमेश पाण्डेय की सूचनायें ली जा रही हैं, प्रतीक्षा सूची के हिसाब से।

(उमेश पाण्डेय के खड़े रह कर बोलने का प्रयास करने पर)

उमेश जी आपका हो गया।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री गेंदालाल चौधरी,

2-श्री रविदास मेहरोत्रा,

3-सुश्री सावित्री बाई फूले,

4-श्रीमती सीमा द्विवेदी,

5-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

6-श्री मदन गोपाल वर्मा,

7-श्री अनुग्रह नारायण सिंह

8-श्री प्रमोद तिवारी,

9-श्री श्याम बहादुर सिंह यादव,

10-श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट

11-श्री उमाशंकर सिंह,

12-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

13-चौधरी गजेन्द्र सिंह,

14-श्री जय प्रकाश निषाद,

15-श्री त्रिलोकी राम,

16-श्री सतीश महाना,

17-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

18-श्री प्रदीप माथुर,

19-डा0 पूर्णमासी देहाती,

20-श्री जियाउद्दीन रिजवी,

21-श्री दलजीत सिंह,

22-श्री गयादीन अनुरागी,

23-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

24-श्री आलमबदी,

25-श्री विजय कुमार दुबे,

26-श्री मदन चौहान तथा

27-श्री भगवती प्रसाद सूर्यवंशी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिये पेयजल कार्यों हेतु अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए पेयजल कार्यों हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रुपया 293.74 लाख जिसमें सेंटेज की धनराशि रुपया 18.38 लाख भी सम्मिलित है, पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु उक्त धनराशि के सापेक्ष रुपया 1,25,00,000/-(एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल जी द्वारा सहर्ष स्वीकृति दी गयी थी। उपरोक्त स्वीकृत कार्ययोजना के अन्तर्गत बनने वाले तीन ट्यूबवेल्स तथा 06 किमी0 राइजिंग मैन एवं एक एस0टी0पी0 (150 के0एल0 एवं 12 मी0 स्टेजिंग) में से अभी मात्र दो ट्यूबवेल एवं सम्बन्धित राइजिंग मैन का कार्य हुआ है। तीसरे ट्यूबवेल एवं बिना एस0टी0पी0 के उपरोक्त स्वीकृत परियोजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त परियोजना के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर स्थिति के कारण लगातार बन्द हो रहे उद्योगों से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, जनपद बुलन्दशहर का सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र लगभग 40 वर्ष पहले स्थापित हुआ था लेकिन शासन की लगातार उपेक्षा के कारण आज वह जर्जर की स्थिति में हैं। वहां उद्योगों से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निकलने वाले गन्दे पानी की निकासी को पक्के नाले तथा नालियों की व्यवस्था नहीं होने तथा गन्दे पानी को आगे ले जाने वाले नाले की खुदाई न होने के कारण जगह-जगह गन्दा पानी भर जाता है जिससे जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित होता है तथा गम्भीर बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है, सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कों पर रात्रि को प्रकाश के लिए लगाई गई लाइटें टूटी हुई हैं। विभिन्न सरकारी विभागों के लिए सिग्गल विंडो सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। ग्रेटर नोयडा क्षेत्र 1 कि0मी0 आगे से शुरू हो जाता है लेकिन नोयडा को जोड़ने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक निगम को जो पैसा यहां की सुविधाओं के विकास एवं रख-रखाव पर दिया जाता है। वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जिसके कारण यहां के उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं तथा यहां स्थापित हुए लगभग 300 उद्योगों में से वर्तमान में मात्र 125-130 उद्योग ही चल रहे हैं। जिससे मेरी विधान सभा क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या पैदा होने के साथ-साथ विकास भी अवरुद्ध हो रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने एवं विकास के लिए आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

नानपारा बहराइच के गांधी पार्क पर सड़ी मछलियों के बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[मान्यवर, कृपया आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र नानपारा, जनपद बहराइच के गांधी पार्क के मछली मण्डी नानपारा के तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं। महोदय नानपारा के गांधी पार्क उत्तर की तरफ रोड पर मछली बेचने का कार्य किया जा रहा है। रोड के सामने तमाम स्वर्णकारों का मकान है तथा शाकाहारी विचारधारा के लोग निवास करते हैं। सड़ी मछलियों को भी बेचा जाता है। बदबू के कारण अनेक प्रकार की बीमारी भी हो जाती है। जिससे आम जनता में रोष व्याप्त है जबकि नगर पालिका नानपारा द्वारा मछली बेचने के लिए भूमि सुरक्षित है फिर भी मछली बेचने वाले वहां पर मछली मण्डी नहीं लगाते। मान्यवर, ऐसी दशा में मेरा निवेदन है कि गांधी पार्क रोड से मछली बेचने का कार्य कहीं अन्यत्र कराया जाय जिससे आम जनता को परेशानी न हो तथा शाकाहारी बंधु को राहत मिल सके।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत सरकार से कार्यवाही की मांग करती हूं।]

विधान सभा क्षेत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में बीस वर्ष पूर्व निर्मित पोस्टामार्टम हाउस को शुरू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

[महोदय, किसी व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु, हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना में मृत्यु परिवार के लिये बड़ा दुःख, पीड़ा देने वाला कठिन समय होता है, ऐसे में शव को जिला मुख्यालय स्थित पोस्टमार्टम हाउस जो मेरी विधान सभा से 80-100 कि0मी0 की दूरी पर है, ले जाना इन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिस्थितियों में बहुत पीड़ा दायक होता है, क्योंकि एक तरफ घर, परिवार सम्बन्धियों को संभालना व स्वयं धैर्य रखना दूसरी तरफ लाश को 100 कि0मी0 लेकर आना-जाना अंत्येष्टि कानूनी औपचारिकतायें बदहवास कर देती है। बीस वर्ष पूर्व पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण क्षेत्र की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए किया गया था। परन्तु लालफीताशाही के कारण उक्त पोस्टमार्टम हाउस आज तक शुरू नहीं हो सका है। जहां एक तरफ पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराये जाने में बहुत बड़ी धनराशि व्यय किया गया वहीं दूसरी तरफ अभी तक संचालित न किये जाने से उसका उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है इससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त पोस्टमार्टम हाउस को शीघ्र शुरू कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 श्रम विभाग के अन्तर्गत व्याप्त अधिकारियों की मनमानी तथा भ्रष्टाचार से विभाग को हो रही निरन्तर क्षति तथा अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जन्मेजय सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं।

प्रदेश के श्रम विभाग में अधिकारियों की निरंकुशता तथा उच्च अधिकारियों के प्रश्रय के चलते कतिपय अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी तथा भ्रष्टाचार से विभाग एवं प्रदेश सरकार की छवि निरन्तर धूमिल हो रही है। इस सम्बन्ध में स्वेच्छाचारी अधिकारियों में सबसे उल्लेखनीय उप निदेशक कारखाना, उ0 प्र0 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर का नाम लिया जा सकता है। जिनके क्रिया-कलापों में जनपद हरदोई के सण्डीला औ0 क्षेत्र में अमित हेट्रोकेम फैक्ट्री है जिसमें इनका विशेष लगाव एवं संरक्षण रहा है। उक्त फैक्ट्री में दिनांक 28/29-1-2011 की रात को गैस रिसाव के कारण सघातक दुर्घटना हुई। जिसमें 5 व्यक्तियों की मौत तथा 8 व्यक्ति गम्भीर रूप से प्रभावित हुए। उक्त फैक्ट्री में नियमों के विपरीत भारी मात्रा में रसायनों एवं गैस का भण्डारण किया जाता रहा है। जो कि उक्त अधिकारी के प्रश्रय के कारण ही संभव था।

उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 29-1-2011 द्वारा जांच कमेटी बनायी गयी जो अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) हरदोई की अध्यक्षता में की गयी। तद्नुपरान्त दुर्घटना की विस्तृत जांच श्री गोपाल दत्त पाण्डेय सहायक निदेशक कारखाना, अतिरिक्त प्रभार लखनऊ क्षेत्र द्वारा एवं श्री अनुराग श्रीवास्तव उप निदेशक कारखाना उ0 प्र0 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर एवं अतिरिक्त प्रभार लखनऊ द्वारा की गयी जिनकी निरीक्षण रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अभिनिर्माण प्रक्रिया के दौरान बनने वाले इण्टरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बन मोनो आक्साईड, फासजीन गैस निर्मित होती है। मान्यवर यहां पर यह स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि फासजीन गैस एक अत्यन्त जहरीली गैस है।

उपरोक्त समस्त जांचों का अवलोकनोपरान्त विसंगतियों को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन श्रम आयुक्त (एच0ओ0डी0) श्री सीताराम मीना द्वारा श्री अनुराग श्रीवास्तव उप निदेशक कारखाना एवं अन्य को दोषी पाया और दिनांक 21-12-2011 को कारण बताओ नोटिस दिया। जिसका जवाब

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 13-1-2012 को श्री अनुराग श्रीवास्तव उप निदेशक कारखाना एवं अन्य द्वारा श्रमायुक्त को दिया गया। दिये गये जवाब का गहन अध्ययन करने के बाद तत्कालीन श्रमायुक्त को भी यह सन्तोषजनक उत्तर नहीं लगा और श्री अनुराग श्रीवास्तव की संलिप्तता का बोध पाये जाने पर तत्कालीन श्रमायुक्त अपने पत्र दिनांक 18-4-2012 के द्वारा श्री अनुराग श्रीवास्तव एवं अन्य के विरुद्ध उ0 प्र0 (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर विभागी जांच कराने की संतुष्टी शासन को भेजी।

संगत विषय पर यह भी उल्लेखनीय है कि उप निदेशक कारखाना, उत्तर नोएडा द्वारा यह कहकर अपने अधीन एवं अन्य लोगों से धमकाया जाता है कि मैं तो हर सरकार में अपनी पकड़ रखता हूं मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मुझे सरकार की छवि से क्या लेना-देना मैं तो अपने निजी लक्ष्य पर कारित कार्यवाही कर अपने उच्च अधिकारियों को अपनी जेब में रखता हूं।

वर्णित परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि सरकार की छवि तथा माननीय मुख्य मंत्री के सुशासन के स्वप्न को विखण्डित करने वाले ऐसे स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश अधिकारियों के प्रति तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा जांच आख्या सदन के पटल पर रखने हेतु सरकार को निदेशित करने का कष्ट करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के बैदली में स्थित सब-स्टेशन की विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर, डुमरियागंज में स्थित सब-स्टेशन जो 33/11 का है, वहां पर दो ट्रांसफार्मर 2x5 एम0वी0ए0 का लगा हुआ है जिस पर क्रमशः 400 एम0पी0आर0 एवं 425 एम0पी0आर0 का अधिक लोड है जिसके कारण आये दिन समस्या बनी रहती है। विद्युत लाइन जोड़ने पर बार-बार ट्रिप हो जाया करती है और फाल्ट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कई गांवों के ऊर्जीकृत होने के कारण भी अधिक भार हो गया है तथा भविष्य में जो दूसरा फेज इस योजना का प्रारम्भ होने जा रहा है उसके वजह से भी काफी भार और बढ़ जायेगा, इसलिए सब-स्टेशन का विस्तारीकरण किया जाना जनहित में आवश्यक है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस सब-स्टेशन की जो मेन लाइन है वह वर्ष 1960 के पूर्व के हैं, जिसके कारण विद्युत तारों की स्थिति काफी जर्जर है और आये दिन तार टूट कर गिर जाया करता है, इस वजह से विद्युत हानि होने के साथ-साथ मकान व फसल का जलना एवं आकस्मिक दुर्घटना हो जाया करती है। इसलिए मेन लाइन के तारों को भी बदला जाना नितान्त आवश्यक है। जिससे विद्युत की बचत भी हो सके।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि लोकप्रिय सरकार जनहित में डुमरियागंज में स्थित सब-स्टेशन का विस्तारीकरण एवं मेन लाइन के जर्जर तारों को बदले जाने की कृपा करेगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बरखेड़ जनपद पीलीभीत में स्थित चीनी मिल, मझौला को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हेमराज वर्मा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र 128 बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल मझोला को तत्कालीन सरकार ने विगत दो वर्षों से बन्द कर रखा है जो कि मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी ज्वलन्त समस्या है क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। इस चीनी मिल के बन्द होने से क्षेत्र का विकास पूर्णतया अवरुद्ध हो गया है। मिल को चलवाने हेतु लम्बे समय से क्षेत्र के कृषक, व्यापारी एवं कर्मचारी लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं। मान्यवर, मिल प्रबन्धन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए दिनांक 16-12-2011 से जबरन सेवानिवृत्ति देकर कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है जिससे चीनी मिल के कर्मचारियों पर रोजी व रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस समस्या से प्रभावित कर्मचारी व क्षेत्रीय किसान आन्दोलनरत हैं। इनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। मान्यवर, इस समस्या का निराकरण न होने से क्षेत्रीय जनता एवं कर्मचारी काफी हताश एवं निराश हैं। मान्यवर, जनहित में सहकारी चीनी मिल मझोला को पुनः चलाये जाने व कर्मचारियों पर थोपी गयी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी0आर0एस0) को निरस्त कर कर्मचारियों को पुनः कार्य पर लिया जाना नितान्त आवश्यक है। मान्यवर, यह विषय अत्यन्त गम्भीर है।

अतः इस जनहित के विषय को मान्यवर के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा ग्राम पंचायत ककुआ, विकास खण्ड बरौली अहीर में पशु चिकित्सालय क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरण सुमन-

[कृपया अवगत कराना है कि जनपद-आगरा, 90 आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ककुआ, वि0 ख0 बरौली अहीर, आगरा में पशु चिकित्सालय भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां पर पशुओं के डा0 व कर्मचारियों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण खुले में ही या अन्यत्र स्थान पर बैठ कर अपना कार्य करते हैं। जिससे कार्य में बहुत ही बाधा उत्पन्न होती है और जनता को भी बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः पशु चिकित्सालय भवन कभी भी गिर सकता है। जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसे लेकर क्षेत्रीय लोग आये दिन आन्दोलित है एवं संघर्ष करते रहते हैं।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त क्षतिग्रस्त चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत ग्राम सभा सुनावर में मुड़ियार एवं नैठी के बीच पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली-

[कृ0 संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला-आजमगढ़ के मेरे विधान सभा क्षेत्र 346, मुबारकपुर के ब्लाक-सठियांव के अन्तर्गत ग्राम सभा सुनावर में मुढ़ियार एवं नैठी के बीच स्थित नहर पर पुलिया का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जब उक्त नहर में पानी कम रहता है तो क्षेत्रीय जनता पानी में घुसकर किसी तरह से आवागमन करती है और वर्षा के दिनों में वह भी आवागमन बन्द हो जाता है। यदि क्षेत्रीय जनता को किसी वाहन से जाना है तो उसे कई किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक समय लगता है और उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है तथा लोगों के साथ आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त नहर पर पुलिया निर्माण हेतु कई बार स्थानीय अधिकारियों एवं प्रशासन से अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक शासन द्वारा उक्त पुलिया निर्माण हेतु कोई भी कार्य नहीं किया गया है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम सभा में स्थित उक्त नहर पर यथाशीघ्र पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र महोबा में स्थित उद्योगों को बचाने तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया-

[अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र महोबा के ग्राम-श्रीनगर में पीतल उद्योग तथा ग्राम गौरहारी में गौरा पत्थर से निर्मित मूर्ति, बर्तन, खिलौने आदि काफी लोकप्रिय एवं भारतवर्ष के अधिकांश हिस्से में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं।

इसी प्रकार नगर पंचायत कबरई का पत्थर व्यवसाय, स्टोन क्रेशन सम्पूर्ण उ0 प्र0 में विकास हेतु सहयोग प्रदान कर रहा है। यहां के इमारती पत्थर एवं गिट्टी की आपूर्ति से ही प्रदेश में सड़कों, पुलों एवं भवन आदि का निर्माण होता है। महोबा का पान उद्योग भी काफी मशहूर रहा है। महोबा के पान की पहचान सम्पूर्ण भारतवर्ष में है। महोदय, जनपद महोबा के गरीब मजदूर व्यापारी, बेरोजगार लोगों के लिए रोजी रोटी के लिए यही उपरोक्त उद्योग मात्र सहारा है। इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकारी उपेक्षा से श्रीनगर, गौरहारी, ग्राम का क्रमशः पीतल एवं गौरापत्थर का व्यवसाय मृत प्रयाय होने की कगार पर है। वही कबरई कस्बे का पत्थर व्यवसाय भी प्रशासन के उत्पीड़न के कारण बन्दी के दौर पर जा चुका है। इसी के साथ महोबा का पान उद्योग भी जहां खतरनाक गुटका पान मसाला आदि पर प्रतिबन्ध न लगने पर सीमित हो गया है। वहीं महोबा में स्थापित पान अनुसंधान केन्द्र के लापरवाह भ्रष्ट लोगों द्वारा पान किसानों को प्रोत्साहित न किये जाने का भी एक कारण है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महोदय पूर्व से पिछड़े इस क्षेत्र में इन उद्योगों में सरकारी उपेक्षा एवं अनेक तरह के उत्पीड़न से व्यापार प्रभावित होने के कारण लोगों का तेजी से रोजगार की तलाश में महोबा जनपद से पलायन हो रहा है। यहां अनेक तरह से कर्जों से परेशान लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। इसको अविलम्ब रोका जाना आवश्यक है। यहां आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि महोबा जनपद में पर्यटन उद्योग की भी अनेक संभावना है। यहां चन्देल कालीन अनेक एतिहासिक धरोहरें मन्दिर, झील, तालाब, किले, मठ आदि के रूप में इस आल्हा उदल की नगरी में स्थापित है जिनको सहेजने एवं संरक्षित करने की आवश्यकता है जिससे इस पर्यटन उद्योग से भी लोगों का पलायन रुक सकता है। इस सम्बन्ध में वर्तमान जिलाधिकारी महोबा डा0 काजल के प्रयास भी जारी है। लेकिन राज्य सरकार के उचित सहयोग एवं विशेष पैकेज के बिना यह कार्य संभव नहीं है।

अतः मैं राज्य सरकार से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मा0 पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा 17 वर्ष पूर्व गठित इस विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का प्रवेश द्वार कहलाने वाले महोबा जनपद के लोगों का पलायन रोकने हेतु जनपद में स्थित सभी उद्योगों को बचाने एवं बढ़ावा दिये जाने तथा पर्यटन उद्योग को स्थापित करने हेतु विशेष पैकेज के साथ ही उचित संरक्षण एवं सहयोग दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत समुचित विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत ग्रामीणों व शहरी क्षेत्रों में लगे ट्रान्सफार्मर ओवरलोड चल रहे हैं। जिसके कारण विद्युत आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं चलती। बार-बार व्यवधान आता रहता है एवं विद्युत केन्द्रों पर लगी मशीनें भी ओवरलोड चल रही है। जिस कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होता रहता है। क्षेत्रवासी धरने-प्रर्दशन करने हेतु मजबूर होते हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 में एन0आई0एस0 डिप्लोमाधारी खिलाड़ी कोचों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

पूरे उ0 प्र0 में आज एन0आई0एस0 डिप्लोमाधारी 250 से 300 कोच हैं। कुछ कोच 15 से 25 सालों से कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नियमित नहीं किया गया। साल में दस माह का कैम्प होता है, जो कभी 7 महीने या 8 महीने चलता है। कोच अपने परिवार का पालन नहीं कर पाता है। जनवरी में कैम्प बन्द कर दिये गये थे अभी चालू नहीं किये गये। कैम्प मई से फरवरी तक चलते हैं। हर साल कोचों का फिजिकल लिया जाता है, कागज ले लिये जाते हैं, कोई छुट्टी नहीं मिलती है, सिर्फ रविवार को छुट्टी मिलती है। छुट्टी लेने पर पैसे कट जाते हैं। शिक्षा मित्रों की भांति इन्हें भी नियमित किया जाना चाहिए। कोच अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। खिलाड़ियों को तैयार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करने वाला कोच आज भुखमरी के कगार पर है। कोच से स्टाम्प में लिखवाकर लिया जाता है कि आप कहीं और जगह नौकरी नहीं कर सकते जो पैसा मिलता है उसका भी कोई समय नहीं होता कि कब मिले। कोच को स्थायी किये जाने की आवश्यकता है।

मैं इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र में करंट लगने से मृतकों को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत दिनांक 29 जून, 2012 को निर्माणाधीन प्राथमिक विद्यालय सहबाजचक मजरे मैरामऊ में तराई करते समय भोला प्रसाद मौर्या पुत्र जमुना प्रसाद उम्र 26 वर्ष की करन्ट लगने से मौत हो गई। दूसरी घटना दिनांक 01 जुलाई, 2012 को सहनी गांव में अचानक बिजली की शार्ट सर्किट में राम कृपाल पुत्र शत्रुहन यादव की करन्ट लगने से मौत हो गई। करन्ट लगने से रामकृपाल को छटपटाता देख उसकी पत्नी व पड़ोसी उसे छुड़ाने दौड़े वो भी सब झुलस गए जिन्हें गम्भीर हालत में पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुदौली में भर्ती कराया गया। विद्युत सप्लाई के लिए खींचे गये तार काफी जर्जर और ढीले हो गये हैं और हवा चलने पर दो तार आपस में टकराकर जलने व दगने लगते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को इसकी जानकारी भी पूर्व में ग्रामीणों द्वारा दी गई थी। इसी तरीके की तीन घटनाएं पूर्व में जबरवापुर निवासी श्यामलाल यादव के साथ दूसरी राजेन्द्र यादव सैनसी रामपुर, तीसरी एथर निवासी अमरेश वर्मा के साथ घटित हुई और अभी तक विद्युत विभाग द्वारा न तो किसी को कोई मुआवजा दिया गया न ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा भी इन पीड़ित परिवारों को न तो पारिवारिक लाभ योजना न ही किसान दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि मुहैया कराई गई। जिसके कारण पीड़ित परिवारों के आश्रित भुखमरी की कगार पर है, इन परिवारों के सामने रोजी-रोटी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। सभी मृतक अपने परिवार के मुखिया थे। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवारों को तत्काल मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से भी भरण-पोषण हेतु अनुदान दिलाये जाने तथा उपरोक्त घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही कराने की भी मांग करता हूं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पीड़ित परिवारों के आश्रितों को मुआवजा दिलाये जाने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी विद्युत व्यवस्था ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र चौधरी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद सुल्तानपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 191 कादीपुर के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था ठीक कराने का शासन द्वारा आश्वासन दिया गया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

था परन्तु विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं हुई। एक प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री को भी दिया था। पत्र के माध्यम से मुझे सूचना दी गयी थी कि विद्युत व्यवस्था 2-3 दिन में ठीक कर दी जायेगी। विद्युत अनु सचिव का पत्र आया था कि 8 घण्टे रात्रि तथा 8 घण्टे दिन में बिजली दी जायेगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है।

अतः आपसे आग्रह है कि इस लोक महत्व को सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि जनहित में विद्युत व्यवस्था को तत्काल ठीक कराये जाने की मांग करता हूं, जिससे जनता का आक्रोश समाप्त हो।]

जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत किशनपुर में यमुना नदी पर स्थायी पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय, जनपद फतेहपुर अन्तर्गत किशनपुर प्राचीनकाल से प्रमुख व्यापारिक नगरी है तथा आस-पास मौरंग, बालू व मत्स्य आखेटक क्षेत्र हैं। जनपद फतेहपुर को सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति इसी क्षेत्र से होती है। यहां पर व्यापारी यमुना के जल मार्ग व थल मार्ग से दूर-दूर से व्यापार हेतु आते-जाते हैं। यह नगर आस-पास के जनपद तथा मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रान्तों के आवागमन का केन्द्र है। इस नगर में आवागमन हेतु स्थापित अन्य स्थायी पुल 45-50 कि0मी0 से अधिक दूरी पर है। यहां बढ़ते हुए आवागमन व्यापारियों की सुविधा एवं क्षेत्र की मांग को देखते हुए एक अस्थाई पीपे के पुल का निर्माण तो करा दिया जा रहा है परन्तु बरसात आते ही उसे हटा लिया जाता है इस प्रकार पीपे का पुल किसी तरह आवागमन मात्र 5-6 महीने ही हो पाता है शेष महीनों में आवागमन की असुविधा के कारण यहां पर व्यापारी तो कम आते ही है जो आते भी वे 45-50 कि0मी0 अत्यधिक दूरी तय करके आते हैं। क्षेत्रीय लोगों को भी अन्य समय में जहां अत्यधिक दूरी तय करने के कारण समय और धन की बर्बादी होती है वहीं काफी असुविधा भी होती है। जनहित में यहां पर एक स्थायी पुल बनाया जाना आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए किशनपुर में यमुना नदी पर स्थायी पुल बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद मऊ के विकास खण्ड मधुवन, विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत नन्दोर चट्टी से कुसहा तक नहर के किनारे की सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[महोदय, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत नन्दौर चट्टी से कुसहा तक नहर के किनारे बनी सड़क अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है एवं उक्त मार्ग पर कई जगह पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। वर्षा के दिनों में उक्त सड़क पर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। उस सड़क पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन क्षेत्रीय जनता एवं वाहनों का आवागमन होता है। उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर आये दिन मार्ग दुर्घटनायें हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण किये जाने की भी मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02 जुलाई, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत 04 सूचनायें प्राप्त हुयीं। एक है श्री प्रमोद तिवारी जी की उत्तर प्रदेश के संतुलित विकास के लिये प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों का समान विकास व समस्त निर्वाचन क्षेत्रों के लिये बिना भेदभाव के धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सुशील सिंह की मा0 सदस्य व उनके परिवार के साथ जनपद वाराणसी के पुलिस प्रशासन द्वारा अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की मा0 सदस्य की जमीन पर जनपद शाहजहांपुर के थाना निगोही के थानाध्यक्ष द्वारा कब्जा करने तथा अपमानित करने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की माननीय विधान सभा सदस्यों को रेल यात्रा आरक्षण हेतु मिलने वाले रेल कूपनों से इण्टरनेट द्वारा टिकट बुक कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में है।

उत्तर प्रदेश के संतुलित विकास के लिए सभी विधान सभा क्षेत्रों का समान विकास व बिना भेद-भाव के धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मुझे यह प्रेरणा मिली है यहां से। हमारे एक बहुत वरिष्ठ सदस्य मा0 श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी यहां पर बैठते थे उनसे। मान्यवर, मैं आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद-164-1 की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इसे अगर मैं पढ़ दूं तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। मैं जो भी शपथ लेता हूं उसका नाम, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अंतः एवं इसमें एक लाइन है जो जरूरी है। मैं भय, पक्षपात या अनुराग। अनुराग सब बहुत अच्छा है मान्यवर। मैं भय पर भी नहीं जाता, पक्षपात पर भी नहीं जाता। कभी-कभी ऐसा होता है कि अनुराग हो जाता है, उन्हें लगता है कि इन्हें मिलना चाहिये, उन्हें नहीं मिलना चाहिये। मेरा यह कहना है, बराबर कहना है कि भारत के संविधान के सहारे मैं इस बात पर बल देता हूं कि इस प्रदेश के समुचित विकास के लिये आवश्यक है बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के पूरे प्रदेश का मान्यवर, सर्वोन्मुखी विकास किया जाये, सबको बराबर फायदा मिले, मेरा इसको लाने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधान सभा क्षेत्र हैं मान्यवर। विकास की धनराशि सबमें बराबर बांटी जाये, किसी क्षेत्र में कम या ज्यादा न की जाये और अगर की जाती है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर तो उल्लंघन होगा शपथ का। क्योंकि अनुराग में यानी कि हम किसी पार्टी के हैं हम अपनी पार्टी के लोगों को देंगे या हम किसी को पसंद करते हैं उसको देंगे। मान्यवर, मैं अनुराग पर जोर देता हूं और मैं मानता हूं कि कोई द्वेष से नहीं करता, कोई भय से नहीं करता, कोई पक्षपात से नहीं करता। पर ये अनुराग शब्द जो है मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हर मंत्री ने जो शपथ ली है उसका उल्लंघन न करे और अनुरागपूर्वक जितनी भी उसके विभाग में विकास की धनराशि हो उसे 403 विधान सभा क्षेत्रों में बराबर बांटी जाये। मान्यवर, इस संदर्भ में एक और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यही शपथ माननीय मुख्य मंत्री जी भी लेते हैं, उसमें मंत्री की जगह मुख्य मंत्री शब्द आ जाता है तो मुख्य मंत्री जी भयरहित हैं, यह मैं जानता हूं। यह पक्षपात भी नहीं करते, यह भी मैं मानता हूं और द्वेष इनको हो ही नहीं सकता, यह भी मैं मानता हूं तो मैं सिर्फ यह कहता हूं कि अनुराग न हो जायें कहीं, उसको देखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा, माननीय मंत्रीगणों से आग्रह करूंगा कि अब एक ही दिन बचा है, इनको अपनी शपथ का पालन करने में और एक दिन से ज्यादा शपथ पालन के लिये नहीं बचा है तो कहीं माननीय मंत्रियों के शपथ का उल्लंघन न हो जाये तो मैं अपने कर्तव्य को समझते हुए, माननीय मंत्रियों को उनके शपथ के प्रति आगाह, आग्रह और विनती करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस शपथ को उन्होंने सार्वजनिक रूप से लिया है, उसका पालन करें और जब कल हम लोग विनियोग विधेयक पारित कर देंगे, धनराशि विभागों में चली जायेगी तो उसको हैण्डपम्प के रूप में, सड़क के रूप में, गांव की बिजली के रूप में 403 विधान सभा क्षेत्रों में बराबर-बराबर बांट दें, इसके लिये मैंने इस प्रश्न को उठाया है। मान्यवर, मैं एक बार फिर कह दूं कि यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है। मान्यवर, पिछले सत्र में जब मैं था तो परिस्थितियां बदली हुयी हैं, एक बहुत विद्वान सदस्य यहां बैठते थे, उनका नाम था श्री माता प्रसाद पाण्डेय, वह सिद्धार्थनगर के इटवा क्षेत्र से निर्वाचित होते थे और उन्होंने यह प्रश्न उठाया था तो उन्हीं से मुझे यह प्रेरणा प्राप्त हुयी है। मैं मानता हूं कि उस समय की स्थिति और इस समय की स्थिति में फर्क है। तब उनके कोआर्डिनेटर के माध्यम से बंटता था, तब विधायकों को नहीं मिलता था, अब मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीगण अपने शपथ को शपथपूर्वक, ईमानदारी से पालन करें और जो भी विकास का पैसा है, आज अन्तिम दिन है या कल उसकी घोषणा मान्यवर कर दें, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक और इतनी तारीफ करने के बाद मुझे आशा भी है कि आप मेरी बात मान जायेंगे, मैं पूरी आशा के साथ विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, एक परम्परा भी है पुराने जमाने में जो राजा-महाराजा होते थे, उस समय वह जब खुश होते थे तो रियासतें बांट देते थे अब मान्यवर, राजा महाराजा तो हैं नहीं। अब तो राजा महाराजा चुना हुआ जन-प्रतिनिधि होता है और कल मुख्य मंत्री जी का 39वां यानि की अब 30 से गये, 40 में आ गये तो मैं पूरे सदन की तरफ से आपको जन्म दिन की बधाई भी देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप शतायु हों, यशस्वी होने की कामना करता हूं, सफल होने की भी कामना करता हूं और वहीं यह कहना चाहता हूं कि अपनी पुरानी परम्पराओं का निर्वाह करते हुए और यहां एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता होते थे, शायद जिनको आप जानते हों माननीय मुख्य मंत्री जी, उनका नाम था श्री मुलायम सिंह यादव। मान्यवर, उनकी परम्परा यह थी कि वह सदन के अन्तिम दिन विधायकों के लिये कुछ घोषणायें किया करते थे क्योंकि यह सब जब लौटकर जायेंगे तो इनसे पूछा जायेगा कि क्या लेकर आये, दो महीने तो

गायब रहे तो यह कुछ लेकर जा सकें तो मैं समझता हूं कि जन्म दिन से अच्छा अवसर और कुछ नहीं हो सकता, इसमें रिटर्न गिफ्ट की परम्परा है।

*श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

जन्म दिन पर तो देने की परम्परा है, आपने गिफ्ट में क्या दिया है, यह तो बताइये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक ब्राह्मण के पास आशीर्वाद के सिवा तो कुछ होता नहीं। मैंने गिफ्ट के रूप में आपको शतायु होने का आशीर्वाद दे दिया, यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया तो अब मेरे पास बचा क्या। तो अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि रिटर्न गिफ्ट के लिये अगर आज आप मानसिक रूप से तैयार न हों, तो जन्म दिन तो एक सप्ताह तक चलता है, कल मैं प्रतीक्षा करूंगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहेंगे या हम ही इसका निर्णय कर दें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, सदन से एक आवाज आई कि जन्म दिन की मुबारकबाद पर तो दिया जाता है तो प्रमोद तिवारी जी की तरफ से क्या मिला, यह तो पता चले।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, पिछली बार जब यह प्रश्न उठा था उस समय बजट का आवंटन हो रहा था, अभी तो विनियोग विधेयक पारित ही नहीं हुआ तो बजट का आवंटन कहीं हुआ नहीं, इसलिये कहीं अनुराग, द्वेष की बात आई नहीं, इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। इसे आप निरस्त ही नहीं करें बल्कि आप अंग्रेजी में इसे रिजेक्ट भी कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि शायद माननीय मंत्री जी ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी कि रिटर्न गिफ्ट की परम्परा है। बच्चे भी छोटा सा जन्म दिन मनाते हैं तो जब जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर जरूर आते हैं, भले ही गुब्बारा लेकर आये तो अब आजकल आपको टाइम तो मिलता नहीं, बच्चों की तरफ देखने का इसलिये आपको मालूम नहीं है। रिटर्न गिफ्ट की परम्परा है और मैंने अपनी तरफ से उन्हें शुभकामनायें दीं, आशीर्वाद दिया, यशस्वी होने की कामना की, सफलता की कामना की और शतायु कर दिया, अब इससे ज्यादा बुढ़ापे में चलाना नहीं चाहता उनको तो मान्यवर, वह युवा है वह सफल हों, यह आशीर्वाद मैंने उनको दे दिया। अब हम सारे विधायक कैसे सफल हों, यह आशीर्वाद आप दे दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपकी सभी मुरादें पूरी हों, यह मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं सभी सदस्यों से चाहता हूं कि एक बार मेज थपथपाकर माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का अभिवादन करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सभी सदस्यों की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(मद संख्या-3 पुकारे जाने पर)

विधान भवन परिसर स्थित महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाओं पर छतरी एवं शीशे लगवाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विधान भवन की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग महापुरुषों का सम्मान करते हैं और इस सरकार की भी यह परम्परा रही है कि इन्होंने भी महापुरुषों के सम्मान में कई ऐसे कार्य किये हैं जो उल्लेखनीय हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान भवन परिसर में आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की एक आदमकद प्रतिमा लगी है। यह बात मेरे दिमाग में इसलिये आई कि कई बार उधर से निकला तो देखा कि मूर्ति पर पक्षियों की बीट पड़ी हुयी है तो आवश्यकता इस बात की है मान्यवर, कि उसके ऊपर एक छतरी लग जाये और ट्रांसपेरेन्ट शीशे का एक कवर हो जाये। चौधरी चरण सिंह जी चूंकि देश के प्रधानमंत्री रहे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मान्यवर, जो सपा के मुखिया है, उनके नेता के रूप में वह यहां पर एक आदर्श है। बहुत से लोग मान्यवर, उनके अनुयायी है तो किसी न किसी रूप में हम उनको श्रद्धा और आदर से देखते हैं। दूसरी बात मान्यवर, इसके साथ ही जुड़ी है कि आदरणीय गोविन्द बल्लभ पंत जी की मूर्ति सामने लान में लगी है तो जब चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर छतरी और शीशा लगे तो पंत जी की मूर्ति भी सामने लान में है, उस पर भी यह लगवा दिया जाये, यह छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है और मैं समझता हूं कि महापुरुषों के सम्मान की श्रृंखला में यह एक कदम इस सरकार का होगा। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी यही अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब मुख्य मंत्री जी क्या करेंगे, यह उन पर डिपेंड करता है। आपने बात बता दी, उन्होंने सुन ली।

श्री उमेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किये जाने का अनुरोध

*श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी व्यक्तिगत समस्या है, इसलिये मैं इसे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। पिछले 16-10-2005 को मेरे भाई ब्लाक प्रमुख अखिलेश पाण्डेय, ज्येष्ठ प्रमुख राम बचन राम और पूर्व प्रधान गंगाराम, इन तीन जनप्रतिनिधियों की दिन दहाड़े ब्लाक परिसर में हत्या हुयी थी। आप भी हमारे घर गये थे, माननीय प्रमोद तिवारी जी भी मेरे घर गये थे और वहां का मंजर और तस्वीर आप लोग देखकर आये। आज हमारा परिवार भय और आक्रान्त के बीच जी रहा है। मान्यवर, मुझको सदन आने में बार-बार मेरे घर से यह फोन आता है कि भइया आज इधर से जाना, रास्ता बदलकर जाना, इस प्रकार मेरा परिवार भय और आक्रान्त के बीच में जी रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस समय मेरे घर पर और मेरे लिये भी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी और 2007 तक मेरे पास सुरक्षा रही है। सरकार बनने के बाद लगभग दो-ढाई महीना हो गये, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा मुझको एक्स कैटेगरी और फिर वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गयी थी, जैसे ही यह सरकार बनी है, बगैर किसी नोटिस के हमारी सुरक्षा हटा दी गयी, मैंने इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, गृह को भी पत्र लिखकर दिया, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखकर दिया और मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील और निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार रखने की कृपा करेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गयी।

वाराणसी पुलिस प्रशासन द्वारा श्री सुशील सिंह, सदस्य, विधान सभा तथा उनके परिजन को अपमानित किये जाने विषयक व्यक्तिगत प्रकरण

*श्री सुशील सिंह-

मान्यवर, हमारा भी व्यक्तिगत मामला है। मुझे अपमानित किया गया है और मेरे परिवार को अपमानित किया गया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि वाराणसी जनपद में अभी जिला पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव होना था जिसमें 28 तारीख को वोटिंग होनी थी। 26 तारीख को ही लगभग 5-6 बजे के आस-पास शहर के सी0ओ0 सुहैब इकबाल और बड़ागांव पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चन्द्र मित्तल, तमाम फोर्स और पी0ए0सी0 के साथ मेरे घर पर आये। मैं उस समय दिल्ली में था। मेरे पिताजी जो दो बार सदस्य, विधान परिषद् रहे हैं और मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष, वाराणसी रह चुकी हैं। ये लोग गये और वहां पर मेरे पिताजी के साथ जो कि वृद्ध हैं, बीमार रहते हैं, उनका इलाज भी चल रहा है, वहां की पुलिस ने उनको अपमानित किया और अपशब्द की बातें भी कही, जो समाचार-पत्रों में छपा और सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने एस0एस0पी0 से बात की तो उन्होंने कहा कि आप कहां हैं तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली में हूं, सुबह की फ्लाइट से आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ तमाम अप्लीकेशन्स आयी हुई हैं, आपने लोगों को धमकियां दी हैं। तो मैंने कहा कि मेरे खिलाफ अगर कोई धमकी का अप्लीकेशन है तो आप मुकदमा दर्ज कर लें और मुकदमा दर्ज करके उसकी जो भी कार्यवाही है वह करें। उनका मकसद सिर्फ हमारे परिवार को अपमानित करना तथा लोगों में भय व्याप्त करना था कि एक जनप्रतिनिधि के साथ जब इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो भी जिला पंचायत सदस्य थे, हमारे छोटे भाई सुजीत सिंह जिला पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव लाये थे, जो भी उसके साथ सदस्य थे, तमाम लोगों के यहां पुलिस फोर्स जाकर उनके साथ गुण्डागर्दी व बदमाशी की गयी और यहां तक कि एक महिला सदस्य प्रीती मिश्रा थी, उनके घर जाकर इन लोगों ने दबंगई से बातें कही तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। एक प्रमिला यादव जो जिला पंचायत सदस्य थीं उसके घर रात 3.00 बजे महिला पुलिस जाकर...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

सुशील सिंह जी सुनिये, नियमों में प्राविधान है आप लिख करके हमें दे दीजिये तो हम उस पर बात कर लेंगे।

श्री सुशील सिंह-

अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम लोग किसके पास जायेंगे अपनी बात कहने।

(श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बुधौलिया जी आप भी लिख करके हमें दे दीजिए, हम मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से बात कर लेंगे।

*श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय दे दें।

श्री सुशील सिंह-

अध्यक्ष जी, जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार अगर होगा....

श्री अध्यक्ष-

सुशील जी, आपने अपनी बात कह दी कि पुलिस ने प्रताड़ित किया। बात आ गयी, अब बैठ जाइये।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, एक कमेटी बना दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप हमें लिखकर दें दीजिये, आप विधायक हैं। आपके बारे में मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से बात कर लूंगा। बुधौलिया जी, आप लिखकर दे दीजिये या आप सब बैठ जाइये, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठ जायेंगे वहां अपनी बात कह लीजियेगा।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज तथा श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा विषयक व्यक्तिगत प्रकरण

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

अध्यक्ष जी, आपने मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको अवगत कराना चाहूंगा तथा सदन का ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहूंगा। महोदय, पूर्व में मेरे दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। एक भाई मेरे बहुत अच्छे वकील थे, उनकी राठ नगर में हत्या हुई।

श्री अध्यक्ष-

हत्या कब हुई ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

मान्यवर, काफी समय हो गया।

श्री अध्यक्ष-

काफी समय हो गया फिर क्यों उठा रहे हैं ?

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

अभी एक महीने पहले हमारे घर पर बहुत बड़ी चोरी हुई। मुझे जानमाल का खतरा है। मेरे ऊपर कई बार हमले हो चुके और अभी भी मुझे धमकियां मिलती रहती हैं। मुझको अतिरिक्त सुरक्षा लगभग 20 वर्षों से मिली हुई है, 10 प्रतिशत अंशदान पर मुझको सुरक्षा मिली हुई थी। अभी 100 दिन तक भी सुरक्षा व्यवस्था यथावत रही लेकिन 21-22 जून को हमारी सुरक्षा हटा ली गयी। महोदय, एक विधायक के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में काफी खतरा महसूस करता हूं। अभी हमारे साथी पाण्डेय जी बोल रहे थे, अन्य साथियों ने भी सुरक्षा की बात कही। महोदय, मुझे जान का खतरा बना हुआ है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाए।

*श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मेरी भी एक व्यक्तिगत समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

आपका तो दरोगा से जमीन का झगड़ा है। उस मामले को कितनी बार उठा चुके हो। मौर्या जी इनको समझाइये।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, ये विधायक लोग स्वयं खतरे में पड़े हैं, दूसरे की सुरक्षा क्या करेंगे ? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन लोगों को बुलाकर आप बात कर लें। इसको दिखवा लें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, बुलाने के अलावा भी सदस्यगण जब आयेंगे स्वागत है जो भी वाजिब बात कहेंगे उसका भी स्वागत है। हम तो खुद ही कानून की सरकार चलाना चाहते हैं। अच्छा न्याय हो किसी की जान को खतरा न हो। जहां तक सुरक्षा दिये जाने का सवाल है जो मापदण्ड आपने तय किये हैं, आप कहिए तो उन पर विचार कर लें क्योंकि आपने तो किसी का जान के खतरे को खतरा माना नहीं। जिन्हें पहले से सुरक्षा चली आ रही थी उन सबकी सुरक्षाएं वापस ले ली थी। अभी जो कुछ चल रहा है आपका दिया हुआ चल रहा है। आप अब बताइये अगर उसे बदलना है तो आपकी तरफ से यह प्रस्ताव आ जाये जो आपने तय कर दिया था कि किस-किस को सुरक्षा दी जाएगी किस-किस को नहीं दी जाएगी अगर उसे बदलना है उस पर विचार करना है तो बात आपके नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आ जाए नहीं बदलना है तो फिर शिकायत क्यों है अगर बदलना है आपको अपनी ही की हुई व्यवस्था को बदलना है तो पता चल जाएगा उस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है बात आ गई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बात कहां आई। उधर से कहां आई जो मानक तय कर दिये हैं गत सरकार ने उन पर विचार करने की या उन्हें बदलने की आवश्यकता है कि नहीं है क्योंकि गत सरकार भी यहां मौजूद है। अगर गत सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल आ जाए कि वह व्यवस्था बदलकर नई व्यवस्था लागू की जाये तो उस पर विचार कर लें। वरना व्यवस्था तो चल ही रही है।

श्री अध्यक्ष-

कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है इसलिए आगे बढ़ें।

*नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस सदन के एक नहीं अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा से सम्बन्धित मसले को यहां पर प्रस्तुत किया है। पूर्व में उनके खुद स्वजनों की हत्या भी हो चुकी है इस तरह के पूर्व में भी प्रकरण रहे हैं तो उनका संज्ञान लिया गया है उस पर कार्यवाही हुई है और मैं चाहता हूं क्योंकि यह सदस्यगणों से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत मामला है। संवेदनशील है इस पर सदाशयतापूर्वक विचार करते हुए सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए न ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस प्रकार की कोई बात रखनी चाहिए।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि माननीय सदस्यों से जुड़े हुए मसले को सरकार गम्भीरता से संज्ञान लेगी और उस पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी मैंने पहले ही कहा कि कानून का राज कायम है। कानून को और चुस्त-दुरुस्त किया जा रहा है जिन माननीय सदस्यों ने अपनी परेशानी रखी है उस पर यकीनन कार्यवाही होगी। लेकिन क्योंकि कार्यवाही के लिए अलग से सुरक्षा देने के लिये आपके द्वारा ही मानक तय किये गये हैं मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो सरकार के कामकाज के तरीकों से अलग की बात हो आपने क्योंकि कुछ मानक तय किये हैं क्या है उसके लिए रपट लिखी जाएगी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी होगी और हर व्यक्ति की जान की कीमत बराबर की होगी यह सही है कि माननीय सदस्य के परिवार का मामला है बहुत गम्भीर है। लेकिन मान्यवर, हमारे लिये उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के जान की कीमत वही है जो माननीय सदस्य के परिवार के व्यक्ति की जान की कीमत है। हमारे लिये बहुत कमजोर व्यक्ति भी उतनी ही सरकार से ताकत पाने का हकदार है जितना एक ताकतवर शख्स

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के परिवार को। उसमें अलग से क्या व्यवस्था की जा सकती है इस पर विचार यकीनन हो जाएगा हमारी मानवता को जगाने की जरूरत नहीं है वह तो जागी हुई है जो करना चाहिए वह हम करेंगे उन बैरियर्स के बावजूद भी जो आपने लगाये थे उन अमानवीय वाकियातों के बावजूद भी जो आपकी तरफ से हुए थे उसके बावजूद भी यह जानते हुए कि जो आपने किया वह बहुत गलत था। सुरक्षा नहीं दी गई, जिनको सुरक्षा मिली हुई थी उनकी सुरक्षाएं वापस ले ली गईं इसके बावजूद भी मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों के साथ इस तरह से हादसात हुए हैं उन पर बिल्कुल अलग से विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। (सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) अरे भाई अब नहीं। उन्होंने कह दिया कि विचार हो जायेगा। मद संख्या-3, अब जियाउद्दीन रिजवी साहब आप बैठिये। बजट है। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप बैठ जायं। आगे चलने दीजिये। आपकी क्या जरूरत पड़ गई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, आप ही सरकार हैं क्या ? आप बैठिये।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायं। अब आपको जवाब देना नहीं है। बैठिये। अब इनका कुछ नहीं लिखा जायेगा। बोलिये, जितना बोल पायें। जितना मर्जी हो। आपका कुछ लिखा नहीं गया चाहे जितना बोलो। आप बैठ जायं। बहुत अति न करें। एक सीमा होती है। रोज-रोज जब कभी होगा यह खड़े हो जाते हैं। मद संख्या-3 माननीय मंत्री जी प्रस्तुत करें।

एक सदस्य-

मान्यवर, हमको अपमानित किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, बात हो गई, उन्होंने कहा है कि हम दिखवा लेंगे। अगर आपको अपमानित किया गया है तो उसके लिये आप हमको अगर आपका प्रिव्लेज बनता है तो लिखकर दीजिये, मैं कार्यवाही करवाऊंगा। बार-बार कहने से क्या होता है। आप बैठिये। बहुत लोग अपमानित होते हैं। हम लोग भी बहुत बार अपमानित हुए हैं। बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, राजनीति में काम करने वालों के लिये यह बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। हम लोग जब अपमानित होते हैं तब ही तो सम्मानित होते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-2 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-2 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2009 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37 की उप धारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उप धारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

जनपद फतेहपुर के ब्लाक ऐरायां के ग्राम दावतपुर मजरा मुहम्मदपुर गौती, गंज मजरे अफोई आदि विभिन्न गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एखलाख अहमद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 आसिफ-

मान्यवर, आपकी अनुमति से जनपद फतेहपुर के ब्लाक ऐरायां के ग्राम दावतपुर मजरा मुहम्मदपुर गौती, गंज मजरे अफोई आदि विभिन्न गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एखलाख अहमद व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

जनपद फतेहपुर के ब्लाक हथगाम के ग्राम सभा चकसानपुर, उजाड़े का पुरवा आदि विभिन्न गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 नफीस आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 आसिफ-

जनपद फतेहपुर के ब्लाक हथगाम के ग्राम सभा चकसानपुर, उजाड़े का पुरवा आदि विभिन्न गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 नफीस व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद फतेहपुर के ब्लाक भिटौरा के पहाड़पुर मजरे सिमौरा, कमालपुर मजरे औढेरा आदि विभिन्न गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौसार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 आसिफ-

जनपद फतेहपुर के ब्लाक भिटौरा के पहाड़पुर मजरे सिमौरा, कमालपुर मजरे औढेरा आदि विभिन्न गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौसार व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद फतेहपुर के ब्लाक ऐरायां में रामगंगा कमाण्ड नहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 शुऐब आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 आसिफ-

जनपद फतेहपुर के ब्लाक ऐरायां में रामगंगा कमाण्ड नहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 शुऐब व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद फतेहपुर के 242 हुसैनगंज, विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 शोएब आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 आसिफ-

जनपद फतेहपुर के 242 हुसैनगंज, विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 शोएब व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद फतेहपुर के ब्लाक हथगाम में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 नसीम आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 आसिफ-

जनपद फतेहपुर के ब्लाक हथगाम में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 नसीम व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद फतेहपुर के ब्लाक भिठौरा में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 आसिफ-

जनपद फतेहपुर के ब्लाक भिठौरा में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद फतेहपुर के ब्लाक ऐरायां में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 शुऐब आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 आसिफ-

जनपद फतेहपुर के ब्लाक ऐरायां में विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 शुऐब व अन्य, निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूं।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-289 का उल्लंघन करते हुए श्री उपेन्द्र तिवारी के ऊपर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर मा0 सदस्य द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, मेरे ऊपर आरोप लगे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने विशेषाधिकार दे दिया है।

* श्री उपेन्द्र तिवारी-

मैंने विशेषाधिकार दिया है लेकिन सफाई में मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया जाए। मेरे ऊपर आरोप लगे हैं। मैं भी विधान सभा का सदस्य चुनकर आया हूं। मेरे ऊपर आपराधिक आरोप लगाये गये हैं और कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-289 के तहत इसमें सीधे सदन की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवहेलना करके मेरे ऊपर आरोप लगाये गये हैं। सेशन बन्द होने वाला है आगे कुछ घटना भी घट सकती है। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 31 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री जो मेरे बड़े भाई भी हैं अम्बिका चौधरी जी द्वारा आरोप लगाये गये, मेरी आपराधिक पृष्ठभूमि बताई गई।

श्री अध्यक्ष-

एक शब्द में उसको कह दें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

एक शब्द में कैसे कह दें जब 35 मिनट में आरोप लगा।

श्री अध्यक्ष-

जब आपने नियम-63 में दे दिया है उसकी सूचना जारी कर दी।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है मेरी बात को सुना जाए। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं बड़े भाई रामगोबिन्द चौधरी जी बैठे हुए हैं जिनके विधान सभा क्षेत्र .....

श्री अध्यक्ष-

मेरी बात सुन लीजिए। जब रिपोर्ट आ जायेगी तो आपको ग्राह्यता पर पूरा सुना जाएगा, आपको मौका मिलेगा, रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। आपने परसों शाम को दिया है अगर आप पहले दे देते तो रिपोर्ट आ जाती तब आप कहते। जब आपने नियम-63 में उन सब आरोपों के बारे में सूचना दे दी तो रिपोर्ट आ जाने दीजिए।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मुझे अपनी सफाई देने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

एक शब्द में अपनी बात कह दें।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, 1990 में मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रयाग विश्वविद्यालय में गया। 1995 में मैंने राजनीति में कदम रखा, 1996 में मैंने चुनाव लड़ा।

श्री अध्यक्ष-

इसमें रिपोर्ट आने दीजिए तब तक आप एक शब्द में अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

2000 में बलिया में आया मेरे ऊपर जो भी आपराधिक मुकदमों का रिकार्ड दिया गया मान्यवर, इतिहास देख लीजिए मैंने एफीडेविट के साथ दिया है 1995 से लेकर 1999 तक जब मैं छात्र राजनीति में था प्रयाग विश्वविद्यालय में तो मैं छात्रों से जुड़े मुद्दे राजा भइया यहां उपस्थित हैं, जसवीर सिंह जैसा कप्तान हुआ करता था जो पहले प्रतापगढ़ में उसके पहले इलाहाबाद में थे, छात्र आन्दोलन में मेरे ऊपर चाहे जो भी मुकदमें हों, चाहे पुलिस द्वारा हों चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा

हो किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत मुकदमा मेरे ऊपर लगाया हुआ नहीं है। 2000 में मैं बलिया जनपद में आया राजनीति में, मैं डा0 मुरली मनोहर जोशी जी के सानिध्य में जो महान नेता हैं इस देश के, राजनीति की शुरूआत किया। 2002 में उत्तर प्रदेश में और केन्द्र में भारतीय जनता की सरकार थी उसमें मुझे टिकट मिला। 2002 में मैं चुनाव लड़ा और मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूं, वर्ष 2008 से लेकर 2011 तक। जो भी मुकदमें कायम हुए हैं, अध्यक्ष जी वह राजनीति से प्रेरित हैं और इस सदन को गुमराह करने के लिये मैं इस सदन में मिथ्या या [x x x] शब्द नहीं कह सकता हूं, लेकिन मिथ्या और असत्य आरोप लगाये गये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की जांच टीम गठन की बात की थी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है, अब आप बैठिये।

(श्री उपेन्द्र तिवारी लगातार बोलेने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आपने लिखकर दे दिया है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

अध्यक्ष जी, एक जांच टीम बना दी जाए, एक सर्वदलीय जांच टीम बना दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने पी0आई0एल0 दाखिल किया था, ग्राम सभाओं की जमीन पर, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। अब लिखा नहीं जायेगा। जो मुकदमें लगे हैं उन मुकदमों के बारे में आपने कह ही दिया है कि मिसयूज था।

(श्री उपेन्द्र तिवारी अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, अब लिखा नहीं जायेगा।

* राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज मुझे एक नोटिस मिली है। यह गलत बात है, आप इनको रोकिए।

श्री अध्यक्ष-

उपेन्द्र तिवारी जी, आप बैठ जाइये, अब आपका लिखा नहीं जायेगा। अब आप बैठिये। जब नोटिस दे दिया है, तब आप उस पर नहीं बोल सकते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

आप लोग बैठिये। तिवारी जी, आप बैठिये। नहीं-नहीं, आप चाहे जो बोलेंगे, वह लिखा नहीं जायेगा, क्योंकि आपकी नोटिस आ गयी है, आपने लिखकर दे दिया, उसका जवाब आने दीजिए, तब

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपको जो कहना होगा, कहियेगा। अब कुछ नहीं लिखा जायेगा, आप बैठ जाइये। आपने अपनी बात कह दी कि सारे आरोप विद्यार्थी जीवन के हैं।

(श्री उपेन्द्र तिवारी बोलते रहे और श्री अध्यक्ष ने नियम-56 की सूचनायें लेनी शुरू कर दीं)

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02 जुलाई, 2012 को नियम-311 के अन्तर्गत 02 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिन्हें नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 में कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं। प्रथम 02 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा।

(इस दौरान श्री उपेन्द्र तिवारी लगातार कुछ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अब आप अति न करिए, बैठ जाइये। आपने लिखित नोटिस दिया है, हमने उसका संज्ञान लिया है, अब आप क्या कहेंगे ? आप बैठिये।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब आप बैठिये।

* डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष पीठ पर आसीन हैं, सदन में क्या कहा जाना चाहिए और क्या नहीं कहा जाना चाहिए, सब स्पष्ट है, परम्पराओं में वर्णित है। इस सदन में एक माननीय मंत्री ने माननीय सदस्य के विरुद्ध बदतमीज शब्द का प्रयोग किया है। आप कृपया कार्यवाही निकलवायें, यदि इस शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप उस पर निर्णय लें और उसे कार्यवाही से निकलवायें। माननीय अध्यक्ष जी, यदि बदतमीज शब्द का प्रयोग हुआ है, कार्यवाही आपके सामने है, उस शब्द का प्रयोग करने का अधिकार इस सदन में किसी को भी नहीं है, चाहे वह कोई भी हो।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम देख लेंगे, यदि होगा तो हम उसे बाहर कर देंगे।

(श्री उपेन्द्र तिवारी बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, जब इन्होंने नियम-63 में दे दिया, जिससे सम्बन्धित था, माननीय मंत्री जी को मेरे कार्यालय से नोटिस चला गया। वहां से जब जवाब आ जायेगा, तब आपको जो कहना होगा कहिएगा।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा, वह जितना भी बोलें वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। चाहे जितना बोलिये। अब आप बैठ जायें। इनको समझाइये। उपेन्द्र जी मेरी बात मानिये, बैठ जाइये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो विधान सभा में मामला आया है। यह बड़ी गम्भीर बात है। अगर किसी मा0 सदस्य के द्वारा बिना किसी का नाम लिये हुए एक बात कही गयी है तो मा0 मंत्री जी को भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। मान्यवर, आज आपने वह नोटिस विशेषाधिकार हनन के अन्तर्गत स्वीकार कर ली है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसके बाद भी अगर बदतमीज टाइप के शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसको निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं देख लूंगा अगर हुआ है तो मैं निकलवा दूंगा।

श्री सतीश महाना-

उसकी पूरी जांच करवाकर इसको करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इसकी पूरी जांच करवाकर करायेंगे। लेकिन इनको तो समझाइये। उपेन्द्र तिवारी जी अब बैठ जाइये। अब हो गयी बात। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं आप बैठ जाइये।

नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02 जुलाई, 2102 को नियम-311 के अन्तर्गत 02 सूचनायें प्राप्त हुईं जिन्हें नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 में कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं। प्रथम 02 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की राज्य में तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटखा) के बढ़ते प्रयोग से उत्पन्न हो रहे दुष्परिणाम के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री गयादीन अनुरागी की प्रदेश के बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी के अन्तर्गत कर्ज से डूबे वृद्ध किसान श्री रोशन सिंह यादव की आत्महत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री मनोज कुमार की जनपद कुशीनगर के कसया तहसील में जाति प्रमाण-पत्र मांग रही महिला एवं भीड़ पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री काली चरन सुमन, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री गेंदा लाल चौधरी, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री वेदराम भाटी, श्री गुटियारी लाल दुबेश तथा श्री लोकेश दीक्षित की जनपद अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के अन्तर्गत श्रीमती शांती देवी की किडनी निकाले जाने सम्बन्धी एफ0आई0आर0 दर्ज न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा प्राइवेट परीक्षा बन्द किये जाने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना कुंवर भारतेन्द्र सिंह की जनपद बिजनौर में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्हाइटनिंग फ्लूड सूंघ कर नशे की लत से इंजीनियरिंग कालेज के छात्र की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अली यूसुफ अली, श्री लोकेश दीक्षित तथा श्री राज कुमार रावत की जनपद जे0 पी0 नगर के थाना सैदनगली में दिनांक 16-5-2012 को रीनू पुत्री श्री कमल सिंह के अपहरण की शिकायत न दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुईं अतः अस्वीकृत की जाती हैं :-

1-श्री सुशील सिंह,

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

3-श्री विजय बहादुर यादव,

4-श्री उमाशंकर सिंह,

5-श्री बाला प्रसाद अवस्थी,

6-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

7-श्री प्रदीप माथुर,

8-श्री सुनील कुमार सिंह यादव,

9-श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह,

10-श्री जन्मेजय सिंह,

11-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज तथा

12-श्री दलजीत सिंह।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो श्री प्रमोद तिवारी जी और श्री गयादीन अनुरागी की सूचना है। आपका तो नाम नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मामला है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आपने दिया है ?

श्री प्रदीप माथुर-

इसको लेने के लिए मैंने सुबह भी आपसे अनुरोध किया था।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, वह हो गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से जुड़े हुए बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील मुद्दे पर और उस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि यह जो पान मसाला है कभी स्टेटस सिम्बल हुआ करता था। पान पराग का इतना बड़ा डिब्बा लेकर लोग चलते थे और धीरे-धीरे यह हर घर में प्रवेश कर गया। घर की मातायें बहनें इसकी आदी हो गयीं। घर के बच्चे इसको खाने लगे और यहां तक कि जो स्कूल जाने वाले छात्र-छात्रायें हैं वह भी इसको शौकिया कहिये या आदतन कहिये इसके आदी होते जा रहे हैं और इसका दुष्परिणाम यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस पर चेतावनी दे रहा है। भारत के स्वास्थ्य संगठन जो इस पर शोध कर रहे हैं वह भी इस पर चेतावनी दे रहे हैं कि यह जो तम्बाकू पान मसाला यानी गुटखा है यह कैंसर रोग को उत्पन्न कर रहा है, शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न कर रहा है और कैंसर रोग इससे हो रहा है और अभी एक प्रकार की सूचना मुझे पढ़ने को मिली है कि सरकार इस पर वैट की दर की वृद्धि करने जा रही है और जैसा आज मैंने पेपर में पढ़ा कि अब यह ब्लैक में बिकने लगा और सरकार की यह भी योजना है कि इससे मना करने के लिये जन जागरण का कार्यक्रम चलायेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत भिज्ञ और बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, एक मद्य निषेध का भी विभाग है जो यह बताता है कि मद्य पान बहुत बुरा है इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि उसका कोई जनता पर असर नहीं है। मुझे बड़ा खेद है कि राजस्व प्राप्ति के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, नई सोच के हैं, नये विचार के हैं, नई ऊर्जा ले करके आये हैं, हम समझते हैं कि इस पर विचार करेंगे कि क्या जो राजस्व प्राप्ति के लिए हम घर-घर होम डिलीवरी की तरह से हर साल दुकानें बढ़ाते जा रहे हैं, आन्दोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और यह गुटखा जो इतना खतरनाक है कि जो कैंसर रोग उत्पन्न कर रहा है, घर-घर में प्रविष्ट कर गया है, छात्र-छात्राएं इसकी आदी हो गई हैं यहां तक कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने भी एक आग्रह राज्य सरकार से किया है कि इस पर सरकार विचार करे कि इसको प्रतिबन्धित करने पर सरकार विचार करे। श्रीमन् इतना गम्भीर मामला है और भारत सरकार ने भी इस पर कोई ऐक्ट पारित किया है तो मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हमारी नौजवान पीढ़ी को बरबाद होने से बचाना है, देश के नौजवान पीढ़ी को इसके आदी होने से इसके लती होने से बचाना है तो थोड़ा सा अगर राजस्व की हानि होती है, तो पूरी तरह से इसकी बिक्री और इसका उत्पादन प्रतिबन्धित कर देना चाहिए राज्य में, यह व्यापक जनहित में होगा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आने वाली जेनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा अन्यथा यह आज घर-घर में प्रवेश कर गया है, आज इसके जो आदी हैं वह ब्लैक में ले रहे हैं, वैट अभी बढ़ा कि नहीं बढ़ा यह पता नहीं लेकिन आज अखबार में है कि तुरन्त यह ब्लैक होना शुरू हो गया है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी सरकार हैं, बैठे हुए हैं, युवा हैं, नई आशायें हैं इनसे नई उम्मीदें हैं तो मैं यह उम्मीद करूं कि लीक से हट करके एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे कि राजस्व को एक तरफ रखेंगे और प्रदेश के नौजवान पीढ़ी को एक तरफ रख करके यह जो तम्बाकू युक्त पान मसाला है, इसके उत्पादन और इसकी बिक्री को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरे राज्य में प्रतिबन्धित करने की घोषणा करेंगे। मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जनहित से जुड़ा हुआ है, जन-स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और जहां तक इसकी ग्राह्यता का सवाल है यह अविलम्बनीय भी है, लोक महत्व का भी है, एक सुनिश्चित विषय पर है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन का कार्य रोककर इस गम्भीर विषय पर चर्चा करने की अनुज्ञा देने की आप कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी आपका भी इसी विषय पर है ?

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक मेरा निवेदन सुन लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय आदरणीय सदस्य श्री श्यामदेव राय चौधरी जी ने उठाया है। मान्यवर, मैंने इसी विषय के ऊपर पांच दिन लगातार नियम-56 के अन्तर्गत सूचना दी, उसको स्वीकार नहीं किया गया, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, मान्यवर, आज आप इसको स्वीकार नहीं करते तो हम इसको कृपापूर्वक आपका आदेश मान कर हम इसको स्वीकार कर लेते। मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इससे बीमारी तो फैल ही रही है, मेरे दुर्भाग्य से एक परिवार के किसी सदस्य की तबियत खराब हुई, टाटा कैंसर अस्पताल जाना पड़ा तो वहां पर जितने भी मरीज मुझे मिले उसमें से 90 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के मरीज थे, जो माऊथ कैंसर के कारण गम्भीर बीमार थे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो इसमें इन्ग्रेडियन्ट लिखे जाते हैं जो इसमें मसाला डाला जाता है, चाहे वह सुपारी हो, चाहे वह कत्था हो, चाहे वह इलायची हो, मान्यवर, जो इसमें लिखा होता है अगर उसकी कीमत जोड़ दी जाय तो जितने का वह पाउच बिक रहा है उससे कई गुना ज्यादा उसकी कीमत है जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है। मान्यवर, केवल इसके खाने से तमाम बीमारियां हो रही हैं। यह तम्बाकू युक्त गुटखा का प्रयोग आज घर-घर प्रवेश कर गया है। आप उसकी जांच भी कर लें कि वह मानकों के अनुरूप है या नहीं। यदि नहीं है तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, मैं तो इस पक्ष में हूं कि इसको पूर्णतया प्रतिबन्धित कर देना चाहिए। मान्यवर, मैंने सवाल भी लगाया था लेकिन आपने मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण उसे अग्राह्य कर दिया था। वह वैसा था भी। मान्यवर, लेकिन कहीं भी हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि उसके प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार नहीं कर सकती है। सरकार विचार कर सकती है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार विचार कर लें और इसकी गुणवत्ता व मानकों पर ध्यान दिया जाये कि वह पूर्ण है कि नहीं। मान्यवर, यह कैंसर के रोग की तरह फैल रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह प्रश्न करोड़ों उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो इसके आदी हैं। गरीबी के बिना पर जो लोग सुर्ती वाला तम्बाकू चूने को हाथ पर रगड़ कर खाते हैं। उससे फेशियल कैंसर, लिप्स कैंसर यह सब होता है और यह बहुत आम हो गया है। मान्यवर, लोकतंत्र में दो तरीके हो सकते हैं एक या तो कानून बहुत सख्त हो या फिर हम उस उत्पाद को इतना मंहगा या सस्ता कर दें कि लोग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका इस्तेमाल बढ़ा दें या कम कर दें। मान्यवर, बीड़ी पीने वालों के बारे में देखें समाज का कमजोर और गरीब वर्ग वे ही बीड़ी का इस्तेमाल करता है व सुर्ती का इस्तेमाल करता है। वह जब मेहनत का काम करता है तो अपने अन्दर इनरजी पैदा करने के लिये और अपने जहन को सुरूर में लाने के लिए ताकि उसे उस मेहनत का एहसास कम हो सके वह इस्तेमाल करता है। मान्यवर, रिक्शा चलाते वक्त रिक्शे वाला बीड़ी पीता है क्योंकि उसके फेफड़े फूलते हैं लेकिन उससे ही उसके फेफड़े खराब होते हैं और उससे टी0बी0 और दूसरे रोग उत्पन्न होते हैं। मान्यवर, यह जो बाई प्रोडक्ट है इससे मंशा तन्हा नहीं है कि राजस्व बढ़े। मान्यवर, कितना राजस्व मिल जाता है लेकिन जो बुनियादी मंशा है कि जो लोग इसे स्टेटस सिम्बल के रूप में इस्तेमाल करते हैं वह कुछ पैसा और भी दे सकते हैं और उनसे लिया जाना चाहिए। मान्यवर, लेकिन ऐसी चीजों से जिससे बड़ी गम्भीर बीमारियां हो रही हैं उसमें कोशिश यह की जा रही है कि उसे इतना मंहगा कर दिया जाये कि लोग उसे खरीदने से बचे और उनके जहन में यह बात रहे कि अगर इतनी मंहगी चीज खरीदेंगे तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। मान्यवर, जहां तक शराब के बारे में चौधरी साहब ने कहा यह सवाल हरदम विचारणीय रहा है और उस पर चर्चायें होती रही हैं। मान्यवर, कुछ राज्यों में दिखावे के लिए उस पर प्रतिबन्ध भी है। मान्यवर, इसमें यह बात भी है कि खुद समाज जब तक इन चीजों के लिए जागरूक नहीं होगा यह चीजें कम नहीं हो सकेंगी। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस प्रश्न पर श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री सतीश महाना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह प्रश्न पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, उनके सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न पैदा हो गया है इस मंहगाई के जमाने में वह कैसे अपने बच्चों का पेट भरे उनको पढ़ाये और अपनी जरूरत की चीजों को जुटा सके। मान्यवर, आप देख लें कि वर्तमान में समूह ग के कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी जो है, उनको 140 रुपया प्रतिदिन मजदूरी के रूप में मिलते हैं और समूह घ के कर्मचारियों को मात्र 120 रुपया प्रतिदिन मिलता है। 26 अगस्त, 2010 का शासनादेश है मंहगाई का जो रेट है वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक सेवाएं हैं उनमें बेतहाशा वृद्धि हुई है उनके मूल्यों में। एक गरीब आदमी के सामने बहुत संकट है। यह प्रश्न कई दिनों से विधान सभा में मैंने लगाया लेकिन आभारी हूं कि आज आपने इस पर बोलने का मौका दिया आज आवश्यकता इस बात की है कि समूह ग का कम से कम 200 रुपया प्रतिदिन दैनिक वेतन होना चाहिए और समूह घ की भी उसी अनुपात में वृद्धि हो क्योंकि दो साल से उसमें वृद्धि नहीं हुई है। प्रदेश के लाखों मजदूर आज इस आशा में हैं कि अगर सरकार उनके प्रति संवेदनशीलता से विचार करके इनकी मजदूरी को बढ़ाने पर विचार करे तो एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम होगा और सरकार को इससे बधाई भी मिलेगी, सराहना भी होगी, प्रशंसा भी मिलेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी से क्योंकि दोनों संवेदनशील हैं, दोनों न्यायप्रिय हैं, मांग करता हूं कि इन दोनों की मजदूरी बढ़ाई जाय और इस पर सदन में चर्चा कराई जाय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, चर्चा की तो आवश्यकता नहीं है लेकिन विचार की आवश्यकता है, विचार किया जायेगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वैसे भी प्रदेश का बुन्देलखण्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां की यह समस्या थी पिछड़ेपन की इसलिए वहां पर केन्द्र सरकार द्वारा स्पेशल पैकेज दिया गया बुन्देलखण्ड निधि की स्थापना हुई लेकिन जो बुन्देलखण्ड पैकेज दिया गया था वह जिस काम के लिए दिया गया था, जिन लोगों के लिए दिया गया था उन तक पहुंचा नहीं और उसका दुष्परिणाम सामने आया है। मान्यवर, वहां के एक 70 वर्षीय किसान रोशन सिंह यादव हैं उन्होंने आत्म हत्या कर ली, पेड़ में लटककर फांसी लगा ली। उसकी दो वजह है एक तो सूखे की वजह से खेती वहां कई सालों से नहीं हुई लगभग 7-8 सालों के बीच में एक आध साल हुई है। दूसरा मान्यवर, उसने थोड़ा सा कर्ज लिया था, सूदखोर लोग जो होते हैं ऐसी जगहों पर ज्यादा प्रताड़ित करते हैं ज्यादा लोगों को दुख देते हैं। मान्यवर, एक तो कर्ज फिर उसकी पोती बड़ी हो रही थी, उसकी शादी की चिन्ता उसके तीन बेटे थे, कुल मिलाकर ऐसी स्थिति थी। मैं इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं और चूंकि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ संवेदनशील प्रश्न है इसलिए जरूर कहूंगा कि धीरे-धीरे आज जुलाई की दूसरी तारीख को हमारे प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में बारिस नहीं हुई और मानसून पिछड़ गया है और अब अगर मानसून आयेगा तो शायद फसल को उतना प्रभावित न भी करे लेकिन दुष्प्रभावित तो कर चुका जितना करना था। मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि बारिस हो, जल्दी हो लेकिन ध्यान देने की बात है कि अवर्षण सूखा धीरे-धीरे कदम रख रहा है उत्तर प्रदेश में, प्रदेश सरकार को इसके लिए तैयार होना चाहिए। मान्यवर, चूंकि यह अनुरागी जी का प्रश्न है। आप इनको सुन लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि सिर्फ दो लाख के लिए बुन्देलखण्ड की धरती पर अगर किसी किसान ने आत्महत्या की है तो वह तो चला गया दुनिया से लेकिन परिवार पर दो लाख का बोझ रह गया। आज इसको लाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उस परिवार को दो लाख रुपये जिसने आत्महत्या की है अगर उसे आर्थिक सहायता के रूप में दे दें तो शायद उस परिवार में और आत्महत्यायें न हों। मान्यवर, इस विनम्र निवेदन के साथ मैं चाहता हूं कि अनुरागी जी को सुन लें।

*श्री गयादीन अनुरागी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 की सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड में स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि अभी विगत वर्षों में बरसात की कमी होने की वजह से कई गांवों में पहाड़ी है, भिटारी हैं महोबा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद हमीरपुर, जनपद उरई जनपद सभी जनपदों में किसान 15 दिन में 20 दिन में एक आत्महत्या जरूर कर लेता है। महोदय, जब उसकी जांच होती है जिला प्रशासन के अधिकारी जाते हैं तो सम्बन्धित थाने का एस0ओ0 जाता है और यह कहता है उनके घर वालों पर दबाव डाल करके की यह बीमारी से गृह क्लेश से यह हत्या की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि बुन्देलखण्ड के पूरे रिकार्ड मंगा लिये जाएं कि वास्तव में किसानों में आत्महत्यायें की हैं जो भी बैंकों से किसान ऋण लेते हैं, उनको अभी तक यह आशा बंधी थी कि सरकार ने यह घोषणा की है कि 50 हजार तक के किसानों के ऋण माफ होंगे, लेकिन वहां बुन्देलखण्ड में यह स्थिति है कि किसान यह कहता है कि हमारे कर्ज माफ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सहकारी बैंकों से जो लोन लिया गया है उनके लोन माफ होंगे तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सूखे की भयावह स्थिति को देखते हुए हमारे बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है और किसान आत्महत्या कर रहा है। इन पर ध्यान देते हुए इनको आर्थिक सहायता दी जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दोनों ही ऐसे बिन्दु हैं जिन पर मा0 मुख्य मंत्री जी हमेशा संवेदनशील रहे हैं और विचार करने योग्य हैं, विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

श्री कालीचरण सुमन, श्री धर्मपाल सिंह, गेंदा लाल चौधरी, रामवीर व भगवान सिंह कुशवाहा जनपद अलीगढ़ के थाना रानीपार में श्रीमती शांति देवी की किडनी निकाले जाने सम्बन्धी एफ0आई0आर0 दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में इसमें कौन बोलेगा।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसमें हम ही बोल दें।

श्री अध्यक्ष-

हां आप ही बोल दीजिए। डा0 धर्मपाल सिंह जी नियम-56 में दस्तखत नहीं किया जाता, आपने दोनों पर दस्तखत कर दिये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह नियम-56 के अन्तर्गत सूचना धनीपुर गांव, थाना-रानीपार, जनपद अलीगढ़ की निवासिनी श्रीमती शांति देवी से सम्बन्धित है जो मान्यवर, बीमार थीं और आशीर्वाद नर्सिंग होम रामघाट रोड अलीगढ़ में डाक्टर राजीव लोचन जी के यहां अपना इलाज कराने इसी अप्रैल के महीने में गयी थीं और मान्यवर, 17-4-2012 से लेकर दिनांक 05-05-2012 तक इसका इलाज किया गया और परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि इसकी दायीं तरफ की किडनी खराब है और मान्यवर, अन्त में डाक्टरों ने सलाह दी विशेष रूप से डाक्टर राजीव लोचन ने सलाह दिया कि दायीं ओर की जो किडनी खराब है, इसको निकालना पड़ेगा और अंततः 6 मई, 2012 को आशीर्वाद नर्सिंग होम में एडमिट करके उसका आपरेशन किया गया। दाहिनी ओर की खराब किडनी को निकालने के लिए लेकिन मान्यवर, आपरेशन करने के बाद उसको रेफर कर दिया वरुण हार्ट सेन्टर, वारसी चौराहा,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रामघाट रोड, अलीगढ़ को दिनांक 7-5-2012 को। 6 तारीख को आपरेशन किया और 7 तारीख को उसे रेफर कर दिया और 7 मई से लेकर के 20 मई तक लगातार उसका डायलिसिस होता रहा। इस डायलिसिस प्रक्रिया जो कि चल रही थी, उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें डाक्टरों ने बताया कि इसकी बायीं ओर की किडनी निकाली गयी है। आपरेशन किया दाहिनी ओर की किडनी को निकालने का जो की खराब किडनी थी, उसको न निकाल के बायीं ओर की जो स्वस्थ किडनी थी उसको निकाल लिया और मान्यवर, इस घटना के तमाम जो चिकित्सकीय परीक्षण के कागज जो आशीर्वाद नर्सिंग होम रामघाट रोड, अलीगढ़ के द्वारा दिखाये गये पर्चे हैं, दवाइयां हैं, उसके प्रीस्केप्शन हैं, उसके सारे के सारे एक्स-रे और अन्य परीक्षणों के कागज हैं वह सब दाहिनी ओर की किडनी के हैं, लेकिन निकाल दी गयी बायीं ओर की किडनी तो इस तरीके से जो गम्भीर उदासीनता डाक्टर के द्वारा दिखायी गयी है और आज वह जीवन-मरण से जूझ रही है। वह आज बिल्कुल मरणासन्न की हालत में पहुंच गयी है। मान्यवर, यह जिला प्रशासन के भी संज्ञान में आया लेकिन वहां पर प्रभावी कार्यवाही करने के बजाय प्रार्थिनी पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम्हारी दाहिनी ओर की किडनी का इलाज मुफ्त में कर दिया जायेगा, तुम डाक्टर साहब से समझौता कर लो। यह मान्यवर, बहुत ही गम्भीर है और मानव संवेदना से परिपूर्ण है। यहां तक कि मानवता को शर्मसार किया है इसलिये इस गम्भीरतम प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मैं ये सरकार से चाहूंगा कि इसका अपने स्तर से परीक्षण करा लें और यदि यह घटना सही है तो डाक्टर के खिलाफ गम्भीर से गम्भीर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, केवल यही नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी अराजकता है इसको लेकर और झोलाछाप डाक्टरों के अस्पताल चल रहे हैं। कई-कई मंजिला अस्पताल हैं, बड़े-बड़े अस्पताल हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जे किये हैं और कई मंजिला अस्पताल बनाकर उसे चला रहे हैं। एक तो वो लोग जो सक्षम नहीं इस काम को करके वो दौलत पा रहे हैं। दूसरा जिस तरह की शिकायत मा0 नेता विरोधी दल ने की कि बायीं निकालनी थी और दांयी निकाल दी गयी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

दांयी नहीं बांयी निकालनी थी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मिसाल के तौर पर कि दांयी निकालनी थी बांयी निकाल दी। कैंची छोड़ आये, छूरी छोड़ आये, पट्टी छोड़ आये, तौलिया छोड़ आये। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लाइन लगी होती है आपरेशन्स की और आते हैं जिला अस्पताल से। ये जितने भी डाक्टर्स हैं इसमें शत-प्रतिशत डाक्टर्स वो हैं जो इन अस्पतालों में प्रेक्टिस करते हैं। वो जिला अस्पतालों के सर्जन्स हैं। एनेस्थीसिया देने वाले हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं। वही लोग शत-प्रतिशत नहीं होंगे तो 90 प्रतिशत होंगे। वही लोग जाकर इन झोलाझाप अस्पतालों में आपरेशन्स करते हैं और ये भी जल्दी होती है कि अस्पताल में भी हमारी तलाश हो रही होगी। अगर अस्पताल के बाद आते हैं तो क्योंकि घर जाके भी प्रेक्टिस करना है इसलिये जल्दी होती है। दांये का बांया और बांये का दांया इस चक्कर में भी निकल जाता है। इसमें बहुत फिक्रमन्दी है मान्यवर, और इस पर एक कानून आना चाहिये। जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उनके लिये भी कानून आना चाहिये। मानक होने चाहियें, इस वाकये को बहुत गम्भीरता से लिया जायेगा

सरकार की तरफ से। इसमें जांच भी होगी और जो भी कानूनी तौर पर उनको सजा दी जा सकती है सजा के लिये सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है।

*श्री मनोज कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, गोंड़ आदिवासी महासभा के आन्दोलन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था कुशीनगर में। जहां मालती देवी को चोट लगी थी, आज भी वो अस्पताल में हैं। मान्यवर, 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति एवं शेष जिलों में अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र की बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है। हमारे चन्दौली में भी कई मामले हैं। कई प्रमाण-पत्र लेकर प्रधान हो गये, प्रमुख हो गये। आज उनको जिले से नोटिस आ गयी, कोई बर्खास्त हो गये, कोई लोग उच्च न्यायालय चले गये। ये बड़ा गम्भीर विषय है, मैं यह आपके माध्यम से कह रहा हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, यह कुशीनगर में लाठीचार्ज हुआ था इनके यहां गोंड़ सम्मेलन में। कुछ कहेंगे इसमें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसे दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह आप सुन लीजिये। आपने पहले वाले पर भी दस्तखत किया, इस पर भी कर दिया। इसके बावजूद भी मैं आपका डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा प्राइवेट परीक्षा बंद किये जाने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जाने वाली सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये दे रहा हूं। कुंवर भारतेन्दु सिंह का है, ये फ्लड सूंध कर नशे की लत में हैं कुंवर भारतेन्दु सिंह हैं ही नहीं, चलिये। अली यूसुफ अली, जनपद जे0पी0 नगर के थाना सैदनगली में अपहरण की शिकायत न दर्ज किये जाने वाली सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस पर वक्तव्य मांग लें।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, अच्छा। हो जायेगा। अब मद संख्या....

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

अच्छा कह लीजिये, अब आज आखिरी दिन है, इसलिये बोल लीजिये आप भी।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष, नियम-56 के अन्तर्गत आपको उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा वेटनरी कालेज जो 1947 में स्थापित हुआ था और बाद में उसका नाम पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय रखा गया। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे श्रेष्ठ पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हुआ करता था। आज स्थिति यह है कि सरकार ने इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालय को बनाने के बाद इसमें पांच फैकल्टी के लिए धनराशि स्वीकृत की थी। वर्तमान में पशु चिकित्सा संकाय, कालेज आफ बायो टेक्नोलॉजी कार्य कर रही है। धनाभाव के कारण शेष 3 संकायों की स्थापना आज तक नहीं हो सकी है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कुल 163 शिक्षक स्वीकृत हैं परन्तु धनाभाव के कारण केवल 88 शिक्षक कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय के पास 1400 एकड़ का फार्म तथा 784 एकड़ का दूसरा फार्म उपलब्ध है। डेयरी फार्म पर उच्च कोटि के दुधारू पशु लगभग 400 की संख्या में उपलब्ध हैं। इस विश्वविद्यालय के पास धनाभाव के कारण संसाधनों की कमी है जिससे शिक्षण एवं शोध कार्य बाधित हो रहा है। इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर हम इसके महत्वपूर्ण अस्तित्व को बचाने का प्रयास यथाशीघ्र करना चाहते हैं। मान्यवर, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा को आप केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को आप भिजवाएं जिससे कि इसका अस्तित्व बच सके और जितने भी पशु चिकित्सक देश में बनना चाहते हैं वह यहां से बेहतर से बेहतर शिक्षा पा सकें। यहां संसाधनों का बेहद अभाव है और प्रदेश सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने जिससे कि प्रदेश का भी नाम हो, देश का भी नाम हो और एशिया में फिर से यह अपनी बेहतरीन स्थिति को पा सके और पशुधन को बचाया जा सके तथा पशुधन पर और शोध हो सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रदीप जी की हर बात को माना ही जाता है। आपकी बात पर सरकार भरोसा करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 माथुर साहब को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

मद सं0-9 एवं 10 में कुछ नहीं है, मद सं0-11 में कार्य-स्थगन हो चुका है। अब हम मद सं0-12 लेते हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,33,55,27,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों एक साथ रखेंगे या अलग-अलग रखेंगे।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, ऐसा करते हैं कि नगर विकास, सूडा और अल्पसंख्यक कल्याण सभी को एक साथ रख देते हैं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, नगर विकास विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण को अलग रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। माननीय अध्यक्ष जी, नगर विकास विभाग से सम्बन्धित वर्ष 2011-12 का कार्य विवरण हमें मिला है, इस वर्ष का जो आप 2012-13 का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे सम्बन्धित कोई साहित्य विधान सभा के पटल कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। मैं अभी फिर से पूछने गया था कि कहीं अभी तो नहीं आ गया है लेकिन मान्यवर, 2012-13 का बजट जो आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं उससे सम्बन्धित जो कार्य-पुस्तिका होती है वह वहां नहीं उपलब्ध है। अगर वर्ष 2011-12 के आधार पर चर्चा होनी है तब तो आप कर लें अन्यथा मेरा निवेदन है कि इसे दिखवा लें और अगर नहीं है तो उसे उपलब्ध करा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, उसे हम दिखवा लेते हैं, अगर इजाजत हो तो इसे रख दें।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,73,82,27,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, जो नेता विरोधी दल की ओर से कटौती के प्रस्ताव के लिए लिख करके आया है उसमें नगर विकास विभाग का अलग है और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अलग है। मेरा कहना है कि या तो पहले नगर विकास विभाग को रख करके उस पर भाषण कर लें और बाद में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को लें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मैं नेता, विरोधी दल से निवेदन किये लेता हूं कि सभी को एकसाथ ले लें।

*नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी एक साथ रख दें, कटौती का प्रस्ताव अलग-अलग आ जाएगा और मा0 सदस्य अलग-अलग बोल लेंगे।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

ठीक है। मान्यवर, मैं एक साथ रख देता हूं, कटौती अलग-अलग आ जायेगी, उत्तर अलग-अलग आ जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन के साथ सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारा विभाग नगर विकास विभाग ऐसा विभाग है जिसमें शहर में रहने वाले हर छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी की रोजमर्रा की जिन्दगी प्रभावित होती है। हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, इस सदन में जो आए दिन समस्यायें आती हैं वह सड़कों की नालियों की, खड़जों की यानी कि बुनियादी तौर पर जो काम हमें मिला है वह सफाई और झाड़ूपोछा काम मिला है। इस काम में हम काफी लम्बे अर्से से लगे हुए हैं और यह समझते हैं कि अगर हम इस काम को कर सके तो हम एक साफ-सुथरा समाज, एक साफ-सुथरा घर एक साफ-सुथरा मोहल्ला और एक साफ-सुथरा शहर दे सकेंगे। मान्यवर, याद होगा आपको जब हम और आप विदेश के दौरे पर थे तो पहली बार हमने इंटरलॉकिंग का चलन देखा था, उसे पसन्द किया था और उस इंटरलॉकिंग के चलन को हम अपने प्रदेश में ले करके आये थे। मुझे आज यह बता देने में कोई ऐतराज नहीं है कि जब हमने उसे गत सरकार में लागू किया तो हमारे अधिकारीगण ने, इंजीनियर साहिबान ने और ठेकेदारों ने और बहुत से नेताओं ने उसमें सहयोग नहीं किया और काफी दिनों तक उत्तर प्रदेश का सारा पैसा रखा रहा और सड़कों, गलियों के काम नहीं हुए। यह शिकायत तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 नेता जी तक पहुंची और फिर हमारी हाजिरी हुई सभी अधिकारियों के बीच और सभी अधिकारियों ने इंटरलॉकिंग लगाने पर अपना ऐतराज जताया। उन्होंने उसकी वह सारी कमियां मा0 मुख्य मंत्री जी के सामने बताई जो समझ में आईं लेकिन मैं खामोशी से बैठा सुनता रहा और जब मेरी सारी गलतियों का पुलिन्दा बहुत भारी हो गया तब मैंने मा0 नेता जी से यह दरख्वास्त की कि जिस सब्र से मैंने सुना है और आपने मेरी कमियों को सुना है उसी सब्र से आप उसकी अच्छाइयां भी सुन लीजिए। हमने उसकी अच्छाइयां बताई कि गली में एक सी0सी0 रोड बनाया गया, एक फिट से लेकर डेढ़ फिट तक उसकी ऊंचाई आ गई, गरीब आदमी जब घर बनवाता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह गली में फिलिंग करे अपने मकान की चौकी ऊंची करे, आधा मीटर या एक मीटर ऊंचा ले जाए बल्कि वह वहीं से अपना घर बनवाना शुरू कर देता है। मान्यवर, जब गली बनती है तो गली उसके फर्श से ऊपर होती है, थोड़े दिन बाद वह सड़क चूंकि सी0सी0 रोड होती है वह उखड़ जाती है इसलिए कि उसमें वह मैटरियल नहीं लग पाता। उसके बाद फिर वह किसी की खुशामद करता है, नगर निगम की करे, नगर पालिका की करे, अपने वार्ड मेम्बर की करे, विधायक की करे, सांसद की करे और वह सड़क फिर से डाली जाती है उसके बाद उस सड़क की ऊंचाई एक फिट और बढ़ जाती है और जब बरसात होती है तो उस सड़क का पानी उसके घर में आ जाता है। लिहाजा हमने यह कोशिश की है और ऐसा हमने किया भी, हमने मोहल्लों की जांच कराई और जहां सड़कों का लेबल बहुत ऊंचा था उसे तोड़कर बाहर निकाला गया और इंटरलांकिंग की प्रथा को शुरू किया गया। यह भी हमने कहा कि इंटरलांकिंग जब हम बनायेंगे तो बहुत से ऐसे नौजवानों को जिनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, उन्हें काम मिलेगा। हम अपना मुकदमा कामयाबी के साथ रखने में कामयाब हुए और नतीजा यह हुआ कि मुख्य मंत्री जी ने उन तमाम अधिकारियों को जो इक्ट्ठे हुए थे हमारी बुराइयां ढूढ़ने के लिए, उन्हें बहुत डांट सुननी पड़ी और सबसे पहला काम इटावा से ही शुरू करने का निर्देश हुआ। वहां से शुरू किया जाए ताकि देखा जाए कि क्वालिटी क्या है ? पूरे प्रदेश

में बहुत अच्छी तरह से काम हुआ लेकिन जो तजुर्बा हुआ वह यह हुआ कि इंटरलांकिंग की अगर एक ईंट कहीं से हट गयी तो मोहल्ले वालों, गली वालों ने यह जहमत गंवारा नहीं की कि उस एक ईंट को वहां लगा दें बल्कि एक से दो हटी और पूरी सड़क बर्बाद हो गयी। यह गलती और कमी इसलिए भी हुई कि हमारे देश में और अन्य देशों में जहां इण्टरलांकिंग का इस्तेमाल होता है वहां ज्यादातर समन्दर हैं। वहां हवायें चलती हैं लेकिन हवाओ के साथ धूल नहीं होती। मैंने पिछले साढ़े तीन वर्ष की सरकार में यह कोशिश की और मैं उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। मेरा दिल चाहता था और आज भी यह दिल चाहता है, मैं अक्सर अधिकारियों से कहता हूं, जहां जाता हूं, जिस शहर जाता हूं वहां के अधिशासी अधिकारी और नगर आयुक्त को बुलाकर पूछता हूं कि सड़कों को पैचवर्क से ठीक करने की आखिर हमारी प्रवृत्ति कब बनेगी। जब डामर की सड़क में एक छोटा सा सुराख हो जाता है और जरा सा पानी उस पर गिरता है तो सुराख बढ़ता चला जाता है। अगर वहीं पैंच लगा दिया जाए तो आमतौर पर देखा यह गया है कि चाहे वह आर्डिनरी बनी हुई सड़क हो या हॉट मिक्स से बनी हुई सड़क हो। पैंच ज्यादा मजबूत होता है बनिस्पत उस बनी हुई सड़क के जो पहले से मौजूद है। लेकिन इस प्रवृत्ति और इस आदत को हम अभी तक पूरी तरह से पैदा नहीं कर पाये हैं। हमारी कोशिश थी पिछली बार और इस बार क्योंकि समय मिला ही नहीं हैं उस पर काम करने का। लेकिन शुरूआत हुई है और कानपुर के हमारे माननीय सदस्य इस बात के गवाह होंगे कि हमने पैंचवर्क के सिलसिले में, फुटपाथों के सिलसिले में बहुत कामयाबी हासिल न की हो लेकिन इन दो तीन महीने में हमने कोशिश की है कि सड़कों के किनारे जितने भी फुटपाथ बने हुए हैं दुरुस्त करें, जहां मिट्टी है वहां हमारे निर्देश यह हैं कि फावड़ा लेकर दो मजदूर उस मिट्टी को लेविल करें। हमारी बदनसीबी है कि बरसात नहीं हो सकी। बहुत सख्त निर्देश थे इस बार कि उन तमाम सड़कों के किनारे जो मिट्टी के फुटपाथ हैं वहां दूब घास लगा दी जाए ताकि इस बरसात में हम उन सारी फुटपाथों को जो मिट्टी के हैं उन्हें घास से कवर कर लें। यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि हम यह चरित्र नहीं पैदा कर पाये कि जब सी0सी0 रोड बनता है तो साफ पानी इस्तेमाल करने के बजाय उसी नाले का पानी ठेकेदार इस्तेमाल करता है जिसके एसिड से सीमेण्ट की सड़क का बनना न बनना बराबर हो जाती है। जब डामर की सड़क बनती है तब भी अगर कहीं कोई पानी के इस्तेमाल की जरूरत आती है, कभी-कभी ठंडा करने की जरूरत आती है पानी छिड़कना पड़ता है उस दाने को चिपकाने के लिए तो अच्छे पानी के बजाये वहां भी मैंने गन्दे पानी का इस्तेमाल होता हुआ देखा है। मान्यवर, ये तमाम वे बातें हैं जिन्हें रोकना बहुत जरूरी है लेकिन नहीं रुक पाती है। इसके लिए क्या तरीका होगा, उस पर भी विचार चल रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकतायें हैं कि सड़क अच्छी हो, नाली अच्छी हो। अभी मैं कुम्भ मेले के सिलसिले में इलाहाबाद गया था और हमने एक सड़क ऐसी देखी जिसके बारे में मुझे यह कहना पड़ा क्योंकि मुझे एक अखाड़े जाना था साधु-सन्तों से मिलना था, मेले के बारे में उनसे राय करनी थी और जो हमने कोशिशें की हैं, वह उन्हें बतानी थी। उस सड़क पर चलते वक्त मुझे इतनी शर्मिदगी महसूस हुई कि जब मैं अखाड़े पहुंचा हूं इन गुजरे हुए सालों में कुछ चीजें इतनी बर्बाद हुई हैं कि मुझे यह कहना पड़ा कि आज मुझे इस बात की शर्मिदगी है कि मैं नगर विकास मंत्री हूं। इतनी

खराब सड़क थी। मान्यवर, यह ऐसा पुराना मुहल्ला था जिससे इलाहाबाद पहचाना जाता है, जहां बड़े-बड़े लोग पैदा हुए जो खेले हैं उन सड़कों पर, जवान हुए, बूढ़े हुए और इस दुनिया से चले गये और इलाहाबाद का एक नाम और इतिहास तय कर गये। उस सड़क के किनारे पर बड़ी तादाद में, नालों के अन्दर, नालियों के अन्दर सुअर टहलते हुए मिले, नालों और नालियों को तोड़ते हुए मिले। इस कदर बदबू का आलम था कि किसी शरीफ आदमी का गुजरना मुहाल था लेकिन वे लोग रहते हैं उस हाल में और हम यह कह करके आये हैं। काम शुरू हो गया है कि इलाहाबाद की उन सड़कों को जो इतिहास तय करती है उन सड़कों का पहले ख्याल रखा जाएगा। इस कल्चर को बहुत बदलने की जरूरत है। बहुत मेहनत की जरूरत है। हमारा विभाग हमारे शक्ल को दर्शाता है बहुत अच्छा शरीर है, बहुत सेहतमंद है बहुत खूबसूरत है लेकिन अगर इसका लिबास अच्छा नहीं है तो शरीर आमतौर पर अच्छा नहीं लगता। हमारा विभाग उत्तर प्रदेश का लिबास है इस लिबास को दुरुस्त करने के लिये हमारी कितनी मजबूरियां हैं हमें सड़कें देखना है हमें नालियां देखना है हमें नाले देखना है हमें पुलिया देखना है हमें मुहल्लों के अन्दर फैली हुई गन्दगी को देखना है। एक बड़ा चैलेंज है जो कूड़ा करकट है सालिड वेस्ट का मैं जो किताब लिखी है जो आंकड़े हैं उन पर तो आप बहस करेंगे क्योंकि यह विभाग ऐसा है जो आम आदमी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ विभाग है आज ही समस्या रखी है महाना जी ने हम कहां ले जाएं इस कूड़े को इस कूड़े के लिए कोई जगह होनी चाहिए इस कूड़े का कोई इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन सालिड वेस्ट को इकट्ठा करने से कुछ फायदा मिलने के अलावा अगर हम उस सालिड को वेस्ट का देंगे। हो यह रहा है कि सालिड वेस्ट से कुछ हासिल करने के बजाय हम सालिड को वेस्ट कर रहे हैं। मान्यवर, कारखाने लगाते वक्त यह विचार नहीं था कि इनसे सिर्फ खाद बनाई जाएगी खाद बनाने के लिए हमारे पास बहुत से कारखाने हैं बहुत से दूसरे साधन हैं हमारे पशु हैं लेकिन असल मंशा यह थी कि सालिड वेस्ट के जितने यूनिट लगे उनसे बिजली उत्पन्न हो। बिजली उत्पन्न होने के बजाय गत सरकार ने जो कारखाने लगाये उनमें प्राइम लोकेशन थी जमीनें दे दी पैसा दे दिया और उनसे ऐसे करार कर लिये जो पैसा दिया ही नहीं जा सकता संभव ही नहीं है। पूरा नगर निगम नीलाम हो जाएगा और उनकी तय की हुई शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता। बाजी-बाजी संस्थाएं ऐसी हैं जो ए टू जेड फ्राड है लेकिन है जैसे मैंने आज कहा कि उनके कारखाने लगते वक्त वह बसपाई थे जैसे ही सरकार बदली वह सब सपाई हो गये उन्होंने अपनी पूरी वफादारी हमारे अन्दर उड़ेल दी। ऐसे दुश्वारी आई है बड़ी दुश्वारी आई है बहुत सी ऐसी स्कीम है जिनके लिए भारत सरकार से पैसा आया है चाहे वह सालिड वेस्ट स्कीम हो चाहे वह पानी के इंतजाम की हो पुलों को बनाने की हो मैं इस बारें में कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी से कह चुका हूं आपने बड़ी गम्भीरता से लिया है हमें डर यह है कि जब कभी सी0बी0आई0 की जांच होती है तो सी0बी0आई0 बहुत से ऐसे लोगों को भी पकड़ लेती है शायद जो इतने गुनहगार न होते हों। डाक्टर्स पकड़े गये हैं जेलों में हैं मर भी गये हैं लेकिन अगर कभी हमारी तरफ निगाह चली गई तो जितना गुजरे पांच सालों में लूट हुई है जितना अनर्थ हुआ है उस अनर्थ को अगर सही तरीके से जांच लिया जाय तो स्वास्थ्य विभाग से कम लूट पिछले पांच सालों में नहीं हुई है। एक आवाज आई थी पीछे से उस आवाज को नहीं उठना चाहिए क्योंकि नियमों के तहत

वह आवाज नहीं थी संविदा पर रखे हुए कर्मचारियों से मैं कोई तथ्य से परे बात नहीं कह रहा हूं जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरे नगर निगम में नौजवानों की एक फौज लगी हुई थी कोई काम नहीं था बड़ा नुकसान हुआ संविदा के नाम पर तनख्वाहें गई कमजोर नगर निगम और कमजोर हुआ कमजोर नगरपालिका और कमजोर हुई उनके लिए कम्प्यूटर खरीदे गये उसके खर्चे उसका पैसा सारा उसी श्रोत से लिया गया जो उन जगहों की सफाई के लिए आया था वहां की तामीर के लिए और वहां के कामों के लिए आया था। ऐसे में नगर विकास इसे अपने लिये चुनौती मानता है। बिगड़े हुए तमाम कामों को दुरुस्त करने के लिये संकल्प लेता है। इसी के साथ मान्यवर, यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हम रिवाल्विंग फण्ड के जरिये अपने नगर निकायों को जिन्दा रखते हैं। अगर रिवाल्विंग फण्ड न हो तो सच यह है कि नगर निकायों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अपने लूले लंगड़े पैरों पर भी खड़ा हो सके। उस पैसे का इस्तेमाल सही हो। उसके लिये सिर्फ सरकार नजर रखे, मंत्री नजर रखे, मात्र हमारे अधिकारी नजर रखें। मैं सदन के हर सदस्य को यह अधिकार देना अपना बुनियादी कर्तव्य समझता हूं कि अगर हमको इस बात की सूचना मिलती रहे कि कामों की कहां गुणवत्ता है कहां नहीं है तो शायद मेरें इस मिजाज को पूरे सदन ने पहचाना होगा कि विपक्ष की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत अगर वाजिब आती है तो हम अपने किसी विभागीय अधिकारी किसी कर्मचारी का पक्ष नहीं लेते और यह जानते हैं कि जहां के बारे में शिकायत आई वहां के माननीय सदस्य की जिम्मेदारी है कि वहां के काम को सही तरीके से करायें चाहे वह किसी भी राजनैतिक दल के क्यों न हों। हमें आपको स्वच्छ पानी देना है। हम आपको स्वच्छ पानी देना चाहते हैं। पानी की टंकियां बनाना चाहते हैं। जो पानी की टंकियां बनी हैं उसके बारे में मैंनें कई बार कहा है। स्वजल योजना के तहत जितनी पानी की टंकियां बनी जब उनके अन्दर पानी भरा गया तो उनकी डान्सिंग पोजीशन हो गई, वो नाचने लगीं, सुरूर में आ गई। ऐसा लगता था पानी नहीं शराब है और सुरूर में मस्त पानी की टंकियों को रक्श-ए-रोकना। शमां का रक्श-ए-शोला आतिशीन तो सबने देखा है। शमा का रक्श-ए-शोला, यानि जब शमा रौशन होती है, जलती नहीं, जब रौशन होती है, उसकी लौ हिलती है, उसको देखते तो सब हैं। शमा का रक्श-ए-शोला आतिशीन तो सबने देखा है किसी ने यह नहीं देखा परवाने पे क्या गुजरी है। मान्यवर, यह पानी की टंकियां बन तो गईं लेकिन इन पानी की टंकियों से कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा गई हुई सरकार को इसलिये नहीं हो सकता कि यह उन बस्तियों में जाते और एलानिया तौर पर यह कह दिया था उत्तर प्रदेश के मेहनतकश लोगों के लिये किसानों के लिये, गरीबों और मजदूरों के लिये कि यह हमारा वोटर ही नहीं है। जब यह हमारा वोटर ही नहीं है इसके लिये काम करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, पूरा प्रदेश प्यासा मर गया और अगर साढ़े तीन वर्ष की हमारी सरकार में पानी का इतना इंतजाम न किया गया होता तो आज जो सूखा पड़ा है उसका अंजाम यह होता कि उत्तर प्रदेश हाहाकार कर उठा होता, पुकार उठा होता, चीख उठा होता अगर पिछले साढ़े तीन साल में हमने पानी का अभूतपूर्व इंतजाम न किया होता। पिछले 5 वर्ष तक उसी इंतजामात के सहारे उत्तर प्रदेश को पानी मिला है मान्यवर, सदन के पुराने सदस्य इस बात के गवाह होंगे कि पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की जो सड़कें बनी थीं, जो इण्टर लॉकिंग का काम हुआ था वह आज भी बाकी है। वो उसकी सुन्दरता आज भी बाकी है।

आपके जमाने में जो काम हुए थे, इण्टरलॉकिंग ब्रिक्स का जो इस्तेमाल हुआ था वह कितना सब स्टैन्डर्ड था उसे भी देखा है। तमाम गवाह लोग इसी सदन में मौजूद हैं, उस सारे को नये सिरे से बनाने के लिये समय की भी जरूरत है, धन की भी जरूरत है और मान्यवर, एक संकल्प की भी जरूरत है।

एक अजीब विडम्बना है मान्यवर ओर यह शिकायत भी है हमारी और यह शिकायत जनता तक जानी भी चाहिए कि जहां इण्टरलॉकिंग का काम होता है, हम पता नहीं कहां खड़े हुए हैं कि गलियों के लिये जो इण्टरलॉकिंग लाकर रखी जाती है वह लोग उठाकर अपने घरों में ले जाते हैं। जितनी इंटर लॉकिंग सड़क बनाने के लिये काम आती है उतनी ही इंटर लॉकिंग ब्रिक की व्यवस्था और इसलिये करनी पड़ती है कि उस गली के अन्दर के तमाम मकानात जो उसके सहारे बने हैं इतनी ईंट उनके सहनों के अन्दर चली जाती है। मैं अपने शहर की मिसाल देता हूं कि जब मुझे यह शिकायत मालूम हुई कि इण्टरलॉकिंग ब्रिक काफी घरों के अन्दर चोरी हो गई है तो मैंने रिक्शे पर पुलिस से लाउड स्पीकर लगवाकर एलान करवाया कि कल तक का समय है जिनके घरों में ब्रिक्स है, वह बाहर निकाल दें अन्यथा 379 और 411 में चालान किया जायेगा और मैं उसमें कामयाब हुआ और रातों रात जैसे फरिश्ते ईंटें पहुंचा जाते हैं उसी तरह से गली में ईंटें वापस आ गये। लेकिन मैं नहीं जानता कि और लोग ऐसी सख्ती कैसे कर पायेंगे कि नहीं कर पायेंगे। बहुत से काम ऐसे हैं जो हम राजनैतिक दबाव में अपने वोट के लालच में यह जानते हुए कि हमको यह कहना चाहिए न हम कह पाते हैं न कर पाते हैं। मान्यवर, हमारे यहां एक कत्ल हुआ दिन दहाड़े एक महीने पहले। तलवार से छुरी से कोई अपराध हो सकता है कोई वजह किसी को मारने की हो सकती है। लेकिन उसे मारने के लिए हमारी नफरत का पैमाना कितना होगा और उसे मारने के बाद उसके इजहार का तरीका क्या होगा, अगर हम यह तरीका इख्तियार करें कि तलवार से कत्ल करने के बाद हम उस खून से रंगी हुई तलवार सड़क पर लाकर उसकी नुमाइश करें तो कानून इसकी इजाजत नहीं देगा और आज की सरकार इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देगी, मान्यवर, उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव हुआ जिससे पूरे जिले में यह संदेश गया कि इस तरह के जुर्म करने वालों को क्या सजा दी जा सकती है और इतना ही नहीं हुआ मान्यवर, हमने यह भी तय किया कि रात के बारह बजे तारीख बदल जाती है लिहाजा लोगों को भी बदल जाना चाहिए। नेशनल हाई-वे पर बसा हुआ रामपुर जहां कभी कर्फ्यू में होटल बन्द नहीं हुए, इमरजेन्सी में होटल बन्द नहीं हुए, रात के बारह बजकर एक मिनट पर पूरे जिले रामपुर का कोई होटल कोई दुकान खुली हुई नहीं मिल सकती है क्योंकि तारीख बदल गई है हर शख्स को अपने घर जाकर सो जाना चाहिए। हमारे यहां अपराध में भी कमी आई। इसलिए मान्यवर, हम अपने तौर पर और समाज में काम करने वाले अपने तौर पर तय करें कि हमें भी कुछ करना है तो मैं समझता हूं कि क्वालिटी मेन्टेन करने में जितना योगदान चुने हुए लोगों का हो सकता है इतना योगदान किसी का नहीं हो सकता है। (मेजें थपथपाई गईं)

हम इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस स्तर पर करप्शन हुआ है जिस स्तर पर कमीशन लिया गया है, जिस स्तर पर गलत बातों को सही कहा गया और जिन बातों को करके दिखाया गया है उन्हें मान्यवर, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कमीशन घटाने और

खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सही मैटीरियल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी की बेहतर व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं आज ही मान्यवर, मीटिंग में बात हुई है, तालाबों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। मान्यवर, सभ्यता का हिस्सा थे तालाब, हमारी ऐतिहासिक धरोहर थे तालाब, राजाओं ने, नवाबों ने, रजबाड़ों ने, जमींदारी ने अपनी जमीनों के अन्दर तालाब बनाये, उन तालाबों को पक्का किया, उनकी सीढ़ियां बनवाई, उनके खूबसूरत द्वार बनवाये, इसलिए नहीं की धार्मिक स्नान की जरूरत थी, इसलिए बनाये गये मान्यवर, पीपल का पेड़ क्यों पूजा जाता है, तुलसी को क्यों पूजा जाता है, इसलिए नहीं कि वह कोई ऐसा धार्मिक निशान है जिसके बगैर हिन्दुज्म पूरा नहीं होता है, बल्कि इसलिए पूजा जाता है कि वह अकेला पेड़ है जो दिन-रात आक्सीजन देता है उसे संभाल कर रखने की जरूरत है। मान्यवर, तुलसी की पत्ती, क्यों आखिर इतनी मुतावर्रख मानी गई है क्योंकि वह बेशुमार आमराज का इलाज है पता नहीं कितने साथियों को इस बात पर यकीन होगा मैं यहां बोल रहा हूं किसी से कहिए कि मेरे घर जाकर देखें कि मेरे घर पर कितने गमले और कितने तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं। कोई खाना ऐसा नहीं होता, कोई चाय हमारे घर ऐसी नहीं बनती जिसमें तुलसी की पत्ती न डाली जाए। मगर क्या हुआ मान्यवर, खजूर का पेड़ मुसलमान हो गया। खजूर इस्लामी हो गई। जैतून मुसलमान हो गया, जैतून का फल मुसलमान हो गया, उसी के विपरीत पीपल हिन्दू हो गया और तुलसी हिन्दू हो गई लेकिन बदला है, बहुत कुछ बदला है। आज खजूर का इस्तेमाल शहद का इस्तेमाल, जैतून का इस्तेमाल जितना पढ़े-लिखे खानदानों में होता है शायद उतना मुसलमानों में भी नहीं होता है तो बहुत कुछ हमारी शिक्षा के साथ बदला है बदलेगा। पानी के प्रिजरवेशन के लिए और आने वाले इंसान को बचाने के लिए जहां पानी की टंकियों की जरूरत है। वही कुंओं की भी जरूरत है, तालाबों की जरूरत है, मान्यवर, शहरों में तालाब और झीलें हैं। उन सब पर कब्जे हो गये। उन सब पर हमारे माननीयों ने बिल्डर्स को देकर भव्य इमारतें बनवा दी है। क्या हो उन तालाबों का, इस पर भी विचार होना है। मैं तो देहातों के बारे में भी कहना चाहता हूं कल मैं बुन्देलखण्ड में था वहां कितनी बुरी हालत हो सकती थी पानी की, मैं फिर कह रहा हूं उन साढ़े तीन बरस में अगर बुन्देलखण्ड में पानी की व्यवस्था उस समय न की गई होती, मा0 सदस्य बैठे हैं हमारे हालांकि बड़ा हल्कापन है, फिर यह कहना, मैं आपकी मिसाल देता हूं और मैंने कल ही झांसी में आपके इलाके की मिसाल दी है कि अगर हम वहां पत्थरों को तोड़कर पानी निकाल सकते हैं तो बुन्देलखण्ड के पत्थरों को भी तोड़कर पानी निकालने का एक ऐसा चैलेन्ज है, हमारे लिए मान्यवर, इन पांच वर्षों में नहीं, हम 1-2 बरस के अन्दर और मैं कल तय करके आया हूं कि पूरे बुन्देलखण्ड की मीटिंग बुलायेंगे, अपने तमाम अधिकारियों को ले जायेंगे, अपने सीनियर मिनिस्टर्स को लेकर जायेंगे और बुन्देलखण्ड की पानी की समस्या को जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं, उतनी जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। मान्यवर, वहां ऐसे-ऐसे ऐतिहासिक शानदार तालाब है जो हवा के साथ उड़ने वाली मिट्टी से पट गये हैं। जहां तालाब के अन्दर स्रोत निकलते हैं, उन स्रोतों पर मिट्टी आ गई है और वह तालाब सूख जाते हैं। बरसात आती है, तालाब भर जाते हैं, बरसात चली जाती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अगर उसकी मिट्टी साफ कर ली जाए, उसके स्रोत खोल दिये जायें और बरसात के पानी को रखा जाए तो मान्यवर, बुन्देलखण्ड के तालाबों में

इतना पानी होगा, शहरी तालाबों में कि हमारे लिये पानी की कमी नहीं आयेगी। एक वसीर बद्र का शेर है -

आंखें आंसू भरी, पलकें बोझल घनी, जैसे झीलें भी हों, नर्म साये भी हों।
वह तो कहिए, उन्हें कुछ हंसी आ गयी, बच गए आज हम, डूबते-डूबते।

मान्यवर, अगर वह नहर न होती, जिससे हम ट्रीटमेन्ट करके पानी देते हैं, बुन्देलखण्ड को तो पता नहीं बुन्देलखण्ड का क्या हश्र हुआ होता ? बुन्देलखण्ड प्यास और पानी की किस कगार पर खड़ा होता ? मान्यवर, वहां के तालाबों को एक बार फिर जिन्दा करने के लिये उन्हें तालाब की शक्ल देने के लिये हम बहुत जल्द व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस तरह हम पानी की समस्या को 5 साल से बहुत पहले पूरे प्रदेश में हल करने के लिये वचनबद्ध है। मान्यवर, हमारे पास सूडा से भी धन आता है और यह मलिन बस्तियों के लिए होता है, गरीबों के लिए होता है। इसके तहत हम खड़न्जे लगाते हैं, नालियां बनाते हैं और गरीबों के लिए मकान भी बनाते हैं। एक योजना थी, मान्यवर, कांशीराम जी योजना, उस योजना को बन्द नहीं किया गया है जो मकानात बन रहे थे वह जारी हैं, न तो उन मकानात को और न उन मकानात की तादात को और न ही उसके मानक को, फर्क इतना ही कि गत सरकार में जिन खाते-पीते लोगों को वह मकानात मिले थे, उनकी बस आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि डेग का एक चावल निकाल लीजिए, पूरे डेग का अन्दाजा हो जायेगा कि डेग पक गयी है या नहीं पक गयी है। मान्यवर, मेरे शहर में तो आलम यह था कि दो बड़े अच्छे परिवार की महिलाएं मोटर में आती थी और मान्यवर, कांशीराम जी कालोनी में वह मोटर खड़ी होती थी और वह उनसे किराया वसूलती थी, रसीदें देती थी और चली जाती थी। दोनों पर मुकदमा कायम किया हुआ है। एक-एक कालोनी में तकरीबन 50-50, 55-55 मकानात वह है जो ऐसे लोगों को मिले हुए हैं, जिनकी कोठियां बनी हुई हैं, ऐसे लोगों के नाम वह मकानात एलाट हैं। मान्यवर, वह मकानात खाली कराये जायेंगे। मान्यवर, वह मकान खाली हो रहे हैं और इसमें हमने सिर्फ मकान देने वाले पर ही मुकदमा कायम नहीं कराया है बल्कि वह जो किरायेदार की हैसियत उन मकानों में रहते हैं, 500, 800, 1000 रुपया किराया देते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम कराया हुआ है। यह अलग बात है कि दोनों भागे हुए हैं, अभी आसानी से हाथ नहीं आयेंगे और हाथ नहीं आये हैं। मान्यवर, बहुत सी परेशानियां हैं, अभी जो हमारा सरकारी तंत्र है, वह बहुत सी बातें मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सत्र चल रहा है और बहुत सी बातों को मनवाने का मौका भी नहीं है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो किसी न किसी ढंग से सदन में लायी जाती हैं, उसका सरकार जवाब देना नहीं चाहती, वह सख्त जवाब देना नहीं चाहती, जिस सख्त जवाब के लायक वह लोग होते हैं। मान्यवर, पूरे रामपुर में 3 करोड़ रुपये के शौचालय बनाये गये, 300 रुपये के शौचालय मौजूद नहीं हैं और यह शौचालय बनाने में बड़े-बड़े अधिकारियों ने पैसा खाया। धरातल पर है ही नहीं, मैं एक जिले की बात कर रहा हूं, पूरा उत्तर प्रदेश कहां गर्क हुआ है और कितना बड़ा घोटाला हुआ है, आप इसको अन्दाजा लगा सकते हैं। मात्र रामपुर में 3 करोड़ रुपये के बने हुए शौचालयों ने 300 रुपये के शौचालय धरातल पर मौजूद नहीं है और इंतहां यह है कि एक गजटेड अफसर की पत्नी के नाम से संस्था है और सर्विस रूल्स के अगेन्स्ड कोई अधिकारी न अपनी

और न अपनी पत्नी के नाम से बनी हुयी संस्था से कोई सरकारी धन लेकर काम नहीं करा सकता। लेकिन कानून था ही कहीं। कानून के मानने वाले लोग कानून का किस तरह से मजाक उड़ा रहे थे। सिर्फ एक जगह लोग पकड़े गये हैं सबके वारंट हैं। हाईकोर्ट में उन्होंने स्टे हासिल करना चाहा, स्टे नहीं मिला। लेकिन विडम्बना यह है कि अभी हम इन तीन महीनों में उन लोगों को गिरफ्तार कराने में कामयाब नहीं हो सके हैं। सदन के उठने के बाद सख्ती करेंगे। पुलिस कहती है कि सबूत जमा कर लें। शौचालय मौजूद नहीं है पूरा पैसा चला गया वसूल करने वाले ने वसूल लिया है और पुलिस की तरफ से जवाब आता है कि अभी हम सबूत जमा कर रहे हैं। मान्यवर, ऐसे अधिकारियों और ऐसे लोगों को जिन्होंने इतनी बेदर्दी से उस गरीब आदमी का शौचालय जिसके पास कोई ख्वाब था ही नहीं। मान्यवर, बड़ी भावुकता की बात है एहसास करने की बात है। हमारे साथी श्री अम्बिका चौधरी जी ने इस सफेद कपड़े वालों के बारे में बताया। नेता सदन से कहा कि एक परम्परा है कि इनको कुछ इनाम के तौर पर दिया जाता है। आपने 4000 रुपये दिया था। उससे पहले हमारी पिछली सरकार ने दिया था। कुछ न कुछ बढ़ा दिया जाता है। महंगाई बढ़ गयी है। जो रकम तय की गयी थी वह रकम इन्हें नहीं मालूम थी। अभी एक साथी ने आकर जब एक कागज माननीय सदन को दिया तो मान्यवर, अब मेरे जैसे आदमी के लिए वह बहुत भावुक क्षण थे। जब उस मांगने वाले ने उतना ही मांगा था जितना आपने तय किया था। मैंने नेता सदन से कहा कि यह समाज का वह हिस्सा है जिनके मांगने की ख्वाहिशात भी बहुत सीमित है। इन्होंने वह नहीं मांगा जो आपने दिया था इन्होंने तो खुद उतना मांगा है जो आपने तय किया था। मान्यवर, एक ऐसा कमजोर आदमी जिसके पास शौचालय नहीं था उसके पास मकान नहीं था जिसकी जवान बेटी नंगी होकर पूरे जमाने और खुले आसमान के नीचे बैठती है। उसके लिए बने हुए शौचालयों के साथ ऐसी नाइंसाफी करने वाली सरकार के साथ क्या सजा होनी चाहिए। मान्यवर, कुछ नहीं सोचा गया। जवान बेटियों की नंगी टांगों को नहीं सोचा गया। बहन और मां बैठी हुयी हैं उसके लिए नहीं सोचा गया। बूढ़ा बाप बैठा हुआ है उसके बारे में नहीं सोचा गया। गरीब का सब लूट लिया गरीब के नाम पर और गरीब को कुछ नसीब नहीं हुआ। मान्यवर, यह मामूली सवाल नहीं है और इन गुनाहों की मामूली सजा भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई की लूट चाहे शौचालय के नाम पर हुयी हो, सड़कों के नाम पर हुयी हो, पानी के नाम पर हुयी हो, इसके लिए दोषी बड़े से बड़े अधिकारी के लिए भी कम से कम इस सरकार में किसी रहम के लिए कोई दरवाजा नहीं है। सूडा और नगर विकास दोनों ने दो संकल्प लिये हैं और हम उसके लिए कोशिश में लगे हैं कि फुटपाथ पर सोने वाले लोग जिनके पास मकान नहीं है जिनके पास मकान का सपना भी नहीं है जिनके लिए मैं कहता हूं कि जहां तक हमारी मोटरें दौड़ती हैं वहां शहरों में दाखिल होने से पहले वहां उन बदनसीबों की झोपड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। हजरतगंज लखनऊ का दिल यहां के फुटपाथों पर भी आप देखते हैं कि लोग पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। हमारे बीच एक ऐसा समाज भी है जिन्हें हम कंजड़ के नाम से जानते हैं। यह शब्द हालांकि आज के जमाने में बहुत असभ्य शब्द है। इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए लेकिन वह शब्द उनकी पहचान है। वह पत्थर के ऐसे औजार बनाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी के लिए लाजमी है,

उनकी बैलगाड़ियां खूबसूरत होती हैं। उनके छप्पर खूबसूरत होते हैं, उनकी छोलदारियां खूबसूरत होती हैं। उनकी महिलाओं के कपड़ों के अन्दर शीशे के चमकीले टुकड़े लगे होते हैं। लेकिन क्या मान्यवर, उनके जीवन वैसे ही होते हैं। हमने खुद सुना है, रईस लोगों को ठण्डी मोटरों में बैठ कर जाने वालों को, कितनी अच्छी जिन्दगी है इनकी हमारे साथ बैठे हुए लोगों ने अक्सर कहा, उनकी सजी हुई बच्चियों को देखकर उनके खूबसूरत कपड़ों के मकानात को देखकर कितनी अच्छी जिन्दगी है, कितने बे-फिक्र हैं यह लोग, जवाबन मैंने उनसे कहा है गाड़ी रोक लो, अपनी गाड़ी इनको दे दो, इनकी बैलगाड़ी तुम ले लो, अपनी कोठी में इन्हें भेज दो और इनकी फुटपाथ पर तुम चले आओ, तो कहते हैं यह मतलब थोड़े हैं कहने का हमारा। हम सोंचते क्या हैं, हम करते क्या हैं, जब तक यह विरोध खत्म नहीं होगा, उस कमजोर आदमी का दर्द हमारे दिल में नहीं उतर सकेगा मान्यवर, लेकिन इस सरकार ने एक पहल की है इसकी कि फुटपाथ के सहारे रहने वाले लोगों के लिए कोई बड़ी स्कीम लायेंगे, इस वक्त तो हमारे पास बहुत बड़ी रकम नहीं है। सौ करोड़ की शुरूआत हम एक आसरा के नाम से शुरू कर रहे हैं कि बे-आसरा लोगों को एक आसरा छत का दिया जा सके। एक कमजोर आसरा दिया जा सके। हम इस धन को बढ़ायेंगे मान्यवर, सौ करोड़ से हमने इसकी शुरूआत की है, लेकिन यह धन बढ़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि इन पांच वर्षों में जब हम अपनी सवारी और गाड़ियों से शहरों से निकले, हम बाजारों से निकले तो हमें कम से कम फुटपाथ पर बसे हुए उन लोगों को अब न देखना पड़े और उनके पास भी एक छोटी सी छत हो, जिसके अन्दर उनका बच्चा पैदा हो, जिसके अन्दर उसके बुजुर्ग की मौत हो सके, एक ऐसा आसरा देने की कोशिश करेंगे।

मान्यवर, एक और बहुत जज्बाती स्कीम की शुरूआत की है रिक्शा वालों को जो इन्सान होते हुए भी अपने आपको जानवर की तरह महसूस करते हैं। मैंने कल एक बड़ी अजीब बात देखी झांसी में जब मैंने पूछा अधिकारियों से कि यहां रिक्शा वाले कितने हैं क्योंकि जहां जाता हूं, यह अन्दाजा लगाता हूं कि कितनी रिक्शायें देनी हैं, मालूम हुआ कि वहां कोई रिक्शा वाला नहीं है। मुझे बड़ी हैरत लगी कि झांसी बड़ा एडवांस हो गया, झांसी में कोई रिक्शा नहीं है, मालूम हुआ कि रिक्शा होती, लेकिन चूंकि रिक्शा चल नहीं सकती, इतना ऊंचा-नीचा है, वह मजबूरी है झांसी की, वहां का एडवांसमेण्ट नहीं है मान्यवर, लेकिन लखनऊ, शाहजहांपुर, गोण्डा, बस्ती, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर, रामपुर यहां तो सब रिक्शा चलती है मान्यवर और हम चाहते हैं हर रिक्शा वाले को जो रजिस्टर्ड है जिसका लाइसेन्स है और हम इतने भावुक हैं इस मामले में, इतने संवेदनशील हैं, आपको याद होगा मान्यवर, रिक्शा वालों का लाइसेन्स, जबसे रिक्शा प्रचलित है, जब से नगरपालिका का सिस्टम है, जबसे टैक्स का सिस्टम है, रिक्शा वालों का लाइसेन्स होता था, रिक्शा वालों के लाइसेन्स की रिन्यूवल फीस होती थी, यह पहली बार हुआ कि जब हम नगर विकास मंत्री हुए हमारी सरकार थी तो रिक्शा वालों के उस दर्द को महसूस करते हुए हम रिक्शा वालों को गैर रिक्शा वाला तो नहीं बना सकते थे, लेकिन उसकी कमजोर जेब से जो बड़ी रकम निकल जाया करती थी, जो कम से कम एक दिवस के बच्चों को रोटी दे सकती थी, उस फीस को माफ किया था और उसके रिन्यूवल की फीस को भी खत्म कर दिया था। मान्यवर, एक ऐसी सरकार थी माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी जिसने चुंगी समाप्त की थी, इसलिए चुंगी समाप्त

की थी कि गरीब आदमी जब अपने शहर में आता था, अपना सामान बेचने के लिए तो उसका आधा सामान चुंगी के दरवाजे पर लूट लिया जाता था, इसलिए चुंगी समाप्त की थी, इन चीजों से सरकारी खजाने न खाली होते हैं, न भरते हैं, लेकिन सरकारें कितनी संवेदनशील हैं, इसका एहसास होता है। हमने वह सवाल छोड़े ही नहीं थे, आने वाले वक्त के लिए जो सवाल ज्वलन्त हो सकते थे, जो समाज को जला सकते थे जो समाज के दिल का दर्द बन सकते थे, उन सवालों को नहीं छोड़ा था और जो सवाल आज छूटे हुए हैं मिसाल के तौर पर यह रिक्शा का। कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, कि पांच वर्षों में हमें इसका भी अन्दाजा हो कि जब हम रिक्शे बांटना शुरू करेंगे तो उत्तर प्रदेश का हर कमजोर रिक्शा वाला यह चाहेगा कि उसे रिक्शा मिल जाय न तो इतनी जल्दी सारी रिक्शा बनना संभव है और न ही तक्सीम होना संभव है, लेकिन एक अच्छाई की शुरूआत हमारी तरफ से की जायेगी कि पैर से चलाने वाले रिक्शा वाले को एक ऐसी रिक्शा दी जाय जो बैटरी से चल सके, जो मोटर से चल सके और यहां तक सरकार ने संवेदनशीलता का सबूत दिया है कि जब कम्पनीज ने हालांकि अभी बाकायदा इसका डिमास्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ डिमास्ट्रेशन हुए हैं तो ऐसी रिक्शा भी सामने आई, जो मोटर और बैटरी से चलेगी, लेकिन अगर किसी मजबूरी से उसकी बैटरी फेल हो जाती है, उसका मोटर फेल हो जाता है तो पैरों से भी चला सकते हैं। मैं इसका सख्त विरोधी रहा मैंने कहा कि अगर पैरों से रिक्शा चलने का सिस्टम बना रह गया तो फिर वह रिक्शे वाला बैटरी के बोझ से बचने के लिए पैरों से ही रिक्शा चलायेगा ताकि बच्चों के लिए दो जून की रोटी का जुगाड़ कर सके। मैंने इसलिए कहा कि पैरों से रिक्शा चलाने का कोई प्राविधान नहीं होना चाहिए। रिक्शा तो सिर्फ ऐसा हो जो मोटर से चल सके। मान्यवर, इतनी संवेदनशीलता के साथ गरीब समाज को बुनियादी सुविधायें देने और विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए नगर विकास के रास्ते पर हम एक बड़ा इन्कलाब लाना चाहते हैं। हम आम नागरिक को नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना चाहते हैं। मान्यवर, उसमें बदलाव भी आ रहा है।

मान्यवर, अब मैं अल्पसंख्यक विभाग के बजट की बात करूंगा। मान्यवर, अल्पसंख्यक वर्ग कौन है। मान्यवर, वह कमजोर वर्ग जो 1947 में अपने मादरे वतन के लिए यहां रुक गया था। क्योंकि उसने अपने मादरे वतन को अपना वतन माना था। मान्यवर, जबकि सरहदें खुली हुई थीं जिन्हें जाना था वह चले गये और जिन्हें आना था वह आ गये। मान्यवर, बहुत से लोग यहां से पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन वह इस वतन से रिश्ते के कारण जाने में नाकाम हो गये और इन्होंने अन्तिम समय में पाकिस्तान जाने से इन्कार कर दिया क्योंकि उनके बुजुर्गों की यहां पर कबरें थी बख्तियार थे। मान्यवर, यहां जिसे हम छोटी सरकार और बड़ी सरकार कहते हैं उनके आस्ताने यहां थे। मान्यवर, यहां एक गरीब नवाज का स्थान है और जहां मेले लगते हैं अगर उस मेले में दस मुसलमान जाते हैं तो दस हजार हिन्दू भी जाते हैं। मान्यवर, जो हमारे महान लोग रहे हैं यहां उनकी आस्तानें थी कब्र थी और मजारात थे। मान्यवर, इसी तरीके से वह महान लोग दिल्ली की जामा मस्जिद छोड़ कर नहीं जा सकते थे। आगरा का ताजमहल छोड़कर नहीं जा सकते थे। कुतुबमीनार की बुलन्दियों को छोड़कर नहीं जा सकते थे वह अपनी गलियों को छोड़कर नहीं जा सकते थे। मान्यवर, ऐसे वाक्यात भी हैं जिसमें मालिक ने सारा सामान गाड़ी में

लदवा दिया पाकिस्तान जाने के लिए लेकिन उनके पालतू कुत्ते ने उनका दामन पकड़ लिया और उन्होंने भी माना कि इस कुत्ते से भी हमारे रिश्ते हैं और फिर उन्होंने पाकिस्तान जाने का ख्याल छोड़ दिया तो मान्यवर, यह रिश्ते थे जिसे इसी को वतन कहते हैं। मान्यवर, वह यहां की माटी की खुशबू से अपने को अलग नहीं कर सके हैं जो आज से साठ साल पहले पाकिस्तान चले गये। मान्यवर, अगर सरहदें खोल दी जाये इस बात का हक दिया जाये कि जो हिन्दुस्तान से गये हुए मुसलमान वापस हिन्दुस्तान आना चाहे तो आ सकते हैं तो मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि तकरीबन शत-प्रतिशत पाकिस्तान में गये लोग यहां वापस चले आयेंगे। मेजों की थपथपाहट।

इसलिए मान्यवर कि जो लोग पाकिस्तान गये थे वह आज भी मुहाजिर और मुसाफिर माने जाते हैं। पाकिस्तान उन्हें पाकिस्तानी होने का दर्जा नहीं दे सका है। उन्हें वह सम्मान व मुकाम नहीं दिया जा सका है वहां पर। मान्यवर, पाकिस्तान गये लोगों के मुकाबले हमें एक आजाद हिन्दुतानी होने के नाते पूरे राजनीतिक अख्तियार हासिल हैं यह भी सही है और यह भी सही है कि कुछ लोग आज भी नफरतों के गुलशन सजाने में कोई कसर नहीं रखते हैं। बस्तियों को जलाने में कोई कसर नहीं रखते हैं। मान्यवर, वह हिन्दुस्तान की तारीख पर कलंक सिद्ध हो रहा है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आबादी का जिसका सबसे बड़ा हिस्सा, एक बटे पांच आबादी के लिए कमीशन बिठाया गया कमीशन ने तय किया, जबकि वह सदनों के बीच में तय होना चाहिए था हमारे रिश्तों के बीच में तय होना चाहिए था जो हमारा देश का कानून है जिससे देश चलता है उसके तहत तय होना चाहिए था, लेकिन वह कमीशन बैठे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी परन्तु उन पर अमल नहीं हो सका। यह पहली सरकार है मान्यवर, देश की पहली सरकार है जिसने सच्चर कमेटी के मूल एहसास को महसूस करके उसके सिफारिशों को लागू करने की कोशिश की है। मैं उसकी लम्बी बहस में नहीं जाना चाहता लेकिन हमारे अल्पसंख्यक कल्याण के बजट को जब आप देखेंगे तो खासतौर से हमने यह कोशिश की है कि लोगों के अन्दर शिक्षा जरूर आये, तालीम जरूर आये। मैं जहां जाता हूं एक बात जरूर कहता हूं कि हमारी तमाम समस्याओं का, तमाम मसायल का हल शिक्षा है जिस दिन हमारे अन्दर तालीम आयेगी मजहब का तास्सुब, इलाकाइयत का तास्सुब, जाति का तास्सुब मान्यवर या तो यह खत्म हो जायेंगे या बहुत कम हो जायेंगे।

मान्यवर, वह बच्चा हमारा, वह बच्ची हमारी जिसने दसवां पास किया है और जिसने ग्यारवीं में दाखिला लिया है क्या उसके कोई सपने नहीं है, क्या उसकी कोई उम्मीदें नहीं हैं, क्या उसे ऐसा नहीं लगता कि जब हमारे गरीब परिवार का बच्चा-बच्ची एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर सड़क के किनारे बड़े-बड़े काफिले बनाकर जाते हैं उसी वक्त अंग्रेजी स्कूलों की बसें जाती हैं उनके बच्चे भी जाते हैं क्या उनके दिल में यह एहसास नहीं होता कि हम भी ऐसे होते। हां, यकीनन कुदरत की बनाई हुई प्रकृति में कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई मझला होगा, कोई बीमार होगा, कोई सेहतमंद होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई सुन्दर होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, उसके खजाने की क्या

जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह इंसानों की शक्लें बनाये, उसकी जिम्मेदारी है कि वह इंसानों के भविष्य के बारे में सोंचे, उसकी जिम्मेदारी है कि मां की कोख से जो बच्चा पैदा होने वाला है यह बीमार न हो, मां बीमार न हो, उसके बच्चे को पौष्टिक आहार मिले, उसके बच्चे को स्कूल में पौष्टिक आहार मिले, उसके बच्चे को नाश्ता मिले। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बच्चे को नाश्ता दो और हम राजनैतिक व्यवस्था चलाने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन यह करते हैं कि जो बच्चे को देने को कहा जाता है वह जानवर खाता है उसे जानवर के हाथ बेच दिया जाता है इसे रोकने की कोशिश की है मान्यवर। शिक्षा के मैदान में उन तमाम बच्चे और बच्चियों को एक ऐसा इन्कलाब लाये हैं, एक ऐसा इन्कलाब लाये हैं आज के मुख्य मंत्री अपनी शिक्षा की बुनियाद पर, नये जमाने की सोंच की बुनियाद पर, हमारे वह बच्चे और बच्चियां लैपटाप, टेबलेट जिनका नाम सुनते हैं, इनके जिक्र सुनते हैं कहीं अखबार में उनकी तस्वीर देख लेते हैं, उन्हें इंतजार है इस बात का कि वह कल आने वाला है जब गरीब घरों के बच्चे बच्चियों के हाथों में टेबलेट होगी और गरीब घरों के बच्चे बच्चियों के हाथों में लैपटाप होगा। हमें यह सोचकर एक आनन्द सा महसूस होता है, एक सुरूर सा महसूस होता है कि जब यह बजट पास हो जायेगा और जिन बच्चे और बच्चियों से हमने वायदे किये हैं। दसवां पास करने के बाद उनके मां-बाप पढ़ाना चाहते हैं उन्हें तो स्कूलों के दरवाजे खुले हैं उनके लिए और अगर नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो उन बच्चियों को 30 हजार रुपया देकर उनके हाथ पीले करके उनका घर बसाने का इंतजाम किया है। मान्यवर, यह खजाना इंसानों के लिए है क्योंकि इंसानों की मेहनत और उनकी गाढ़ी कमाई से यह खजाना है। इन खजानों को पत्थरों पर बरबाद करने वाले लोग इंसानी जज्बात से बहुत दूर हैं, पत्थरों से हाथी बनाने वाले लोग उत्तर प्रदेश में रहने वाले 20 करोड़ इंसानों की जरूरतों को नहीं समझ सकते। बरबाद कर दिया मान्यवर, एक ऐसा ऐतिहासिक अन्याय हुआ है जिसे तारीखें याद रखेंगी। जब शहरों की सड़कों से आप गुजरें और उन मुगलिया सल्तनत के जुल्म को भी भूल जायें, मान्यवर, खजानों से बने हुए किले और खजानों से बनी हुई ऐतिहासिक यादगारों के नाम से कुछ बादशाहों के नाम याद किये जाते हैं। मान्यवर, इतिहास को यह याद नहीं है कि कितने वर्षों में कितने सौ कितने सौ करोड़ लोगों के साथ अन्याय हुआ, कितने लोगों को रोटी नहीं मिली, कितने लोगों को पानी नहीं मिला, कितने लोगों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिली। ऐतिहासिक व्यक्ति बन सकते हैं ऐसे लोग, ऐतिहासिक महिलाएं भी हो सकती हैं लेकिन इतिहास अगर पत्थर की मूर्तियों के साथ मोहतरमा मायावती को याद रखेगा तो फिर झांसी की रानी को भी याद रखेगा और इतिहास फर्क भी बतायेगा दोनों का फर्क कि किसने किस बात के लिए जान दी थी, यह भी पता है। एक संक्षिप्त सा इतिहास इसीलिए सामने रखा है हमने कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सिर्फ मुसलमानों का विभाग नहीं है। यह अलग बात है कि जैसा मैंने कहा कि हिन्दुस्तान की 1/5 आबादी मुसलमानों की है और यह शरीर का ऐसा हिस्सा है कि अगर 1/5 हिस्सा इंसानी शरीर का बीमार हो जाए तो दुनिया का कोई डाक्टर भी यह नहीं कहेगा कि यह जिस्म सेहतमंद है। 1/5 हिस्से को बीमार करके अगर हम यह समझते हैं कि यह शरीर स्वस्थ है तो यह किसी डाक्टर की हिमाकत होगी। अगर कोई यह समझता है कि हिन्दुस्तान की 1/5 आबादी अगर नंगी, भूखी, बेसहारा, बेआसरा और अशिक्षित होगी तो हिन्दुस्तान तरक्की कर

जाएगा तो नहीं कर सकता। इसलिए 1/5 आबादी की शिक्षा का इंतजाम और उसकी खुशहाली का इंतजाम हिन्दुस्तान के साथ वफादारी और मुहब्बत होगी और जो उनकी बेहतरी का इंतजाम नहीं कर सकते मैं समझता हूं कि वह एक स्वच्छ और एक खुशहाल हिन्दुस्तान का तस्ववुर नहीं कर सकते। महसूस किया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने महसूस किया है और सिर्फ महसूस नहीं किया है मान्यवर बल्कि एक ऐसा इंकलाब लाकर प्रदेश के दरवाजे पर खड़ा किया है जिसकी मिसाल यह है कि हमने जो बढ़ोत्तरी की है। मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा मान्यवर, वह तो हमारे मा0 सदस्य बात करेंगे बहस करेंगे तो सारे आंकड़े हमारे सामने आयेंगे और हम देंगे उसका उत्तर लेकिन जो फर्क आया है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, विपक्ष वाले क्या बहस करेंगे, आपने हमको इतना भावुक बना दिया है कि हम तो सोच रहे हैं कि आपको सुनते रहें, आप जो बोल रहे हैं वही अच्छा लग रहा है। क्या बोले इसके ऊपर मान्यवर, इतना भावुक बना दिया है आपने कि कटौती क्या पेश करेंगे, उसके लिए हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि क्या-क्या अच्छे शब्द बोल रहे हैं, वही बोलेंगे। अब क्या बोलें, इतना भावुक बना दिया है, आपने।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे जीवन की यही रिश्वत है आप मुझे यह रिश्वत देते रहे मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करता रहूंगा। (मेजें थपथपाई गयीं) मान्यवर, हमने 81.37 प्रतिशत की वृद्धि की है, अल्पसंख्यक कल्याण के बजट में 81.37 प्रतिशत की वृद्धि की है। हमने 11 सौ 43 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 20 सौ 74 करोड़ तक पहुंचाया है। मान्यवर, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं जिनके अपने-अपने संस्थान हैं चाहे वो बी0बी0ए0 हो, बी0सी0ए0 हो, एम0बी0ए0 हो, मेडिकल कालेज हो, इंजीनियरिंग कालेज हो अब तक का तरीका यह था कि पहले सरकारी कालेजेज को, उसके बाद मान्यता प्राप्त को और फिर ऐसे जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, अगर पैसा बचे तो उनको लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि सरकारी कालेजों के बाद मान्यता प्राप्त को भी बहुत कम पैसा मिलता था और बच्चे जो इस उम्मीद में दाखिला लेते थे कि हमें यहां से वजीफा मिल जाएगा और हम आगे पढ़ सकेंगे। मान्यवर, ऐसी जिन्दगी की सच्चाईयां हैं, मैंने एक दाखिले के सिलसिले में नेता सदन से अभी 4-6 रोज पहले कहा था किसी बड़े क्लास का दाखिला था और मैंने कहा कि उसके बाप एक छोटे से बैंक में मुलाजिम हैं और उनके चार-पांच बच्चे हैं। उनके पास कैपिटेशन फीस देने के पैसे नहीं है। नेता सदन ने मुझसे कहा कि आप मुझे नाम दीजिए दाखिला हो जायेगा। मैंने यह सूचना उस परिवार को दे दी। जानते हैं बाद में क्या जवाब आया उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता। कैपिटेशन फीस के बाद फीस भी तो देना है। मान्यवर, बड़ा दाखिला था, बहुत बड़ा दाखिला था, लेकिन एक बाप ने अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाने से मना कर दिया कि उसकी महीना फीस नहीं दे सकता। मान्यवर, उस बाप के लिए वह लम्हा कितनी तकलीफ का होगा, जब उसने इतनी बड़ी राहत से इंकार कर दिया था। अल्पसंख्यक या मुसलमान जिन्हें हम कहते हैं या पिछड़ा यह दलित कहते हैं जिन्दगी के इस दर्द से गुजर रहे हैं। मैं उन्हें अम्मा कहता हूं जिंदा है अभी। मैंने कहा अम्मा दुआ कीजिए कि मैं बादशाह हो

जाऊं। मेरी मां ने मुझसे कहा तू क्यों बादशाह होना चाहता है। मैंने कहा मेरा दिल चाहता है कि कोई दुखी न रहे। मैं बादशाह नहीं हो सकता कोई नहीं हो सकता आज के जमाने में बादशाह लेकिन बादशाह होने के पीछे हमारी जो बुनियादी सोच थी। वो यही थी कभी हम इस काबिल हो सकें, जब हम अगर हर आंसू किसी की आंख से नहीं पोंछ सकते तो कम से कम वो पहला आंसू जिससे उसकी आंख भीगी हैं उसे पोछने की कोशिश की जाये। मान्यवर, हमारी कोशिश है कि हम उस पहले आंसू को उस कमजोर आदमी की आंख से पोछने की कोशिश करें और अल्पसंख्यक कल्याण ने यह पहल की है और इतने बजट का प्रावधान पहली बार किया है कि सरकारी कालेजेज के बाद मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त के बाद वो प्राइवेट कालेजेज वो प्राइवेट स्कूल जहां गरीब बच्चे आते हैं इस ख्याल से कि उन्हें वजीफा मिलेगा। हम इस बात की काशिश करेंगे और हो सकता है कि हम एक दो साल में कामयाब हो जायें कि उन तमाम गरीब बच्चों को हम स्कालरशिप दे सकें मान्यवर जो इन स्कूल और कालेजेज में। इसी के साथ मैं वक्फ के सिलसिले में बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा क्योंकि वक्फ में कुछ बचा नहीं है। बात तो वहां कही जाये जहां कुछ हो। वक्फ से जुड़ा हुआ एक हमारी आस्थाओं का बिन्दु है, एयरपोर्ट के सामने हज हाउस। बहुत सुन्दर हज हाउस बनाया था मान्यवर, बड़ी उम्मीदों से बनाया था कि ये ऐसा ही सुन्दर रहेगा लेकिन हज हाउस बनाने के एक साल बाद हमारी सरकार चली गयी और पांच बरस के लिये वो सरकार आयी और मैं पूरे सदन को इस बात की दावत देता हूं कि उन्हें जाकर उस सुन्दर हज हाउस को देखना चाहिये कि पांच सालों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उसका क्या हस्र किया, उसे किस बेदर्दी से बरबाद किया है। लगता है जैसे उसकी इमारत पर घोड़े दौड़ाये गये हों। मान्यवर, जहां बसें खड़ी करने का इंतजाम था वहां छतें डाली गयीं और जब पाढ़ खोली गयी उसकी तो न सरिया था न सीमेन्ट था छतें गिर गयीं और मजदूर उसमें दब तक मर गये। आज उस हज हाउस का हस्र जाकर देखिये कि बद्दुआयें देते हैं हाजी। पिछले तीन चार सालों में हज हाउस को जाने वाले हाजी सिवाय बद्दुआओं के इस पिछली सरकार को और कुछ नहीं देते। कितना परेशान हुये वो लोग इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब दिन रात काम चल रहा है मान्यवर। रात भी मैं लौटा हूं तो पहले वहां रुका मैं। दिन रात चौबीस घण्टे काम चल रहा है। क्योंकि समय बहुत कम है। हज का मौका आने वाला है, हाजी साहेबान को जाना है। मान्यवर, इस हज हाउस को जिसे हमने बड़े अरमानों से बनाया था। जहां हम एक ग्रेनाइट की चट्टान लेकर आये थे एक नया कीर्तिमान बनाने के लिये उस ग्रेनाइट की चट्टान पर भी इनैमेल पेण्ट कर दिया गया। ये मालूम ही नहीं होता कि ये पत्थर है के क्या है, उस पर भी इनैमेल पेण्ट कर दिया, उसे भी हम ठीक कर रहे हैं। मान्यवर, ऐसे लोग हज के वजीर थे जो रमजान शरीफ में रमजान के महीने में हमारा तर्जुबा है मान्यवर कि हमने आज तक किसी हिन्दू भाई को नहीं देखा कि हमारी मौजूदगी में उन्होंने सिगरेट पी हो। हमने एक भी हिन्दू साथी ऐसा नहीं देखा कि जिसके यहां हम गये हों और रमजान में उसने ये न कहा हो कि माफ कीजियेगा आजम भाई आज आपका रोजा है इसलिये चाय न पिलाई हो। एक भी हिन्दू भाई को हमने ऐसा नहीं देखा जिसने रमजान के जमाने में हमसे नाश्ते की मांग की हो या किसी सार्वजनिक महफिल में बैठे हों तो उठाकर बिस्किुट या फल खाया हो। लेकिन ऐसे बेशर्म, ऐसे बेहया, इस्लाम पर

कलंक वजीर रहे हैं जो रमजान शरीफ के महीने में काजुओं के फन्के खाया करते थे और मजाक उड़ाया करते थे उन लोगों का जो रोजा रखते थे और ये नसीम-ए-दीन थे, ये नसीम-ए-दीन थे मान्यवर, ऐसे लोग। मान्यवर, उस हज हाउस को, उस हज हाउस को मान्यवर, हमारी तो समझ में नहीं आता, नेता जी से मैंने कहा था एक दिन कि मैं दो पीढ़ियों के बीच एक पुल का काम कर रहा हूं। मुलायम सिंह यादव जी से लेकर अखिलेश यादव तक। मैं उनके बहुत ही वफादार और भरोसेमन्द साथियों में से हूं। ऐसे लोगों को कमाई का हिस्सा भी तो बनाया जा सकता है कि जब मुझ पर इतना एत्माद करते हैं, मगर मुझसे नेता जी ने कभी नहीं कहा कि तुम एक्साइज के वजीर हो जाओ यानि शराब के वजीर आ जाओ वह जानते थे कि यह मुसलमान है मुलायम सिंह यादव जी तो जानते थे कि आजम खां मुसलमान है, मगर मायावती जी, नसीमुद्दीन को नहीं पहचान सकीं कि यह मुसलमान हैं।

मान्यवर, लखनऊ का हज हाउस बहुत जल्द तैयार हो जायेगा। गाजियाबाद का हज हाउस अगले साल से फंक्शनल हो जायेगा, बनारस के हज हाउस के लिये जमीन पंसद करने जाने वाले हैं, वहां की तामीर शुरू हो जायेगी। वक्फ की जायदादों के सिलसिले में आपसे सिर्फ दो मिनट इसलिये लेना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बेशुमार वक्फ की जायदादें थीं, जो बरबाद कर दी गयीं। बड़ी बेदर्दी से उन्हें लूटा गया और इस तरह लूटा गया कि एक जायदाद का नाम है कर्बला, एक जायदाद का नाम है वक्फ हुसैनी सराय, जायदाद का नाम है कब्रिस्तान। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का दिल लखनऊ, इल्जाम है शिया वक्फ बोर्ड पर कि यहां कब्रें बेची जाती हैं, इल्जाम है वक्फ बोर्ड पर, कि वक्फ बोर्ड वक्फ की जमीनों को बेचकर अपने लिये सैर और तफरीह का इंतजाम करता है। बेपनाह कीमती जमीनें कोड़ियों के दाम बेच दी गयी, बिल्डरों के हाथ। मान्यवर, वक्फ और इस्लाम का कानून यह है कि जो जायदाद नीयत कर ली गयी, डीड नहीं, अगर एक बार यह नीयत कर ली गयी कि मेरा मकान वक्फ हो गया तो उसका मालिक अल्लाह होगा और फिर दुनिया वाला उस जायदाद को खरीद नहीं सकता, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की तकरीबन 90 प्रतिशत जायदादें शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बेच दी है, बिल्डर्स के हाथ। है कहां मान्यवर कुछ ? कर्बला बेच दी गयी, हुसैनी सराय बेच दी गयी, कब्रिस्तान बेच दिये गये और इन्तहा यह है मान्यवर कि लखनऊ में मुसलमान को दफन करने के लिये जो जमीन दी जाती है उसका भी पैसा लिया जाता है। यह है वक्फ बोर्डों का हाल। इसलिये चाहते हैं कि वक्फ बोर्डों का निजाम बेहतर हो, एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जैसा मैंने जिक्र किया था कि वह तमाम जायदादें जो गुजरे 5 साल में और वह साढ़े 3 बरस, जिसमें हमारी ही समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें भी कुछ काम ऐसे हुए थे जो नहीं होना चाहिये थे जो बाद में हमारी जानकारी में आये हैं, इन साढ़े 8 बरस में वक्फ की जायदादें जो लूटी गयी हैं मान्यवर और जो बिल्डर्स के हाथों बेची गयी है, हम ऐसे कानून पर काम कर रहे हैं मान्यवर, कि वह तमाम जायदादें जो बिल्डर्स और भू-माफियाओं के नाम वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों से साज-बाज करके उन जायदादों को खरीद लिया है, उस कानून के जरिये उन जायदादों को उस वक्फ पर फिर वापस लाया जा सके और सिर्फ इतना ही नहीं मान्यवर कि उन जायदादों को वापस लाया जा

सके बल्कि उन जायदादों पर जो तामीर हो गयी है वह भी उस वक्फ का हिस्सा हो जायेगी, यह बिल्डर्स के गुनाहों की सजा होगी, उन्हें उसके लिये कोई पैसा नहीं दिया जायेगा।

मान्यवर, इसी के साथ मैं तमाम माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और उन्हें यह बतलाना चाहूंगा कि हमारी कोशिश है कि हम मिनी आई0टी0आई0 कायम करेंगे, अरबी-फारसी मदरसों के शिक्षकों का वेतन जो है वह हमने बढ़ाया है और तमाम पैसा देने जा रहे हैं मान्यवर, आखिरी सूचना आपको यह दे दूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष यह जरूरी नहीं है कि कौन कब सत्ता में रहेगा और कौन कब सत्ता में आ जायेगा लेकिन आपके कार्यकाल में अरबी मदरसों के साथ मुसलमानों के साथ हमारे उन स्कूलों के साथ जो साक्षरता अभियान की बुनियादी रूह है, उनके साथ यह नाइंसाफी हुयी है कि 5 बरस में एक पत्रावली अगर किसी एक मदरसे की आई है तो वह पत्रावली 5 साल तक क्लेरिकल सीटों पर घूमती रही है और पैसा उस मदरसे को नहीं दिया गया है। 90 करोड़ रुपया भारत सरकार से आया और 4 बरस तक उस 90 करोड़ की पत्रावली पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि अगर वह पैसा खर्च हो जाता, मदरसों मे उसकी इमारतें बन जाती तो दूसरी किश्त आती, हो सकता है कि वह 200 करोड़ की होती। दूसरी किश्त खर्च हो जाती तो तीसरी किश्त आती, हो सकता था कि वह इससे ज्यादा होती और तीसरी खर्च होने के बाद हो सकता है, भारत सरकार से चौथी किश्त आती लेकिन आपने पहली किश्त को इसलिये इस्तेमाल नहीं किया ताकि बाद की तीन किश्तें नहीं आ सकें। यह आपने वह नाइंसाफी की है, वह जुल्म किया है, जिसकी सजा अभी आपको नहीं मिली है और मिलना बाकी है। आपने योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को जाहिल रखने की कोशिश की है। आपने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय पर सिर्फ बुल्डोजर ही नहीं चलायें हैं, 5 साल तक उसमें दाखिला न दिये जाने की पाबन्दी लगाकर आपने अल्पसंख्यक और मुसलमानों के साथ वह नाइंसाफी की है, जिसका कोई दूसरा इतिहास नहीं मिलता। इसलिये मान्यवर, अल्पसंख्यक शब्द को हिन्दुस्तान की वफादारी से जोड़ने वाला शब्द माना जाना चाहिये। हिन्दुस्तान की बुनियाद की ईंट मानना चाहिये और अब्दुल कलाम से लेकर अबुल कलाम तक और अबुल कलाम से लेकर अब्दुल कलाम तक हिन्दुस्तान का यह एक ऐसा उत्तर प्रदेश का बजट है जो इतिहास में एक नया कीर्तिमान तैयार करेगा। इसी के साथ अपने तमाम साथियों से यह निवेदन करता हूं कि जो भी अच्छे सुझाव आयेंगे, सरकार उन्हें मानेगी।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी, मैं आपका बस आधा मिनट लूंगा। मान्यवर, मैं एक सूचना भी देना चाहूंगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम अपने विभागों को सुधारने के लिये कोई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कसर नहीं उठा रखेंगे। मैं आज सदन को 25 ऐसे अधिकारियों के निलम्बन की सूची अभी जारी करने की सूचना कर रहा हूं। जिसमें मुख्य महाप्रबन्धक (कार्यवाहक) सी0एण्ड0डी0एस0-1, इन्हें निलम्बित किया गया, महाप्रबन्धक, सी0एण्ड0डी0एस0-1, अधिशासी अभियंता, जल निगम-6, जो निलम्बित किये गये अभी। इसके अलावा सहायक अभियंता, जल निगम-5, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड0डी0एस0-5, और इनमें से किसी को न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं मिलेगा, इन पर इतने गंभीर आरोप हैं और हम इन्हें नौकरियों से बर्खास्त करने की भी कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा मुख्य लेखाधिकारी (कार्यवाहक) सी0एण्ड0डी0एस0-1, जूनियर इंजीनियर, जल निगम और सी0एण्ड0डी0एस0-5, लेखाकार, सी0एण्ड0डी0एस0-1 इस तरह 25 अधिकारी हैं, जिनको हम नौकरियों से बर्खास्त करने की भी कार्यवाही शुरू कर रहे हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मानव सभ्यता के साथ-साथ नगरों का भी विकास हुआ और प्राचीन काल से ही जहां पर मनुष्य रहते थे।

(इस समय 2 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए)

जो तमाम पुरातत्व की खुदाइयां हुई हैं, उससे प्रमाणित हुआ है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य जल, जीवन, जंगल के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहा है और उसमें भी हमारा विकास हुआ है। चाहे मिस्र की सभ्यता रही हो, या मेसोपेटामियां सभ्यता रही हो या सिन्धु सभ्यता रही हो, इसके जितने भी उत्खनन् प्राप्त हुये हैं, उसमें नगरों में किस तरह लोग रहते थे, जल निकासी की क्या व्यवस्था थी, जल की क्या व्यवस्था थी, स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत थे, यह सब उसमें प्रमाण मिलते हैं। आज अगर हम लोग यह कहें कि हमारा जो नगर विकास विभाग है, इसकी जो इस समय वर्तमान स्थिति है, संवैधानिक रूप से। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नगर विकास विभाग के सम्बन्ध में जितनी भी बातें बहुत ही दिली तौर पर, खुले तौर पर कही हैं, यह अपने आप में लोकतांत्रिक परम्परा में, स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिये बहुत जरूरी हैं और यह स्वागत के योग्य हैं। आज इसमें तमाम कमियां हैं और ये कमियां कुछ हम लोगों की इसलिए भी हैं कि हमने जो संवैधानिक शक्ति प्राप्त की है। वह संवैधानिक शक्ति अभी हम नगर विकास से जो सम्बन्धित हमारे निकाय हैं हम उनको दे नहीं पाये हैं। 1985 मे मैं इस सदन का पहली बार सदस्य हुआ था और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी और हम लोग साथ थे, एक ही पार्टी में थे। कई वर्षों से नगर निकायों के चुनाव नहीं हुए थे, उनको पंगु करके रखा गया था और 1985 में ही नगर महापलिका इलाहाबाद ने गृह कर वसूलना शुरू किया। जैसी की परम्परा है गृह कर वसूलना क्या, एक तरह से गृह कर के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा था। हमने इस सवाल को उस समय 1985 में विधान सभा में उठाया लेकिन चुनाव नहीं हुए और उसके बाद फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैंने एक जनहित याचिका दायर की थी कि चुने हुए प्रतिनिधि ही टैक्स लगा सकते हैं। उस मुकदमें में 1992 में जाकर यह निर्णय हुआ कि ये जो लोकतांत्रिक संस्थायें हैं संविधान के अन्तर्गत हैं और इनको भंग नहीं किया जा सकता। उसी के अनुसार आज ये चुनाव हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये संस्थायें भंग थीं, लोगों के अधिकार निलंबित रहते थे। उसी मुकदमें में यह भी तय हुआ कि जो नगर निकाय हैं ये

लोकतांत्रिक परम्परा के नींव हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आकार है वह पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर संसद है, फिर विधान सभा है और नीचे नगर निकाय है। इन निकायों को भंग नहीं किया जा सकता। माननीय राजीव गांधी जी नगर पंचायत और नगर निकायों को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किये। वह लगातार इसमें सक्रिय रहे और उसी के बाद 1993 में 74वां संशोधन आया। उस 74वें संशोधन के आधार पर नगर निकायों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अधिकार दिये गये। वह अधिकार दिया आर्टीकिल 243-जेडडी से कि बारहवीं अनुसूची में दिये हुए जो कार्य हैं वह नगर निकाय करेगी। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी था नगरीय योजना, जिसके अन्तर्गत नगर योजना भी है, भू-उपयोग का विनियमन और भवनो का निर्माण है, आर्थिक और सामाजिक विकास है, सड़कें और पुल हैं, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलप्रदाय हैं। बधशालाओं, जल शोधन का विनियमन है, कुल 18 बिंदु थे जो नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में थे। अगर ये अधिकार उनको मिल जाए तो आज नगर निकाय को किसी के बैशाखी की जरूरत नहीं है। वह खुद अपनी अर्थ-व्यवस्था पर खड़ा हो सकता है और खड़े होकर जो हम लोग सारी कमियां करते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, इसको हम किस तरह चलायें, ये कमियां दूर हो सकती हैं। लेकिन इसमें भी जैसाकि हम जानते हैं संविधान के आटिकल 243 जेड0एफ0 में कहा गया हैं कि इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त नगर पालिकाओं से सम्बन्धित किसी विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान मण्डल दल द्वारा या अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा। इसके अनुसार एक वर्ष के अन्दर प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल दल को बारहवीं अनुसूची के अनुसार कर्तव्यों के बंटवारे के लिए कानून बनाना चाहिए था। 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इन्होंने जिला योजना समिति और महानगर समिति के गठन के लिए 29 जुलाई, 1999 को एक कानून बनाया, अधिनियम बनाया उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 इस अधिनियम की धारा 1-2 के अनुसार यह 19 मई 1999 से प्रवृत्त माना गया। मान्यवर, यह आज भी ठण्डे बस्ते में है। जिला योजना समिति को अधिकार नहीं है महानगर समिति जो महानगर योजना समिति बननी चाहिए थी वह बनी नहीं यही कारण है कि आज हम लोग दूसरों का राह देखते हैं। अगर यह अधिकार दे दिए गए होते तो आज तमाम ऐसी संस्थाएं और ऐसे अधिनियम पंगु हो जाते जंग लग जाती। उत्तर प्रदेश शहरी विकास अधिनियम जिसमें अभी आवास विभाग का बजट आया था हम इसको देख रहे थे कि हमारे जो 13 नगर निगम हैं और वहां पर स्थित विकास प्राधिकरण उन विकास प्राधिकरणों में केवल मानचित्र पास करने और शमन शुल्क लेने से 388.17 करोड़ रुपए की आय होगी। अभी जो आवास विभाग का बजट आया उसमें अगर यह अधिकार नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को मिल जाता तो यह पैसा उनके पास होता और आज नगर निगम को अपने सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए, मलिन बस्तियो में खड़ंजा बिछाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता या भारत सरकार की ओर राज्य सरकार की ओर देखना नहीं पड़ता।

इसलिए कि जो एक तरह से कहा जाय कि भारतीय संविधान के अन्दर एक तरह से जो लोकतांत्रिक की जो नींव व्यवस्था है उसको पोलिटकली पैरालाइज कर दिया गया है। राजनैतिक रूप से इसको लकवा मार दिया गया है। जिससे यह संस्थाएं पंगु हो गई हैं। यही कारण है कि हमारी जो लोकतंत्र की आधार शिला है वह कमजोर हो रही है उसको मजबूत करने के लिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह विशेष ध्यान दें और जो हमारे संविधान की मंशा है 74वें संशोधन की, 71वें संशोधन की उसको लागू करें जिला महानगर समिति बनें। जिला योजना समिति बनें। उनको अधिकार दिए जाएं जिससे वह काम कर सकें। यह अधिकार न होने की वजह से आज हाउस टैक्स लगाने का अधिकार नगर निगम को है लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया था वहां पर भी अधिकारी बैठे हैं वहां पर जो हमारे मेयर हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन लोगों को अधिकार नहीं है आज भी वह अधिकारियों की ओर ताकते हैं जिनसे काम लेना है। आज स्थिति यह है कि हमारे यहां इलाहाबाद में एक अधिकारी है मैंने उनके विषय में बताया भी था कि 12 बड़े-बड़े जो मल्टी स्टोरी भवन हैं उनको उन्होंने पहले अस्सिमेंट किया लाखों में बाद में घटाकर हजारों में कर दिया। लगभग जो मुख्य लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इससे 1.41 करोड़ 54 हजार रुपए की हानि हुई है। हमारे सभासद नगर पालिका ने यह संकल्प पारित किया राज्य सरकार में पड़ा है 2011 से अब मैं किसी सरकार की क्या बात कहूं यह व्यवस्था ही पूंजीवादी है जिसमें भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना फैल रहा है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह केवल इसलिए है कि हमारी जो संस्थाएं हैं उनको जो शक्ति मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है इस पर हम लोगों को पुनः ध्यान देना चाहिए। जहां तक बजट का सवाल है उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत भारी देश है। भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश दोनों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या नगरीकरण की है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.5 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 37.7 प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्र मे निवास करता है जबकि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.28 भाग नगरीय क्षेत्र मे निवास करता है। इस प्रकार जो नगर क्षेत्र हैं यह अपने आप में एक देश की तरह हैं और इसकी जो समस्याएं हैं उसके लिये सभी लोग चिन्तित हैं, लेकिन इसका निदान कैसे हो ? जैसे अभी हम लोगों को महाना जी ने इंगित किया पता नहीं किन कारणों से 2012-2013 का बजट परफारमेंस हम लोगों को नहीं मिल पाया है। लेकिन जो हम लोगों ने इकट्ठा किया है दूसरे सोर्सेज से कि हमारे यहां इस समय उत्तर प्रदेश में नगर निकाय में 2,462.667 किलोमीटर पक्की सड़क हैं। 264.066 किमी0 अर्द्धपक्की सड़क हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या अभी भी लिटरेचर नहीं पहुंचा ?

*श्री सतीश महाना-

2012-2013 कर जो बजट आज रखा है, उसका लिटरेचर नहीं पहुंचा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसीलिये हम कह रहे हैं कि लगभग इतनी होंगी। कच्ची सड़क 227.168 किमी0 हैं। इस समय मान्यवर, आप जान रहे हैं कि मंहगाई बढ़ रही है। 1 किमी0 लम्बी 7 मीटर चौड़ी तथा 20 सेंटीमीटर ऊंची सी0सी0 रोड बनाने के लिये लगभग 75 लाख 60 हजार रुपये वर्तमान शिड्यूल के हिसाब से खर्च होगा। अगर इंटर लॉकिंग के द्वारा बनायें तो 52 लाख 78 हजार रुपये प्रति किमी0 खर्च होगा। इस प्रकार से जो राशि आपने सड़क बनाने और इंटर लॉकिंग के लिये रखी हैं मलिन बस्तियों और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के लिये यह बहुत कम है इसे और होना चाहिए। 7 महनगरों में जवाहर लाल नेहरू अर्बन मिशन के अन्तर्गत सीवर का काम हो रहा है। सीवर में भी आप खुद देखते आये हैं, आप खुद संवेदनशील हैं, सारी बातों को गहराई से समझ रहे हैं कि किस तरह से उनके ठेके हुए, किस तरह से उनका निर्माण हो रहा है। हमारे इलाहाबाद क्षेत्र में लगभग 1046 किलामीटर सीवर की लाइन पड़नी है। 2012 तक थी जिसको भारत सरकार ने बढ़ाकर 2014 तक कर दिया है। यह सारी की सारी सड़कें खुदनी हैं। जहां तक हमको ज्ञात है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार और जल निगम के जो ठेकेदार हैं और जो कम्पनी है आई0डी0आर0सी0एल0 उसके बीच में जो कान्ट्रेक्ट हुआ है उसके अनुसार उन लोगों को खुदी हुई सड़कों का रि-स्टेटमेंट करना है लेकिन यह उसकी मरम्मत कर रहे हैं। रि-स्टेटमेंट का मतलब होता है पुनर्निर्माण यानि जिस तरह की सड़क थी उस तरह की बनाना। लेकिन बन नहीं पा रही हैं और हमारे पूरे इलाहाबाद शहर, कानपुर और बनारस में भी यही स्थिति है और हमेशा यहां पर सवाल उठाये जाते हैं कि वहां पर भी सड़कें खुदी हुई हैं और इतने बजट में यह सारी सड़कें ठीक नहीं हो सकतीं। इसलिये सड़क और इंटर लॉकिंग के लिये जो बजट है, वह कम है इसे और होना चाहिए था। विशेष रूप से हमारे इलाहाबाद में कुम्भ मेला होने वाला है। 200 करोड़ रुपये का इसमे व्यय अनुमानित है। यह रुपया केवल सड़कों पर व्यय नहीं होगा, बिजली में भी होगा और मेले के और जो प्रबन्ध हैं उनमें खर्च होगा। यह जो सड़कें एक बार खुद गई हैं, मेले के बाद दोबारा बन नहीं पायेंगी। इसी प्रकार सफाई कर्मचारी....

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह लिटरेचर आपको नहीं मिला ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

नहीं, यह नहीं मिला। सूडा वाला आया है। नगर निगम में मान्यवर, 33,277 सफाई कर्मी हैं, नगर महापालिका परिषद् में 30,486 सफाई कर्मचारी हैं। नगर पंचायत मे 13,868 सफाई कर्मी पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। पब्लिक हैल्थ मैनुअल 1937 के हिसाब से इनकी संख्या नगर निगम में 69,335 हुई है और नगर पंचायत मे इनकी संख्या 30,494 इनकी संख्या होनी चाहिए लेकिन इनकी कमी की वजह से सफाई नहीं हो पाती है। आज नगर निगम में वर्तमान 2001 की जनगणना के हिसाब से लगभग 35,958 सफाई कर्मियों की कमी है। नगर पालिका परिषद् में 35,904 सफाई कर्मियों की कमी है। नगर पंचायत में 16,626 सफाई कर्मियों की कमी है। इस प्रकार लगभग 88,488 सफाई कर्मियों की कमी पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकायों में है। यह बात सही है कि भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षा योजना रही है कि दस लाख की आबादी से ऊपर

शहरों में पानी की, सीवर की, सफाई की, यातायात की, ई-गर्वर्नेंस की व्यवस्था की जाए। इसमें सॉलेड बेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम रखा गया है। सॉलेड बेस मैंनेजमेंट की चर्चा हुई है कि इसकी क्या हालत है। हमारे इलाहाबाद नगर निगम में जितना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर है डम्पर, उपकरण जितने भी हैं उनको दे दिए गए हैं। 80 वार्ड में केवल 20 वार्ड मे सफाई कर्मी जाते हैं कूड़ा लेने के लिए। महाना जी ने बताया कि वह यूजर चार्ज मनमाना ले रहे हैं। जिस तरह से गन्दगी की सफाई होनी चाहिए वह न होकर लोगों की मानसिकता की सफाई हो रही है। सॉलेड बेस मैनेजमेंट शुरू होते ही अपने रास्ते से भटक गया है। सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके जो बिजली बनाने की योजना है वह न होकर, बिजली क्या बना रहा है लोगों का शोषण कर रहा है इसलिए जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, नियमित हों, संविदा पर हालांकि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी हालत बहुत खराब है। तो नियमित ही सफाई कर्मचारियो को नियुक्ति देनी चाहिए। जो आडिट रिपोर्ट आई है 2009-10 की, उसमें लखनऊ जो हमारी राजधानी है इसमें सफाई कर्मियों को ग्लब्स, वस्त्र, उपकरण जो उनको मिलने चाहिये वह उनके पास नहीं हैं। गन्दगी सॉलेड बेस मैनेजमेंट के लोग खुला ले जाते हैं जिससे चारों तरफ गिरता रहता है और बीमारी फैल रही है। यह आडिट रिपोर्ट आई है पिछली सरकार ने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया, जो इस तरह हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सुधार की जरूरत है। इसी तरह से बरसात से पहले नालों की सफाई का प्राविधान होता है करोड़ों रुपये के ठेके होते हैं। सफाई के नाम पर अप्रैल, मई मे नालों की कीचड़ निकालकर बाहर डाल देते हैं सड़कों पर। वह सूखकर फिर उसी में चली जाती है। उनको दूसरी जगह ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम लोगों ने इस पर सवाल उठाया तो यह बताया गया कि यह गीला है इसको उठाकर हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर कीचड़ गीला है तो रैक्सीन वगैरह नीचे लगाकर उसको हटाना चाहिए। तभी नालों की सफाई होगी। नालों के नाम पर धन की सफाई होती है। आज हम अतिक्रमण की ओर बहुत चिन्तित रहते हैं कि तमाम लोग पटरियो पर कब्जा करके सामान बेचते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोग, गरीब लोग अपना परिवार चला रहे हैं यहां से। भारत सरकार ने 2009 में फेरी नीति बनाई। फेरी नीति में उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी नीति बनानी थी। 2011 में पिछली सरकार ने नीति बनाई थी लेकिन आज भी नगर निगम मे बैठे हुए जो अधिकारीगण हैं। उन लोगों ने कहीं भी उन लोगों को जमीन आवंटित नहीं की। दुकान आवंटित नहीं की। एक बार मैंने प्रश्न किया था लगभग 14 हजार लोगों ने आवेदन किया है हमारे यहां। कानपुर में 16 हजार लोगों ने आवेदन किया है। बनारस में भी लगभग 11 हजार लोगों ने आवेदन किया है। उसमें से मुश्किल से हमारे यहां 259 लोगों को एलाट किया है। कानपुर और लखनऊ की स्थिति हमें नहीं मालूम है कि यहां कितना किया है। लेकिन जो नगर निगम हैं, वहां जो व्यवस्था है, वहां पर जो सभासदगण हैं, उनके पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं होता है कि वह उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें, इसलिए वह मनमाने ढंग से कर रहे हैं। मान्यवर, यह सही है कि यातायात बाधित हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके परिवार की रोजी-रोटी भी चलती है, अगर फेरी नीति को कायदे से लागू किया जाए और उनको उचित स्थान पर, जिस तरह का वह काम करते हैं, उस आधार पर उनको दुकानें आवंटित की जायें ताकि उन्हें भी लगे कि हम कानूनी रूप

से वैध हैं और काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह से वह काम करते हैं, अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, वह महसूस करते हैं कि हम अवैध रूप से यह काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसी हीन भावना उनके मन से खत्म हो। जैसे हमारे बहुत से गरीब लोगों के बच्चों के अन्दर हीनभावना रहती है कि हम लैपटाप नहीं जानते हैं मोबाइल नहीं जानते हैं, उनको दिया गया है। इसी प्रकार से उन गरीब लोगों के रोजगार की व्यवस्था के लिए उस फेरी नीति को लागू करना चाहिए। विज्ञापन के भी दो पहलू हैं। इस सम्बन्ध में पिछली बार मैंने एक प्रश्न किया था कि विगत पांच वर्षों में पांच जिलों-कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर में इससे नगर निगम की कितनी आय हुई ? वह शायद हमारे यहां इलाहाबाद में 5 साल मे केवल 79 लाख रुपया विज्ञापन के रूप मे आया था और इलाहाबाद की कोई गलियां और सड़कें ऐसी नहीं थीं जो विज्ञापनों से पटी नहीं थी। लखनऊ में 3 करोड़ था, महाना जी के यहां कानपुर में 2 करोड़ था, गोरखपुर में भी सवा करोड़ था लेकिन इलाहाबाद में मात्र 79 लाख था। यह विधान सभा में उठने के बावजूद भी और कहने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई कि इलाहाबाद नगर निगम में विज्ञापन से इतनी कम आय कैसे हुई ? हम सब लोग भी विज्ञापन और होर्डिंग्स लगाते हैं, यह बात सही है कि हम अपनी प्रशंसा करते हैं, अपना प्रचार करते हैं लेकिन यह गैर कानूनी है। सार्वजनिक क्षति निवारण अधिनियम धारा-2(1) के अनुसार सार्वजनिक जमीन पर वह चाहे पटरी हो, फुटपाथ हो, बिजली के खंभे हो, इन पर जो भी विज्ञापन लगाये जाते हैं, वह अवैध हैं। इसी तरह से आईपीसी की धारा-425, 426 और 427 में है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से विज्ञापन होते रहते हैं। अब तो लखनऊ शहर ठीक लग रहा है लेकिन पिछली बार हम लोगों ने देखा था, कोई ऐसी गली, कोई एक इंच जमीन नहीं बाकी थी जहां लोगों की फोटो न लगी हों। यह सारी चीजें आज इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो हमारी संस्था है, नगर निकाय, लोकल बॉडीज, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट कहते हैं, स्वायत्तशासी संस्था, उसमें बैठे हुए लोगों के पास वह शक्ति नहीं है कि वह सीधे कोई कार्यवाही कर सकें। इन सारी चीजों को देखते हुए जेएनएनयूआरएम में भारत सरकार ने 2005 से लेकर 2012 तक पेयजल के लिए, सीवर के लिए, सॉलिड बेस मैनेजमेंट के लिए, यातायात के लिए लगभग 5 हजार करोड़ रुपया दिया है, उसमें पानी की टंकियां लग रही हैं, ट्यूबवेल लग रहे हैं लेकिन उनकी हालत वही है कि नए-नए ट्यूबवेल लगे और दो महीने के बाद पता चला कि मशीन खराब हो गई है, उनकी मोटर खराब हो गयी है और पानी नहीं मिल रहा है। इतने रुपये खर्च करने के बावजूद भी भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को जो उनके साथ 7 जिले हैं, उनको देने के बाद भी न तो ठीक से पानी मिल रहा है, सीवर का काम प्रॉसेस में है। इसे 2012 तक पूरा होना चाहिए था, इस सम्बन्ध में हमारा आज ही एक प्रश्न था उससे पता चला है कि अभी 30 परसेण्ट काम ही हुए हैं, 70 प्रतिशत काम अभी नहीं हुए हैं, जबकि 30 दिसम्बर, 2012 तक सीवर का काम पूरा होना है, जिसमें एसटीपी सीवर की लाइन, मेन लाइन, इन सारे को जोड़कर शुरू करना था। क्योंकि जनवरी, 2013 में कुम्भ लगने वाला है। लेकिन अभी भी वह काम अधूरा है सिर्फ 30 प्रतिशत काम हुआ है और जो भी काम हो रहा है वह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक जनहित याचिका मा0 उच्च न्यायालय में दायर कर रखी है। जो

उसकी लगातार मॉनीटरिंग कर रही है। जब भारत सरकार भी नागरिक सुविधाओं की अवस्थापना के लिए पैसा दे रही है राज्य सरकार का भी पैसा है तो उसका भी सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसको देखने की जरूरत है। हमारे जो स्थानीय निकाय, नगर निकाय हैं इनका जो मुख्य कार्य है लोगों को पानी देना, सीवर की सफाई करना, लोगों को चलने के लिए सड़क यातायात की व्यवस्था करना, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करना। इलाहाबाद नगर निगम में प्रकाश व्यवस्था के कुल 3500 प्वाइंट है। जबकि मानक के अनुसार 50 मी0 पर एक खम्भा होना चाहिए उसके हिसाब से 10000 प्वाइंट होने चाहिए। नगर निगम सदन में विचार विमर्श और संकल्प पारित करने के बावजूद भी यह योजनाएं नहीं बन पायी हैं और अंधेरा है। इन सारी चीजों को अगर वास्तव में हमको नगर विकास को एक सही स्वरूप देना है तो हमको इन सब पर ध्यान देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से फिर से सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि आपके दिल में गरीब लोगों के लिए हमदर्दी है बल्कि आपने हमेशा इस तरह के निर्णय लिये हैं कि उनकी रक्षा हो तो फेरी नीति को जरूर उत्तर प्रदेश मे लागू किया जाये जिससे पटरी में बैठे हुए जो हमारे दुकानदार हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं उनको एक वाजिब हक मिले। उनको कहने को तो हो कि हमारे पास भी लाइसेंस है। उनका पुलिस वाले शोषण भी करते हैं। केवल इसलिए कि वह पटरी पर हैं उनके पास कोई जगह नहीं है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह लाखों रुपये पगड़ी देकर दुकानें ले सकें। इसी के साथ मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जिनके नेतृत्व में नगर विकास की गति चल रही है यह आगे बढ़ेगी।

*श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अधिष्ठाता जी आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी और इस समाज में उसकी जो बिगड़ी हुई हालत है उसकी जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए चर्चा हो रही है। महोदय, अल्पसंख्यक समाज में यूं तो मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, पारसी आदि कई समुदाय के लोग आते हैं मगर देखा जाये तो उत्तर प्रदेश में इस समुदाय में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज का यह बजट मुस्लिम समुदाय का बजट है। महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले इस सदन में हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी और एक हमारे बीजेपी के जो काफी वरिष्ठ साथी हैं, उनके बीच में मुस्लिम समुदाय को लेकर चर्चा हो रही थी और महोदय मैं इन दोनों ही वरिष्ठ नेताओ की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। हमारे बीजेपी के नेता ने अपनी एक बात पर बहुत बल देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शासक रहे हैं, यह लोग राजा रहे हैं, इन लोगों ने राज किया है, यह सम्पन्न लोग हैं, लिहाजा इस समाज को किसी तरह की कोई मदद की जरूरत नहीं है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय, यह बात सही है इतिहास गवाह है कि इस देश में मुसलमानों का एक बहुत ही शानदार और गौरवशाली इतिहास रहा है, यह सभी जानते हैं, लेकिन महोदय, यह कहते हुए मेरा दिल भर आया है कि आज इस समाज की जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई कमेटियां कहती हैं। भारत सरकार ने सच्चर कमेटी का गठन किया और इस मन्शा के साथ किया कि यह जाना जा सके कि अल्प संख्यक समुदाय समाज में कहां खड़ा है, उसकी क्या स्थिति है और महोदय, यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि सच्चर कमेटी ने अपनी उस रिपोर्ट में क्या कहा। क्योंकि मैं दिल्ली मे रहता हूं, बहुत बार उस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं हुईं, मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए मुझे भी तीन-चार बार उसमें जाने का मौका मिला महोदय, इसलिए मैं उसकी रिपोर्ट से वाकिफ हूं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना समय नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आज इस देश में अगर कोई समुदाय कोई जाति सबसे पिछड़ी और बद्तर हालात में है तो वह मुस्लिम समुदाय है, इसलिए महोदय यह विडम्बना ही है कि वह कौम जो शासक रही है, जो देने वाली रही है, आज मांगने वाली बन गयी है। महोदय बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब इस कौम के पास ने दे के लिए कुछ नहीं है। यह एक लुटी हुई विरासत है, अगर कुछ बचा है तो वह है, वोट। अब सिर्फ वोट देने का काम करती है यह कौम और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, किसी तरह की कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि हमारे समुदाय के लोगों ने समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुजन समाज पार्टी या दूसरे अन्य दल हैं या कांग्रेस है या बीजेपी है उन सभी की तुलना में समाजवादी पार्टी के ऊपर आंख बन्द करके भरोसा किया और एक जुट हो करके वोट डाला जिसके परिणामस्वरूप आज समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में विराजमान है। आज अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में है तो कहीं न कहीं इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है महोदय। मगर महोदय मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट को देखा है, इसमें अल्पसंख्यक समाज कल्याण के मद में लगभग सत्रह सौ करोड़ रुपया प्रस्तावित है। महोदय, मैं यह मानता हूं यह बात सही है, अभी हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री बड़े भाई मा0 आजम खां साहब यह कह रहे थे और बहुत जोर देकर उन्होंनें कहा कि 81 प्रतिशत बजट बढ़ाया है, यह बात सही है कि 81 प्रतिशत बजट बढ़ाया है, अच्छी बात है मगर मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूं कि समय के हिसाब से और जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, मंहगाई बढ़ रही है, जब-जब जो सरकारें रही हैं उसने हमेशा कुछ न कुछ बजट बढ़ाने का ही काम किया है और अगर आपने 81 परसेण्ट बढ़ाया है तो मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो 81 परसेण्ट की बढ़ोत्तरी हुई है इस समाज की भागीदारी के हिसाब से कम है। मान्यवर, इस समाज ने जिस बढ़िया इरादे के साथ आपको यहां पर पहुंचाया है उसके हिसाब से यह 81 प्रतिशत बढ़ोत्तरी बहुत कम है और अगर हम यह कहें तो गलत न होगा कि जब बहार आयी खिजा पे तो खून हमने दिया अब आप कहते हैं कि तेरा काम क्या है। इस सरकार ने मान्यवर, मुसलमानों के हित के लिए कुछ कदम उठाये हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि सरकार ने कहा है कि वे मुसलमान परिवारों की बच्चियों को जो हाई स्कूल, इण्टर पास कर लेंगी

उनको तीस हजार रुपये की रकम आगे की पढ़ाई के लिए या शादी के इन्तजाम के लिए दी जायेगी। लेकिन यदि वे आज बी0पी0एल0 श्रेणी में नहीं हैं तो उनकी अर्हता में दिक्कतें आयेंगी। इस पर आपको सोचना होगा कि अधिक से अधिक मुस्लिम लड़कियों को यह तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल सके।

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ नेता हैं यहां पर बैठे हैं मुझे तो यहां आये हुए दो-तीन महीने का समय ही हुआ है मुझे कोई खास अनुभव नहीं है लेकिन मैं वाकिफ हूं अपनी कौम के लोगों की परेशानियों से। मान्यवर, आर्थिक रूप से ही नहीं शिक्षा की दृष्टि से भी वह सबसे पीछे हैं। यह कौम जागरूक नहीं है। जागरूक न होने के वजह से जो कानूनी अड़चनें हैं उससे उनको नुकसान होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी नियत ठीक भी है इस कौम को फायदा मिले लेकिन मेरा मानना है कि जागरूकता के अभाव में मुस्लिम समाज को न के बराबर फायदा होगा। जो इसके पात्र तो हैं मगर बी0पी0एल0 सूची में नहीं हैं इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। मान्यवर, यह जो तीस हजार देने की बात है इससे उस समुदाय की परेशानियों से कोई बहुत राहत मिलने वाली नहीं है। आपको उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा और ठीक से चैकअप करके डोज् देना होगा। मान्यवर, आज मुस्लिम जो परेशान है उसकी वजह यह भी है कि इस समुदाय में बहुत बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं। इस समुदाय के नौजवान दूसरे समुदाय की तुलना में अधिक बेरोजगार हैं। कई बार टी0वी0 के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से यह भी देखने को मिलता है कि इस समुदाय के कुछ नौजवानों पर अक्सर उंगलियां उठती हैं और उन पर विलावजह के आरोप लगते हैं। मान्यवर, इल्जाम लगा देना तो आसान है और उंगली उठा देना आसान है मगर यह बड़ा मुश्किल है कि बड़े हौसले के साथ यह कह दिया जाये कि ऐसा नहीं है। मगर मान्यवर, आज अगर कुछ नौजवान रास्ते से भटक रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। उनके बाप ने बड़ी परेशानियों के साथ उन्हें ग्रेजुएट की पढ़ाई करायी फिर पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करायी इस उम्मीद के साथ कि उसे नौकरी मिल जायेगी तो आसानी हो जायेगी लेकिन वह नौजवान आज सड़कों पर मारा-मारा फिर रहा है अगर नौकरी मिलती भी है तो दो चार हजार की मिलती है। उसकी जवान बहन इस उम्मीद के साथ भाई को देखती है कि अगर उसे नौकरी मिल जाये तो उसकी शादी हो जायेगी। बूढ़े मां बाप यह आस लगाये रहते हैं कि अगर बेटे को नौकरी मिल गयी तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जायेगी और घर की व्यवस्था ठीक हो जायेगी। मान्यवर, उस वक्त उस नौजवान के दिलों पर क्या गुजरती होगी उसका एहसास सिर्फ वही कर सकता है जो इस दौर से गुजरा है। मान्यवर, मैं मुस्लिम समाज से बिलांग करता हूं। मुझे उनके दर्द का एहसास है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सचमुच मुसलमानों के लिए गम्भीर है अगर सरकार सचमुच ईमानदारी से इस समुदाय की मदद करना चाहती है तो इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सबसे पहले उसको यह देखना होगा कोई व्यवस्था करनी होगी, कोई रिजर्वेशन बनाना होगा, हर तरह की नौकरियो में जो सरकारी भर्तियां हैं ताकि समाज की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो सके। समाजवादी पार्टी ने अपने राजनैतिक एजेन्डे में भी 18 प्रतिशत भागीदारी की बात कही है। महोदय, अगर नहीं कही तो कोई बात नहीं है। मैंने सुना है माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को टी0वी0 पर कहते हुए, मैंने खुद सुना है, हो

सकता है गलत हो, अगर गलत है तो मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूं मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूं महोदय, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि यह एक कौम की बात हो रही है यह आबकारी का बजट नहीं है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अगर सचमुच इसके लिए ईमानदार है.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने कहा कि यह आबकारी का बजट नहीं है, अच्छा लगा। एक मुसलमान ने ईमान की बात कही है मगर जिस पार्टी से आप हैं उसमें यह बजट वही शख्सवजीर रखते थे जिनके पास यह भी महकमा था, वक्फ भी था, हज भी था और आबकारी भी था।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

महोदय, मैं कहना चाहता हूं बड़े भाई से अगर किसी के पास आबकारी था या अल्पसंख्यक था या और विभाग था तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इससे इस विभाग की या इस बजट की अहमियत कम हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच में यह सरकार मुसलमानों के लिए गम्भीर है तो वह उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करे। इस बजट में है कि सरकार आईएएस और पीसीएस के लिए कोचिंग सेन्टर करवायेगी। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अदब से कहना चाहता हूं कि उनके संज्ञान में होगा पहले पीसीएस जे में एक पेपर हुआ करता था उसमें उर्दू का भी पेपर था और जिसके बल पर कुछ मुस्लिम समुदाय के सदस्य न्यायिक सेवाओं में दिखाई देते थे मगर पिछले दिनों यह खत्म हो गया। मैं उसमें नहीं जाता मुझे यह पता है कि शायद आप ही लोगों ने खत्म किया है, जो मेरे संज्ञान में है तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके इस उर्दू के पेपर को जुड़वा दें ताकि इससे हमारे नौजवानों को जो नुकसान हो रहा है उससे बचाया जा सके क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात पर बिलीव नहीं करता मैं एक नया आदमी हूं जो यहां आया हूं मेरा फर्ज है चूंकि मुस्लिम समुदाय का हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने लोगों की बात सरकार तक पहुंचा दूं। लेकिन हमारे दोस्तों को पता नहीं क्या परेशानी है कि वह इस पर ज्यादा बिलीव करते हैं कि उन्होंने यह किया हमने यह किया, उसकी बात होती रहेगी वो हम लोग हमेशा करते रहेंगे पार्टी में।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब देखिये आप सन्यासी पार्टी से आये हैं तो आप तो नहीं करेंगे लेकिन हम तो सियासत कर रहे हैं हम तो करेंगे। आप गुजरे में बैठते हैं तो आप गुजरे की बात कर रहे हैं मगर हम सियासत लोग हैं। आप गुजरे से निकलकर आइये।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। सरकार की ओर से कई बार इस सदन से आया है और अब भी बार-बार आ रहा है कि इससे पहले की जो सरकार, बहन कुमारी मायावती जी की जो सरकार थी उसने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया और जहां तक मैंने देखा है कि बीएसपी गवर्नमेन्ट में 100 मदरसों को अनुदान पर लिया गया, लखनऊ में एक

बड़ी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई इसलिए मैं यह उम्मीद करता हूं कि वह सरकार जिसने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया उसके ऊपर यह इल्जाम आयत है यह सरकार मुसलमानों की हितैषी है इसलिए मेरी ऐसी उम्मीद है कि कम से कम यह सरकार 4-500 मदरसों को अनुदान पर लेगी और 3-4 बड़े मुस्लिम विश्वविद्यालय, उर्दू फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना करा देगी क्योंकि भाई यह तो मुस्लिम हितैषी सरकार है ऐसा मेरा सोचना है। महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय का ही एक हिस्सा है बुनकर समाज। बुनकर समाज में भी ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के ही आते हैं, महोदय, चूंकि मैं जहां से जीत कर आता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आता हूं नहीं, आया हूं।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मैं जहां से जीत कर आया हूं वह बुनकर बहुल क्षेत्र है। उसी का एक हिस्सा है। महोदय, अभी जो चर्चा हो रही थी, सुबह भी चर्चा हो रही थी, इससे पहले भी चर्चा हो रही थी और बिजली की कटौती का जो प्रस्ताव हो रहा था उसमें भी चर्चा रही थी। सरकार ने यह कहा कि वह बुनकरों की समस्या को लेकर गंभीर है। बुनकरों को सुविधाएं देना चाहती है। बिजली के बिल माफ करना चाहती है, लोन माफ करना चाहती है, कुछ दो-चार बातें आई थीं, मगर महोदय, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं फिर वही कहूंगा कि अगर बीमारी का सही इलाज होना है तो बीमारी को जानना बहुत जरूरी है। आज बुनकर समाज अगर बर्बादी के कगार पर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है मान्यवर, लाइट की कटौती और उनको रॉ मैटेरियल का न मिलना। मुबारकपुर महोदय, जहां से मैं जीत कर आया हूं, वहां पर जो साड़ी बनती थी, जिसे हम बनारसी साड़ी के नाम से जानते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह नहीं आता है मान्यवर, हमारे विभाग में।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

जिसके में भी आता है, लेकिन मैं कह दे रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पढ़ी-लिखी बात करें, भई।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मुस्लिम समुदाय के लोग तो उसमें लगे हैं ना। कोई नहीं उसके बाद में आ जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जब आएगा तब ही कह दीजिएगा।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

महोदय, मैं यह अनुरोध करता हूं कि सरकार अगर बुनकरों को सचमुच राहत देना चाहती है तो यह प्राथमिकता के आधार पर यह सर्वे कराकर आइडेन्टीफाई कराए कि बुनकर

बहुल क्षेत्र कौन-कौन से हैं और उन सारे क्षेत्रों को इण्डेस्ट्रियल बेल्ट घोषित कर दे, वहां पर रॉ मैटेरियल की उपलब्धता कराये, ताकि वह समाज भुखमरी से बच सके। वरना सारी बातों को कोई फायदा नहीं लाइट तो तब माफ करेंगे, जब लाइट उनको मिले। पहले लाइट मिले तब बिल माफ होगा। महोदय कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे भाइयों को बहुत परेशानी हो रही है।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

अच्छी बात करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

चूंकि मुझे उम्मीद थी कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार के एक सीनियर मंत्री के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा चेहरा हैं। समाज के तो हैं ही लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी कौम इनकी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रही है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि वह राजनैतिक बातें छोड़कर मेरी कही हुई बातों पर संजीदगी से विचार करेंगे और मुझे यह भरोसा है कि वो इस पर कुछ सकारात्मक कदम उठायेंगे। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, निश्चित रूप से जो भाव और भावना के साथ आदरणीय नगर विकास मंत्री जी ने आज इस बजट को रखा है। मैं उसको तहे दिल से स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं किसी ज्योतिष व्योतिष पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मैंने कभी एक बार एक ज्योतिष को हाथ दिखाया तो उसने कहा की आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, आप राजनीति में कहां हैं। उसका मतलब था कि राजनीतिज्ञ का इमोशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि इमोशन से ही राजनीति का मतलब होना चाहिये क्योंकि अगर इमोशन्स नहीं हैं तो आप काम नहीं कर सकते। ऐसा मेरा मानना है और मैं भी उसी भाव के साथ अपनी बात का प्रारम्भ करता हूं। मान्यवर, आपने निश्चित रूप से उन भावनाओं को तो व्यक्त किया है जो एक सच्चे इंसान को व्यक्त करनी चाहिये। लेकिन भावनाओं के साथ-साथ कुछ वास्तविकता भी इस समाज को, विभाग को चलाने के लिये होनी चाहिये थीं जिसकी आपके बजट भाषण मे कोई विस्तृत जानकारी या छोटी सी जानकारी भी नहीं है। यहां तक कि जो साहित्य बंटना चाहिये था जो अभी आपने अपनी सीट से दिखाया था, अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, नहीं, उसमें देखिये जो परम्परा है, वो ये है कि इसी में हम 2012-13 का भी शामिल करते हैं। ये मैं आपको भेजे दे रहा हूं।

श्री सतीश महाना-

उसमें शामिल है, चलिये, हो सकता है मुझसे चूक हुई हो क्योंकि इसमें जो मैंने देखा, उस पर केवल 2011-12 का ही है, उसमें यह शामिल नहीं था। मान्यवर, शहरों की जो आवश्यता थी इस

देश, प्रदेश को चलाने के लिये जिस प्रकार से आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि जो चेहरा है उसे भी साफ होना चाहिये। मैं भी इस बात कई अवसरों पर कहता हूं कि किसान और गांव इस देश की आत्मा हैं तो शहर इस देश और प्रदेश के चेहरे के रूप में हैं। जब तक वो विकसित नहीं होंगे, जब उनका विकास नहीं होगा तब तक सम्पूर्ण समग्र विकास की कल्पना मान्यवर नहीं कर सकते और जिस समय हम सम्पूर्ण समग्र विकास की चिंता नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते क्योंकि शहरों से जो हमारा रेवेन्यू जेनरेशन होता है। चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वो इण्डस्ट्री के माध्यम से हो। चाहे वो और बहुत सारी सेवाओं के माध्यम से हो जिनके ऊपर कर सरकारें लेती हैं। अगर वहां से हम को ये रेवेन्यू जेनरेशन नहीं होगा तब तक हम उन गांवों, उन किसानों को उस सुविधा को पहुंचाने में सक्षम सिद्ध नहीं हो पायेंगे क्योंकि अगर हमारे पास वो रेवेन्यू नहीं है तो हम उसको दे नहीं पायेंगे। इसलिये शहरों का विकास भी बराबर का महत्वपूर्ण योगदान रखता है पूरे प्रदेश के विकास में। शहरी विकास विभाग सरकार के एक सबसे मजबूत मंत्री के पास है, यह हमारे लिये बहुत संतोष की बात है। मैं चाहता था कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी जब यहां होते तो मैं इस बात को कहता और शहरी विकास मंत्री जी स्वयं सक्षम हैं कई विभागों को देखने के लिये इसीलिये उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन शहरों से सम्बन्धित जो आवास विकास विभाग भी अगर नगर विकास विभाग के साथ मा0 मंत्री जी के पास हो तो काम करने में सुविधा हो। परसों आवास के ऊपर जिस समय मैंने अपनी सारी बात कही थी तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्लब्ड रहती हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ी हुयी हैं। जिस समय दोनों एक दूसरे साथ जुड़ी हों और दो अलग विभाग हों और अलग प्रकार से उनको देखा जाये तो उनमें समन्वय करने में मान्यवर कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि शहरों का जो आज स्वरूप है जो आप बढ़ रहा है तो शहरों के समग्र विकास की बात हमें करनी है इसलिए आवास विभाग और नगर विकास विभाग एक सम्मानित मंत्री के पास हो, इनके पास नहीं है तब भी मैं इनके पास मानता हूं क्योंकि डायरेक्टली, परसों जिस समय बजट रखने की बात थी तो परम आदरणीय मो0 आजम खां जी ने कहा कि ये मेरे पास नहीं है, मैं इसको नहीं रखूंगा। मुझे लगता है कि अगर वो रखते तो मेरे को ज्यादा तसल्ली होती । उन्होंने रखा वो भी सम्मानित हैं। मैं इस विवाद में भी नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर एक व्यक्ति के पास होता तो उसका हम सही तरीके से उपयोग कर सकते थे, सही तरीके से उस पर बात कर सकते थे। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरी एक सीमा है। शहरों में मान्यवर, जैसा कि अभी मा0 मंत्री जी ने कहा। मान्यवर, शहरों की कल्पना केवल ये नहीं है कि शहरों में कोई बड़े लोग रहे, शहरों मे रोजी-रोटी कमाने के लिए जो गांव से आदमी आता है वह भी शहर में रहता है जिसको छोटे से मकान और छोटी सी छत की आवश्यकता होती है कभी उसको वह भी नहीं मिलती है और वह मजबूर हो जाता है नाले और नाली के किनारे या फुटपाथ पर झोपड़ी डालकर रहने कि लिए। इसीलिए मान्यवर, जब शहरों की बात हमें करनी है तो एक छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक एक समन्वय बनाकर हर आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसको सुविधा देने की हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आज शहरों की आबादी लगभग 20 से 25 प्रतिशत के बीच में है इस बढ़ती हुई आबादी का हम अनुमान लगाते हैं कि वर्ष 2025 तक यह 40 प्रतिशत हो जायेगी। मान्यवर, जब यह आबादी 40 प्रतिशत हो जायेगी उसके लिए यह जो बजट आज पेश किया गया है उसमें बढ़ती हुई आबादी के लिए किसी भी

प्रकार की कोई योजना नहीं है। जो सरकार बजट देती हैं चाहे भारत सरकार सूडा, डूडा के माध्यम से प्रदेश को देती हो, चाहे तेरहवें वित्त आयोग के माध्यम से सरकार को सहायता देती हो, उससे अगर हम गरीबों के लिए मकान बनाकर खड़ा कर दें और उनमें किसी भी प्रकार की सुविधा न दें तो यह उसके लिए अन्याय होगा। इसके अलावा हम अपनी योजना के अन्तर्गत किस प्रकार से उनको सुविधा दे सकते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी शहरों के बारे में, सिविल कम्युनिटीज के बारे में, सफाई व्यवस्था के बारे में, जल निकासी के बारे में, सीवर के बारे में, सड़क के बारे में, स्ट्रीट लाइट के बारे में, नगर पालिकाओं के जो स्कूल चलते हैं डिग्री कॉलेज से लेकर प्राइमरी तक के बारे में, जो छोटे-छोटे हॉस्पिटल चलते हैं नगर पालिकाओं और नगर निगम के द्वारा उनके बारे में मान्यवर, विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं चाहता था कि उनके बारे में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए लेकिन समय की सीमा होने के कारण उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। आज यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित विभागों के बारे में काफी चर्चा हुआ करती है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

एक चीज जो आप लाये हैं स्ट्रीट लाइट, उसके बारे में कहना रह गया था, कोशिश कर रहे हैं एल0ई0डी0 लाइट का प्रॉविजन करने की हालांकि वह बहुत मंहगी पड़ रही है, कुम्भ मेले से उसका तजुर्बा शुरू कर रहे हैं। दूसरे जो हमारी स्ट्रीट लाइट में बहुत हैवी वॉट के बल्ब होते हैं उनमें सेंसर लगाये जाएं ताकि जैसे ही उजाला हो वह बन्द हो जाएं। यह दो कोशिशें का रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप विशेष रूप से चिन्ता कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो स्थानीय निकाय की जिम्मेदारियां हैं अगर एक-एक करके चिन्ता करने लगे तो अपने आप में वह एक-एक विभाग होगा। माननीय मंत्री जी, आप इस विभाग को पहले भी देख चुके हैं और इसके बारे में सबकुछ सोचने के लिए सक्षम हैं लेकिन फिर मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि स्थानीय निकायों के पास पैसा नहीं है वह पंगु हैं, वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाये हैं। आपने एक बात और कही कि जब बाहर वाला व्यक्ति अपना सामान लेकर शहर में आता था तो चुंगी वाला उसका आधा सामान रखवा लेता था, यह सच है और इसी को ध्यान में रखकर तत्कालीन आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी की सरकार ने 1989 में चुंगी व्यवस्था को समाप्त किया था। चुंगी समाप्त करने के बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी ने यह घोषणा की थी कि सेल्स टैक्स से जो रेवेन्यू आता है उसका 15 प्रतिशत पैसा स्थानीय निकाय को चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में देंगे, इस बात की जानकारी आपको होगी। मान्यवर, उस समय जो सेल्स टैक्स की निर्धारित दरे थीं उस पर 15 प्रतिशत टैक्स बढ़ा दिया गया था और वह 15 प्रतिशत सीधा स्थानीय निकायों को चला जाता था। उसके बाद राज्य वित्त आयोग लागू हो गया आज की तारीख में मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष में जो ट्रेड टैक्स की अनुमानित आय है जो हमारी जानकारी में है जो सरकार ने बताई है वह लगभग 60 हजार करोड़ रुपया है तो मान्यवर, उसका 15 प्रतिशत 9 हजार करोड़ रुपया होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि शहरों के हालात सुधारने के लिए जो चुंगी क्षतिपूर्ति के नाम से धनराशि दी गई थी अगर वह 15 प्रतिशत धनराशि भी दे दी जाए तो शहरों में कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। मान्यवर, उसके साथ-साथ जो अलग पैसा दिया जाता था वह भी बन्द हो गया।

आज पूरे प्रदेश को जो पैसा दिया जा रहा है वह लगभग 22 सौ करोड़ रुपया है। मान्यवर, 9 हजार करोड़ रुपये की हम बात कर रहे हैं कि उसे चुंगी क्षतिपूर्ति के नाम से दे दी जानी चाहिए थी। स्थानीय निकायों के पास इतना टैक्स और इतना रेवेन्यू है नहीं कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनके पास इतना साधन नहीं है कि वह एक सड़क पर पेच भी लगवा सकें। बहुत सारे सम्मानित सदस्य हैं जो यह कहते हैं कि अरे भाई आप तो शहर से विधायक हो आपको किस बात की चिन्ता है लेकिन जो शहरों से विधायक आते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह स्थानीय निकायों से कोई काम कराने की स्थिति में हैं अगर यह मुझसे पूछा जाए तो मेरा उत्तर है कि नहीं। अगर आप एक सड़क नगर निगम से नहीं बनवा सकते और आप एक नाली रिपेयर नहीं करा सकते, एक हैण्डपम्प खराब हो जाए तो उसके घोड़े खोल देने पड़ते हैं तब जाकर कहीं ठीक हो पाता है। ऐसी परिस्थियों में शहरों में रहने वाले लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आज हम उम्मीद की किरण लेकर आपके पास आये हैं मैंने कल भी आपसे कहा था और आज फिर कह रहे हैं कि आज हम आपके पास एक विश्वास को ले करके आये हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस विश्वास को पूरा करें। शहरों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में यहां पर चर्चा हुई और आपने कहा कि रिवाल्विंग फण्ड के माध्यम से उनको पैसा देंगे। मान्यवर, रिवाल्विंग फण्ड का एक जो जुमला है कि इसे वापस करना पड़ेगा लेकिन न आज तक कभी वापस हुआ है न आगे वापसी की कोई उम्मीद है और अगर आप वापस ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि उनको अपनी दुकान बन्द करनी पड़ेगी तब भी आप उतना पैसा नहीं ले पायेंगे, यह वास्तविकता है। रिवाल्विंग फण्ड में आपसे निवेदन है कि इसे एक दो जिलों के लिए नहीं दीजिए, अगर रिवाल्विंग फण्ड देना है तो पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों को दीजिए, जहां से बहुत बड़ा-बड़ा रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू के अनुपात के हिसाब से अगर आप रिवाल्विंग फण्ड देंगे तो उनका फायदा हो सकेगा। एक बात शहरों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में, कल मैंने इस पर चर्चा की थी और मा0 मंत्री जी ने मेरा निवेदन स्वीकार किया था कि अहमदाबाद और गुजरात के शहरों की तरह से कैसे विकास हो इसके लिए एक टीम बनाकर भेजेंगे। मान्यवर, 1.25 आप कैसे दे रहे हैं, ग्राउन्ड प्लस टू को बनाने की हम इजाजत नहीं देते बहुमंजिला बिल्डिंग आप बना नहीं सकते, बाहरी क्षेत्र के लिए हमने कोई योजना नहीं बनाई, हमने मकान की ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई कि शहरों की बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से सरकार बनाकर लोगों को दें, चाहे वह ई0डब्ल्यू0एस0 हो, एल0आई0जी0 हो, एच0आई0जी0 हो। मान्यवर, अगर खेतों में सोसाइटीज बनाकर लोग रहते हैं तो आप कहते हैं कि वह भू-माफिया हैं मान्यवर, वह भू-माफिया नहीं हैं भू-माफिया वह लोग हो सकते हैं जिन्होंने सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया है, मान्यवर, वह सोसाइटी रजिस्टर्ड होती हैं आवास विकास परिषद् उनका रजिस्ट्रेशन करता है तो मान्यवर, जब आवास विकास परिषद् उनका रजिस्ट्रेशन करता है तो क्यों करता है किन नियमों के आधार पर करता है, क्या मानक होते हैं, यह उनसे पूछना चाहिए। वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जिसको सरकार भू-माफिया कहती है उनका और विभाग के अधिकारियों का यह नैक्सेस है और इसमें फंसता कौन है, इसमें फंसता वह गरीब आदमी है जिसने सारी उम्र की कमाई लगाकर सौ डेढ़ सौ गज का मकान बनवाया। वहां पर वह रहने के लिए मजबूर है जहां पर सीवर नहीं है, जहां पर नाली नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर एक दिन बारिश हो जाती है और दो महीने तक जल निकास का कोई साधन नहीं होता, वहां पर रहने के लिए जो

मजबूर है वह भू-माफिया नहीं है। मैंने एक सुझाव के रूप में आपसे पहले भी निवेदन किया था और फिर मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोग शहरों के चारों तरफ आकर बस गये हैं। उनके लिए आप कोई न कोई आप नीति बना लें, कोई न कोई आप रेवेन्यू का साधन निकाल लें। उनके हिस्से में थोड़ी सी जिम्मेदारी डाल दें कि इतना पैसा देना पड़ेगा, उनका जब तक विकास नहीं होगा। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज शहरों की आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा उन क्षेत्रों में रह रहा है जिसको आप अविकसित क्षेत्र या अन्थरॉइज्ड एरिया कहते हैं। कानपुर जैसा शहर जिसकी 50 लाख की आबादी है और 25 लाख लोग इन स्थानों पर रहने के लिये विवश हैं तो उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आप ठीक कर सकते हो, मैं इस बात को नहीं मानता कि आप ठीक नहीं कर सकते। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात बिन्दुवार रख रहा हूं। माननीय मंत्री जी, यहां पर अभी आपने कुछ अधिकारियों के निलंबन की बात की। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैंने यहां पर नियम-51 में एक विषय को उठाया तो मेरे पास पिछले महीने की 20 तारीख को आपके द्वारा भेजे हुए कुछ इन्जीनियर्स का मेरे पास टेलीफोन आया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप ध्यान देंगें। उनका टेलीफोन आया, आपने जो शिकायत की है, सीवेज के अन्तर्गत जो घोटाला है, मुझे निर्देश मिला है कि आप जा करके उसकी जांच करो। मैंने कहा कि आप आईये जांच करिये। उन्होंने कहा कि आप इसमें थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने कहा कि मैं 27 तारीख तक व्यस्त हूं स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें 25 तारीख तक रिपोर्ट देनी है, आज 20 तारीख है आपसे निवेदन है कि पहले का समय दे दो। 21 तारीख का मैंने समय दे दिया। वह मेरे पास आये मैंने उनसे कहा कि पूरे महानगर में लगभग 100 कि0मी0 डाली होगी। मैंने कहा कि चेक कर लो। तो उन्होंने कहा कि साहब यहां सड़क बन गयी है, यहां ट्रैफिक रोकना पड़ेगा। मैंने उनको तीन ऐसे स्थान बताये जो मैदान में थे जहां बड़े-बड़े मैदान हैं और आधे कि0मी0 के आस-पास कोई मकान नहीं है। एक फुलबाग, एक नानाराव पार्क में चेक कर लो और एक कैण्ट एरिया में चेक कर लो, इन तीनों स्थानों पर कोई कठिनाई नहीं होगी, चेक कर लीजिए और 25 तारीख तक रिपोर्ट मा0 मंत्री जी को दे दीजिए। मान्यवर, आये बहुत तेजी से थे लेकिन कहां गायब हो गये यह पता नहीं है। आज 02 तारीख हो गयी, मैंने उनको यह बात कही थी, मैंने कहा था कि आप अपने मा0 मंत्री जी को जानते हो, जितना आप नहीं जानते उससे ज्यादा मैं उनको जानता हूं। अगर उन्होंने कहा है तो उसे करके बताना नहीं तो मेरे पास आना नहीं। वे लोग गायब हो गये। सस्पेंशन में उनका नाम है या नहीं मुझे नहीं मालूम और मेरा कोई (इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) इंट्रेस्ट भी नहीं है कि उनका नाम हो या न हो। मेरा इंट्रेस्ट यह था कि अगर आपने कोई जांच कराने के लिए भेजा था तो जांच मेरे या मेरे प्रतिनिधि के खड़े होने पर जांच होती। मैंने उस समय आज से 3 वर्ष पूर्व, बार-बार और बड़ा शोर मचाकर इस बात को कहा था और तत्कालीन नगर विकास मंत्री जी सामने यहां पर बैठे हुए थे। मैंने कहा था कि जो शिकायत मैंने लिखकर दी है अगर मेरी शिकायत गलत होगी तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। यह बात मैंने सदन में कही थी, रिकार्ड में है। यह भी कहा था कि अगर मेरी शिकायत सही हो तो मैं आपसे इस्तीफे की उम्मीद नहीं करता, आप कम से कम काम ठीक से करवा दीजिएगा। मान्यवर, खड़े होकर बोलने का उनका साहस नहीं

हुआ, बैठे थे वह खड़े भी नहीं हो पाये। किसी बात का प्रतिवाद नहीं कर पाये। मैंने उस समय कहा था कि सरकारें परमानेंट नहीं रहती, कुर्सियां बदलती रहती हैं एक समय आयेगा जब तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें मिलेगी। जिस समय आदरणीय श्री मोहम्मद आज़म खां ने मंत्री पद संभाला था तो मेरे मन में था कि सजा मिलेगी और मुझे आज भी उम्मीद है कि मिलेगी। लेकिन इन पांच दिनों में कहीं न कहीं मेरा वह विश्वास डोलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन डोलेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, 15 मिनट से ज्यादा हो गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कुछ टैक्स से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

आप कटौती से भी ज्यादा बोल गये। 15 मिनट हो गया इसमें 3 माननीय सदस्य बोलते।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप कानपुर आओगे तो मैं आपका बहुत बड़ा स्वागत कराऊंगा। सब जगह आपका स्वागत होता है लेकिन मैं खुद खड़ा हूंगा। मैं आपसे और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं। मैंने कल यह बात कही थी।

(मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि मा0 अध्यक्ष जी, यह रिश्वत हो जायेगी अगर आपने इनको और बोलने का मौका दिया।)

श्री अध्यक्ष-

मैं भी वही कह रहा हूं।

श्री सतीश महाना-

मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मा0 लोकदल सदस्य ने कुछ बात कही थी तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि यह वाली रिश्वत मुझे कुबूल होती है और अच्छी होती है। यह रिश्वत के रूप में मुझे दे रहे हो, मैं आपका काम करूंगा। मैं भी थोड़ी सी देने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

15 मिनट हो गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आउटरस्कर्ट के बारे में कहना चाहता हूं जो सोसाइटीज वाले एरिया हैं। जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं वहां पर यशोदा नगर है गांधी ग्राम है बहुत सारे स्थान हैं। एक-एक का नाम लूंगा तो समय लगेगा वहां के कानपुर नगर के हमारे नाम के सदस्य जो समाजवादी में हैं वह हमारे मित्र भी हैं उनके यहां भी बहुत क्षेत्र हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलते ही नहीं हैं और हर इंजीनियर हर अधिकारी चाहता है कि वही उसका ट्रांसफर हो जाए मैं जब मंत्री बना तो मेरे को पता चला कि यहां पर क्या है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है रोज चलता होगा चल भी नहीं रहा थोड़े दिन बाद बन्द होने की

स्थिति में हैं लेकिन सब चाहते हैं कि उसका वहीं ट्रांसफर हो जहां पर काम नहीं हो रहा है वहीं पर माल ज्यादा मिलता है। मुझे ऐसा लगता है आपके पास भी लोग सिफारिश के लिए आते होंगे। गंगा एक्सन प्लान के बारे में गंगा रिवर के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था समय न होने के कारण उसके बारे में कम बोल रहा हूं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत जो एन0आर0एच0एम0 का जो घोटाला था इस सदन में मैं। कह रहा हूं कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत घोटाला एन0आर0एच0एम0 के घोटाले से कम नहीं है। 5,366 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिले मैं कह रहा हूं कि केवल घोटाला ही नहीं है आम आदमी को नर्क में डालने का काम है। आज जो इंजीनियर हैं ठेकेदार हैं वह चले जाएंगे कल हमें शहरों में रहना है लोग कहेंगे कि आप इस समय विधायक थे उस समय यह नाला और नाली पड़े थे उस समय आपने चिन्ता क्यों नहीं करी। क्यों कि उनको जोड़ा नहीं गया है इसलिए जब उसमें पानी चलेगा तो सारे के सारे नाले बह जाएंगे और ढह जाएंगे केवल कानपुर ही नहीं जहां-जहां यह काम हुए हैं सारे के सारे नर्क और नालियों में बदल जाएंगे। यह मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूं। आपने जो कृपापूर्वक मेरे निवेदन पर जांच भेजी है उसकी जांच करा लीजिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। आपके 20-25 मिनट हो गए हैं।

श्री सतीश महाना-

एक सुझाव और है। डूडा और सूडा के बारे में मैं विस्तार से नहीं कहूंगा केवल अन्तिम बात यह है कि नगर विकास विभाग में समन्वय की जरूरत है। एक तो नगर विकास विभाग के आपसी विभाग समन्वय करें जल संस्थान नगर निगम और जल निगम समन्वय करें निगम के साथ-साथ विकास प्राधिकारी समन्वय करें। आवास विकास समन्वय करे इसके लिए एक योजना हमने बनाई थी कमिश्नर की अध्यक्षता में पांच छह विभागों की एक टीम बनाई गई थी जो हर महीने बैठकर समस्याओं का निस्तारण करे। क्योंकि आपस में समन्वय नहीं होता है जल संस्थान को कहें तो वह कहते हैं कि यह नाली मेरी नहीं है मैं तो सीवर का काम करता हूं। जल निगम से कहा तो वह कहते हैं कि हमने तो बनाकर डाल दिया अब तुम जानो या वह जानें। जल संस्थान और जल निगम का आपस में समन्वय नहीं है। दोनों का एक ही काम है उनको बनाकर उनको दे देना है लेकिन उनको पता नहीं कि क्या दिया और उनको पता नहीं कि क्या लिया। ऐसी परिस्थियों के अन्तर्गत जल निगम, जल संस्थान नगर निगम विकास प्राधिकरण पी0डब्लू0डी0 क्योंकि जिस दिन सड़क बनती है दूसरे दिन लोग आकर खोद जाते हैं इसलिए टेलीफोन वालों को भी बुला लीजिए। बिजली वालों को भी बुला लाजिए समग्र शहरी विकास के सम्बन्ध में जितने भी विभाग हैं अगर उन सारे विभागों की जो भी आप कमेटी बनाना चाहें किसी की भी अध्यक्षता में बनाना चाहें वह बना दें मेरा निवेदन है कि आप उसको बना देंगे। इतनी बात कहते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कटौती से ज्यादा तो आप ही बोल गए।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नगर विकास और अल्पसंख्यक कल्याण के बजट पर मुझे पहली बार खुशी से बोलने का मौका दे दिया है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जब भी मैं खड़ा होता हूं पता नहीं क्यों आप मुझे बोलने ही नहीं देते।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रिजवी जी जब आप यहां नहीं थे तब से मैं आपको जानता हूं।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

आज पूरे सदन की आंखे नम हो गई इतना दर्दपूर्वक और जो वास्तव में एक सच्चे इंसान सूफी सन्त महात्मा जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है उनके पदचिन्हों पर चलकर नगर विकास मंत्री जी अपने जीवन को जिस तरीके से उन्होंने ढाला है वह समाज जानता है। प्रदेश का बच्चा-बच्चा इस बात को जानता है गवाही भी देता है कि माननीय आजम खां साहब इस दौर के महात्मा हैं, सूफी हैं सन्त हैं और फकीर हैं और इनकी जिन्दगी को मैंने देखा है बहुत करीब से जिस तरीके से हमने नसीरुद्दीन बादशाह के इतिहास को पढ़ा है कि टोपी सीकर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। वह राज घराने का एक पैसा नहीं लेता था और उसी रास्ते पर चलकर जो दर्द है, जो दिल में दर्द था वह सामने भी था। पिछले सत्र में मैंने देखा जब नगर विकास मंत्री पिछली सरकार में भी आप थे और उसके पहले लाल जी टण्डन नगर विकास मंत्री थे और हम लोग चिट्ठी लेकर के जाते थे, महाना जी, राज्य मंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में आप नगर विकास मंत्री थे, हम प्रश्न लगाते थे और उसका जवाब आता था कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। नगरों की बजबजाती नालियों को साफ करने के लिये, नगर में ट्यूब लाइट लगाने के लिये, नगर के विकास के लिये, यह प्रश्न का जवाब दिया था और जब सरकार बदली और उसी कुर्सी पर जिस पर टंडन जी, महाना जी बैठते थे आदरणीय आजम खान साहब बैठे पता नहीं कहां से पैसा आ गया। हमारे टाउन एरिया, हमारी नगर पालिका, करोड़ों रुपया आपने दिया और मैंने देखा कि हमारे एम0एल0ए0 चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जो भी आपके चेम्बर में पहुंचा और रिवाल्विंग फण्ड से जितना रुपया मांगा उसके नगर के विकास के लिये आपने दिया, खजाने का मुंह खोल दिया और उसी समय के जितने विकास हुए हैं, माननीय आजम साहब के जमाने का विकास ही आज भी है। पांच साल तक बंद हो गया विकास। फिर उसी ढर्रे पर चला गया। एक ट्यूब लाइट जो 5 साल तक बंद रही वह आज भी बंद है उसके विकास का उसके बदलने का इंतजाम आज तक नहीं है। प्रदेश की जनता को एक उम्मीद बंधी है कि आज आजम साहब हुए हैं नगर विकास मंत्री, जानते हैं नगर में हर तबके के लोग रहते हैं। गरीब ज्यादातर रिक्शे वाला, खोंमचे वाला, ठेला वाला, मूंगफली बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, ताला बनाने वाला यह सारे लोग गरीब हैं और ज्यादातर तादात इसमें मुसलमान की है। दाड़ी बनाने वाले से लेकर, पंचर बनाने वाले तक, बाजा बजाने वाले से लेकर, अंडे बेचने वाले से लेकर, मूंगफली बेचने वाले तक उसमें ज्यादातर तादात मुसलमानों की है और वह उजड़ा समाज कहा जाता है हमारे में। इन लोगों की गरीबी इतनी ज्यादा है कि शहर में जायं तो शुद्ध दरवाजे नहीं हैं। अभी हम नगर पंचायत के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुनाव में घूम रहे थे, कई जगह गये। दरवाजे नहीं हैं परदे की जगह औरतें अपनी साड़ियां जो फट गई हैं उनको लटका कर परदें का, दरवाजे का काम चला रही हैं। करकट नहीं है। हमने पिछली बार मेरी ही पार्टी का चेयरमैन हुआ, सरकार बदल गई थी तो बसपा के लोगों ने उसको इतना हड़का दिया कि वह कुछ नहीं कर पाया। उसको कहा कि तुम्हारी कुर्सी चली जायेगी। हमने कहा था कि करकट की व्यवस्था करवा दीजिये। हर वार्ड में ज्यादा तो नहीं 25-25 घरों में जिनके पास करकट नहीं हैं खपरैल भी नहीं है किसी प्रकार से प्लास्टिक लगाकर परदा लगाकर गुजारा कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं नगर विकास मंत्री जी, मैं आपको वजीर की हैसियत से नहीं देखता हूं, मैं आपको एक कौम के रहबर की हैसियत से देखता हूं। हमेशा देखता हूं। आपके अन्दर दर्द है इस बात का। हम यह कहना चाहते हैं जो अट्टालिकाएं बहुजन समाज पार्टी के राज मे बनाई गई कांशी राम आवास के नाम पर जहां पर कोआर्डीनेटर से लेकर उनके सेक्टर प्रभारी से लेकर तमाम लोग कब्जा करके बैठे हैं। आपने उदाहरण भी दिया और यह रामपुर का उदाहरण नहीं है। हमारे बलिया जनपद में हमारे नारद राय जी बैठे हैं, 15 ऐसे कोआर्डीनेटर हैं जो कब्जा किये हुए हैं और आज भी गरीब को कालोनी में जगह नहीं मिल पा रही है। हम कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि आज जितने गरीब हैं शहर में जिनके पास आवास नहीं और दूसरी जगह है नहीं, हमने वायदा कर दिया आपके बिना पर इस चुनाव में, पब्लिक मीटिंग में कह दिया कि तुम लोगों को कुछ नहीं दिलवा पाऊंगा पर आजम खान से कह कर 10-10, 5-5 करकट का इंतजाम जरूर करवा दूंगा। मान्यवर, इसको जरूर नोट कर लें गरीब जिनके पास सहारा नहीं है और दूसरी जगह भी नहीं है जाने के लिए उनका घर जो टूटा हुआ है, खपरैल का है, जो प्लास्टिक के परदे लगाकर रह रहे हैं उनके लिये कम से कम करकट का इन्तजाम जरूर करवा दीजिये। उनको कुछ पैसा दे दिया जाय सर्वे करवाकर। करकट मतलब जो सीमेंट का शेड आता है। बलिया की भाषा में करकट कहते हैं। चार ही दे दें, 6 दे दें, उनको यह सीमेंट का शेड दे दें तो उनकी बहुत बड़ी दुवाएं आपके साथ आ जायेंगीं। छोटे-छोटे मलिन बस्तियों में वह अपने बच्चों और बहू बेटियों के साथ प्लास्टिक के परदे लगाकर, साड़ियों का दरवाजा बनाकर उसमें गुजारा करते हैं। आगे पीछे कहां जगह नहीं है निकलने के लिये, उनको 4-6 ही करकट दे दीजिये। तो उनका भला हो जाएगा और उनकी दुआ भी निकल जाएगी मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं। हाउस टैक्स के नाम पर जो वसूली होती है उस हाउस टैक्स की वसूली बन्द होनी चाहिए। हम स्वागत करना चाहते हैं आप जो आसरा के नाम पर योजना चला रहे हैं यह ठीक है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि उनको उसी घर में कर्कट लगाने की व्यवस्था की जाए। उनको अनुदान दिया जाए। सफाई कर्मी आपने बढ़ाए थे अपने रिज्यूम में, लेकिन पांच साल में एक भी सफाई कर्मी नहीं बढ़ाया गया। जो नहीं रखा गया वह अलग बात है लेकिन जो सफाई कर्मी आपने रखे थे उनको निकाल दिया गया क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दिया था। कितने सफाई कर्मी नौकरी से हटा दिये गये और आज सड़कें और गलियां उसी तरह से बजबजा रही हैं। सफाई कर्मियों की आशा भरी निगाहें आपकी तरफ देख रही हैं। आप आए हैं तो फिर से हमारी बहाली हो जाएगी और फिर से हम नौकरी पर आएंगे। उनको एक हजार रुपया महीना मिलता था उसमें मेरा सुझाव है कि उसको बढ़ाने का काम आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

आपने कहा प्रकाश व्यवस्था, तो वह बिल्कुल जर्जर है। शहर में ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। तो मोबाइल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, हर जो नगर पंचायत नगर महापालिकायें हैं दो-दो मोबाइल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था अगर आप करा देंगे तो बहुत बड़ा काम आम जनता को हो जाएगा। क्योंकि जो शहरों में लोग गलियों में रहते हैं। जब बिजली चली जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। श्रीमन् जल निगम का हैण्डपम्प आप पता लगावा लीजिए 3 हजार से ज्यादा हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। एक व्यवस्था बनाई थी पिछली सरकार ने, कि प्रधान के यहं दरख्वास्त ही दी जाएगी वह आज तक कभी ठीक नहीं हुआ। इससे पहले जब आप मंत्री थे तो अगर जल निगम में कोई एम0एल0ए0 चिट्ठी लिखकर दे देता था तो जिला पंचायत का मेम्बर दे देता था या नगर पालिका का चेयरमैन दे देता था तो आपका विभाग जाकर उसे री-बोर कराता था या उसको ठीक कराता था। वह व्यवस्था पिछली सरकार ने खत्म कर दी है इससे तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं इसलिए आप अपने इंजीनियरों को फिर से अपना आदेश बहाल कर दीजिए। हम लोग अगर चिट्ठी देते हैं कि इस गांव में इतने हैण्डपम्प खराब हैं तो आपका जे0ई0 जावें उसको री-बोर करावे, उसको ठीक करावे। हमने गांव के अन्दर देखा है कि 30 हजार से ज्यादा हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

आपने अल्पसंख्यक कल्याण में आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम दिखाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने पांच साल में नाम रख दिया कि अरबी फारसी मदरसा हमने बनवा दिया वह चला या नहीं चला इसकी गारन्टी नहीं है। सौ मदरसों को अनुदान दिया लेकिन हमारी सरकार ने 250 से ज्यादा मदरसों को अनुदान दिया। जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना किया। यहां पर इन्ट्रीग्रल यूनीवर्सिटी की स्थापना किया और योजनायें तमाम दीं। लखनऊ के अन्दर तीन-तीन यूनिवर्सिटी की स्थापना किया और तमाम मदरसे, जहां हमारे माइनारिटी के मदरसे धे उनको कम्प्यूटर देने का काम इस सरकार ने और मा0 आजम खां साहब ने देने का काम किया है। आज उनकी निगाहें आप पर लगी हुई हैं। अभी हमारे भाई हज हाउस की बात कर रहे थे हज हाउस की हालत क्या थी वह छोड़िये, लेकिन जो औरतें हज करने जा रही थीं उन्होंने सड़कों पर बैठने का काम किया उन्होंने आन्दोलन करने का काम किया। इतनी बदइंतजामी हुई हज यात्रियो के साथ, कि ऐसा सुलूक पहले कभी नहीं हुआ। हज यात्री जा रहे थे वह सड़क पर बैठकर, गर्मी में, सरकार के खिलाफ और मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बनारस और लखनऊ की सड़कों पर बुजुर्ग महिलाओं ने प्रदर्शन करने का काम किया था।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

आज आपने हमें खुशी से मौका दिया है मैं कहना चाहता हूं सच्चर कमेटी, मुसलमान कितना बदहाल है मैंने पहले भी कहा कि दाढ़ी बनाने से लेकर, पंचर बनाने से लेकर, खोंमचा और अण्डा बेचने से लेकर, बाजा बजाने से लेकर, जुलूस निकलता है तो मुसलमान ही जाता है बाजा बजाने के लिए इसलिए उनकी हालत ठीक करने के लिए मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है गरीबों का उसकी मदद की जाए। मान्यवर, अल्पसंख्यक बजट आपने 81 परसेण्ट बढ़ाया है, सही है आपने बढ़ाया है। मगर लोगों की उम्मीदें उससे भी ज्यादा हैं और जैसा हमारे एक भाई ने कहा कि यह सच्चाई है कि जब भी मुलायम सिंह जी की सरकार बनती है, तो चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे पीएसी की भर्ती हो, चाहे दूसरी नौकरी हो, हमारे नेता संवेदनशील हैं, हमारी सरकार संवेदनशील है और उसने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हमेशा किया है और आगे भी करेगी। लेकिन 5 साल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ क्या, एक भी मुसलमान को जिले में दरोगा भी नहीं रखा जाता था। हमारे जिले के एक महामंत्री थे, हमारे पास आए एक काम के लिए, हमने कहा कि तुम्हारी हैसियत है कि किसी थाने का तुम एक मुस्लिम सिपाही को रखवा सको, कहा मैं यह काम नहीं करा सकता। इतनी भी हैसियत नहीं थी, एक समुदाय विशेष को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता था लेकिन हमारी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी सम्प्रदायो का सम्मान करती है और मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई के लिए आपने जो 30 लाख रुपया दिया है, उससे बहुत बड़ी उम्मीदे जगी हैं, इससे हमारी मुस्लिम लड़कियां आगे पढ़ेंगी। मान्यवर, कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल के लिए जो पैसा दिया है, उसके विषय में लोग हम लोगों से पूछने हैं कि कैसे बाउण्ड्री बनेगी वह कलेक्टर के माध्यम से होगी या और किसी तरीके से होगी, यह हम लोगों से पूछा जा रहा है। मान्यवर, मैं इस बजट कर समर्थन करता हूं और इस पर बल देता हूं और अपने नेता को दिल की गहराइयों से मुबारकवाद देना चाहता हूं। आज एक ऐसा दिन है कि आज पूरा सदन आपकी जजबात को, आपके दिल की गहराइयों से जो बात निकली है, उसको बहुत ही खामोशी से सुना और स्वागत किया है। आप स्वागत के योग्य हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 मोहम्मद अयूब-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं उस महत्वपूर्ण विषय पर कहना चाहता हूं जो समाज और देश के लिए अतिमहत्वपूर्ण है, वह दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो मुस्लिम समाज है, वह आजादी के वक्त से, उन्होंने आजादी में अपनी अहम् भूमिका निभाई और आगे रहे। उसका नतीजा यह हुआ कि उस समाज का शासकों द्वारा सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ और सबसे ज्यादा उनका शोषण भी हुआ है और यही वजह है कि आज तक वह समाज उत्पीड़न और शोषण से नहीं उबर पाया है। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह समाज का 20 परसेण्ट हिस्सा है और तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह महसूस किया था कि जो आम जनता को उसकी जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुनियादी हुकूक हैं, फण्डामेण्टल राइट्स हैं, उसके बाद भी समाज के विकास के लिए, इस समाज की सुरक्षा के लिए अलग से कानून होना चाहिए और यही वह वजह है कि संविधान की धारा-29 और 30 की व्यवस्था की गयी है जिसमें इसकी सुरक्षा और विकास का प्राविधान किया गया है। महोदय, यह समाज 20 प्रतिशत है। जैसे मुस्लिम समाज 18-20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, बौद्ध समाज 0.18 परसेण्ट है, सिख समाज 0.41 परसेण्ट है, जैन समाज 0.12 परसेण्ट है और पारसी समाज 0.1 परसेण्ट है। महोदय, यह सारे समाज जिसमें जो विकास का मुद्दा है, वह उनके शैक्षिक और सामाजिक विकास का मुद्दा है। मुस्लिम समाज का शैक्षिक और विकास का मुद्दा चाहे वह सामाजिक विकास हो, चाहे शिक्षा के विकास का मुद्दा हो, इन समाज से भिन्न है और अलग है। इनकी समस्याएं भी भिन्न और अलग हैं। तो मैं यह प्रस्ताव देना चाहूंगा कि जो यह अल्पसंख्यक नाम दिया गया है, इसको बदल करके मुस्लिम सुरक्षा और विकास विभाग बनाया जाए क्योंकि इनकी समस्याएं अलग हैं, इनकी तालीम का म्यार जो है, वह बिल्कुल अलग इसलिए इनका नाम दे दिया जाये। अल्पसंख्यक होने की वजह से इस समाज पर जो छोटेपन की भावना उभरती है इससे भी इस समाज को निजात मिलेगी। इसलिए इस विभाग के नाम को इसकी सुरक्षा और विकास के नाम से जोड़ा जाये क्योंकि सुरक्षा और विकास ही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। मान्यवर, आज इस मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा परेशानी उसकी सुरक्षा को लेकर है। अभी पिछले मही जून में एक जून को कोसीकलां में बहुत बड़ा दंगा हुआ और 23 तारीख को अस्थान गांव में प्रतापगढ़ जिले में बहुत बड़ा दंगा हुआ। तो एक महीने में दो दंगे हुए और उसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न और नुकसान मुस्लिम समाज का हुआ। मेरा यह प्रस्ताव है कि एक ऐसे सुरक्षा बल की आवश्यकता है जिसमें मुस्लिम समाज अपने को सुरक्षित महसूस करे। यह जो दंगा हुआ है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान की वजह यह है कि सही समय पर सुरक्षा बल या सरकारी महकमें के लोग सही समय पर नहीं आये। क्योंकि कोसीकलां में 3 बजे से लेकर 7-8 बजे तक कोई सुरक्षा का महत्वपूर्ण इन्तजाम नहीं हो पाया था और यही काम अस्थान में प्रतापगढ़ जिले में हुआ है जहां दस बजे से लेकर दिन के तीन बजे तक कोई सुरक्षा का इन्तजाम वहां नहीं हो पाया जिसमें दंगाइयों को दंगा फैलाने और घरों को जलाने का पूरा मौका मिला। मेरा प्रस्ताव है कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट रही है कि जो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके जो 30 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक मुस्लिम बाहुल्य हों ऐसे इलाकों में जो पुलिस के अधिकारी हों वह मुसलमान रखें जायें ताकि वह अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

जब विधान सभा का [xxx] तो मुसलमानों का भला कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष-

आरोप मत लगाइये। डा0 साहब आप बोलें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 मोहम्मद अयूब-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संविधान की मंशा थी कि इस अल्पसंख्यक समाज को संविधान की धारा 29 और 30 में सुरक्षा की व्यवस्था की गयी थीं, शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। सरकार ने जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनायी उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस आधार पर सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि एक ऐसे सुरक्षा बल का गठन करे जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत मुसलमानों की तादात हो और वह उन इलाकों के नजदीक हो जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। ताकि मुसलमानों में विश्वास जग सके कि अगर दंगाई कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बल थोड़े वक्त में आकर उनकी सुरक्षा कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह सुरक्षा का हमारा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा की दृष्टि से भारतीय संविधान मे धारा-30 (1) में यह व्यवस्था की गयी है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज है अपनी शिक्षा और अपनी जवान की सुरक्षा के लिए वह शिक्षण संस्थायें खोल सकता है लेकिन अभी यह देखने में मिला है कि जो भी मुसलमान शिक्षण संस्थायें खोल रहे हैं। उनको अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है प्रदेश सरकार से तो हमारा यह अनुरोध है, मैं यह प्रस्ताव देना चाहूंगा आपके द्वारा मा0 मंत्री जी को कि जैसे जो भी मुस्लिम शिक्षण संस्थायें खुलती हैं, चूंकि मुसलमान जिस आबादी में है उसकी तालिबी, उसकी शिक्षा इसमें 10 परसेण्ट से भी कम है, इसलिए उनको खोलने की जो सर्टिफिकेट है जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन है उनको देने की व्यवस्था की जाय, उनको दी जाय और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि ज्यादातर जो गरीब मुसलमान है वह गरीब मुसलमान मदरसों मे पढ़ता है और उन मदरसों में जो पढ़ता है उसके लिए जो भी सुविधायें सरकार ने दूसरे विद्यालयों को दी हैं उन मदरसों मे नहीं दी है, क्योंकि मैं भी एक मदरसे से पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मैं महसूस कर सकता हूं कि उनकी सुरक्षा और उनके विकास के लिए सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जिनका विकास नहीं हो पाया है, इसलिए हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि उनके विकास के लिए जो भी चाहे वह मिड-डे-मील हो, चाहे किताब का वितरण हो, चाहे उनकी फीस के वजीफे हों, उन सभी विद्यालयों की तरह मदरसों को भी दी जायं। महोदय, मैं थोड़ा और समय आपसे चाहूंगा क्योंकि जो मैं कह रहा हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे मा0 मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया कि जब तक इस 1/5 का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश और समाज का विकास होना सम्भव नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो आविदे तामिल है और आबिदे फाजिल है इनको बी0ए0 और एम0ए0 की मान्यता नहीं मिल रही है और शिक्षा मित्र जिस तरह से और विद्यालयों में हैं हमारे इन अरबी विद्यालयों में या मदरसों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नहीं हो रही है और रोजगार के हिसाब से भी मुसलमानो की जितनी तादात है उनकी हिस्सेदारी उनकी तादात के हिसाब से 10 परसेण्ट भी नहीं है, इसलिए इनको और प्रोत्साहन देना चाहिए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आबिदे तामिल और आबिदे फाजिल को बी0ए0 और एम0ए0 की समकक्षता इनको दे दिया जाय इनको शिक्षा मित्र में भर्ती किया जाय और उन सभी स्कूलों में जो चन्दे से चलते हैं मदरसे उनको अनुदान देने की व्यवस्था सरकार करे और शिक्षा मित्रों की उनमें नियुक्ति

की व्यवस्था करे जो वहां से पढ़े-लिखे हैं। महोदय, संविधान की धारा-29(2) के सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे अन्पसंख्यक मुसलमान है इनमें भेद-भाव न करने का प्राविधान है मगर आज भी जो शिक्षक मान्यता प्राप्त हैं, उन शिक्षकों को जो अरबी, फारसी मदरसों में आज भी तालीम दे रहे हैं उनको जो संस्कृत विद्यालय है या जो संस्कृत पाठशलायें हैं उनके बराबर आज भी उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे में मैं आपके द्वारा मा0 मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान की धारा-29 में जो भेद-भाव समाप्त करने वाली चीज है, उसके हिसाब से इसे दें। महोदय वक्फ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी खत्म कर दें डा0 साहब, 15 मिनट हो गये हैं।

डा0 मोहम्मद अयूब-

महोदय मैं वही चीजें कह रहा हूं, जो अभी तक कहीं डिस्कस नहीं हुई हैं, मैं कोई चीज रिपीट करने की बात नहीं कर रहा हूं। महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा कि उन मदरसों के शिक्षकों का वेतन कम से कम जो संस्कृत पाठशालायें है, संस्कृत विद्यालय हैं उनके बराबर किया जाय और धर्म के आधार पर या शिक्षण संस्थाओं के आधार पर उनके साथ कोई भेद-भाव न किया जाय, यह मैं आपसे अग्रह करना चाहूंगा। मान्यवर, जो वक्फ सम्पत्तियों के बारे में मा0 मंत्री महोदय ने जिक्र किया और यह कहा गया कि इसमें बड़ी लूट खसोट है। मान्यवर, यह बातें सही हैं और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, सुन्नी वक्फ बोर्ड की यहां पर 12 लाख 22 हजार 913 सम्पत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड की आठ हजार दो सौ बारह सम्पत्तियां है। इन ज्यादातर सम्पत्तियों पर चाहे किसी की भी मिली भगत हो अवैध कब्जे हैं। मान्यवर, यह अल्लाह की सम्पत्तियां हैं। जो किसी व्यक्ति की सम्पत्तियां नहीं है। जो किसी ने दान में दी है कि उससे आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े मुस्लिम हैं उनके आगे बढ़ने में मदद हो सके मगर उसका दुरूपयोग करके उसके विकास के बजाये इसका विनाश हो रहा है। मान्यवर, यह कार्य सरकार के मदद के बिना नहीं हो सकता है शासन प्रशासन की मदद के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि और जैसा कि मा0 मंत्री महोदय सदन को बताने की कोशिश की है कि पिछले 8.5 साल में जितने भी इस प्रकार के वक्फों की सम्पत्तियों पर कब्जे हुए हैं उनको खाली कराने की कोशिश की जायेगी सरकार द्वारा और उसके लिए कानून भी बनाया जायेगा। हम सभी उसका स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह सरकार उसको लागू करेगी। महोदय मैं यह भी कहूंगा कि इसी देश का एक राज्य कर्नाटक है जिसमें सिर्फ एक हजार सात सौ बीस वक्फ सम्पतियां हैं और उन सम्पत्तियों का ठीक से मैनेजमेन्ट करके सरकार द्वारा उनकी देख भाल करके उनके सदुपयोग करने का काम किया जा रहा है। यह अच्छी बात है। उस चीज को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने पर विचार किया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन्, हुसैनी कर्बला और हुसैनी सराय को बेचने का काम किया गया है। चार मस्जिदों को तोड़कर उस जमीन को लेने का काम भी किया गया है मुसलमानों ने किया है इसी सदन में बैठने वाले लोगों ने किया है।

*नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां-

मान्यवर, यह तस्करा मेरे ऊपर है यह आपत्तिजनक है इसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने आपका नाम लेकर नहीं कहा है।

नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां-

मान्यवर, हिस्टोरिकल चीजें हैं, जिसे मंत्री जी कह रहे हैं। यह ऑबजेक्शनेबल है इसे कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष-

नवाब साहब आप कृपया बैठ जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन्, तौलियत से भी हट गये मान्यवर, हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दी। मान्यवर, मेरा डा0 साहब से यही कहना है आप मदद कीजिये हम लेकिन उसे बचायेंगे।

नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां-

मान्यवर, हाई कोर्ट ने रिलीफ दी है। यह मंत्री जी उसको तोड़ने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। मान्यवर वक्फ ऐक्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई किसी भी इमारत को तोड़ सके। मंत्री ने प्रेशर बनाया जिलाधिकारी के ऊपर तोड़ने के लिए लेकिन जिलाधिकारी ने नहीं तोड़ा क्योंकि वक्फ ऐक्ट में कोई ऐसा कानून नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नवाब साहब, जबसे आप आये हैं पहली बार आपको बोलते हुए देखा है।

डा0 मोहम्मद अयूब-

मान्यवर, यह कह रहे है कि हम वक्फ सम्पत्तियों की रक्षा करेंगे। मान्यवर, कर्नाटक में सिर्फ 17200 वक्फ सम्पत्तियां हैं जबकि उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत 12 लाख 22 हजार से ज्यादा सम्पत्तियां है। ऐसे में यदि कर्नाटक की भांति यहां भी वक्फ सम्पत्तियों की देख रेख ठीक कर दी जाये उनको सरकारी संरक्षण मिले तो सही मायने में जिस काम के लिए वह वक्फ की गयी है उसका सदुपयोग हो सकता है चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, या चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, मान्यवर, मैं समझता हूं कि मुस्लिम समुदाय में जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है उत्तर प्रदेश में यदि वक्फ की व्यवस्था ठीक कर दी जाये तो वह शिक्षा का स्तर उंचा उठ सकता है। उसी वक्फ के पैसे से बिना सरकारी मदद से तो उनकी इस तरह से आमदनी भी बढ़ायी जा सकती है वक्फ सम्पत्तियों की। वहां डिग्री कालेज बनाये जा सकते हैं, मेडिकल कालेज बनाये जा सकते हैं, मान्यवर मैं समाप्त कर रहा हूं। यह कहना चाहता हूं कि बुनकरों को सरकारी मदद से धागा दिलाया जाये। उनके बिजली के बकाया बिल माफ किये जाये उन्हें सरकारी सहायता दी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाये। मान्यवर, मैं पूरी तरीके से संसदीय कार्य मंत्री, वक्फ मंत्री और हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं और इसके साथ मगर मै यह कहना चाहता हूं कि इससे काम चलने वाला नहीं हैं। इसके विकास के लिए जनता ने जो इन्हें समर्थन दिया है, इनके दल ने जो समर्थन दिया हैं, विशेषकर मुसलमानों ने समर्थन दिया है इसलिए उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया जाय।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, आपका शुक्रिया आपने हमें माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भाई मो0 आजम खां साहब द्वारा रखे गये अल्पसंख्यक कल्याण के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल साहब ने कहा कि हाशमी साहब एक शेर सुनईये।

श्री अध्यक्ष-

यहां कोई मुशायरा नहीं है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, यह मुशायरे की बात नहीं है। मान्यवर, भाई आजम खां साहब ने आज इस सदन में जिस तरह से समाज, सरकार और अपने दायित्वों और अपने आदर्श डा0 राम मनोहर लोहिया और कायदे आजम रफीकुल मूल, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो सपना देखा था उसके अनुरूप इस प्रदेश में ही नहीं देश में जो मेसेज देने का काम किया उनकी शान में एक शेर पढ़कर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं--

हजारो साल नर्गिस अपनी बेनूरी पर रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

माननीय अध्यक्ष जी, मो0 आजम खां साहब की वह शख्शियत है कि इन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी, गरीबों, मजलूमों, मुफलिशों, अक्लियतों, अगड़े और पिछड़े को इंसाफ दिलाने में बिताई है। वह हमारे नेता हैं उन्होंने जिस तरह से आज इस सदन को बताया है कि अल्पसंख्यक कल्याण का बजट इतना बढ़ा दिया है उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री मो0 आजम खां साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए एक शेर और पढ़ता हूं।

श्री अध्यक्ष-

वह शेर तो सब जानते हैं कोई नया शेर पढ़िये।

श्री आरिफ मोहम्मद अनवर हाशिमी-

मान्यवर,

किसी के दिल में उतरना कमाल होता है,
नफस-नफस में बिखरना कमाल होता है।
बुलन्दियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं,
बुलन्दियों पर ठहरना कमाल होता है।।

ऐसे हैं हमारे आजम साहब।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले सूबे में एक ऐसी सरकार बैठी थी अभी हमारे भाई कटौती प्रस्ताव रखते हुए यह कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह नहीं किया वह नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं सदन को कि उत्तर प्रदेश में महमूद बट्ट साहब पहले चीफ सेक्रेट्री मुसलमान हुए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राज्य में माननीय अनीस अंसारी साहब को चीफ सेक्रेट्री बनने का मौका मिला लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अनीस अंसारी साहब को इस उत्तर प्रदेश का जहां 22 प्रतिशत आबादी अक्लियत मुसलमानों की है, इस सूबे का चीफ सेक्रेट्री नहीं बनने दिया। हम मुबारकबाद देते हैं मान्यवर, समाजवादी पार्टी सरकार को अपने नेता मा0 मुलायम सिंह जी को और मुख्य मंत्री जी अखिलेश यादव जी को उन्होंने श्री जावेद उस्मानी को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका फरहम कराया है। यह मुसलमानों के लिए गर्व की बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मान्यवर, तो पंचम तल पर भी मुसलमान आई0ए0एस0 हुआ करते थे, जिलों के जिलाधिकारी, एस0एस0पी0 और कलेक्टर भी मुसलमान हुआ करते थे मान्यवर, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में बहुजन समाज पार्टी के कोई कलेक्टर मुसलमान, कोई एस0एस0पी0 मुसलमान नहीं पोस्ट किया गया। इसी सदन में मान्यवर, हमने प्रश्न उपस्थित किया था कि हमारा कोटा कहां है, मुसलमान का अक्लियतों का यह सरकार बताए तो यहीं एक बड़ी भारी पर्सनाल्टी के मंत्री जी बैठते थे। मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, संसदीय कार्य मंत्री जो थे मान्यवर, इधर-उधर कागज देखने लगे थे, मान्यवर। आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार जो हर वर्ग बगैर किसी मजहबों मिल्लत के भेदभाव के सबका काम कर रही है। मान्यवर, हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था, मौलाना फज्ले-हक-खैराबादी ने अंग्रेजो के खिलाफ फतवा दिया था। मौलाना हसरत मुहानी ने इंकलाब जिन्दाबाद का नारा लगाया था। हमारे राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खां साहब ने फैजाबाद की जेल में फांसी पाई थी। इस देश को आजाद कराने में हमारी बराबर की भागीदारी थी। मान्यवर, उसके बाद 1965 में वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान काय पैटर्न टैंक तोड़कर यह साबित कर दिया कि भारत का मुसलमान एक खुद्दार मुसलमान है और उसको इज्जत से जीने का हक है। मान्यवर, हमने मान बढ़ाया है इस देश का लेकिन 63 साल की आजादी में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू की इसलिए लागू की कि मुसलमानों की बद से बदत्तरी का हाल देखा जाए, मान्यवर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार गम्भीर है। समाजवादी पार्टी की सरकार गम्भीर है मान्यवर।

(विपक्ष की तरफ से आवाजें आईं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू की)

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू की और सच्चर कमेटी इसलिए गठित की कि मुसलमानों की बदहाली को देखा जाए मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, नमाजे-जुमा की दो घण्टे की पहले छुट्टी हुआ करती थी। बहुजन समाज पार्टी आई तो जो मुसलमान दोपहर की नमाज पढ़ते थे, उसमें सख्ती से पाबन्दी लगा दी। मा0 अध्यक्ष जी मैं और बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ज्यादा न बताओ, टाइम नहीं है, पांच बजे यह बजट पास करा देना है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, सौ अरबी-फारसी के मदरसों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने अनुदान सूची में लाया मान्यवर, इन्हें अनुदानित किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार मदरसों की जांच कराती रही उसके कमरे नपवाती रही, उनकी छत नपवाती रही और उन मदरसों को अनुदानित नहीं किया गया, मान्यवर, अरबी-फारसी के जिनको मान्यता लेनी थी, जिले से लेकर लखनऊ तक सिर्फ रिश्वतखोरी का बोलबाला था। हर जगह मान्यवर, बिना रिश्वत लिए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती है, मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं हमारे यहां एक इमलहा मदरसा है, अल्बानिक मदरसा है, पहले का मान्यवर वहां के प्रिंसिपल साहब को बनाना था, प्रमोशन हो करके जिले से फाइल आ गई। यहां जो अध्यक्ष उर्दू, फारसी बैठते थे मान्यवर, जब प्रिसिंपल साहब की फाइल उनके पास गई और प्रिंसिपल साहब, उनके पास गये कि साहब हमें अनुमोदित कर दिया जाए तो उन्होंने कहा कि कुछ लाये हो। अगर नहीं लाए हो तो बताओ। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैं दाढ़ी वाला, कुर्ता पायजामा, सदरी पहनने वाला प्रिंसिपल गरीब आदमी हूं मैं कहां से पैसा लाऊं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि जब तक माल नहीं दोगे तब तक प्रिंसिपल नहीं बन सकते हो। मान्यवर, यह बहुजन समाज पार्टी का चरित्र है मान्यवर, यह इनकी सरकार का कार्यकाल है। मान्यवर, मल्टी सब्टोरियल योजना भारत सरकार द्वारा बनायी गयी योजना थी, जिसमें मान्यवर, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र बनने थे, इन्दिरा आवास बनाना था मान्यवर, मिनी आई0टी0आई0 बनाना था। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं मान्यवर, कि उसमें हमारा जिला बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती इत्यादि भी थे। मान्यवर, सारा का सारा धन निर्माण एजेन्सियों के द्वारा लूट लिया गया। कोई कार्य धरातल पर नहीं है मान्यवर। यह बहुजन समाज पार्टी इन्होंने सिर्फ लूट का काम किया है। इसीलिए मान्यवर, मैं पुनः मा0 मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जहां तक पीस पार्टी का सवाल है मान्यवर, मुसलमानों के नाम पर उन गरीब जो सब्जी बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, कपड़ा सिलने वाले, बिरयानी बनाने वाले, पंचर बनाने वाले मुसलमानों की दुहाई देने वाले ये पीस पार्टी के लोग इन्होंने मान्यवर, टिकट बेचा है। मुसलमानों का वोट बेचने का काम किया है, इन्होंने वोट, टिकट बेचने का काम किया है। मैं आज इस बजट के समर्थन में बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे नगर विकास विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका धन्यवाद।

(डा0 अयूब के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप अभी रुक जाइये, आप अभी बोल लीजियेगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, साथ ही इस अवसर मैं अपने नगर विकास मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नगर विकास मंत्री आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नगर विकास मंत्री केवल समाजवादी पार्टी के नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बल्कि 403 विधायकों के नगर विकास मंत्री हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नगर विकास मंत्री.....

(डा0 अयूब के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप अभी रुक जाइये, आपको क्या कहना है, आप बोल लीजियेगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मा0 नगर विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मा0 आजम खां जी जो बोलते हैं, वो करते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी को इसीलिये बधाई देना चाहता हूं कि कई बार हमने अपने नगर के विकास की समस्याओं के लिये कहा है और उन्होंने नगर के विधायकों को बुला कर एक बैठक भी की थी और उस बैठक में हम लोगों ने अपनी मांग की थी और उस मांग में हम लोगों ने बताया कि हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर पानी इतना भर जाता है कि वहां पर रहने वाले व्यक्ति को बरसात में ऐसा लगता है कि ये गांव नहीं, ये तो कोई जलमग्न क्षेत्र है। मान्यवर, लेकिन कई बार कहने के बाद भी अभी वहां की व्यवस्था सही नहीं हुयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि

(डा0 अयूब के लगातार खड़े होकर बोलने का पुनः प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, आप पर आरोप नहीं है, वो पार्टी पर आरोप लगाया है, आप पर नहीं है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, नालियां सही नहीं हैं, हैण्ड पाइप सही नहीं है, सड़क सही नहीं है। मान्यवर, ये आपका काम है कि पैसा कहां से आये, मेरा काम तो यह है कि चूंकि मेरे आप अधिकारी हैं, आप उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग के मंत्री हैं। अब आपकी ओर उत्तर प्रदेश देख रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो नगरीय विधायक हैं उनकी तरफ जरूर ख्याल रखा जाये क्योंकि उनको रोज जनता के पास घूमना पड़ता है। बगल में जनता रहती है, दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, सुबह पांच बजे आ जाती है। मैं क्या करूं, हम लोग सो नहीं पाते हैं, घरवाली भी कष्ट में है, घरवाले भी कष्ट में हैं। आप अगर काम करा देंगे तो ये पांच बजे नहीं आयेंगे, ये 10 बजे आयेंगे, घरवाली भी खुश हो जायेगी, घरवाले भी खुश हो जायेंगे और हमारी जनता भी खुश हो जायेगी। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सड़कें बिल्कुल नहीं है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बाबूपुरवा कालोनी में जो समिति बस्ती है, उस समिति बस्ती के बीच में इतना कीचड़ भरा हुआ है कि कीचड़ तो निकल नहीं रहा है, पानी नहीं निकल सकता है। अगर वहां पर कोई दिखायी पड़ता है तो सुअर दिखायी पड़ते हैं और सुअर जहां हैं वहां क्या दशा होगी। अभी आपने खुद बताया है। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप नगर के लिये, हम कानपुर के नगर में केवल भाजपा, कांग्रेस, सपा के लोग हैं केवल वही लोग नहीं हैं। जिन्होंने कानपुर का विकास की जगह विनाश किया है और उन्होंने ऐसा कर दिया है कि कानपुर, कानपुर नगर नहीं, उसको नरक का नगर बना दिया है। मान्यवर, कानपुर को बिजली देने का भी प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष-

भदौरिया जी, आपकी बात आ गयी, अब आप समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, बस एक मिनट मुझे दे दीजिये। मैं इस सरकार की प्रशंसा करता हूं और सरकार के मंत्रियों की प्रशंसा करता हूं कि यह हमारी बात भी सुनते हैं। मुझे कभी-कभी दुख होता था कि जब बहुजन समाज पार्टी के विधायक मिलते थे, तब मैं राजनीति करता था और मैं इनसे पूछता था कि यह काम करा दोगे तो यह कहते थे कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर वाली जो मुख्य मंत्री हैं, वह मिलती ही नहीं हैं तो काम क्या करेंगे। यह जो मुख्य मंत्री हैं यह तो मुख्य मंत्री सीधे दिखाई पड़ते हैं। मान्यवर, इनको बुरा नहीं लगना चाहिये। यह हमारी तरफ हैं और बार-बार उस तरफ जाने का प्रयास करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही होता रहा तो यह उठकर इधर आ जायेंगे। मान्यवर, मैं अपने नगर विकास मंत्री आजम खां साहब से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यह कानपुर में नगर विकास के लिये अच्छी योजना लावें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 मोहम्मद अयूब-

मान्यवर, मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय डा0 साहब उन्होंने आपका नाम लेकर कोई आरोप नहीं लगाया, इसलिये आपको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पार्टी की बात की है और पार्टी के बारे में कोई बात कही जा सकती है। इसलिये स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

(श्री रविदास मेहरोत्रा का नाम पुकारे जाने पर एवं डा0 मोहम्मद अयूब के पुनः खड़े होने पर)

आप बैठिये, डा0 साहब, आप पर कोई आरोप नहीं है, उन्होंने पीस पार्टी की बात की है और पार्टी के बारे में कहा जा सकता है। यदि आपको कुछ कहते तो आप स्पष्टीकरण देते।

डा0 मोहम्मद अयूब-

इन्होंने कहा कि [x x x] जो नहीं चाहते कि समाज व्यवस्थित रहे और जो नहीं चाहते कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र बना रहे, ऐसे ही कुछ लोग कभी पीस पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भाजपा से पैसा लिया, कभी आरोप लगाते हैं कि इनसे पैसा लिया, कभी उनसे पैसा लिया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गयी। माननीय मेहरोत्रा जी आप अपनी बात रखें। देखिये आपने अपनी बात कह दी। यह नगर विकास विभाग का बजट मैं 5, सवा 5 बजे तक पास करा दूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं कुछ अर्ज करूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को जो कष्ट हुआ, उसके लिये अफसोस है। यकीनन बेहतर यह होता कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोग जानते हैं और मैं तो पार्टी का नाम भी नहीं ले रहा हूं क्योंकि डा0 साहब बुरा मान रहे हैं। मैं बहुत कम झूठ बोलता हूं। मैं

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जो कहने जा रहा हूं, वह हलफिया बयान तो नहीं है लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं आप एक पार्टी चलाते हैं और पार्टी चलाने वाले की सहनशीलता आम लोगों से ज्यादा होनी चाहिये। दूसरे यह कि जिस तरह की आपकी पार्टी है और जो संदेश होना चाहिये, उसमें बिखरी हुयी उंगलियों को एक जगह जमा करना चाहिये। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि आपने बन्द ऊंगलियों को बिखरने का काम किया है। क्या यह सच नहीं है कि आपने मुस्लिम समाज को बिरादरियों में तकसीम किया है। क्या यह सच नहीं है कि मुसलमानों की ताकत को आपने शिराजा बिखेर कर उन्हें कमजोर किया है, क्या यह सच नहीं है कि उन इलाकों में जहां भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं थी वहां सिर्फ आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद चुने गये और मान्यवर, क्या यह सच नहीं है कि अभी-अभी इस सदन में जो इन आंखों ने देखा है, आपने संज्ञान नहीं लिया था और मैं यह नहीं कहूंगा चाहे पूरा सदन मुझे मजबूर करे कि किनके कहने पर आप खड़े हुए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के कहने से ही आप खड़े नहीं हुए हैं, क्या यह आप हलफिया बयान कर सकते हैं, क्या यह सच नहीं है, अगर आप हलफ की बात करते हैं तो न मैं नाम ले रहा हूं औन न आप नाम लीजिये क्या यह हलफिया बात नहीं है कि भाजपा के एक सदस्य के कहने से आप खड़े हुए हैं, क्या यह सच नहीं है ? मान्यवर, लोगों की जो भी अपनी राजनैतिक हैसियत हो और लोगों को जो उनके बारे में भरोसा हो, उसे कायम रखना चाहिये। आपने एक पार्टी बनाई है और उस पार्टी का एक संदेश हो सकता है, हो। लेकिन अगर आपका यह करेक्टर होगा कि आप उस सच्चाई से इसी वक्त इंकार करेंगे जिस सच्चाई की छत के नीचे आप बैठे हैं जो वाकया मेरी आंखों ने खुद देखा है और मैं लाज रख रहा हूं इस बात की कि आपकी लाज बरकरार रहे, आइन्दा आप इस चीज को याद रखें कि आप किसी के इशारे पर अपनी राय मत दें।

(डा0 मो0 अयूब के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अब डा0 साहब हो गया, बजट पर चर्चा होने दें।

डा0 मोहम्मद अयूब-

अगर यह सवाल है ते जवाब हमें देना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, यह पूरा कागज मैं आपको देता हूं। यह पूरी तैयारी की गयी है इस बजट पर बोलने के लिये। मैं लिख करके आया हूं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये डा0 साहब, आपको एक पार्टी का नेता होने के नाते 20 मिनट समय मिला। अब आप कितना समय चाहते हैं।

डा0 मोहम्मद अयूब-

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का यह कहना सरासर [x x x] है।

श्री अध्यक्ष-[x x x] शब्द यहां नहीं कहा जाता। [x x x] शब्द निकाल दिया जायेगा।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ऐसा वक्तव्य इन्हें यहां नहीं देना चाहिए। यह कहते हैं कि हमने मुसलमानों को जातियों में तकसीम किया है।

श्री अध्यक्ष-

जो सत्यता है वह चारों तरफ बिखरी हुयी रहती है, अब क्यों आप परेशान हैं। अब आप बैठिये।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

आपने [x x x] का इस्तेमाल किया है। आप बताइये कि वह कौन से [x x x] है, अन्यथा इस बात को कार्यवाही से निकलवाया जाये।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप बैठ जाइये और हाशमी साहब आप भी बैठ जाइये। मेहरोत्रा साहब को अपनी बात रखने दीजिये। यह जो शब्द इन्होंने कहा था इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। अब आगे बढ़ने दीजिये।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, यह सीखकर के आवें कि सदन में क्या बोला जाये। पहले यह सीखें, तब बोलें, असंसदीय न बोलें।

श्री अध्यक्ष-

गजाला जी, पहले मेहरोत्रा जी बोल लें, लखनऊ शहर है, नगर विकास विभाग है अगर नगर के एम0एल0ए0 नहीं बोल पायेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा।

*श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय आजम खां साहब ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। .....

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, अनेक बातें ऐसी अभी पिछले 15 मिनट में आयी है उसको आप दिखवा लेंगे, सिर्फ एक शब्द [x x x] ही नहीं, कई शब्द ऐसे आये हैं जो क्रोध के वशीभूत एक माननीय सदस्य ने उत्तेजना में कहे हैं जो नहीं कहे जाने चाहिए। आप उसको लेंगे और श्रीमन्, कई बातें ऐसी कही हैं जो नहीं कही जानी चाहिए। उसको आप निकलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसको निकलवा दूंगा।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के कुछ बोलने पर)

आप बैठिये, आप फिर बवाल पैदा कर रहे हैं। उपेन्द्र तिवारी जी बैठ जाइये, आपके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। वह पिछले 15 मिनट की बात कर रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री उपेन्द्र तिवारी व श्री केशव प्रसाद मौर्य के खड़े होकर कुछ कहने पर शोर)

देखिये, अब हम धीरे-धीरे इस सत्र की समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। आज दो-एक घण्टा बाकी है। आपके बारे में बात पहले हो गयी तो फिर क्यों बार-बार बोल रहे हो। कुछ नियम-कानून समझो।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने किसी [x x x] इस सदन में नहीं कहा।

*श्री उपेन्द्र तिवारी-

अध्यक्ष जी, क्या राजस्व मंत्री को कुछ भी कहने का अधिकार है। अध्यक्ष जी, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

मेरी बात को सुनिये, मैंने पहले ही कह दिया कि [x x x] शब्द को निकाल दिया जायेगा, विधान सभा में कुश्ती लड़ने आये हैं या भाषण देने आये हैं। अब कुछ लिखा नहीं जायेगा। मेहरोत्रा जी अपनी बात रखिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरे लिए प्रत्येक सदस्य माननीय हैं और इस सदन में जो लोग आये हैं सभी माननीय हैं। [x x x] शब्द असंसदीय है और मैं कभी असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करता। अगर कोई घनघोर [x x x] नहीं कहता।

(श्री उपेन्द्र तिवारी कुछ कहने का प्रयास करते रहे लेकिन उनका माइक आफ होने के कारण कुछ सुनायी नहीं दे रहा था)

श्री अध्यक्ष-

[x x x] निकाल दिया जायेगा। मेहरोत्रा जी, अपना भाषण जारी करें। तिवारी जी बैठ जाइये। बैठिये, अब लिखा नहीं जायेगा। न ही कार्यवाही का अंग बनेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, अगर आपके आदेश का अनुपालन कोई न करे और बार-बार उठे तो यह [x x x] नहीं कहता।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी को आपने [x x x] करने की छूट दे रखी है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी बैठ जाइये। राधामोहन दास अग्रवाल जी इनको समझाइये या हम नियमावली की तरफ बढ़ें। विधायक होने के नाते असीमित ताकत हो गयी है क्या ? मैं समझा रहा हूं कि जो भी बातें आपके बारे में है वह मैं निकाल दूंगा। यह मैंने पहले ही कह दिया है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जब मा0 सदस्य अन्दर आये तो [x x x] शब्द को लेकर बहस चल रही थी। इस विषय पर सुबह एक बहस हो चुकी है। मान लीजिए कोई बात आयी थी, कुछ लोगों के अन्दर शब्द-चातुर्य होता है कुछ लोगों के पास शब्द-चातुर्य नहीं होता है। जिसके पास है उसको इस चातुर्य को बचाये रखना चाहिए और उसका प्रयोग उस जगह करना चाहिए जहां जरूरी हो। बार-बार उन्हें उत्तेजित करना वह तो मैं जानता हूं कि सब सही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो कुछ माननीय अम्बिका चौधरी जी ने कहा है वह भी अनुचित है आप उसको भी दिखवा लीजिए और इसको भी निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं सब दिखवा लूंगा मैंने पहले ही कह दिया था उसमें जो ऐसी बातें होंगी वह निकलवा देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं डा0 राधामोहन दास अग्रवाल का स्वागत करता हूं उनकी बातों का सम्मान करता हूं और उस बात को पुष्ट करता हूं सिर्फ इतना न निकलवाइएगा जो मैंने यह कहा था कि उत्तेजना में अगर कोई शब्द अनुचित निकल गये हों तो पूरी तौर पर निकलवा दिये जाएं। इसको न निकलवाइएगा। बाकी जो राधामोहन दास ने निकलवाने के लिए कहा है उससे ज्यादा निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब चलते चलाते इतनी गर्मी न हो शांति से चला जाए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी आदरणीय आजम खां साहब ने पिछले पांच साल में जो नगर विकास की बजट में घपले हुए हैं जनता समस्याओं से परेशान रही है पिछले पांच साल में विकास के नाम पर लूट हुई है और माननीय आजम खां साहब ने जब बजट प्रस्तुत किया और अपनी बात कह रहे थे तो पूरे प्रदेश के शोषित पीड़ित कमजोर परेशान लोगों के दुख और दर्द की जब वह बात कह रहे थे तो उनकी आंखें नम हो गई थीं माननीय अध्यक्ष जी पूरा प्रदेश यह बात जानता है कि ईमानदारी का अगर कोई पर्यायवाची है तो वह आजम खां साहब हैं। नगर विकास में जो धन का आवंटन हुआ है उसका ईमानदारी के साथ बगैर कमीशन और दलाली के अगर काम होगा तो जनता समस्याओं से परेशान रही है उन समस्याओं का हल होगा। माननीय आजम खां साहब ने लखनऊ शहर के समग्र विकास के लिये 100 करोड़ रुपया दिया है। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। पिछले पांच सालों में लखनऊ शहर में जो घनी बस्तियां हैं जहां पर नाले बहते हैं उन नालों में सफाई नहीं हुई और हर साल बरसात में 12-13 बच्चे बुजुर्ग लोग उसमें गिरकर उन लोगों की मौतें हुई हैं। जब नाले में गिरकर बच्चों की मौतें हो रही थीं जिस समय उस समय प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री अपने बंगले में 86 करोड़ रुपये लगाने का काम कर रही थीं। आज सारे नाले खुले हुए हैं। लेकिन आजम खां साहब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के प्रयास से इन नालों में सफाई का काम शुरू हुआ है हमारी मांग है जहां पर बस्ती है आबादी है उन स्थानों पर उन नालों को ढकने का काम हो ताकि बरसात में किसी बच्चे या बुजुर्ग की उनमें गिरने के बाद मौत न हो। अध्यक्ष जी पिछले पांच सालों में लखनऊ शहर में कोई सड़क बनने का काम नहीं हुआ। सड़क बहुत जर्जर और टूटी है आजम खां साहब के मंत्री बनने के बाद उन सड़कों में सुधार का काम हुआ है लेकिन इस काम को और तेज करने की आवश्यकता है अध्यक्ष जी लखनऊ शहर में मलिन बस्तियां हैं। मलिन बस्तियों में गरीब कमजोर असहाय अल्पसंख्यक वर्ग के लोग वहां पर रहते हैं हमारी मंत्री जी से मांग है कि मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं उनको उसी स्थान पर मालिकाना हक देने का काम हो वह उस जमीन के मालिक बन जायेंगे तो उनसे रुपया आएगा नगर विकास विभाग में क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं उनको सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं अगर उनको मालिकाना हक मिल जाएगा तो नगर निगम में आमदनी बढ़ जाएगी। उनको मालिकाना हक मिलने का काम हो जाएगा। मान्यवर, जाड़े के मौसम में लखनऊ शहर में तमाम जगहों पर कोई रैन बसेरा नहीं है जब शीत लहर चलती है तो यहां पर खुले आसमान के नीचे गोमती के पुल के ऊपर लोग सोते हैं हमारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि लखनऊ शहर में उन बेसहारा असहाय, गरीब, मजदूर, परेशान लोगों के लिये रैन बसेरे बनाने का काम हो। माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके से इंसान से इंसान के घसीटने का काम होता था रिक्शे से उसमें मोटर लगाने का जो प्रयास करने का काम शुरू किया है लखनऊ शहर के अन्दर लगभग 1 लाख परिवार रिक्शे के माध्यम से पलते हैं उनको अगर मोटर लगा रिक्शा मिल जायेगा तो आज तमाम परिवार खुशहाल हो जायेंगे। माननीय मंत्री जी को इसके लिये हम आपकी ओर से बधाई देने का काम करते हैं। मान्यवर, कालिदास मार्ग पर मुख्य मंत्री आवास के सामने मार्टिनपुरवा में सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन न होने के कारण अभी कुछ दिनों पहले वहां 3 लोगों की मौत हो गई।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी बोलने के लिये समय मिलेगा, क्यों परेशान होते हैं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

हमारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग है कि वहां पर सीवर लाइन बनाने का काम हो जाय। गोमती नदी में माननीय अध्यक्ष जी, 7 नाले खुलते हैं। यह 7 नाले खुलने के कारण गोमती नदी का पानी गन्दा हो गया है। यही गोमती का पानी जल संस्थान में आता है और वही पानी पूरा शहर पीने का काम करता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

यह जो 7 नाले गोमती में खुल रहे हैं वहां पर उपकरण लगाये जायं और यहां पर जो नाले खुल रहे हैं उनको रोका जाय और नालों की जो गन्दगी, जो मैला आ रहा है वह न हो। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

* श्री महाबीर सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सहारनपुर नगर निगम के माध्यम से आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सहारनपुर नगर निगम इस प्रदेश का तेरहवां नगर निगम बना है। माननीय मंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। 32 गांव सम्मिलित किये गये थे, 62 कालोनियां हैं वहां पर 80 प्रतिशत बजट नगर के विकास के लिये होना चाहिए क्योंकि उन गांवों में, उन कालोनियों में नगर विकास की कोई योजनाएं नहीं हैं। अभी वहां पर चुनाव भी नहीं हो पा रहा है इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वहां चुनाव कराया जाय ताकि बिजली, सड़क, पानी की वहां पर व्यवस्था की जाय और नगर का विकास हो जाय। सहारनपुर नगर में लकड़ी का बहुत बड़ा उद्योग है, उस उद्योग के लिये और सुविधा दी जाय इसी माध्यम से हम आपका धन्यवाद करते हैं।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे कहां जाना है आपको ? गजाला लारी जी को बोलने दीजिये। एक महिला यहां बोलती है उसको भी नहीं बोलने देंगे।

*श्रीमती चौधरी फसीहा बशीर उर्फ गजाला लारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है, इसके लिये हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। माननीय मंत्री जी ने, जनाब आजम खां साहब ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है, चूंकि सारे प्वाइंट्स पर नहीं, 1-2 प्वाइंट्स पर हम अपनी बात कहना चाहते हैं। हमारी सरकार ने जो मुस्लिम लड़कियों के लिये जो शिक्षा का माहौल देने का काम किया है, हाई स्कूल पास करने के बाद 30 हजार रुपये, जिससे कि वह आगे अपनी पढ़ाई आसानी के साथ कर सके इसके लिये हम अपनी सरकार को हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी को और प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को और माननीय मंत्री जी श्री आजम खां साहब को बहुत-बहुत मुबारकबाद देते हैं (मेजें थपथपाई गईं) पूरे हिन्दुस्तान में पहली बार हमारे कब्रिस्तानों को सुरक्षित रखने के लिये हमारी सरकार ने जो चहारदीवारी बनाने का फैसला लिया है, कुछ साल पहले हम लोग जब उधर बैठा करते थे तो हमें भी एक मिनट के लिये बोलने का मौका मिला था और हमने आपकी उस पीठ पर बैठे हुए अध्यक्ष जी से हमने अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश के कब्रिस्तान जिनकी चहारदीवारी नहीं है, उसकी वजह से गांव में जो कि झगड़े की एक जड़ भी है, बहुत परेशानियां होती हैं हो सके तो आप लोगों की तरफ से यह व्यवस्था दी जाय सरकार से कि कब्रिस्तान की एक चहारदीवारी बाउन्ड्रीवाल बना दी जाय जिससे कि झगड़े का खात्मा हो सके। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमारी बातों को बहुत गम्भीरता से लिया और अपने घोषणा-पत्र में इस बात को शामिल किया और आज की डेट में वो यह करने जा रहे हैं। हमारे पूरे कब्रिस्तान की बाउन्ड्री वाल होगी। जिससे झगड़े का खात्मा हो सके। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हमारी पार्टी के नेता मुलायम सिंह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यादव जी ने हमारी बातों को बड़ी गम्भीरता से लिया और अपने घोषणा-पत्र में इसको शामिल किया और आज की डेट में यह करने जा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउन्ड्री वाल होगी और झगड़े की जड़ खत्म होगी और नाजायज कब्जे रोके जायेंगे। लोगों की बेइज्जती नहीं होगी। जो गन्दे जानवर कब्रिस्तानों में घुस जाते हैं और लोग गलत तरीके से कब्रिस्तान में जाकर गलत काम करने का काम करते हैं उसको भी रोका जा सकता है। हम कहना चाहते हैं कि हमारे इस सदन में पीस पार्टी, थोड़ी सी बात हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने पिछड़ों के नाम पर मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा।

(मेजें थपथपाई गईं)

जिन मुसलमानों ने इनकी बातों में आकर इनका साथ दिया उनको इन्होंने शक और शुबहे में डाल दिया। वहां जहां कि इनका कोई विधायक नहीं है, यह कुछ करने के लायक तो है नहीं, लेकिन इन्होंने शक में डालने का काम जरूर किया है। इन्होंने मुसलमानों को पीस-पीस करने का काम किया है अपनी पार्टी की तरह से। आपने हमें इस अवसर पर बोलने का मौका दिया इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ अहम् मसलों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान इस कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन में 63 शहरों को शामिल किया उसमें सात शहर उत्तर प्रदेश के थे जिस तरह से जिस दरिन्दगी से जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन की रेड़ लगी है हम लोगों को शर्मसार हो जाना चाहिए। जब हमसे दिल्ली वाले पूछते हैं कि आपके उन सात शहरों को इस योजना के अन्तर्गत अरबों रुपया दे दिया गया। उन शहरों का क्या हाल है, हम कहते हैं कि पुरसाहाल है। इतना बुरा हाल है जिस तरह से व्यवस्था चौपट की गई। सीवर लाइनों की व्यवस्था इतना खराब है कि 6-6 इंच की सीवर लाइनें बड़ी-बड़ी सड़कों पर बिछाई गई है। हमें समझ में नहीं आता है इतना जबर्दस्त आबादी की गली मोहल्लों की गन्दगी उन 6 इंच के पाइपों की कैसे निकलेगी जो मिलीभगत हुई है आपके जल निगम के ठेकेदारों और जल निगम के तत्कालीन अधिकारियों के बीच में वह सब उसी में चला गया है। वह चाहे लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, मथुरा हो, कानपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे वाराणसी हो, इन शहरों में सीवर बिल्कुल चौपट है आप इसकी जांच कराइये। सालेड बेस मैनेजमेंट के नाम पर भी कोई खास काम नहीं हुआ है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप दक्षिण भारत जाकर शहर देखिए जहां जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के नाम पर काम हुए हैं। वहां लगता है कि कुछ काम हुए हैं। आपने डी0पी0आर0 बनाई है उसमें आपने तीन हैड को छोड़ ही दिया। रिबर्स साइड डेवलपमेंट गोमती के लिए चिल्लाते रहते हैं बनारस के लिए कहते हैं मथुरा के लिए कहते हैं कानपुर के लिए कहते हैं रिबर्स साइड डेवलपमेन्ट की डी0पी0आर0 आपके स्टेट में बनीं इसी तरह से अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई डी0पी0आर0 तैयार नहीं की गई। हमें जब कोई केन्द्र सरकार की योजनायें प्रकाशित होती हैं तो हमारे प्रदेश सरकार को सजग रहना चाहिए। सदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट के आफिसर आंख लगाये बैठे रहते हैं और यह दो-दो साल निकल जाते हैं तो हमें होश आता है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि केन्द्र सरकार ने कौन सी योजना घोषित की तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जैसे विजुअलरी मंत्री बड़ी बारीकी और तफसील से देखते हैं तो आप इस जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन की फाइल खुलवा लें और पता करें किस प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ और कितना रह गया है और कितने में लूट मची है, कितना बाकी है। मान्यवर, इसी तरह मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। आपकी नगर पालिकाओं की स्थिति चेयरमैन और ई0ओ0 के बीच में बड़ी गड़बड़ है। आपको कोई पालिसी बनानी होगी। ये लोग मिलकर खूब लूटते हैं। तमाम चेयरमैन को सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, लेकिन अदालतें बैठी हैं, उनको स्टे देने के लिए। इसलिए नगर पालिकाओं की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपको एक पालिसी बनानी पड़ेगी। आपने नगर निगम में अधिकारियों को पावर दे रखी है और इस मामले में भी आप गौर फरमायें। मान्यवर, आप इण्टरलाकिंग टायल्स की बात की है। आज आप देखिए, एक-एक जिले में कम से कम दो-दो हजार यूनिटें लगी हैं, इण्टरलाकिंग की। कोई मानक नहीं है, कोई भी एक कमरे में इण्टरलाकिंग की फैक्ट्री डाल देता है। उसकी 40 एम0एम0, 50 एम0एम0, 100 एम0 की जो टायल बिछाइये और गाड़ी चलाइये, टूटती चली जाती है। आप इनको इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से कोई मानक तय करिए, आई0एस0आई0 का कोई इनका मानक तय करिए, स्टेंथनिंग का कोई मानक तय करिए और उनकी मसरूमिंग ग्रोथ जो इण्टरलाकिंग टायल्स की होती है। उन यूनिटों को रोकिए। यह इण्टरलाकिंग 3-3 महीने में ही टूट जाती है। मान्यवर, समग्र विकास के नाम पर 300 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने वृन्दावन को दिये, पता नहीं कहां चले गये। सड़कें, गलियां आप देखिए, सब टाइल क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिस तरह की टाइलें उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, 6 महीने में उनकी पूरी सर्फेस बेकार हो जाती है और मिट्टी हो जाती है, आप इनके मानकों पर भी गौर फरमाइये। मान्यवर, इसके अलावा एक बात और कहनी है। बैकलॉग की भर्तियां सफाई कर्मचारियों के नाम पर हुई, उसमें एम0काम0, एम0बी0ए0, बी0काम0, बी0सी0ए0 किये हुए लड़कों को नौकरियां दी गयी हैं, सफाई कर्मचारियों के नाम पर। आप उन लोगों को भिजवाइये नालों की सफाई करने के लिये, उन लोगों से कहिए, झाड़ू लगाये। माननीय मंत्री जी मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि वे लोग जो तनख्वाह लेते हैं, उसमें से दो हजार रुपये बाल्मीकि समाज के किसी लड़के को देते हैं और उन पढ़े-लिखे लोगों की तरफ से वह 2 हजार रुपये पाने वाला आदमी सफाई करता है तो बैकलॉग के तहत भर्ती किये गये इन पढ़े-लिखे लोगों की आप जांच कराइये। मान्यवर, आज सुबह आपने संविदा पर नियुक्ति कर्मचारियों के बारे में कहा था। लेकिन मैं आपको बैकलॉग की अन्दरूनी कहानी के बारे में बता रहा हूं। इसके अलावा मान्यवर, यह सालिड बेस मैनेजमेण्ट, सीवर, रेन वाटर ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर और म्यूनिशिपल रिफार्म, यह जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के जितने काम हैं, उनके लिये आप एक कन्ट्रोल रूम बना दीजिए तो ढंग से काम हो जायेगा। मान्यवर, यही मुद्दे थे, आपको बताने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप जैसे तेज तर्रार मंत्री इन पर जरूर गौर फरमायेंगे अपनी जल निगम की मशीनरी को ठीक करेंगे क्योंकि जिस तरह से जल निगम के नाम पर लूट हुई है। मैं बताना चाहता हूं बहुत गम्भीर मामले हैं, ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं कि जब अधिकारी बैठे हो, मंत्री बैठे हों और पूरा सदन बैठा हो। मान्यवर, जल निगम के वाटर ड्रेनेज का मामला देखिए, हमने 10 कम्पनियां इन्ट्रोड्यूस की, मथुरा में जो नाले बनने थे, अभी तक लिंक नहीं हुए हैं, 97 करोड़ के नाले। जब बारिश होगी तो पूरा क्षेत्र डूब

जायेगा, नाले अभी लिंग ही नहीं हुए हैं तो जिन बातों को मैंने यहां रखा है उन पर तवज्जो चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, नगर विकास के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब हमारी समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार थी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप उस समय भी संसदीय कार्य मंत्री थे और हमारी विधान सभा मैनपुरी में आपने कई करोड़ रुपये की योजनाएं सीवर लाइन की दी थी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक वह योजना पूरी नहीं हुयी है। मान्यवर, 40 प्रतिशत कार्य अभी भी बकाया है। जितना धन आपने उपलब्ध कराया था उसकी बुरी तरह से बंदरबाट हुयी है। 2006 के रेट और आज 2012 के रेट में जमीन आसमान का अंतर है। जब मैंने अधिकारियों से कई बार जानने का प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा धन आवंटित हुआ था तो वह पूरा धन कहां गया। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के लोग मद चेंज करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। इन्होंने मद चेंज करके पूरा पैसा खर्च कर लिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैनपुरी जनपद की जो परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं उनके लिए समुचित धन की व्यवस्था करायें और साथ ही जो धन का बंदरबांट हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करता हूं। जहां तक आजम साहब की ईमानदारी की बात रही है इस छोटे से जीवन में साढ़े चार घण्टे इनके घर में बिताने का मुझे मौका मिला है। मैंने इनके साथ खेत की मेढ़ पर बैठकर तरबूज भी खाया है और आप मुझे अपने शयन कक्ष में ले गये और पुश्तैनी पंखा दिखाया और वह जनरेटर दिखाया। मैं समझता हूं कि इस सदन के सदस्यों में सबसे खराब जनरेटर उन्हीं का था। जो लोग आजम साहब की ईमानदारी पर उंगली उठाते हैं आजम साहब किसी की तारीफ के मोहताज नहीं हैं वह स्वयं में ईमानदारी की एक परिभाषा है और ईमानदारी के वह पर्यायवाची हैं। सम्मानित सदस्य अभी कह रहे थे कि पैसे लेने का आरोप बताइये। मान्यवर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन उस दल के लोग मेरे पास आये थे कि तुम इतना धन दे दो तो हम अपनी पार्टी का प्रत्याशी तुम्हारे मनमाफिक उतार देंगे। जब मैंने नहीं दिया तो मेरे घर के बगल के लड़के को प्रत्याशी बना दिया जिसको मात्र सौ वोट मिले और मैनपुरी की जनता ने उसे सबक सिखा दिया। मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

*श्री जय प्रकाश निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, नगर विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपने गोरखपुर नगर निगम की बात रखना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे गोरखपुर नगर निगम की आज सफाई को लेकर अभी अपने बजट भाषण में मा0 नगर विकास मंत्री जी कह रहे थे, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, वह वरिष्ठ मंत्री हैं और सम्मानित हैं लेकिन एक अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में नगर निगम की हालत दो महीने से बदतर होती जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके सामने कहना चाहता हूं कि इस सरकार के जो नगर आयुक्त गोरखपुर हैं, एक दिन मैंने दूरभाष पर उनसे बात करना चाहा। बात की तो उनको ऐसा लगा कि वह नगर आयुक्त ही नहीं है, इस तरह से उन्होंने अपने आपको महसूस किया। मान्यवर, गोरखपुर में मिरजापुर एक वार्ड है उस वार्ड की समस्या जब मैंने उनको सुनाना चाहा तो उन्होंने सुनने से इंकार कर दिया। मान्यवर, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इस सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी इस सरकार की जरा सी भी हनक महसूस नहीं हो रही है कि हमें अपने दायित्वों का निर्वहन किस तरह से करना चाहिए, वह करने के लिये तैयार नहीं है, इस बात को मैं आपको महसूस कराना चाहता हूं क्योंकि इस प्रदेश के एक सम्मानित मंत्री जी ने जा आदेश आला अधिकारियों को दिया है, वह आला अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं जानते कि मुझे क्या करना चाहिए। वहां पर सफाई के नाम पर आज उसकी जांच करा ली जाय पूरे नगर निगम की तो सफाई के नाम पर एकदम जीरो है। हर गलियों में आप जिन गलियों से गुजरेंगे, उन गलियों में एक इस तरह की दुर्गन्ध आती है कि वहां पर चलना दुस्वार हो गया है।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य विरोध स्वरूप अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई)

मान्यवर, आज सत्ता पक्ष के हमारे मा0 सदस्यों को सही बात को सुनना अच्छा नहीं लगता। हम लोग भी नये सदस्य हैं और अपनी बात को कहना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे मा0 सदस्य जो भी हैं उन्हें सही बात सुनना पसन्द नहीं आता और सही बात को सुनने की आदत नहीं डालते। साथियों निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं है, आप इस बात को याद करो कि जिस दिन आप यहां होंगे और हम लोग वहां पर होंगे और इस बात को हम लोग दोहराने का काम करेंगे, ऐसी बातें नहीं हैं, अभी-अभी एक मा0 सदस्य जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी सही बात को आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई भी बे-बुनियादी आरोप लगाकर के आपने उनकी बात को दबाने की कोशिश की है। उसी तरह से आप किसी भी मा0 सदस्य की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार किसी एक पार्टी की नहीं होती है, सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की होती है। जनता ने सरकार बनाया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी मा0 सदस्य की बात को सुनने से इन्कार कर दिया जाय। कोई भी मा0 सदस्य अगर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुनाना चाहता है तो सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य बीच में टीका-टिप्पणी कर के मा0 सदस्य को दबाना शुरू कर देते हैं, ताकि वह अपने क्षेत्र की समस्या को सदन के समक्ष न रख सके। यह बात बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि यह सरकार गुण्डा, माफिया और अराजकता की सरकार है, इस सरकार में गुण्डागर्दी, माफियागिरी चरम पर है, यह दूसरे की समस्याओं को सुनना नहीं चाहती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं सुना रहा था, मेरे गोरखपुर में मिर्जापुर मोहल्ले में, दलित समाज के लोग, गरीब तबके के लोग, एक निम्न वर्ग के लोग निवास करते हैं, वहां के नगर निगम का जो ठेकेदार है वह सफाई का कार्य तो करवाता नहीं और पूरा का पूरा पैसा फर्जी तरीके से निकाल कर खा जाता है। सफाई न होने के कारण आज उस मोहल्ले के कम से कम दस-बारह लोग रोजाना बीमार हो जाते हैं जिन्हें गोरखपुर मेडिकल कालेज में जाकर अपना इलाज कराना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

निषाद जी अब आप समाप्त करें, आपकी सारी बातें आ गई हैं।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं वर्ष 2007 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहां मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, मान्यवर, 2007 में वहीं गोरखपुर में जो मानीराम का विधान सभा हुआ करता था और वहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक, लगभग तीन-तीन, चार-चार बार जीतकर के जाने वाला विधायक, वही मुसलमानों की बस्ती थी और वही नूरी मस्जिद थी जिसमें गन्दी नाली का पानी बहा करता था, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहां के मुसलमानों की हालत बद्तर थी। किसी की नजर वहां नहीं जाती थी। मान्यवर, हमारे क्षेत्र के स्थानीय निकाय के विकास पर ध्यान देने को काम करें। यह मैं अपेक्षा करता हूं। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री जमीर उल्ला खां-

मान्यवर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे नगर विकास के बजट पर जो मा0 आजम खां साहब ने रखा है बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अलीगढ़ में ए टू जेड कम्पनी है वह बी0एस0पी0 के लोगों की बनायी गयी कम्पनी है उन्होंने पांच सौ करोड़ की जमीन घेर ली है वह दो करोड़ रुपये प्रति माह इकट्ठा करते हैं और नगर विकास से भी लेते हैं। मान्यवर, काम के नाम पर वहां कुछ नहीं है इसको देखने का कष्ट करें। मान्यवर पिछले पांच सालों में बी0एस0पी0 की सरकार यहां पर रही। कोई भी विकास का कार्य अलीगढ़ में नहीं हुआ। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बहुत सारी छोटी-छोटी मुस्लिम बाहुल्य बस्तियां हैं जैसे जमाल नगर, मौलाना आजाद नगर आदि। मान्यवर, यह गरीब मुस्लिम लोग इसलिए इन बस्तियों में रहने के लिए जाते हैं कि वहां पर 50 रुपये गज की जमीन मिल जाती है और अपना छोटा घर बना लेते हैं। मान्यवर, वहां पर हालत यह है कि इन मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में सोलह-सोलह फीट के गड्ढे हैं जिनमें उनके मकान बने हैं। मान्यवर, वह लोग रात को शौच करते हैं और सुबह उठकर उनके घर की महिलायें उसे उठाकर दूर फेंकने जाती हैं। यह हालत है उन गरीब मुस्लिमों की। मान्यवर, पिछली बी0एस0पी0 की सरकार ने वहां के विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया मान्यवर, जब उन बस्तियों से सभासद चुने जाते हैं और लोग हाउस टैक्स देते हैं तो वह बस्तियां अवैध कैसे हैं। वह वैध बस्तियां हैं। वहां पर विकास होना चाहिए। मान्यवर, यह कहा जाता है कि 650 गज का जहां नक्शा पास नहीं होता है। वहां विकास नहीं हो सकता है। मान्यवर, आप वहां विकास का कार्य कराने का कष्ट करें। मान्यवर, यदि इन बस्तियों के अन्दर नगर निगम के अधिकारी नजर डालेंगे तो वह खुद बा खुद यह महसूस करेंगे कि इन नागरिकों को विकास का रास्ता दिया जाये। मान्यवर, मा0 आजम खां साहब गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। आपकी नजर हमारे क्षेत्र पर जायेगी और गरीब मुस्लिमों का भला होगा ऐसी हमें उम्मीद है। मान्यवर, वहां नाली नहीं है, नाला नहीं है, खड़न्जा नहीं है, सड़क नहीं है उस ओर मा0 मंत्री जी ध्यान देंगे। मान्यवर, हमारे यहां मौलाना आजाद नगर है मुस्लिम बाहुल्य बस्ती है उसमें लगभग चालीस हजार गरीब मुस्लिम लोग रहते हैं वहां एक भी सड़क नहीं है खड़न्जा नहीं है। मान्यवर, आप वहां व्यवस्था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करा दें इन आधारभूत व मूलभूत सुविधाओं का। मान्यवर, ऐ टू जेड कम्पनी को जरूर दिखवा लें कोई सफाई का काम नहीं होता है। मुझे इस बात का फख्र है कि मैं विधान सभा का सदस्य हूं और उससे ज्यादा फख्र इस बात का कि मैं उस विधान सभा के अन्दर सदस्य के रूप में बैठा हूं जिसमें भाई आजम खां साहब उसके सदस्य हैं और प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम् मंत्री हैं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय समाजवाद।

*श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने का मौका दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में निघासन तहसील वह 132 साल पहले बनी थी और नगर पंचायत के सारे कामों को पूरा करती है ब्लाक थाना तहसील सब वहां पर हैं और मैंने एक मई को माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में वार्ता की थी राज्य सरकार का 5 जून को पत्र निघासन तहसील में गया और फिर वह फाइल कम्पलीट होकर के आ गयी है। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 132 साल पुरानी तहसील जो नगर पंचायत का सारा दर्जा पूरा करती है 5 जून को अभी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पत्र भेजा था वह पूरी फाइल हो करके 26 जून को यहां आ गयी है। दूसरी एक फाइल निघासन के पास तिकुनिया कस्बा पड़ता है जो नेपाल बार्डर से जुड़ा हुआ है उस कस्बे के सम्बन्ध में भी हम लोगों ने प्रयास किया था मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि दोनों फाइलें आ गयी हैं। निघासन नगर पंचायत और तिकुनिया नगर पंचायत मेरी विधान सभा में पड़ती है मेरा आपसे कृपापूर्वक निवेदन है कि इन दोनों ने सारे मानक पूरे कर लिये हैं और अधिकारियों ने भी अपनी राय दी है स्पष्ट रूप से कहा है कि यह नगर पंचायत के सारे दर्जे को पूरा करती है और वहां पर नगर पंचायत का दर्जा देना समीचीन होगा और लोगों के फायदे के लिए भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन स्थानों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय। दूसरा अल्पसंख्यक कल्याण के विभाग में यहां पर मैं देख रहा हूं कि हिन्दू मुस्लिम का एक ऐसा वातावरण बनाने का जो काम नेता करते हैं वह काम केवल वोट के लिए करते हैं। वास्तव में जिनको आवश्यकता है उनको धन उपलब्ध होना चाहिए उनकी सहायता करनी चाहिए। एक उदाहरण है मैं चुनाव में गया था एक जगह पर मुझे लोग ले गये कहने लगे कि यह मजार है यहां पर आप चलें और इस मजार पर भइया चलो। चुनाव में लोग ले जाते हैं कि यहां जीतेंगे हमने चद्दर माना है। इस तरह से मुझे वहां ले गये और जब मैं मजार पर पहुंचा तो मैंने एक बहुत आश्चर्यजनक दृश्य वहां देखा कि मजार के बाहर एक पंडित जी पूरा पंडाल लगाये थे और वहां पर भागवत की कथा भी हो रही थी किसी को कोई एतराज नहीं। बहुत बढ़िया वहां पर वातावरण था। हिन्दू मुस्लिम सब वहां पर तो हमने उत्सुकतावश पूछा कि भइया यह क्या हो रहा है तो लोग कहने लगे कि लोग बाबा से मांगे थे कि हमारे यहां लड़का हो जाय तो हम बाबा आपके स्थान पर भागवत करायेंगे वहां भागवत हो रही थी और बड़ा बढ़िया वातावरण एक बना हुआ था तो इन सब बातों और विवादों में फंसने के बजाय हम लोग यह देखें कि वास्तव में किसको आवश्यकता है विकास के पथ पर बढ़ाने का उसका प्रयास करना चाहिए। शिक्षा, सड़क और ऐसे जो भी काम होने हैं चाहे अल्पसंख्यक के क्षेत्र में हो, चाहे बहुसंख्यक के क्षेत्र में हों, चाहे दलितों के क्षेत्रों में हो वह काम होने चाहिए और एक बार पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हुए कि निघासन और तिकुनिया को नगर पंचायत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का दर्जा देने का काम करेंगे। मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सईद अहमद-

मान्यवर, आपने मुझे अल्पसंख्यक कल्याण के बजट का समर्थन करने का मौका दिया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बजट बहुत ही अच्छा, हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। परन्तु उत्तर प्रदेश में 22 प्रतिशत की जनसंख्या को देखते हुए बजट थोड़ा कम लगता है। मेरा अनुरोध है कि बजट की धनराशि को 22 प्रतिशत की जनसंख्या को देखते हुए कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी और कर दी जाय। मेरे कुछ सुझाव हैं मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को 25 प्रतिशत का आरक्षण दिलाया जाय। इसी प्रकार से अल्पसंख्यकों को व्यापार और उद्योग लगाने हेतु समस्त बैंकों को आसान ब्याज पर प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने हेतु आदेश जारी किया जाय, मदरसों पर हर कीमत पर हिन्दी और अंग्रेजी की पढ़ाई सुनिश्चित कराई जाय, समस्त विभागों में अल्पसंख्यकों की समस्या के निदान को प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित किया जाय, कार्य योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार जरूर कराया जाय, अल्पसंख्यक के दफ्तर एकदम कोने में रखे जाते हैं जहां अल्पसंख्यक बेचारा पहुंच ही नहीं पाता है मेरा अनुरोध है कि अल्पसंख्यक समाज के जो दफ्तर है उनको मुख्य स्थान पर स्थापित किया जाय और उनसे प्रचार-प्रसार की सारी व्यवस्था कराई जाये ताकि अल्पसंख्यक अपने कल्याण के लिए इन दफ्तर में पहुंचकर अपनी बात कह सके।

मैं आज कहना चाहता हूं कि एक पीस पार्टी के साहब अभी बोल रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि इनकी पार्टी के कुछ लोग आये थे जो मुझसे कह रहे थे कि पांच लाख रुपये की व्यवस्था आप करा दीजिए मैं आपको पीस पार्टी से टिकट देने का काम करूंगा और मुझे बताया कि हमारे डाक्टर साहब 4000 करोड़ के आदमी हैं। 4000 करोड़ का आदमी डाक्टर साहब को बताया गया और कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ काम करेंगे और ये 5 लाख रुपये आप दे दीजिए तो आपको पीस पार्टी से टिकट मिल जायेगा और आगे आने वाले समय में तमाम ऐसी व्यवस्था की बातें की इन्होंने की जो यहां इस सदन में कहना उचित नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अल्पसंख्यकों के एक बहुत बड़े नेता पैदा हो गये हैं, इमाम बुखारी साहब, जिनके लिए मैं आज इस सदन में मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनके आवागमन में पाबन्दी लगा दी जाए। इमाम बुखारी साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुसलमानों में शांति व्यवस्था कायम हुई है, उसको फिर से उखाड़ने का काम कर रहे हैं। वे जातिगत आधार पर मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि मौलाना बुखारी को उत्तर प्रदेश की धरती पर अपनी व्यक्तिगत राजनीति करने की छूट न दी जाए। अपने दामाद को एम0एल0सी0 बनवाना सरकार पर अनावश्यक दबाव डलवाना, इन बातों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के हालात को देखते हुए कि सच्चर कमेटी की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हालात का पूरा का पूरा जायजा ले। पूरा का पूरा जायजा लेकर के कमेटी अपनी रिपोर्ट 6 माह में प्रस्तुत करें ताकि मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए हर प्रकार से व्यवस्था की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये। मा0 सोलंकी जी, आप कई बार बोल चुकी है। मा0 सदस्य कभी नहीं बोले हैं। इन्हें बोलने दें। आप लोग बैठ जाएं।

*श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मैं जिस शख्स के द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव की कटौती के लिए खड़ा हुआ हूं, उनकी मैं अपने दिल से बेपनाह इज्जत करता हूं। यह सदन जैसे उनके प्रति इज्जत रखता है लेकिन मुझे नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में दो बार काम करने का अवसर मिला है।

(श्री उमा शंकर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

उमा शंकर जी आप कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार कटौती रख चुके हैं। मा0 सदस्य, कभी नहीं बोले हैं आज तक। पहली बार बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं कोशिश करूंगा कि कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपने कुछ सुझाव दे सकूं। मा0 मंत्री जी के माध्यम से यह तो हम सब लोगों को पता लगा कि इंटरलॉक की जो इन्होंने पहले सड़कों की सोच रखी थी, उसके पीछे बरसात का पानी जमीन में चला जाए और कभी जब टेलीफोन यदि अन्य की लाइनें खुदती हैं या कोई अन्य तो पहले पूरी सड़क डेमेज हो जाती है, तो मा0 मंत्री जी की यह सोच थी कि टाईल्स उखड़ जाए उसमें काम हो जाए और उसके बाद वह फिर ठीक हो जाए। आदरणीय, माथुर साहब ने जो बात रखी, मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो टाईलें हैं जो राख होती है और घटिया सीमेन्ट होती है उसको मिलाकर बनाने का रिवाज चल पड़ा था। मैंने अपने समय में यह प्रयास किया था कि स्ट्रेन्थिनिंग मशीन आती है, जो कि ज्यादा मंहगी नहीं आती है केवल 4-5 हजार रुपये की आती है, तो आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि यदि आप टाइल्सों का सिस्टम लगवाएं तो प्रत्येक नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में वह स्ट्रेन्थिनिंग मशीन हो, जिससे पता लग सके कि इतने प्रेशर में इस ईंट की यह क्षमता है। मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करिए, आप खुद ही अध्यक्ष रहे हैं।

श्री मनीष असीजा-

एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में नगरपालिका, नगर निगम हैं और नगर पंचायत हैं उसमें खासकर नगर पंचायत और नगरपालिका परिषदों में जो हमारे सबसे ज्यादा मेहनतकश लोग हैं, जो ऐसा काम करते हैं जो मैं समझता हूं, जो यहां बैठा सदन में से कोई व्यक्ति न चाहेगा कि वह काम किसी इंसान को करना चाहिए उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं और साहूकारों की जो ब्याज की दरें होती हैं वह 10 रुपये से 20 रुपये महीना होती है। 100 रुपये पर 10 रुपये, 20 रुपये महीना लेते हैं तो मैंने अपने कार्यकाल में यह प्रयास किया था और मा0 नगर विकास मंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे सफलता मिली थी और बैंकों में उनके खाते खुले थे। आपको ये जानकर अचरज होगा कि आजादी के 60 साल बाद के इस सभ्य भारत में कम से कम चार बैंक मैनेजर्स के साथ तो मुझे व्यक्तिगत रूप से गुफ्तगू करनी पड़ी कि इनके खाते खोल दीजिये तो हम से वो बोले कि आपके यहां 2000 कर्मचारियों के खाते हैं, 1100, 1200 हमारे हिस्से छोड़ो, बाकी का आप करा लो। आप ये मानकर चलिये कि मैंने कोशिश करी सामाजिक जीवन में कि गुस्से से और दबाव से काम नहीं होना चाहिए। लेकिन चौथी, पांचवीं दफा मजबूरन मुझे एक मैनेजर साहब से कहना पड़ा कि या तो आज आप यहां से हटेंगे या मैं हटूंगा, इनके खाते खुलने चाहिये। नयी समस्या खड़ी हुयी मान्यवर कि यूनियन जो इनकी सरपरस्ती करती है। जैसा कि सब जानते हैं कि आज सरपरस्ती करने वालों का क्या मिजाज है वो सबसे ज्यादा आड़े आ गये क्योंकि वही तो मिले हुए थे। खजाने का कैशियर, एकाउण्टेन्ट और जो ब्याजखोर हैं वह कर्मचारियों को वही पैसा काट लेता है जो कहीं प्रेमचन्द और शरत चन्द्र के उपन्यासों में कथा थी वो मैंने साक्षात देखी, दादा और पिता ने पैसा लिया था हजारों में और बेटे उनके लाखों में कर्जदार हैं और ब्याज वहीं के वहीं चुका रहे हैं तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं बल्कि विश्वास है आपके ऊपर कि आप ये प्रयास करेंगे कि सारी नगरपालिका के खासकर जो मेहनतकश जो फावड़ा लगाकर ऐसा काम करते हैं। मैं तो जाति और धर्म पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता, इंसानियत को मानता हूं। इनके सबके खाते अगर बैंक में खुल जायेंगे तो वो समाज आपको बहुत बड़ी दुआयें देगा। ये मेरा आपसे कहना है। एक मेरा छोटा सा एक सुझाव और दे रहा हूं साहब कि ये राजस्व के ऊपर है। सर ये जो आप्टिकल फाइबर की लाइनें मिलती हैं। मा0 मंत्री जी, ये आप्टिकल फाइबर की लाइनें टेलीफोन के जो बड़े-बड़े जो प्राइवेट मोबाइल के लोग हैं, ये डालते हैं ये रोड कटिंग का पैसा दे देते हैं। हमारे नये कोट पर ब्लेड मार देते हैं, रफू का पैसा देते हैं। हमने अपने टाइम में ये कोशिश करी कि उनको यह समझा सकें कि ये आपकी आप्टिकल फाइबर लाइन नगरपालिका, नगर निगमों की जमीन के अन्दर बिछ जाती है और उतनी जगह सारी जिन्दगी घेरे रहती है। मान्यवर, ये लोग रोज उससे रेवेन्यू वसूलते हैं टेलीफोन काल का। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 नगर विकास मंत्री जी को ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इनसे रायल्टी लें। ये केवल रोड कटिंग चार्ज का मामला न बने। एक अनुरोध मेरा और है साहब कि आपने जो कहा वो मेरे मन की बात थी। आप जैसा रहम दिल मंत्री जरूर करता। मैं पीठ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि रिक्शा, हाथ ठेला, तांगा इन पर टैक्स लगाने से क्या बनेगा ....

(श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा अपने स्थान से उठ करके डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के पास जाकर बात करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 उपेन्द्र जी पीछे बैठिये।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, टैक्स साहब एक जगह है जहां अच्छा खासा माफिया बैठा है, वो है विज्ञापन। विज्ञापन में बड़ी कम्पनियों का करोड़ों, अरबों रुपये का बजट है। उनको मान्यवर, खर्च करना होता है।

ये अमूल मक्खन में जो लड़की आती है, जो हर हफ्ते की थीम बदल देती है, इतना बड़ा पोस्टर बदल जाता है। ये विज्ञापन माफिया है साहब, इनसे अगर पार पड़ जाये तो करोड़ों रुपये की निकायों को आमदनी होगी। ऐसा मेरा सुझाव है, मुझे डाक्टर साहब हमेशा सिखाते रहे कि अपने क्षेत्र की बात बोलो। मैं उनका आदर करता हूं, पर मन नहीं मानता पूरे प्रदेश की बात करने का मन कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करिये न। अरे चार घण्टे से ज्यादा हो गया है, बजट है।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैंने कभी सदन में मजाक नहीं किया। सर मैं एक रिक्वेस्ट और कर रहा था कि..

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ये अच्छा बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, जरा सुनिये।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, टी0राम साहब बैठे हैं जो आर0सी0सी0 की सड़कें बनती हैं। मा0 मंत्री जी सड़कों में बड़ा गड़बड़झाला था, सड़कें बनती थीं चार मीटर की। उसकी चौड़ाई तो पूरी है, मगर उसकी मोटाई पतली है। नीचे एल0टी0 लगती है जिसमें कच्ची मिट्टी होती है, वह सीमेन्ट से बनती है। मेरी आपसे प्रार्थना है जे0ई0, ए0ई0, ई0ओ0 को यह निर्देश हो और आपका मिजाज तो मैं जानता हूं, आप तो साहब एक काम करिये कि जहां पर काम हो वहां पर 6 बाई 4 का बोर्ड लगना चाहिये, वहां मुनादी होनी चाहिए, वहां पर्चे बंटने चाहिये, हमने प्रयास किया कि जिसके सामने सड़क बनेगी उस गली के लोगों को, जनता के लोगों को सामने बुलाकर कहा जाये कि आप रजिस्टर पर दस्तखत कीजिए कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सफलता मिलती है, कई जगह कमजोरी भी बैठती है, चार-चार इंच की अगर लकड़ी के गुटके बना दिये जायें जिसे गेज बोला जाता है जिससे पता लग सके कि यहां लगने वाला मसाला कितनी मात्रा का है। मैं आपको एक वाक्या सुनाना चाहता हूं साहब, किसी की शासन में गुस्ताखी नहीं है, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं है लेकिन ईमानदार आदमी का ये हक नहीं होता कि वह सबको बेईमान समझे लेकिन साहब यह बात समझाने के लिए कह रहा हूं आपके माध्यम से एक कम्पनी थी यह जो यू0आई0डी0एस0एस0एल0पी0 और जे0एन0आर0यू0वाई0एम0 में और सालिड बेस में किस कदर से लूट हुई है, एक रोडस्वीपिंग मशीन जिससे सड़क की सफाई आटोमेटिक होती है जैसे कि हवाई अड्डों में होती है, सेम कम्पनी, सेम टेण्डर जैसे कि मारुति-800 है तो 800 और वह मशीन 70 लाख रुपये की हमारे पड़ोस के एक नगर निगम को सप्लाई कर दी गई। हमने साहब पूछ लिया कि हमारा क्या बनता है तो हमसे वह बोले कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं आप राजनीति में बहुत अस्थिरता का सामना करते हैं, आप जो कहेंगे हम कर देंगे। हमने कहा कि भाई यह बड़ी कृपा होगी जो आप हमारे लिए करोगे वह यहीं का यही कर दो, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो 70 लाख रुपये में सप्लाई हुई थी वह 40 लाख रुपये में देने के लिए तैयार हो गया। कहने का मतलब यह नहीं कि सब गलत हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों को और निगमों को इतना पैसा देते

हो, बहुत सारे अध्यक्ष ईमानदार होते हैं लेकिन नाजानकार होते हैं, आप उनकी कार्यशालाएं लगायें, वर्कशाप लगायें, तीन महीने से लेकर छः महीने के बीच में उनको बुलायें, उनकी एकाउंटीबिलिटी क्रिएट करें अगर आपने उन्हें शक्ति और अधिकार दिया है तो वह अधिकार मदमस्त होने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए होना चाहिए यह मेरी आपसे गुजारिश है। मान्यवर, मैं दो-तीन और छोटी बातें कहना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है मैं नया हूं लेकिन आप बोलने के लिए कहेंगे तो मैं एक बात और कहूंगा कि जल निगम की जो सीवर की लाइन खुदी इसमें कितनी बड़ी गड़बड़ हुई इसे आप सोचिए। सीवर का एक कायदा बना हुआ है टी0राम साहब अच्छे से जानते होंगे दो मीटर से नीचे की खुदाई होती है तो उसमें टिम्बरिंग होती है, टिम्बरिंग इसलिए होती है, मा0 मंत्री जी तो जानते ही हैं लेकिन मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मिट्टी खुदती है तो वह गीली होती है और गीली मिट्टी बंधी होती है लेकिन जैसे ही धूप और हवा लगती है तो वह ढह जाती है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वह लकड़ी लगने में जो पैसा खर्च होता है उसे बचाने के लिए ठेकेदार और अधिकारियों की इतनी लापरवाह होती है कि दो-दो, तीन-तीन, चार-चार लोग सीवर की खुदाई में चले जाते हैं वह जाया हो जाते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मा0 मंत्री जी स्पेसिफिक बता देंगे कि यदि टिम्बरिंग नहीं हुई तो क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज होगी क्योंकि मैनपुरी, फिरोजाबाद हमने तो ठेकेदार पर दबाव बना करके पांच-पांच लाख रुपये दिला दिये लेकिन मान्यवर इंसान की कीमत का पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। इस प्रकार की लापरवाहियां नगर पालिका/नगर निगमों में होती है। मान्यवर, जल निगम का जो काम करने का दाम है वह बहुत ऊंचा है और काम करने की जो क्वालिटी है वह उतनी ही नीचे हैं। एक बात आखिरी कह कर समाप्त करता हूं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पैसे का आवंटन है। द्वितीय राज्य वित्त आयोग फिर तृतीय राज्य वित्त आयोग और अब चौथे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू है। जब द्वितीय राज्य वित्त आयोग से तृतीय राज्य वित्त आयोग लगा तो इस बीच में कई राजनैतिक कारणों से और कई बार जरूरतों के हिसाब से नगर पालिकाओं और नगर निगमों की क्षमताएं बढ़ाई गईं जैसे कि मैं अपने यहां फिरोजाबाद का उदाहरण देता हूं हमारी आबादी सन् 2001 के हिसाब से 2 लाख 69 हजार 102 थी लेकिन 20 अक्टूबर, 2008 को लगभग आज से चार साल पहले 13 ग्राम सभाएं उसमें शामिल की गईं उन 13 ग्राम सभाओं की आबादी थी 2 लाख 954, कुल आबादी हो गई 4 लाख 80 हजार 956, अब तृतीय राज्य वित्त आयोग का जो क्राइटेरिया है उसमें 50 प्रतिशत आबादी बेस्ट है तो मान्यवर, अब आबादी 4 लाख 80 हजार हो गई और पैसा मिल रहा है 2 लाख आबादी के हिसाब से। ऐसी और भी नगर पालिकाएं हैं गोण्डा है, अकबरपुर है, गोहाना है, मऊ मोहम्मदाबाद है, लोनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको भी देखेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री हाजी परवेज अहमद (टंकी)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से पहले हमने कई बार बोलने का प्रयास किया लेकिन आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आज आपने नगर विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। हम इलाहाबाद शहर से विधायक हैं, इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शहर है और हम उसी सीट से विधायक हैं जहां से विधायक होकर जिस पीठ पर आप बैठे हैं इसी पीठ पर हमारे चाचा केसरीनाथ त्रिपाठी बैठा करते थे। त्रिपाठी जी को हराकर इलाहाबाद शहर की उस सीट को नन्दगोपाल नन्दी जी ने छीना था और हमने दोनों को हराकर आपके आशीर्वाद से उस सीट पर कब्जा जमाया है। हम मा0 मंत्री जी से एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे चाचा केसरी नाथ त्रिपाठी जी चार-पांच बार विधायक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह भी इसी सदन के सदस्य रहे हैं इसलिए बार-बार उनका नाम मत लीजिए।

हाजी परवेज अहमद (टंकी)-

लेकिन मान्यवर, हमारे क्षेत्र की हालत यह है कि कुछ स्कीमें ऐसी हैं कि जहां हमारे बचपन में शायद गिट्टी पड़ी हो लेकिन उसके बाद वहां दोबारा गिट्टी भी नहीं पड़ी डामर तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो वहां से बहुजन समाज पार्टी का मंत्री था उसने पूरे क्षेत्र के अन्दर विकास नाम का एक भी काम नहीं किया। एक काम जरूर किया है कि जब चुनाव का पर्चा भरा था तो 3 करोड़ रुपया व्हाइट भरा था। उसके बाद जब दोबारा पर्चा भरा तो 97 करोड़ रुपया व्वाइट भरा, इतना विकास किया उस बहुजन समाज पार्टी के मंत्री ने। हमें और हमारे इलाहाबाद नगर के लोगों को मा0 मंत्री भाई आजम खां साहब लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जिस वक्त आप मंत्री बने थे, हमारे पूरे शहर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। अभी दो दिन पहले जब मा0 मंत्री जी इलाहाबाद गये थे और जाने के बाद हम आपके साथ थे, आपने अधिकारियों की मीटिंग करने के बाद हर दस-दस कदम पर गाड़ियां रोक करके एक रोड को चेक करने का काम किया उससे पूरे शहर के अन्दर यह मैसेज गया कि अगर काम सही होना चाहिए और आज जो हमारे शहर के लोगों को विकास की रोशनी दिख रही है वह मा0 आजम साहब की वजह से दिख रही है। यह सच है कि जिस तरह से दो महीने के अन्दर इलाहाबाद के अन्दर विकास हुआ है बीसों साल में इस तरह का काम इलाहाबाद में नहीं हुआ। हम आपको बधाई देना चाहते हैं लेकिन साथ-साथ हम एक बात कहना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उससे थोड़ी दूर पर करैली स्कीम में तमाम कालोनियां ऐसी हैं जहां बारिश होने के बाद उस कालोनी में एक बच्चा भी नहीं रह सकता, इतनी खराब रोडें हैं कि अगर अंधेरा हो जाए तो अपने घर पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे क्षेत्र के अन्दर जहां पर रोडें नहीं बनी हैं इसका विकास पूरी तरह से कराने का काम करें। एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे पीस पार्टी के नेता यहां पर मौजूद हैं, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम समाज में बंटवारा नहीं किया जाता। हमारे यहां कहा गया है कि एक ही सफ में खड़े होकर महमूद-व-अयाज, न कोई बन्दा रहा न कोई बन्दानवाज। लेकिन जो पीस पार्टी के नेता बैठे हैं इन्होंने हमेशा मुस्लिमों के बंटवारे का काम किया है और यह हमारे मुल्जिम नहीं हैं यह अल्लाह के मुल्जिम हैं इनको यहां भी सजा मिलेगी और इनको वहां भी सजा मिलेगी। हमारे यहां मुस्लिम में कोई बंटवारा नहीं है, आज इन्होंने मुसलमानों को दफन करने का काम किया है इसलिए यह अल्लाह के मुल्जिम हैं इनको सजा मिलेगी। हम एक बात और कहना चाहते हैं। हम अपने माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि एक ओवरब्रिज हमारे यहां पूरे शहर के अन्दर जाने के लिए खुसरूबाग का ओवरब्रिज है। उस ओवरब्रिज के बाहर पचासों स्कूल हैं। जहां से हमारे क्षेत्र के सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और जब एक बजे छुट्टी होती है तो चार बजे अपने घर पहुंचते हैं, इतना जाम लगा रहता है। हम

मा0 मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि उस ब्रिज को चौड़ा करवा दें जिससे हमारे बच्चे जो जाम में फंस जाते हैं स्कूल से टाइम से घर पहुंच सकें। इसी के साथ हो सकता है आज हमारे पीस पार्टी के नेता हमारे भाई हैं, हो सकता है कि इनकी समझ में आ जाये और अल्लाह के मुजरिम न बनें और सुधरने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का अवसर दिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें। मैं आग्रह करता हूं इस बजट पर 4 घण्टे 25 मिनट की चर्चा हो गयी, अभी दो बजट और हैं। जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाये हैं, वह सौ-डेढ़ सौ शब्दों में अपने क्षेत्र की बात हमें लिखकर के दे दें, प्रोसीडिंग में जुड़वा देंगे। दूसरी बात उसकी फोटो स्टेट कापी कराकर जो सुझाव होंगे वह मा0 मंत्री जी को भी भिजवा देंगे। माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी, नहीं हैं। चलिये श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब कन्क्लूड करिये।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि यह सरकार मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने में कई मोर्चों पर विफल रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने टाइम्स आफ इण्डिया में देखा था भारत सरकार के गृह विभाग का एक निर्देश था जो सारे राज्यों के होम मिनिस्ट्री को भेजा गया। उसमें यह सुझाव दिया गया कि प्रदेश में जहां-जहां भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां थानाध्यक्ष मुस्लिम समुदाय का पोस्ट होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर मेरी विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर थानाध्यक्ष मुस्लिम समुदाय का नही है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, किसी साहब ने अनीस अंसारी साहब के बारे में कहा था...

एक मा0 सदस्य-

आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी होगी तो थानाध्यक्ष मुसलमान होगा, अगर मिलीजुली आबादी होगी तो उसमें कौन होगा ?

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

आप इसको समझ लीजिए कि मुस्लिम बाहुल्य किसे कहते हैं ? किसी साहब ने अनीस अंसारी साहब के बारे में कहा था कि वह चीफ सेक्रेटरी बन रहे थे लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उनको चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज अनीस अंसारी साहब, उर्दू, फारसी यूनिवर्सिटी के वी0सी0 है जो बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार ने बनाया था। एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी कोई साहब अपनी बात में कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों की पोस्टिंग नहीं करती थी। मैं आपको बताऊं कि आजमगढ़ जिले में 25 थाने हैं चूंकि मैं उस जिले का हूं इसलिए मुझे उसकी जानकारी है। दो मुस्लिम एस0ओ0 हमेशा पोस्ट रहे हैं और कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि तीन एस0ओ0 की भी पोस्टिंग रही है। लेकिन आज स्थिति यह है कि 25 थानों में सिर्फ एक ही पोस्टिंग मुस्लिम समुदाय की है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार भागीदारी की बात करती है, मैंने कहा था कि सरकार ने अपने एजेण्डे में कहा कि मुस्लिमों की जनसंख्या के आधार पर भागीदारी/आरक्षण देगी तो इसलिए 18-20 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय की

जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसको गम्भीरता से देखें। वरना आप साहिबेवक्त है जो चाहे करें, आने वाले दिनों में अगर कुछ अच्छा होगा तो लोग तारीफ करेंगे वरना उसका नतीजा भुगतेंगे। महोदय, इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर पुनः बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अनुग्रह नारायण सिंह जी अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं ? पूरन प्रकाश जी बैठिए पर्यावरण पर अभी बोल लेना।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग लिखकर दे दें। मैं कार्यवाही में जुड़वा दूंगा। जुड़वा ही नहीं दूंगा मैं मंत्री जी के पास भेज दूंगा।†

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी नगर विकास के विषय पर काफी चर्चा हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से काफी सुझाव भी आये हैं कमियां भी आई है। माननीय मंत्री जी खुद ही बहुत संवेदनशील हैं इन विषयों पर एक विषय छूट गया था उसको मैं कहना चाहता हूं हालांकि उसकी पहले चर्चा कर चुके हैं कि सूडा के अन्तर्गत बी0एस0यू0 और इन्टीग्रेटेड हाउस स्लम डेवलपमेन्ट जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत है भारत सरकार ने 2014 के लिए बनाया है। इसमें नई योजनाएं नहीं ली जा सकेंगी लेकिन जो राजीव आवास योजना भारत सरकार ने दी है उस पर सेना की भूमि पर है सेन्ट्रल गर्वमेन्ट की भूमि पर जो लोग बसे हैं उनको भी इसमें शामिल करने की बात है आपने अभी बताया भी था। जहां तक सेना की भूमि का सवाल है इसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हम लोगों के सपोर्ट के लिए उन्होंने एक आदेश कर दिया कि सेना की भूमि पर जो लोग बसे हैं उनको राजीव गांधी आवास योजना में विचार किया जाय। इस योजना में पिछले तीन साल तो निकल गये 20 जुलाई, 2009 को यह योजना शुरू हुई थी तीन साल निकल गये कोई कार्यवाही नहीं हुई अब हम अगले पांच साल में उन गरीब लोगों को छत मुहैया करा दें और आप तो स्वयं संसदीय परम्परा के विज्ञ हैं। हम लोग जब आये थे तो हमने आपसे ही सीखा है। कटौती का प्रस्ताव भी संसदीय परम्परा का अंग है। विपक्ष का और इत्तेफाक से हमें इधर बैठने का मौका भी मिला है मैं इस पर बल देना चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि जो फेरी नीति है और राजीव गांधी आवास योजना जो गरीब लोगों के हक के लिए है इसको आप जरूर करवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों का सभी दलों के सदस्यों का सभी नेताओं का आभारी हूं बहुत अच्छे सुझाव आये हैं और जितने भी सुझाव हैं उनमें अधिकतर सुझाव ऐसे हैं जो कि किये जाने योग्य हैं। महाना जी चले गये डा0 साहब चले गये लेकिन उनके सुझावों को बल देता हूं और कोशिश करूंगा कि उनके सुझावों को माना जाय। अनुग्रह नारायण सिंह जी ने खुद ही यह कहा है कि धन का अभाव है और यह वाकया है कि धन का अभाव है। लेकिन धन का अभाव होने की हर्गिज यह मंशा नहीं है कि हम उन कामों को जिनकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है उन्हें न करें इतना

† [देखिए मा0 सदस्यों के लिखित भाषण नत्थी (-) आगे पृष्ठ 230-263 पर]

जरूर है कि कामों की प्रियारिटी इस बार तय होगी। बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारे मैनीफेस्टो का हिस्सा है और उन मैनीफेस्टो को पूरा करना भी हमारा दायित्व है। इसी को लेकर हम सत्ता में आये हैं हमारे लिए किसान की गरीब की मजदूर की नहर की टेल तक पानी पहुंचे, हर खेत को पानी मिले बिजली मिले यह हमारे विभाग से मुत्तालिक नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी हमें उन चीजों को देखना है। हमारे जो भी वायदे हैं वह पांच वर्षों के लिये हैं और इन पांच वर्षों में अगर हमारे काम करने की यही रफ्तार रही तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक हम अपने वायदों को पूरा कर पायेंगे। आपकी जानकारी के लिए यह भी बतलाना चाहता हूं कि जिन दिनों मैं बनारस गया था बनारस दो तीन बार जा चुका हूं और बहुत बड़ी चुनौती है इन हालात में क्योंकि पांच वर्ष में जो काम होने चाहिए थे वह नहीं हुए इलाहाबाद में दुनियां भर से लोगों को आना है बहुत बड़ा मेला लगना है। बहुत बड़ा स्नान है और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को चन्द महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता है अर्ध कुम्भ के बाद से ही आने वाले कुम्भ की तैयारियां शुरू होनी थी और अर्द्ध कुम्भ में मैंने यह राय दी थी कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जहां जायरीन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और स्नान होता है वहां से एक फ्लाई ओवर ऐसा बनाया जाय जहां से बसों का गुजर हो, वहां रोक दी जायं और नीचे सीढ़ियां हों जहां से श्रद्धालु उतर कर चले जायें और वही बसें एनाउन्समेंट के जरिये वापस आयें और श्रद्धालुओं को लेकर वापस चली जायं। एक बहुत अच्छा प्रपोजल था लेकिन चूंकि हमारे जरिये दिया गया था इसलिये वह नहीं माना गया उसमें थोड़ा वक्त लगता है। अब चूंकि हम इतने कम समय में वह पुल नहीं बना सकते लेकिन फिर भी चूंकि आप मौजूद थे उस मीटिंग में हमने अधिकारियों से ऐसा कह दिया है कि उस पुल का तखमीना तैयार करें और जैसे ही कुम्भ का मेला खत्म होता है जल्द से जल्द उस पुल की तामीर शुरू करने के लिये आप ही से उसकी मंजूरी हम लेंगे और आने वाले वक्त में यह बहुत बड़ी समस्या है कि 8 कि0मी0, 9 कि0मी0 दूर बुर्जुगों को ठहराया जायेगा। वो कैसे आयेंगे, कैसे स्नान होगा, यह एक बहुत बड़ी परेशानी है।

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, पुल का बताया माननीय मंत्री जी ने अर्द्ध कुम्भ का बताया माननीय मंत्री जी ने उसी से सम्बन्धित मैं भी कहना चाहता था। माननीय मंत्री जी ने इशारा कर दिया कि आप कहें। उसी सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आप इलाहाबाद कुम्भ की तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से एक मथुरा जनपद है जहां पर कि हर समय कुम्भ बना रहता है। आज वहां के पुल की हालत यह है कि वह कभी भी गिर सकता है, कभी भी ढह सकता है। दोनों साइड्स बिल्कुल टूट गई हैं। वही एक साधन है, चाहे बरेली जाना हो, चाहे अलीगढ़ जाना हो, चाहे हाथरस जाना हो, चाहे शाहाबाद जाना हो, चाहे आपके इलाहाबाद जाना हो। वही एक मात्र पुल है जिसकी हालत बहुत जर्जर हो गई है कि कब वह गिर जाय। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप उसका भी संज्ञान ले लें क्योंकि वही एक मात्र साधन है जो यमुना जी पर बना है। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उसमें देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का कितना हिस्सा होगा, भारत सरकार से क्या मदद मिल सकती है। मान्यवर, अवश्य ही इसको भी देखा जायेगा तो दूसरी आपने जो समस्या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखी है फुटपाथ पर काम करने वाले लोगों की तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी, मैं खुद भी उसमें शरीक हुआ था। दरअसल जब हम कोई अच्छा काम सिर्फ राजनैतिक निगाह से करेंगे तो उसमें खराबी पैदा होगी और वहां एक बात आई और इसी को लेकर हमको वाक आउट करना पड़ा। फुटपाथ पर जो दुकानदार तख्त बिछाकर या चादर बिछाकर अपना सामान बेचते हैं जाहिर है कि वह बहुत कमजोर दुकानदार हैं लेकिन यह भी सही है कि बड़े शहरों में जो लोग फुटपाथ पर सामान बेचते हैं उनकी हैसियत हमारे शहरों के बड़े दुकानदारों से भी बेहतर है, यह बिल्कुल सही बात है लेकिन उनकी अपनी एक समस्या है कि वह कहां जायं। अगर हम उन्हें वहां से हटायें तो वह कहां जायं। भारत सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती थी जिसमें हम इन फुटपाथ पर बैठने वाले दुकानदारों को विधिवत् मान लें। इनको रसीद दें, इनको एक सर्टिफिकेट इश्यू करें और हम इनको उस वक्त तक न हटायें जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाये। मान्यवर, आये दिन यह समस्या सामने आती है कि फुटपाथ की दुकानों की वजह से रास्ता रुक गया, पैदल चलने वालों का रास्ता रुक गया जो असल दुकानदार हैं उनकी तरफ से मांग आती है कि अगर इन्हें नहीं हटाया जाता तो हमारे मार्केट की खूबसूरती और हमारे ग्राहक बाधित हो गये, हम नहीं जा सकते। यह एक ऐसी मिली जुली समस्या है जिस पर राज्य सरकार डंडे से काम नहीं ले सकती। जो कानून आ रहा था जिसमें सहमति नहीं हो सकी मान्यवर, भारत सरकार से हमने यह अनुरोध कि हम आपकी बात मान लेंगे हम इन लोगों के लिये वैकल्पिक जगह भी तलाश कर लेंगे। लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अपनी तरफ से उसे बना सकें। हमने अपने यहां की मिसाल भी रखी कि ऐसी तमाम जगह जहां इल्लीगल इनक्रोचमेंट था, इन सारे लोगों को हटाकर हमने अपने पैसे से राज्य सरकार के पैसे से दुकानें बनाकर दीं और वह उस वक्त तक उसको किराये की शक्ल में अदा करते रहे जब तक उसकी कीमत अदा नहीं हो गई। मान्यवर, लेकिन चूंकि किसी भी समझौते के लिये भारत सरकार तैयार नहीं हुई और हमारे लिये यह बात बहुत मुश्किल है। अनुग्रह नारायण जी, मैं आपके उस दर्द को समझता हूं उन गरीब लोगों के लिये आप चाहते हैं कि उनका प्रोटेक्शन हो लेकिर हम उनको किसी तरह का सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर सकते। इसलिये नहीं कर सकते हैं उसका नाम फुटपाथ है यानि वह पैदल चलने वालों का रास्ता है या तो नाम उसका बदल दीजिए। उसे फुटपाथ मत कहिए, उसका नाम दुकानदारों के नाम से कर दीजिए। हम फुटपाथ उन लोगों के लिए बनाते हैं जो पैदल चलने वाले हैं। बड़े शहरों में सड़कों पर मोटरें चल रही हैं, मोटर साइकिलें चल रही हैं, पैदल चलने वाले कहां जाएं, दुकानों के अन्दर दाखिला कहां से लें, वह फुटपाथ जिस पर लोगों को पैदल चलना है उस पर अगर तख्त रख जाएगा, सामान रख जाएगा, दुकान बन जाएगी तो फुटपाथों का कांस्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसका तसव्वुर जाता रहेगा। हमें उसका पूरा ध्यान है। हमें आपकी तकलीफ का एहसास है बड़े शहरों में यह ज्यादा है लेकिन अब क्या करें। आपके यहां केवल गरीब लोगों की दुकानें नहीं हैं, आपके यहां तो एक शराब की दुकान एक ऐसे शख्स की है जो भारत सरकार में संचार मंत्री रह चुके हैं। अब उनकी शराब की दुकान हटायेंगे तो पूरा दल खड़ा हो जाएगा कि हमारे नेता की शराब की दुकान हटाये देते हैं। फुटपाथ पर 18 वाई 15 का इन्क्रोचमेंट, 18 वाई 15 की दुकान, शराब की एक बड़े नेता की है। हम नहीं हटा सकते हैं क्योंकि नेता की दुकान है और जब तक उस बड़े नेता की दुकान नहीं हटेगी हमने आदेश दिया है नगर आयुक्त को कि किसी गरीब की दुकान नहीं हटेगी। पहले बड़े की हटेगी तब गरीब की हटेगी। बड़े की नहीं हटेगी तो गरीब की भी नहीं हटेगी। भाजपा के नेता हैं हमारे यहां भी दो कोठियां कब्जिया रखी हैं। मान्यवर, नगर विकास से मुताल्लिक जितनी भी बातें आई

हैं वह बहुत हद तक सही है। अब प्रदीप माथुर जी ने कहा कि 6 इंच की सीवर लाइन डाली गई है। प्रदीप माथुर जी नहीं हमने भी जब सीवर लाइन पड़ रही थी तो बड़ी नाराजगी दिखाई थी कि इतनी पतली सीवर लाइन क्यों है तो कुछ तकनीकी तौर पर भी होता है कि प्रेशर कैसे बने। अगर एक ही साइज की लाइन्स पड़ जायेगी तो प्रेशर नहीं होगा और सीवर चोक हो जाएगा और फिर उसे साफ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मान्यवर, जब प्लानिंग की जाती है तो यह देखा जाता है कि अब कितना लोड बढ़ गया कितनी जरूरत बढ़ गई है। जहां पर पहले से सीवर पड़ा है वहां अगर हम दूसरी लाइन डालते हैं तो जरूरत को देखते हुए लाइन का साइज उतना ही रखते हैं जिससे जरूरत पूरी हो जाए। ज्यादा बड़ा खर्चा इसलिए नहीं लेते हैं आलरेडी एक सीवर लाइन एक्जिस्ट करती है। अगर उसे खत्म करके नई लाइन डालनी हो तो लाइन का साइज दूसरा होगा अगर उसी सीवर लाइन के साथ हमें दूसरी लाइन जोड़नी हो तो साइज दूसरा होगा। शायद माथुर जी को इसकी जानकारी न हो। स्ट्रेन्थिंग के सिलसिले में कि स्ट्रेन्थिंग मशीन दी जाए। अभी पूरी तौर पर हमने इसे तय नहीं किया है कि सी0सी0 रोड का तरीका क्या होगा। हम इसके भी पक्ष में हैं कि ऐसी जगह जहां कभी पानी रुकता नहीं है और डामर कभी कामयाब नहीं हो सकती है, इन्टरलॉकिंग भी कामयाब नहीं हो सकती है। मैंने बात की थी झांसी में कि पत्थर के पीसेज हम ले जाएं जहां बहुत हैवी ट्रक लोडेड होकर जाते हैं। किसी तरह से सड़कें नहीं रुक पा रही हैं और सीपेज भी हो गया है तो क्या हम वह ब्लाक्स पत्थर के वहां बिछा सकते हैं। सीमेन्ट से जोड़कर लेकिन उसको ले जाने का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ रहा है लिहाजा हिम्मत नहीं पड़ रही है। एक आध सड़क नमूने के तौर पर बनाने की नीयत है। क्योंकि संसाधनों की कमी है। अगर विधायक साहबान इसकी जिम्मेदारी ले लें तो मैं समझता हूं कि अगर यह जिम्मेदारी ले भी लेंगे तो उसे पूरा नहीं कर पायेंगे। हम कार्यक्षमता से वाकिफ हूं लेकिन आमतौर पर इसकी जिम्मेदारी ले लें कि जहां सी0सी0 रोड्स बनेंगी वहां खुद विधायक साहबान अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दें कि मिक्सिंग सही तरीके से हो जाए और सड़क बनने के बाद एक हफ्ते तक पानी खड़ा करने का इंतजाम हो जाए, भले ही एक बोरी सीमेन्ट कम कर दें अगर पानी बढ़ा दें तो हमारी वह सड़क ज्यादा दिन तक कायम रह सकती है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं विधायक निधि से सड़कें बनवाता हूं और मा0 नगर विकास मंत्री जी आपको आमंत्रित करता हूं गोरखपुर। 55 करोड़ रुपया नगर निगम हर साल सड़क बनाने में लगाता है। दोनों के अन्तर को आकर देख लीजिए। हम लोग बोलते इसलिए नहीं हैं कि अगर बोलते हैं तो मा0 मंत्रियों को बड़ा नागवार गुजरता है पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष जी पिछले कार्यकाल में मैं एक सड़क को जांचने गया। 4:1 का मसाला होना चाहिए था, जब उसको मैंने शीशे के गिलास में मिलाया, मसाला उसमें डाला और पानी डाला तो मंत्री जी वह 16:1 का मसाला निकला। मैंने उस आदमी को हड़काया और मैंने कहा कि एफ0आई0आर0 नोट करवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर। डांट कर मैं चला आया और तीसरे दिन मैं लखनऊ आया। लखनऊ में मंत्री जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आप हमारी सड़क पर जा करके जांच करते हैं, शीशे का गिलास लेकर जाते हैं, यह ठीक नहीं है, सरकारी काम में हस्तक्षेप मत करिए। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैंने कहा जिस अधिकारी ने आपको बताया है, उस अधिकारी से पूछिये कि क्या मैंने उससे कभी कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं को ठेका दे दो, क्या मैंने उससे कभी कहा कि मुझे 2-4 प्लाट एलाट कर दो, क्या मैंने उससे कभी कहा कि तुम मेरे हिसाब से अपने

आफिस में कर्मचारियों की पोस्टिंग कर दो। यह तीन काम मैंने कभी नहीं किये, गुणवत्ता की लड़ाई लड़ी, इसलिए क्योंकि जो पैसा हम लोग इस सदन से पास करते हैं यह मेरा अधिकार है कि मैं सुनिश्चित करूं कि गुणवत्ता से काम हो रहा है या नहीं ? उन्होंने कहा, डाक्टर साहब, एफ0आई0आर0 लिखवा दूंगा। आज आपने आमंत्रण दिया है मैं उस आमंत्रण को स्वीकार करता हूं। गोरखपुर के अन्दर 10 साल के अन्दर मैंने सिर्फ सी0सी0 रोड बनवायी है, एक भी हाटमिक्स की सड़कें नहीं बनवायी और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी इण्टरलाकिंग के कान्सेप्ट से मैं क्लियर नहीं हूं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। आप गोरखपुर में सी0सी0 रोड बनवाइये। मैं गुणवत्ता दूंगा और न दे पाये तो अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जाहिर है डाक्टर साहब के काम के तरीके से हम सब वाकिफ हैं। मैंने तो इंगित करके आपके दल के ही एक साथी के लिए कहा कि आप सक्षम हैं, आप पर भरोसा किया जा सकता है। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी और अन्य जो भी दल हैं, आप में से जो साहब भी उसे चेक करके अपनी शिकायत लायेंगे उस पर आपसे कम से कम अपने जीते जी तो वह घटिया शब्द नहीं कह सकता और मैं उन शब्दों की निन्दा करता हूं क्योंकि ऐसे शब्द कहने वाले लोग हमारे जैसे लोगों की आस्था में कमी लाते हैं और खुद हमें जलील करते हैं। जिसने भी आपको इस तरह की बात कही, उन्होंने गलत किया, नहीं कहना चाहिए थी। आपके इस काम की सराहना करनी चाहिए थी और जो जिम्मेदार थे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, आपको प्रोत्साहित करना चाहिए था ताकि आगे इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते। मैं तो सभी सदस्यों से यह अपील करना चाहूंगा कि यह बड़ी गाढ़ी कमाई का पैसा है और अगर हमारे साथी इन सड़कों को बनवाने में थोड़ी दिलचस्पी लेंगे और यह ज्यादा वक्त तक चलेंगी तो उन्हीं का फायदा है, फिर हम दूसरे कामों में इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। आपका बिल्कुल स्वागत है, आप इस काम को करें। मान्यवर, विज्ञापनों के सिलसिले में अनुग्रह नारायण सिंह जी ने कहा है। जितना बड़ा विज्ञापन, उतना बड़ा नेता, मैं तो इसी सदन में कह चुका हूं। लेकिन आजकल आपने लखनऊ को देखा होगा, बहुत कोशिश की है, जहां नो होडिंग जोन, वहां देयर इज नो होडिंग। ऐसी कोशिश करेंगे, मान्यवर, एक-आध जगह करने का, बड़े शहरों में खास तौर से और अभी 2-4 दिन पहले मैं इलाहाबाद गया था, एक सड़क को देख रहा था। मान्यवर, ऐसा अनर्थ हुआ है, सीवर लाइन डाली गयी, सड़क बनी है, और यह सड़क का किनारा है, जितनी सड़क है, इससे चार गुना, कच्ची जगह है और कोठियां बनीं हैं, माननीयों की। माननीय सिर्फ यही नहीं होते हैं, मान्यवर, माननीय बहुत से होते हैं। सड़क के इस किनारे से उधर एक दो हजार गज की जगह पड़ी है, हम सजा दे रहे हैं, मान्यवर, और आपके इलाहाबाद की सूचना दे दें, एक स्कूल के बारे में पता चला था कि उस स्कूल की इमारत इतनी जर्जर है कि गिर गयी तो बच्चे मर जायेंगे। चार लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उसकी सूचना है। एक रामहित अंचल जी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, आर0के0 बंसल हैं, शमीम अहमद हैं, एक चन्द्रवंशी हैं, इन चार लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई, इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। तो मान्यवर, उस सड़क के किनारे, आपका ही शहर हैं, बिल्कुल किनारे से सीवर बिछा दिया गया। अब जब वह सड़क चौड़ी हो रही है तो सीवर या तो इस लास्ट स्टैंड पर होना चाहिए था या

उस लास्ट स्टैंड पर होना चाहिए था। वह सीवर के मेन होल्स बीच में आ गये। अब सारी गाड़ियां उस पर से गुजरेंगी। इसके अलावा सीवर के मेनहोल्स का पता ही नहीं है। एक आध जो उस किनारे पर आ गया वह तो देखने को मिल रहा है बाकी पर पत्थर या हाटमिक्स डाल दिया गया। अब हम ढूंढते फिर रहे हैं कि मेनहोल्स हैं कहां। इस तरह से पैसे की बरबादी हुई है। जहां पकड़ सकते हैं पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सईद भाई ने मशविरा दिया है कि अकलियतों की दफातिर ऐसी जगहों पर हैं जहां उनको पाना मुश्किल होता है। कोशिश करेंगे कि उन्हें ठीकठाक जगहों पर ला सकें। रविदास मेहरोत्रा जी आपके यहां के नाले की समस्या बहुत जटिल है और खासतौर से हैदर कैनाल और दूसरे नाले जो बहुत चौड़े हैं अभी हम आपसे खुले मन से थोड़ी इजाजत चाहेंगे फिलहाल सफाई करा लें और अगर कोई बीच का रास्ता हो तो उसे तय करें। क्योंकि इन नालों को ढ़कने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

जहां बहुत घनी आबादी है वहां ढ़कवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

सारे नालों को अभी ढका जाना संभव नहीं है, लिहाजा यह सही बात है कि जहां घनी आबादी है या जहां हादसे हो चुके हैं वहां पर उसे ढकवाने की पहल करते हैं। इंशा अल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना भी उसके लिए धन इकट्ठा कर सकें। मैनपुरी के विधायक जी हैं या चले गये। चले गये। मान्यवर, उनके यहां कम से कम 2-4 लाख रुपया उनकी सीवर लाइन का पांच साल में खर्च तो हुआ। लेकिन बहुत से अभागे ऐसे भी हैं कि जिस दिन से सरकार गयी उस दिन से सीवर का काम रूक गया। मान्यवर, किसी भी शहर में सीवर लाइन डालने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है और यह रकम किसी नेता के हाथी के पेट से नहीं आती है। किसी के जन्मदिन की सजावट के हीरे और मोतियों की कीमत से नहीं आती है। मान्यवर, यह बहुत मेहनत और कमजोर लोगों के खजाने से पैसा आता है। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया जो मेहनतकश लोगों का था सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण उन कामों को रोक दिया गया। वह सारे सीवर ब्लाक हो गये। वह सारा पैसा डम्प हो गया, बरबाद हो गया। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह ऐसा पाप हुआ है जिसे कहा जाये कि यह एंटी नेशनल एक्ट है, जो राष्ट्र का पैसा था, इस पैसे को रोकने वाले देशद्रोही हैं। देश के खजाने को बरबाद करने वाला सिर्फ गद्दारे वतन हो सकता है। इतना पाप हुआ है इन पांच वर्षों में, न जाने कितने सीवर चोक हो गये बरबाद हो गये। इस पैसे की वापसी कहां से होगी। वह पैसा लूट लिया गया समझ में आया वह पैसा किसी के पास गया। लेकिन जिस सीवर पर काम नहीं हुआ। सीवर बरबाद हो गया, पांच सालों में लोगों ने उस पर कूड़े डाल-डालकर उसे बंद कर दिया। उसका क्या होगा। वह तो किसी के पास नहीं गया। लिहाजा मान्यवर, यह जो एंटी नेशनल एक्ट हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उसकी क्या सजा होगी। तो मैं मैनपुरी के भाइयों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी जल्द हो सकता है वहां का सीवर का काम शुरू होगा और सिर्फ शुरू नहीं होगा बल्कि मुकम्मल होगा। मान्यवर, अल्पसंख्यक कल्याण पर बोलते हुए हमारे साथी क्या नाम बताया था आपने, शाह आलम। कितना अच्छा नाम है। पता नहीं यह आपकी वालिदा मोहतरमा ने रखा है या वालिद साहब ने। और हम आजम और वजीर साथ में गोया वजीरे आजम। तो शाहे आलम से वजीरे आजम मुखातिब हैं।

मगर वजीरे आजम छोटा है क्योंकि आप पूरे आलम के शाह हैं। शाहे आलम साहब इस बात का अफसोस हो रहा है कि आपने गुजरे हुए कल को कहने में बहुत कंजूसी कर दी। जिस अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं। इसी सदन में एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी का ऐक्ट पास हुआ था। जिस पर महामहिम के दस्तखत नहीं हुए थे और वह सिर्फ अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी नहीं थी, उसमें सारी टेक्निकल फैकलिटीज थीं, मेडिकल कालेज भी था, इंजीनियरिंग कालेज भी था, सब कुछ था और इसी सदन में यह भी विडम्बना है कि हमें उस बिल को वापस लेना पड़ा और फिर एक दूसरा बिल पेश हुआ था मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। वह बिल पास हुआ, महामहिम के दस्तखत हुए पूरा विश्वविद्यालय बन कर तैयार हो गया, हाथों से और दामन से उसके लिए पैसा इकट्ठा किया और कहने वालों को यह कहते सुना कि जौहर विश्वविद्यालय की इमारते बन नहीं रही हैं बल्कि उग रही हैं, इस तरह से विश्वविद्यालय बना और पांच वर्ष तक बराबर हम भीख का कटोरा लिये वहां पर आपसे मांग करते रहे कि इस विश्वविद्यालय को चलाने की इजाजत दे दी जाय। आपको सिर्फ इतना करना था कि यहां के उच्च शिक्षा विभाग से एक चिट्ठी चली जाती, जौहर विश्वविद्यालय को कि अब आप दाखिले शुरू कर दीजिए, लेकिन आपने वह चिट्ठी जारी नहीं की। जब आपकी सरकार आई, आपको मालूम था कि आपने नाइन्साफी की है, आपको एहसास था कि आपने मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे मुजाहिद-ए-आजादी के खिलाफ एक षडयंत्र किया। कौन मौलाना, जिनके लिए बापू ने कहा था कि अगर अली बिरादरान न होते तो हिन्दुस्तान आजाद न हुआ होता, कौन मौलाना, कि जब बापू रामपुर गये और उन्हें टोपी ओढ़ने की जरूरत पड़ी तो मौलाना की वाल्दा ने जिस कपड़े को काट कर उनके सिर पर रखा अपने हाथ से सी कर वह गांधी कैप कहलाई। उन मौलाना के नाम से बावस्ता यूनिवर्सिटी को आपने नहीं चलने दिया और मुजरिम थे, आपके दिल में कहीं मुजरिमाना एहसास था इसलिए आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई, कहां है वह यूनिवर्सिटी, उसका स्वरूप मालूम है आपको, उसके वाइस चान्सलर की हैसियत मालूम है आपको क्या है, उस यूनिवर्सिटी का नाम किनके नाम से रखा गया है, यह मालूम है आपको, किसके नाम से रखा जाना चाहिए था, यह भी एहसास नहीं है आपके दिल में, इतनी कहने की भी हिम्मत नहीं है आपमें कि एक अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम से होना चाहिए, नहीं है हिम्मत आपके अन्दर, लेकिन इतनी सुनने की हिम्मत होना चाहिए आपके अन्दर कि जो अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी माननीय, मान्यवर कांशी राम जी के नाम से बनाई गई है, उसमें अरबी, फारसी, उर्दू के कोई काबिले जिक्र क्लासेज नहीं लगते हैं। वहां कोई सहूलियत हासिल नहीं हैं, इसलिए कि अरबी के लिए खिदमत् करने के लिए नदवा है, देवबन्द है, मुबारकपुर है, आजमगढ़ है, रामपुर है और हम आज भी इतने सालों के बाद कोई ऐसा इरादा बनाने में कामयाब नहीं हो सकते जो इरादे सदियों से अरबी, उर्दू और फारसी की खिद्मत कर रहे हैं। कोई सरकार ऐसा इदारा बनाने की हैसियत में नहीं है जैसा नदवा है और देवबन्द है। यही वजह है कि जिन अनीस अंसारी साहब की आप बात कर रहे हैं वह एक पढ़े-लिखे आदमी हैं, उन्हें मालूम है कि उर्दू, अरबी, फारसी का इन इरादे के अलावा कहीं कोई मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा उन्होंने टेक्निकल कोर्सेज के लिए एप्लाई किया हुआ है, उन्हें चलाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी में अरबी, फारसी और उर्दू का न कल कोई भविष्य था, न आज कोई भविष्य है और न कल कोई भविष्य होगा और यह भी आपको बताते चलें कि बादशाहत ठीक ढंग से आई नहीं, अनीस अंसारी

साहब को उत्तर प्रदेश की सरकार का चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए था, न सिर्फ यह कि वह चीफ सेक्रेटरी नहीं हुए, आपने उनके घर का सामान निकाल कर सड़क पर रख दिया था, यह भी इन्सानियत बरती थी आपने और वाइस चान्सलर इसलिए नहीं बनाया है आपने, वाइस चान्सलर इसलिए बनाया आपने कि आपने उनके साथ बहुत नाइन्साफी की थी और चुनाव सामने खड़ा हुआ था और अनीस अन्सारी, अनीस साहब के नाम के साथ क्योंकि अंसारी शब्द भी लगता था और आपको अन्दाजा था कि इस पढ़े-लिखे शख्स का आपको बहुत बड़ा राजनैतिक नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने उन्हें उस यूनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर बनाया था। मैं फिर भी आपके जज्बात की कद्र करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शाह-ए-आलम का दिल तंग नहीं होना चाहिए, शाह-ए-आलम का दिल वसी होना चाहिए, अगर वह कह नहीं सकते तो महसूस कर सकते हैं। आपको अन्दाजा होगा क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम की बुनियादी रूह से वाकिफ है कि हमारे अन्दर यह ताकत होनी चाहिए कि हम बुराई को अपने हाथों से मसल दें। अगर श्रीमन् हम किसी बुराई को खुद खत्म नहीं कर सकते हैं तो हमें उस बुराई को कहना चाहिए कि यह बुराई है। अगर वह भी न कर सकें तो कम से कम दिल की गहराईयों से उसका अहसास तो करें कि वह बुराई है। शाहे आलम साहब मुस्लिम हैं और भी यहां बहुत से लोग हैं जो किसी धर्म जाति से सम्बन्ध रखते हैं, मान्यवर, पिछले गुजरे पांच सालों में बहुत नाइन्साफी हुई है इससे सब सहमत होंगे।

मान्यवर, आज इस बजट पर पक्ष के लोगों ने जो राय रखी है और विपक्ष के लोगों ने जो बातें कही हैं और जो सुझाव दिये हैं हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसे पूरा कर सकें। मा0 विधायक फिरोजाबाद ने एक अच्छा सुझाव दिया है हम उसका परीक्षण करा लेंगे उनका सुझाव है कि जो गरीब और कमजोर लोग हैं विभाग में और जो सैलरी पाते हैं उनकी सैलरी बैंक में चली जाये। अगर ऐसा संभव होगा तो इसे हम जरूर करायेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेजों की थपथपाहट।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। तो मैं मद प्रस्तुत करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, वक्फ की जायजादों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मान्यवर, रामपुर नवाबों का शहर था वहां बहुत सी तारीखें खुद पैदा हुई हैं। मान्यवर, रामपुर 1857 में पहली आजादी की चिंगारी को बुझाने वाला खुद रामपुर है। मान्यवर, 1857 में जब मेरठ जेल से जियालों का काफिला निकला और रामपुर पहुंचा तो उसका कत्लेआम रामपुर में हुआ था। ऐलानिया तौर पर 1857 की हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में एक मजबूत रोल था उन जियालों का। उस मेरठ जेल से निकले हुए लोगों का रामपुर के नवाबों की फौज में कत्लेआम न किया होता तो सौ साल पहले हिन्दुस्तान आजाद हो गया होता। मान्यवर, हम शर्मिन्दा हैं लेकिन यह एक सच्चाई है कि हमने हिन्दुस्तान की आजादी के साथ-साथ उन जियालों के साथ बहुत नाइन्साफी की।

मान्यवर, वक्फ के नाम पर कुछ काम हुये थे। मान्यवर, हमारे यहां एक नवाब हुआ करते थे उन्होंने वसीयत की थी वह वसीयतनामा मौजूद है हुसैनीसराय और कर्बला के नाम से। उन्होंने वह अपनी खुद की रकम से उसको खरीदा था और वक्फ को दिया था। उनके मुतवल्ली ने उसको बेच

दिया। बिल्डर ने कब्जा कर लिया। मान्यवर, वक्फ की जमीन को खरीदने वाले और उसको आबादी में तब्दील करने वाले और उन पर रहने वालों का कोई हक नहीं है वह वक्फ की सम्पत्तियां हैं। मान्यवर, इस काम को हम अकेले नहीं कर सकेंगे। हमें राजस्व विभाग का सहयोग चाहिये होगा। मान्यवर, कब्रिस्तान बहुत जरूरी है क्योंकि मुस्लिम जलता नहीं है दफन होता है उसे कब्र की जगह चाहिए। मान्यवर, कब्र की जगह दिलाने के लिए हिन्दु हों या मुस्लिम दोनों को मिलकर आगे आना होगा नहीं तो यह कब्रिस्तान छोटे होते चले जायेंगे। मान्यवर, यह भी एक सच्चाई है कि वक्फ की जायजादों पर अवैध कब्जे हैं वहां मिस मैनेजमेन्ट हैं और उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मान्यवर, बहुत सी ऐसी जमीनों पर हक को लेकर झगड़ें हैं। हमें इस कार्य में राजस्व विभाग का और मा0 राजस्व मंत्री मा0 अम्बिका चौधरी जी का बहुत सहयोग चाहिए होगा तभी उत्तर प्रदेश सरकार का जो बहुत बड़ा मन्सूबा है, समाजवादी पार्टी का मन्सूबा है संकल्प है वह पूरा हो सकेगा। मान्यवर, चाहे मुस्लिमों की मस्जिदें हों या हिन्दुओं के मन्दिर या दूसरी जातियों के गिरजाघर और गुरूद्वारे हों उन सब की देख-भाल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मान्यवर, जो कब्रिस्तान हैं और गांव में बहुत गरीब मुस्लिम लोग रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह स्वयं से कब्रिस्तानों की चार दीवारी बनवा सकें और कब्रों को महफूज रख सकें। हम मुबारकबाद देंगें अपने समाजवादी पार्टी के नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी को और मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी को जिन्होंने सरकारी खजाने से इस कार्य के लिए कुछ धन निकालने और कब्रिस्तानों की चार दीवारी बनाने के कार्य को आगे बढ़ाया। 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और उसमें जब तक राजस्व विभाग का सहयोग नहीं होगा हम कब्रिस्तानों की दीवारे नहीं बनवा पायेंगे। इसी के साथ कि हम एक दम तो सारे कब्रिस्तानों की दीवारें नहीं बनवा पायेंगे लेकिन जहां-जहां विवादित हैं कम से कम उन कब्रिस्तानों को हम सबसे पहले बनवाने की शुरूआत करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारे नेता और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात आज इस सदन में कही है उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव में जाने के पूर्व पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में जो बात रखी थी जो इरादा व्यक्त किया था उसको न सिर्फ काल्पनिक तौर पर एक बात छोड़ने की छोड़ देने की तरह से बल्कि पूरी तरह से उसको अमलीजामा पहनाने के लिए न सिर्फ उस पर निर्णय लेने का काम किया बल्कि उस पर बजट का प्राविधान करने का काम हमारी सरकार ने किया। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव माननीय मुख्य मंत्री जी को, अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय नेता आजम खां साहब को इसके लिए, जो बात उन्होंने कही है, बड़े अधिकारी से लेकर छोटे कर्मचारी तक निश्चित रूप से सरकार के इस मंसूबे को पूरा करने में पूरी तरह से सनद रहेगा। मैं उस विभाग का जिम्मेदार मंत्री होने के नाते सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस जगह पर भी कब्रिस्तान के हद को लेकर कोई विवाद है प्राथमिकता पर सबसे पहले उसको सुलझाने का, उसको चिन्हित करने का काम किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,33,55,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,73,82,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग

*पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं अपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,53,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, सूचना भी एक साथ प्रस्तुत करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

उतना ही कर लेने दीजिए।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, ऐसे विभाग की मांगों को हमने आपकी आज्ञा से मैंने सदन में प्रस्तुत किया है जो सम्पूर्ण जनजीवन के भविष्य, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। केवल मनुष्य ही नहीं जीव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जन्तुओं के भविष्य के लिए भी पर्यावरण का ठीक रहना आवश्यक है। मान्यवर, इसीलिए समाजवादी पार्टी को जिस जनादेश के माध्यम से, जिस चुनाव घोषणा-पत्र के माध्यम से इधर बैठने का सुअवसर प्रदेश की महान जनता ने दिया है अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए और पर्यावरण को ठीक करने के लिए प्रमुखता से इस विषय को समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में भी रखा था। मान्यवर, पर्यावरण को ठीक रखने के लिए प्रदूषण निवारण और नियंत्रण करने के लिए अनेक योजनाएं इस वित्तीय वर्ष में हम करेंगे और उसके द्वारा पर्यावरण के संरक्षण का कार्य करेंगे। मान्यवर, प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का कार्य करेंगे। मान्यवर, प्रदूषण के निवारण का कार्य में तो हम जनता को जगाने का उनको शिक्षित करने का कार्य करेंगे, लेकिन नियंत्रण का कार्य जो पूर्व में अधिनियम बनाए गए हैं, उनके द्वारा जहां पर भी पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा पर्यावरण के बिगड़ने का अवसर होगा, वहां पर मान्यवर, पूर्व मे जो अधिनियम बनाए गए हैं, चाहे भारत सरकार के द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, हम उसको ठीक से लागू करने का काम करेंगे और जिसके लिए अधिनियम की भी जरूरत होगी, तो आवश्यकता के अनुसार उन अधिनियमों को भी इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज के दिन में पर्यावरण का बनाए रखना, संरक्षण करना और उसे प्रदूषण से बचाना एक बड़ा चुनौती का कार्य है, मान्यवर। जहां इसमें जन सहयोग की अपेक्षा है, वहां कठिन कानूनों का पालन कराने की भी अपेक्षा है। मान्यवर, उस आधार पर हम कहना चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और प्रदूषण के निवारण हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मान्यवर, वृक्षारोपण भी है। अभी कल संभवतः सदन का अंतिम दिन है। वन विभाग जो मा0 मुख्य मंत्री जी के पास है, उन्होंने 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक वन महोत्सव मना करके वृक्षारोपण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखने का काम किया है और उन्होंने अपेक्षा की है अपनी सरकार के मंत्रियों से, अपेक्षा की है जनप्रतिनिधियों से कि इस तरह के वृक्षारोपण के कार्यक्रम जहां-जहां जनपदों में आयोजित हों, उसमें भाग लेकर के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करें। वृक्ष स्वयं लगवाएं और उन्हें लगवाने के लिए जनता को प्रेरित करें। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2012-2013 में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जैसे संगोष्ठि, जनसभा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं। इस सम्बन्ध में मान्यवर, प्रदर्शनी और पर्यावरणीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह से मान्यवर, पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो पहले जो अधिनियम स्थापित किए गए थे, जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रक अधिनियम-1974, उसके अनुसार जहां-जहां से पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए प्रदूषण फैलता है उसको समाप्त करने के लिए निवारण करने के लिए जो अधिनियम हैं, उनका पालन भी कराया जायेगा और इसी तरह से वायु प्रदूषण के निवारण के लिए भी जो अधिनियम हैं, उनका कठोरता से पालन करने के निर्देश हुए हैं और फिर से हो रहे हैं, मान्यवर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 जो बनाया गया है, उसके भी पालन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह वर्तमान सरकार मान्यवर कटिबद्ध है। सरकार द्वारा सभी छोटे-छोटे कारखानों में जिसके द्वारा प्रदूषित जल उत्प्रवाह के शुद्धिकरण (ई0टी0पी0) लगाना अनिवार्य किया गया है। जहां कहीं भी इसे अनिवार्य रूप से नहीं लगाया गया हो, चाहे वह छोटे हो या बड़े कारखाने हो, इस संयंत्र को नहीं लगाया गया होगा। उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही इन दो तीन महीनों में भी काफी की है और आगे भी इसको प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये प्रदेश में ईंट भट्ठों के संचालन हेतु 1981 जिसके कारण वायु प्रदूषण होता था। ईंट भट्ठों से जो

धुआं निकलता उसके लिये भी 1981 में जो अधिनियम आया था मान्यवर, उसके कानून को भी पूरी तरह से लागू करके प्रदूषण से उसको बचाया जायेगा और पर्यावरण को ठीक रखा जायेगा। नदियों के उत्प्रवाह को निस्तारित करने वाले अतिप्रदूषणकारी 600 उद्योगों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 483 उद्योंगों द्वारा उत्प्रवाह शुध्दिकरण संयंत्र ई0टी0पी0 स्थापित कर लिये गये हैं एवं 117 उद्योग न लगाने के कारण बंद कर दिये गये हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन उद्योगों में स्थापित ई0टी0पी0 का नियमित अनुश्रवण करने की विधा को सुनिश्चित करने का निर्देश मान्यवर जारी कर दिया गया है। प्रदेश मे परिसंकटमय अपशिष्ट मान्यवर, जो प्रदेश के विभिन्न कारखानों में मान्यवर, जो उस तरह के कूड़ा कचरा और जो अन्य चीजें हैं उनके निस्तारण के लिये एन0जी0ओ0 द्वारा अपशिष्ट उपचार भण्डारण एवं निस्तारण हेतु एक बंथरा, उन्नाव में तथा दूसरा कुंभी, रमाबाई नगर में सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्थायें टी0एस0डी0एफ0 स्थापित हैं और संचालित हैं। वो कचरा इकट्ठा कर यहां भी पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिये उनको भी मान्यवर, शुद्ध करने का काम किया जायेगा। इसी तरह मान्यवर, एक नहीं अनेक योजनायें बना करके पर्यावरण को किस तरह से ठीक रखा जाये, उस तरह के उपाय किये जायेंगे। मान्यवर, इसका कड़ाई से पालन कराने के लिये भी सरकार कृतसंकल्प है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा, जमुना, रामगंगा, गोमती, सरयू, घाघरा, राप्ती इत्यादि नदियों में 53 चिन्हित स्थानों पर जलगुणता अनुश्रवण का कार्य नेशनल वॉटर क्वालिटी मॉनीटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत किया जा रहा है और जहां भी इस तरह का कोई पानी के दूषित होने की कोई सूचना होती है तो मान्यवर, उसके उपाय भी करने के लिये इसलिये भी महत्वपूर्ण है, जनजीवन को प्रभावित करने वाला प्रदूषण है पर्यावरण को जिससे बहुत खतरा है, केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि जीव-जन्तु और इस सृष्टि को बराबर पूरी तरह से बचाये रखने के लिये मान्यवर, इसकी सुरक्षा जरूरी है और इस बजट के द्वारा इस मांग के द्वारा इस क्षेत्र में सरकार कृतसंकल्प है कि हमारे पर्यावरण विभाग की मांग तो बहुत थोड़ी है लेकिन इस क्षेत्र में अधिक काम करने के लिये पैसे की कमी नहीं होगी, आवश्यकतानुसार फिर हम इसी सदन में मांगें रख करके और भी इस क्षेत्र में काम करने का प्रयास है, सरकार काम करेगी मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमने मांग रखी है यह बहुत महत्पूर्ण कार्य के लिये रखी है। सम्पूर्ण सदन इसका समर्थन करेगा और इसमें कटौती प्रस्ताव रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। मान्यवर, इसमें कुछ है ही नहीं। तो यह पहली बार हो कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सर्वसम्मति से काम हो, इसमें कटौती की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आपका हो गया। ठीक है।

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

अरे इस पर बहुत बहस हो चुकी है।

*श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पर्यावरण विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव रखने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, कितना बड़ा संयोग और विडम्बना है कि जिससे तीनों लोक कन्ट्रोल में आते हों, उसका बजट मात्र एक करोड़ बावन लाख रुपये का है। इस विभाग की शिथिलता से जैसा मंत्री जी ने बताया है कि हर जीव को परेशानी हो जायेगी और हर जीव के लिये समस्या खड़ी हो जायेगी और उस पर कटौती की विडम्बना है, यह परम्परा है। जिस विभाग के लिये इफ्रात पैसा दिया जाना चाहिये, वहां मात्र एक करोड़ बावन लाख रुपये दिया गया है। इस विभाग में मात्र 62 इम्प्लाई हैं। दो-तीन मंत्रियों के स्टाफ में भी इससे ज्यादा इम्प्लाई होते हैं। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां सबसे ज्यादा नदियां, कल-कारखाने और इन तमाम चीजों की निगरानी के लिये कितना छोटा बजट और कितना छोटा स्टाफ है। हर बजट की इनक्रीजमेंट की, बढ़ोत्तरी की प्रतिशत इसी सदन में बताई गयी है कि फलां बजट में इतनी बढ़ोत्तरी हमने कर दी, इतने प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर दी। मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है यह पिछले 5-7 सालों से इस विभाग का बजट घट रहा है। ठीक है, बजट घट रहा है विभाग का, लेकिन मुझे यह भी जानकारी है कि इस विभाग के लोगों की जेबें कितनी मोटी होती जा रही हैं, शायद इस सदन में रखे गये किसी भी विभाग के अधिकारियों की जेबें उतनी मोटी होती जा रही हों।

मान्यवर, मंत्री जी ने कई चीजें गिनाई लेकिन एक चीज भूल गये, हम उसी से शुरूआत करना चाहते हैं। जो हमारे पांचों तत्व हैं, उस तत्व में पर्यावरण सबसे ऊपर है। पर्यावरण के अन्तर्गत ही पांचों तत्व आते हैं। स्पेस भी अब तो आने लगा, वहां भी कचरे की समस्या होने लगी है, यह प्रदेश की नहीं लेकिन देश के लोगों की तो समस्या है। एक समस्या है, खनन्, उसका जिक्र मंत्री जी ने नहीं किया। आपने पर्यावरण की और समस्याओं का जिक्र किया। यहीं लखनऊ से शुरू कर दें गोमती नगर में नदी का रिवर साइड चेंज किया जा रहा है, खनन् माफिया लगे पड़े हैं। बड़े-बड़े लोग फोन करके हार गये, जो लोग फोन करते हैं, यहां का प्रशासन उनका नाम बता देता है, जो लोग खुदवा रहे हैं, उनके द्वारा उनकी तोड़ाई शुरू हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि मिर्जापुर के पत्थरों से लेकर नदियों के बेसिन में जितने खनन् हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी संभवतः आपके अधिकारियों ने आपको नोट में नहीं दिया है। उस पर आप अवश्य गौर करेगें और आज यहां से जाने के बाद सबसे पहला आदेश यही करेंगे कि जो नदियों के बेसिनों में बालू का अवैध खनन् हो रहा है, जो पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ा जा रहा है, जो पत्थरों की चोरी हो रही है, जो अवैध खनन् हो रहे हैं, जो अवैध माइनिंग हो रही हैं, उस पर आप अवश्य ध्यान देंगे। क्योंकि पिछले 5 वर्षों मे जितने भी पत्थर खोदे गये हैं, पहाड़ों को झील बना दिया गया है, कभी इस तरह सुना नहीं गया होगा, समतल को गढ्ढा बना दिया गया लेकिन कहीं कोई पर्यावरण विभाग काम नहीं आया। पर्यावरण विभाग ने सिर्फ एन0ओ0सी0 दी और एन0ओ0सी0 के मानक होते हैं, 15-17 बिन्दु होते हैं, वह उसे लिख देते हैं। इससे कितनी मोटी कमाई होती है अगर आप कटौती करके एक करोड़ बावन लाख समाप्त कर दें तो इससे ज्यादा हफ्ता तो इस विभाग के इम्प्लाई माननीय मंत्री जी को दे देगें। हम आपका ध्यान पर्यावरण की इन चीजों के लिये इसलिये दिलाना चाहते हैं कि मान्यवर, जमीन है, जमीन के अन्दर पानी है, हवा है, अगर इसका संतुलन बिगड़ेगा तो जीवन को तरह-तरह की बीमारियां होती है और उससे जीव-जन्तु विलीन होते गये हैं क्योंकि पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से इंसानों को हजारों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं लोग मर रहे हैं और जो पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में हमारी रिवर साइड की चीजें हैं, उनका ठीक रहना आवश्यक हैं।

जो सालिड वेस्ट निकल रहा है, उसका कहीं भी मानक के अनुरूप निस्तारण नहीं हो रहा है। उसका सही ट्रीटमेन्ट नहीं हो रहा है। पिछली सरकारों में बहुत सी एस0टी0पीज0 बनी लेकिन वह चालू नहीं है। वह ऐसी जगह बना दी गयीं, जहां पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेंगी। उस सालिड वेस्ट में जो शहर का मल-मूत्र आता है, वह तो है ही, उसका तो परिस्करण होता ही नहीं है। वह सीधे नदियों में डाल दिया जाता है और आज यह हालत है कि उत्तर प्रदेश की सारी नदियां, मेरे पास इसी मंत्रालय के रिकार्ड हैं, भारत सरकार के रिकार्ड हैं, उसके अनुसार किसी भी नदी का पानी मानक के अनुरूप नहीं है और उसमें जल जीव समाप्ति की ओर हैं। अगर नदियों का जीवन समाप्त होगा तो मानव का जीवन बचने वाला नहीं हैं। मान्यवर, इसी गंदे पानी के कारण जमीन के अन्दर जो पानी है, उसमें टाक्सिक जा चुका है और वह लोगों के पीने के लिये जहरीला होता जा रहा है। मान्यवर, जो अस्पतालों का सालिड वेस्ट होता है, जो हमारे टाउन एरियाज हैं, नगर पंचायत और नगर पालिकायें हैं, उसमें 32 करोड़ की आबादी आती है। उसमें ही मात्र 20,800 टन कचरा निकलता है और इसका कहीं कोई प्रापर ट्रीटमेंट नहीं होता है। यह खुले में फेंका जाता है, रास्ते में इसे ले जाने से बीमारी फैलती है। इसको जहां गिराया जाता है, उससे बीमारियां फैलती हैं। इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। इस मंत्रालय को चाहे जहां से वह संसाधन लायें, जो कुछ भी करें, यह करना चाहिये। क्योंकि सारी योजनायें तभी सफल होगी जब इंसान स्वस्थ रहेगा और समाज स्वस्थ रहेगा और पर्यावरण से इन सारी चीजों का संतुलन बनता बिगड़ता रहता है। यह तो सिर्फ 32 करोड़ पब्लिक जो सिर्फ कस्बों में रहती है, उसका हिसाब है, गांव का इससे अलग है। मान्यवर, इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि वायु प्रदूषण है, हम सारे सदन के लोगों को न्यायपालिकाओं का धन्यवाद करना चाहिये जिनकी वजह से फैक्टरियों के पाल्यूशन को, मोटर व्हेक्लिस के पाल्यूशन को, भट्टों के पाल्यूशन सहित तमाम चीजों को कंट्रोल किया गया और भूरेलाल कमेटी के अन्तर्गत जो तमाम कोशिशें हुई हैं, समयसीमा निर्धारित कर दी है, मानक निर्धारित कर दिया, जिसके अनुरूप यह कार्य हो रहे है और कुछ नियंत्रण हुआ है, लेकिन अभी और भी नियंत्रण करने की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा मान्यवर, जो जहर जमीन के अन्दर डाला जा रहा है, इसके कई माध्यम हैं। मान्यवर, आपका आदेश हुआ तो मैं इसको बन्द करके एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह मंत्रालय वह कार्य भी नहीं करता है जो यह मंत्रालय स्वयं जांच करके देखता है। आपके सारे दस्तावेजों मे और जो आपने भी पढ़ा, उसके अनुसार 800-900 जांचे की गयी लेकिन यह न आपने बताया और न आपके दस्तावेजो में है कि जांच में दोषी कितने पाये गये और करीब इसी मंत्रालय के रिकार्ड में हैं कई हजार केस दर्ज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बीस केस है, हाईकोर्ट में करीब 1000 केस हैं। केस चले हैं उन केसों के फैसले भी हुए हैं लेकिन कहीं यह नहीं बताया गया है कि उसमें किसी को दोषी पाया गया तो क्या कार्यवाई की गयी ? मैं मान्यवर, आपका ध्यान एक विशेष पत्र की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी पिछली सरकार में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश जी ने मा0 मुख्य मंत्री मायावती जी को एक पत्र लिखा जिसमें प्रदेश की कई नदियों का जिक्र है विशेषकर पूर्वांचल और गोरखपुर की आमीं नदी का। केन्द्रीय टीम वहां जांच करने गयी थी, साथ में प्रदेश की भी टीम गयी थी। उन टीमों ने जांच करके जो पूर्वांचल का इलाका था, एक-एक जगह की जांच की है। वह लोगों के घरों के सामने जा करके सबका डिटेल लिया है। चाहे वहां की फैक्ट्रियां हों, चाहे कारखाने हों, चाहे मिल हों। पीने के पानी से

लेकर आमीं नदी, राप्ती, गुर्रा, मझना ये सारी नदियां मृत-प्राय घोषित हैं करीब-करीब, यह केन्द्र सरकार ने कहा है। केन्द्र सरकार ने 11 मई, 2011 को प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती जी को एक पत्र लिखा कि ये जो कमेटियों ने जांच की है, जांच रिपोर्ट दी है उस पर कार्यवाई आपको करनी है। केन्द्र सरकार भी जो जांच करती है उस पर कार्यवाई करने का अधिकार प्रदेश सरकार को है। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जयन्ती नटराजन जी ने भी पत्र लिख करके एक अनुरोध किया था मुख्य मंत्री मायावती जी से कि इस पर कार्यवाई किया जाए। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो केन्द्र सरकार ने पूर्वांचल की आमीं, राप्ती, घाघरा, गुर्रा की जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उसकी प्रतिलिपियां हमारे पास है, जांच रिपोर्ट की कापी भी हमारे पास है, उस पर तत्काल कार्यवाई करायें। वहां के जिलाधिकारियों ने भी वहां के पर्यावरण अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करायें ऐसे कल कारखाने जो दूषित कचरा फेंक कर वहां के जल को प्रदूषित कर रहे हैं उन पर कार्यवाई कराया जाए। क्योंकि यदि जांच के बाद भी कोई कार्यवाई नहीं हो रही है तो फिर इस विभाग के अस्तित्व में रहने का फायदा क्या है ? यह कार्यवाई इसलिए नहीं हो रही है कि मात्र 62 इम्पलायी जिन पर आप नियंत्रण कर सकते हैं वह 62 लोगों को और इनको संरक्षण देने वालों का नेक्सस है उन लोगों की भारी कमाई होती है इस कारण से वे लोग ऐसा करते रहते हैं। मान्यवर, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि यह पर्यावरण मंत्रालय के कर्मचारियों के पास एक नया रोजगार और आ गया है। जितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, टाउनशिप, मकानों बड़ी-बड़ी चीजें बन रही हैं उन सबकी एन0ओ0सी0 भी इन्हीं को देनी है। वह क्या करते हैं कि सिर्फ एक मानक बता देंगें कि आपको यह करना है और उसको कोई पूरा नहीं करता है। उसके लिए इतनी मोटी-मोटी रकम इनको मिलती है, हम स्वयं जानते हैं। आप आश्चर्य करेंगें अगर उन रकमों के लिए हम डोनेशन ले लें तो कई विभागों के कार्य उससे चल जाया करेंगें। अगर उसको लीगलाइज कर दें कि इतने डोनेशन से मानक मिल जायेगा तो वह कार्य हो जायेगा। जितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, टाउनशिप, शापिंग काम्पलेक्स, बिजनेस काम्पलेक्स पूरे यू0पी0 में बन रहे हैं, उन सबकी एन0ओ0सी0 आपका मंत्रालय देता है लेकिन क्या कभी इस मंत्रालय ने यह पता किया कि जो मानक उनको दिये गये थे जिस टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स पर उनकी परमीशन दी गयी थी क्या उन मानकों का प्रयोग हो रहा है या उसका वह पालन कर रहे हैं ? क्या इस तरह की कोई कार्यवाई की गयी इस मंत्रालय द्वारा ? यह पिछले कई सालों से चल रहा है। यह भविष्य में तो और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आयेंगे, इनकी तो और बांछें खिलेंगी। मान्यवर, पिछले हफ्ते मैंने एक प्रश्न भी लगाया था अपने क्षेत्र की इन्हीं नदियों के बारे में, सब पर उत्तर आया कि कहीं कोई दूषित पानी नहीं है, सब जांचा गया, देखा गया है। ये करते क्या हैं फैक्टरी में जायेंगे उस दिन फैक्टरी का जो ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट है चालू रहेगा, खूब अच्छा सा नाश्ता पानी करेंगें और चले आयेंगें। एक मेरा सुझाव है। इन अधिकारियों को जहां-जहां इन्होंने सही पाया है एक-एक गिलास वहां का पानी पिला दिया जाय इनको भेजा जाय और जिसके यह रिकार्ड बता रहे हैं कि सही है मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनको वहां भेजकर एक-एक गिलास उस पानी को पिला दिया जाय भले ही बाद में डाक्टरों की अच्छी व्यवस्था रहे और बाद में उनका ख्याल भी रखा जाय लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो कुछ है वह इस विभाग को सख्ती से मानीटर करना चाहिए। जिसमें यह विभाग पूरी तरह विफल है। हम तीन महीनों

की विफलता की बात नहीं कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से यह विभाग सिर्फ चुंगी हफ्ता लेने का विभाग बन कर रह गया है। विभाग को यह छवि बदलनी होगी। यह पर्यावरण के प्रति गंभीर होना पड़ेगा नहीं तो आगे चलकर तमाम समस्याएं आएंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सत्यवीर 'मुन्ना'-

अध्यक्ष जी, आज आपने पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण विषय है इसको मैं एक बात कहकर शुरू करता हूं। एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भारत के लिए कहा था हू लिव्ज इफ इंडिया डाई। अगर भारत ही नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा। अध्यक्ष जी, मेरा उसी संदर्भ में कहना है पर्यावरण के संदर्भ में कहना है हू लिव्ज इफ इनवायरमेंट डाई। अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम सब कहां रहेंगे। हम कहां विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी नजर पर्यावरण की तरफ बहुत कम जाती है। अध्यक्ष जी, इन पर्यावरण के लिए एक इनवारमेंटल सस्टेंनबिल्टी इंडेक्स है। पर्यावरण सहनशीलता सूचकांक उसकी रिपोर्ट है वह बहुत ही चिन्तनीय है और उसके अनुसार 2007 में उत्तर प्रदेश पर्यावरण में जो पर्यावरण का सूचकांक था उसमें उत्तर प्रदेश पूरे 28 राज्यों में 20वें नम्बर पर था। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2011 में उसी इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश अन्तिम स्तर पर है। 28वें नम्बर पर। इनवायरमेंट सस्टेंबिल्टी इंडेक्स के संदर्भ में अध्यक्ष जी, जहां तक पर्यावरण की बात है हमें तीन भागों में इसको सोचना और विचार मंथन करना होगा। एक तो क्या चुनौनियां है पर्यावरण को लेकर क्या हमारी उपलब्धियां हैं और क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं। अगर हम चुनौतियां देखें तो चाहे वह वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो चाहे जंगलों और वनों के विनाश की स्थिति हो। चाहे सालिड वेस्ट की बात हो। तमाम शहरों में ऐसी चुनौनियां है पूरे उत्तर प्रदेश में जो इंडेक्स बता रहा है कि बहुत ही खतरे ही खतरे की स्थिति है। गंभीर स्थिति में उत्तर प्रदेश आज है। जब से उत्तराखण्ड अलग हुआ है चुनौती और भी बढ़ गई है और उपलब्धियां और भी कम हो गयी हैं। उत्तराखण्ड के साथ ही बहुत मूल्यवान वन हमारे प्रदेश से कम हो गया है। जहां तक विकास की गति की बात है। विकास ने इसको और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। चारों तरफ विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं। आवश्यकता है पुनः बनीकरण करने की। रिफारेस्टेशन की एफारेस्टेशन की अध्यक्ष जी आवश्यकता है। यदि भू-मण्डली तापन की स्थिति हो आप देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के अलावा जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन के उत्सर्जन की स्थिति हो इन सब में भी उत्तर प्रदेश में गम्भीर स्थिति है। यह तमाम चुनौतियों में मैं अपने पर्यावरण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं यह आशा करता हूं कि अगले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की स्थिति बेहतर होगी। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मेरा आग्रह है कि नदियों में जो बी0ओ0डी0 का स्तर है बायोलाजिकल आकसीडेंट डिमांड का उसमें भी बहुत समस्या है। इसके लिए हमारा पर्यावरण मंत्रालय इस पर भी ध्यान देगा और अन्त में मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष जी, जलवायु सबसे बड़ी चीज है जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सूखे की संभावित स्थिति है। ईश्वर न करे। यह ऐसा क्यों है ? हमारी समझ में तो सूखे की स्थिति नहीं आने वाली है। हमारी समझ से तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप पिछले 10-20 साल की पूरे भू-मण्डलीय स्तर पर देखें तो जलवायु में थोड़ा शिफ्ट हुआ है। आप अगर देखें गर्मियां देर से आ रही हैं, सर्दियां देर से आ रही हैं, बरसात देर से हो रही है। मेरा सुझाव पर्यावरण विभाग से यह है कि जो थोड़ा सा जलवायु का शिफ्ट हुआ है एक महीने का, उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनायें। जो खरीफ की फसलें हैं, जो रबी की फसलें हैं जो हमारी सरकार इन्तजाम करती है जलवायु में जो एक दो महीने का शिफ्ट हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बनाई जायं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम पर्यावरण की स्थिति का सामना कर सकते हैं। इसी के साथ मैं पर्यावरण के सन्दर्भ में शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान पर बल देते हुए, बजट पर अपना बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पर्यावरण के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे क्षेत्र जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में पर्यावरण के सम्बन्ध में लगभग कई जगह स्टोन क्रेशर लगी हुई है। जैसे रामनगर में जो स्टोन क्रेशर से रामनगर दबरा बुजुर्ग बेहरटा गांव है और जो हमारा हाई-वे रोड है उस पर जब क्रेशर चलती है तो उसकी वजह से इतनी धूल आाती है कि रोड पर कोई चल नहीं सकते हैं। हमारे कोई भी यहीं अगर अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमा न करे तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। ऐसा हमारा पूरी तरह से गोरा मछिया है शंकरगढ़ डिमरौनी है यहां पर भी क्रेशरें लगी हैं। रौनिया है, करारी है, प्रीतमपुरा करारी में क्रेशरें लगी है। रूदकरारी, हस्तनापुर में भी क्रेशरें लगी हुई हैं। सफा, बल्लमपुर सारमऊ में भी लगी हैं। पुनावली कलां, अठौदना, खोडन, राजगढ़, बिजौली, खैलार में भी क्रेशर लगी हुई हैं और यह सारी की सारी क्रेशरें हाई-वे और फोर लेन पर लगी हुई हैं। जो अगर रात्रि 8 बजे के बाद अगर कोई भी यात्री तेज स्पीड से जा रहा हो तो उस जगह पर इतनी धूल रहती है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो एक्सीडेंट हुए बिना रह नहीं सकता है। वहां पर कई जगह पर ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं कि सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। इन क्रेशरों की वजह से ही वहां आस-पास के जो गांव हैं जैसे रामनगर हैं, दबरा बुजुर्ग है, बेरहटा है, लक्ष्मणपुरा है, गोरा मछिया है, डिमरौनी है, रिसौडा है, शंकरगढ़ है, बिजौली है, रूदकरारी है यहां के लोग हैं सांस लेने से जो प्रदूषित हवा उनके अन्दर जा रही है जिसकी वजह से लोगों को कैंसर, कुपोषण, टी0बी0 और स्टोन के मरीज हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन गांवों में धूल की वजह से कुँए का पानी प्रदूषण की वजह से काला हो गया है। वहां के लोग जो प्रदूषित हवा को ग्रहण कर रहे हैं, प्रदूषित पानी पी रहे हैं तमाम तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वही धूल मान्यवर, वहां के किसानों के खेतों में जाकर जम रही हैं जिस कारण से उनकी जो उपजाऊ जमीन थी वह ऊसर और बंजर हो रही है। जिसकी वजह से भी उन गांवों के किसान आत्महत्या के लिये मजबूर हो रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि झांसी खजुराहो रोड पर, झांसी टीकमगढ़ रोड पर, झांसी ललितपुर रोड पर, झांसी ग्वालियर रोड पर, शिवपुरी रोड पर, झांसी कानपुर रोड पर जो क्रेशर लगे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय और इन्हें मानक पूरा करने के लिये बाध्य किया जाय। आपसे मेरा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुरोध है कि इन पर कार्यवाही की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण बजट हैं पर्यावरण का मनुष्य स्वयं पर्यावरण है-

क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह मनुस सरीरा।

पर्यावरण से मनुष्य की संरचना हुई है और हम उसी के साथ मजाक कर रहे हैं। उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर्यावरण का आदर करना हम लोगों ने बन्द कर दिया तो पर्यावरण हमसे नाराज हो गया। हमने नदियों का आदर करना बन्द कर दिया, पहले हम जाते थे नदियों के पैर छूते थे और तब उसमें प्रवेश करते थे। अब हमने नदियों में कूड़ा-करकट डालना शुरू कर दिया। तो नदियां हमसे रूठ गई इसलिये देश में नदियों का स्वरूप समाप्त हो गया। पेड़ मान्यवर, जिन पेड़ों की हम पूजा करते थे उन पेड़ों की पूजा करना छोड़ हमने उनको काटना शुरू कर दिया, पेड़ मान्यवर, हमसे नाराज हो गये। मान्यवर, वायु हमें शुद्ध हवा देती है अगर पांच मिनट नहीं मिले तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हमने उस वायु को भी प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मान्यवर, मैं समय का भी प्रदूषण नहीं करूंगा केवल दो तीन मिनट में अपनी बात कहुंगा। इस प्रदूषण को दूर करने के लिये जब तक हम दिमाग का प्रदूषण दूर नहीं करने वाले हैं तब तक यह प्रदूषण दूर होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी आपने बड़ी निष्ठा के साथ इस बजट को रखा है।

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें।

श्री सतीश महाना-

सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट चलेगा तो जल निगम के अधिकारी वहां आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अरे, बस हो गया। आप प्रदूषण पर बहुत बोल चुके।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, का आदेश शिरोधार्य करते हुये बस एक बात कहना चाहूंगा। वैसे मैं तैयारी करके आया था, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट मैं कानपुर का आपको उदाहरण दे रहा हूं वहां आपको सारा प्रदूषण मिल जायेगा। भू-गर्भ जल प्रदूषित मिल जायेगा। क्योंकि जितना सीवेज होता है वह सब उसमें डाल देते हैं सारा का सारा जमीन में रस जाता है। पीने का पानी प्रदूषित है। उससे जो गैस निकलती है उसको जला देना चाहिये वह नहीं होता है प्लान्ट खराब है जिससे वायु प्रदूषित है पानी प्रदूषित हो गया। वहां इतना प्रदूषण ज्यादा हो गया है कि वहां पर कोई पेड़ उग ही नहीं सकता है। हवा पानी और जीवन जो हमारा है सब प्रदूषित हो गया।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सतीश महाना-

अन्त में एक बात बताकर खत्म करूंगा। आज से कुछ दिन पहले एक मंत्री जी बड़े चिन्तित रहते थे प्रदूषण के बारे में, एक कैन्टीन में गए शाम पांच बजे के बाद, उन्होंने सोचा कि पांच बजे कैन्टीन बन्द हो गई है तो प्रदूषण कहां मिलेगा तो उन्होंने चौड़े मुंह वाली बोतल मंगवाई। उस पानी को देखा ठीक तरह से प्रदूषित है या नहीं, और जो उसमें प्रदूषण की कमी थी वह उसमें डाल दी और कहा कि मैं इस प्रदूषण को चेक कराऊंगा। रात बीती और सुबह दस बजे से पहले वह प्रदूषण समाप्त हो चुका था और उसको नो पाल्यूशन वाला सर्टिफिकेट दे दिया गया था। इस तरह से जो प्रदूषित हैं।...

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

*श्री पूरन प्रकाश-

गिरिराज महाराज की जय।

श्री अध्यक्ष-

यहां नारा नहीं लगाया जाता है।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण का जो बजट आया है उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे माननीय मंत्री जी ने सभी नहरों का जिक्र अपने बजट में किया। मान्यवर, यमुना मैया है मां कहते हैं। अगर कोई शादी हो, विवाह हो तो पहले यमुना मैया को पूजा जाता है। माननीय अध्यक्ष आज उस यमुना मैया की हालत यह है कि आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यमुना मैया निकलती हैं दिल्ली से, आती हैं पूरी यू0पी0 से, आगरा से, मथुरा से, बहन भाई का भैय्यादोज का त्यौहार होता है। बहन भाई एक साथ उसमें स्नान करते हैं एक दूसरे को टीका लगाते हैं। यह हमारी मान्यता है आज यमुना मैया की हालत यह है कि उसके पास जितने आपका चाहे छाता के हों, मथुरा के हों, चाहे कोसी के हों, जितने सीवर जितने नाले हैं सब यमुना में गिर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जितना कूड़ा कचरा है वह यमुना मैया में जा रहा है आज हालत यह है कि यमुना मैया की मछलियां सुबह आप देखें ट्रकों के हिसाब से मरी मिलती है। अध्यक्ष जी, प्रदूषण के कारण यमुना मैया का अस्तित्व खत्म हो रहा है, उसमें इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि उसका पानी जहरीला हो गया है जिसके कारण उसमें लोगों का आचमन करना तो दूर उसके पास खड़ा होना भी दूभर हो गया है। इस जहरीले पानी के कारण लाखों मछलियां मर रही हैं। कछुओं की खुलेआम तस्करी हो रही है। मान्यवर, इतना ही नहीं, यमुना के किनारों पर बालू माफियाओं द्वारा बालू निकाला जा रहा है और यह काम पुलिस की देखरेख में खुलेआम हो रहा है, प्रत्येक ट्राली से पुलिस 500 रुपये से 1000 रुपये वसूलती है। मान्यवर, इसके साथ ही हमारे जनपद मथुरा में गोवर्धन की मानसी गंगा, राधाकुंड सरोवर, कुसुम सरोवर आदि का पानी भी उनके उचित देखभाल न होने के कारण प्रदूषित हो गया है। अध्यक्ष जी, गोकुल जो कि भगवान की जन्मस्थली मानी जाती है, उसमें जो पानी यमुना का आता है, उसमें 50-50 फुट ऊंचे गन्दगी के झाग फैले रहते हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पर्यावरण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इसके लिए डेढ़ करोड़ की व्यवस्था की जा रही है लेकिन विभाग का काम न के बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि दिल्ली से आगरा तक यमुना निकलती है, उसमें तमाम नाले गिरते हैं, जिससे वह पूरी तरह से प्रदूषित हो रही है, उन नालों को इसमें गिरने से रोका जाय और यमुना नदी में साफ पानी छोड़ा जाय जिससे उसका प्रदूषण कम हो सके। मान्यवर, मैंने जो बातें रखी हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, उस ओर ध्यान दें, धन्यवाद।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पर्यावरण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि आज 2 जुलाई हो चुकी है, सारे मौसम विज्ञानी एवं पर्यावरण विदों ने कहा था कि सामान्य मानसून की वर्षा 20 जून तक हो जायेगी, ऐसा उन्होंने पूर्वानुमान किया था। मान्यवर, जुलाई का महीना है, हमारी जानकारी में 30-35 साल से मैं होश में हूं, 35 साल में पहली बार 8 जुलाई तक के लिए स्कूल बन्द किए गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इससे पहले कभी गर्मी की वजह से जुलाई में स्कूल बन्द नहीं किए गए हैं, बरसात की वजह से स्कूल बन्द किए जाते थे। रेनी डे होता था, हम लोग बड़ी खुशियां मनाते थे। आज छोटे बच्चे इसलिए घरों में बन्द हैं, क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा है। यहां पर हम बैठे हैं, हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या तापमान है, बाहर कितनी झुलस है ? जुलाई का महीना है, आम आ जाने चाहिए थे, बारिश की वजह से नहीं आ सके, जामुन आ जाने चाहिए थे, नहीं हुए। धान, गन्ने की फसलें सही होनी चाहिए थी, वह सही नहीं हुई। आपसे यह बताना चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है, नदियों को खत्म किया जा रहा है, इस वजह से मान्यवर, आज यह हालत हुई है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायु-प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, यह सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की वजह से हुआ है। मान्यवर, सारी नदियों का जिक्र है लेकिन उसमें शारदा नदी का जिक्र नहीं है, शारदा नदी भी उत्तर प्रदेश की बड़ी नदियों में है और उसको भी बहुत ज्यादा प्रदूषित किया जा रहा है, उसमें फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, जिसके कारण वह प्रदूषित हो रही है, मैं चाहता हूं इस ओर मंत्री जी ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए।

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या के भाषण के मध्य माननीय अध्यक्ष ने श्री रविन्द्र भड़ाना को बोलने के लिए बुला लिया)

*श्री रविन्द्र भड़ाना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहता हूं, नगर विकास मंत्री जी चले गये, उनके समक्ष बोलना चाहते थे, नहीं बोल पाए लेकिन अब पर्यावरण पर बोलना चाहते हैं। आदरणीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष जी, यह पर्यावरण बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। आदरणीय मंत्री जी, डेढ़ करोड़ का बजट प्रस्ताव लेकर आये हैं लेकिन मैं जहां से चुनकर आया हूं, मेरठ के अन्दर पर्यावरण की इतनी बड़ी समस्या है, मेरठ दक्षिण विधान सभा में, एक-एक कमेला, अगर मंत्री जी आदेश कर दें तो एक-एक कमेला वाला इसका दस गुना दे जायेगा। इतना बुरा हाल है, उन कमेलों से, हड्डियां पकाई जा रही हैं, हड्डियों से विभिन्न तरह की चीजें निकल रही हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम अल्लीपुर पड़ता है, खेतों-खेतों के अन्दर हड्डियां फैला करके सुखाई जा रही है, जिसके कारण वहां का वातावरण इतना दूषित है कि अगर पर्यावरण के किसी भी अधिकारी को वहां एक घण्टा खड़ा कर दें तो मान्यवर, मैं ज्यादा बात तो नहीं करता, वह आदमी शायद जिन्दा रह पाए, इतनी बुरी स्थिति है, बदबू की स्थिति है। काली नदी वहां से गुजर करके निकलती है, मैंने प्रश्न भी लगाया था, उसमें खून का कचरा और सब कुछ उसमें छोड़ा जाता है। आज तक उसका पानी साफ करने के लिए आपकी ओर से क्या योजनाएं बनाई गई हैं ? नदियों की सफाई के लिए सरकार कोई योजना नहीं बना पा रही है। गंगा नदी को जल प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए क्या योजना बनायी गयी है सरकार उस पर ध्यान दे। मान्यवर, मेरठ में प्रदूषित पानी जमीन में नीचे छोड़ा जा रहा है। उस जमीन के प्रदूषित पानी के कारण आसपास के सैकड़ों गांव उससे प्रदूषित हो गये हैं और वहां भयंकर बीमारी फैल रही हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे घर के बिल्कुल पास में 50 मीटर की दूरी पर जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की एक ट्यूवेल लगी, उसमें कमेली का जो जल आ रहा होगा उसका प्रदूषित जल ऐसा है कि अगर उसके जल से कोई स्नान कर ले तो आप शरीर पर लगायी हुयी साबुन को कई कुन्टल पानी भी शरीर पर डाल देंगे तो साबुन नहीं छूटेगी। मान्यवर अगर आप किसी अधिकारी को एक दिन मेरे घर पर भेज दें और उस ट्यूवेल पर उसे स्नान करा दें तो इसका पता चल जाएगा। मैंने एक प्रश्न लगाया था आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हो पायी है। मान्यवर, प्रदूषण अधिकारियों से यह पूछें कि इन फैक्ट्रियों का कचरा, प्रदूषित करने का काम वह लोग करा रहे है उनके संरक्षण में हो रहा है। मान्यवर, वहां के लोगों की जिन्दगी का सवाल है, वह गंदा पानी पीने के लिये मजबूर है। आज प्रदेश में जगह-जगह प्रदूषण के कारण ही एक्वागार्ड की जरूरत पड़ रही है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने इतना छोटा बजट पूरे उत्तर प्रदेश के लिये बनाया है यह समझ में नही आया। यह जो जल प्रदूषित हो रहा है इसको दूर करने के लिये आपके विभाग की तरफ से प्रयास किये जाने चाहिये। धन्यवाद।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पीठ से एक तो निवेदन है कि यह जो बसपा और सपा के बीच में जो प्रदूषण हो रहा है यह बंद किया जाये। ये एक दूसरे को गुण्डा-बेइमान कहते हैं, इसमें सदन का समय बर्बाद होता है। सदन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। मान्यवर, अभी काफी देर ईमानदारी के पर्यायवाची की बातें कही गयी। तो मान्यवर, बेइमान कोई सदस्य नहीं है, बेइमान वह हैं जिनके खिलाफ जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप पर्यावरण पर बोलिये या हम लिखना बन्द करा दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, यह भी प्रदूषण है। और दूसरा यह कहना चाहता था कि अभी हमारे श्री अखिलेश प्रताप जी ने एक बात रखी। हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गांधी जी ने पर्यावरण पर जितना काम किया दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। मान्यवर, एक तो बजट कम है, कटौती का प्रस्ताव लाने में बड़ी शर्म सी लग रही है। आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो इसके कार्यालय बहुत कम है। कार्यालयों की संख्या और स्टाफ की संख्या बढ़ायी जाये। मान्यवर, पिछली सरकार में मैं एक कारोबारी के साथ पर्यावरण विभाग के कार्यालय में चला गया उस अधिकारी ने कहा कि आप 15 दिन लेट आये हो अब रेट 25 से 50 लाख हो गया है। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी संख्या बढ़ायी जाये इनका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाये और माननीय मंत्री जी से अम्बिका चौधरी जी से आपकी पीठ के माध्यम से निवेदन है कि इस विभाग का भ्रष्टाचार खत्म करा दो लोगों का जीवन बच जायेगा। और अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार ऐसे खत्म नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया अब आप बैठिये। अब आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। अब आपका माइक आफ कर देंगे, बैठिये। श्री राजेश त्रिपाठी जी, अब आप बोलें।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया का माइक आफ होने के कारण उनकी कोई भी बात सुनाई नहीं दी।)

*श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने पर्यावरण विभाग पर मा0 सदस्य श्री अखिलेश सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपना विचार रखने का समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद्। मा0 अध्यक्ष जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखद स्थिति है कि पर्यावरण जैसे विभाग पर एक करोड़ 53 लाख रुपये का बजट आज आया है और यह इतना हास्यास्पद है और मुझे लगता है कि मा0 मंत्री जी का इसमें दोष नहीं है, मा0 मुख्यमंत्री जी का भी दोष मैं इसलिये नहीं दूंगा कि मात्र तीन महीने के शासनकाल में जो उनके पास जिम्मेदारियां है, उसे निभाने के लिये बहुत सारे विभाग उनके पास है, अभी बहुत सारे विभागों का हो सकता है वह अध्ययन तक न कर पाये हों, लेकिन इस विभाग के अधिकारीगणों को मैं निश्चित रूप से यह बात कहना चाहूंगा कि जब सरकार आई थी तो मा0 मुख्य मंत्री जी का पूरे एक पेज का देश के, प्रदेश के सारे बड़े अखबारों में विज्ञापन छपा था, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के विश्व पर्यावरण दिवस पर। मुझे लगा था कि यह सरकार सचमुच अगर विश्व पर्यावरण पर इतनी गम्भीर है तो इनके बजट में भी इस तरह से यह कार्य करेंगे आगे चलकर के मगर आज जब बजट आया तो काफी हास्यास्पद लगा कि बहुत सारी बात अभी अल्पसंख्यक विभाग का बजट आया तो कहा गया कि 81 प्रतिशत हमने वृद्धि किया, धन्यवाद भी मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। पिछले वर्ष का अगर बजट देखा जाय तो आयोजनागत और आयोजनेत्तर मिलाकर के लभभग साढ़े छः करोड़ का बजट था और इस वर्ष मात्र डेढ़ करोड़ की बात आई है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह पुस्तकें सबके पास हैं आप अपने क्षेत्र की बात करें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मा0 सदस्य कांग्रेस और मा0 सदस्य श्री महाना जी ने पर्यावरण विषय के बारे में जो बातें कही है उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विभाग को रिच किया जाना चाहिये। मैं जानता हूं कि अकेले यह पर्यावरण विभाग काम नहीं कर सकता, राजस्व विभाग की तमाम ऐसी कमजोरियां हैं जिसके चलते भुगतना पर्यावरण विभाग को पड़ता है। जो स्वास्थ्य विभाग है, उसके नरसिंग होम से जो अपशिष्ट निकलते हैं, जो कूड़ा-करकट निकलता है, तमाम ऐसे चीजें हैं जो करता कोई और है और अन्त में जिम्मेदारी आती है पर्यावरण विभाग की, मगर पर्यावरण विभाग को विभागीय स्तर पर इतना रिच नहीं किया गया है, यकीनन पूरी तरह से उदासीनता बरती गई है इसमें मैं यह अनुरोध करूंगा कि अगली बार जब आप बजट लेकर आयेंगे तो पूरी सृष्टि विनाश की तरफ बढ़ रही है, महाविनाश की तरफ आप जा रहे हैं, सब कुछ खत्म होने जा रहा है, उस स्थिति में आप दुनिया को, अपने प्रदेश के 21 करोड़ लोगों को जीवनदान देने के नाम पर आप एक करोड़ तिरपन लाख लेकर के आये हैं। समय चूंकि काफी है, हम बात नदियों के प्रदूषण की करें, कि ध्वनि प्रदूषण की बात करें यहां तक कि कभी-कभी इस सदन में भी प्रदूषण फैलता है यह तो सुखद है कि कुछ सीनियर्स लोग उस प्रदूषण को खत्म कराने का माहौल बनाते हैं और हंसी ठहाकों के बीच वह प्रदूषण खत्म होता है। आज भी कई बार ऐसा लगा कि प्रदूषण काफी बढ़ता जा रहा है और मान्यवर, मैं बिल्कुल खतरे की घण्टी की तरफ से भी आ रही है मैं देख रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि गोरखपुर जनपद में जो गीडा है, उस गीडा पर बिल्कुल जो पूर्व में हमारे अखिलेश सिंह जी ने बताया जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, बहुत तबाह हो गये हैं लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे है, जो कम्पनियां हैं, जो उनके वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगे हुये हैं, बिल्कुल सही है कि जब यह अधिकारी निश्चितरूप से वहां जाते हैं, उसी समय वह चलते हैं, बाकी समय वह नहीं चलते हैं, जिसका खामियाजा आमी नदी, सरयू नदी और राप्ती नदी को भुगतना पड़ रहा है, हम लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, बीमारी तेजी से पूर्वांचल में फैल रही है, इस नाते हम कहेंगे, पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभायें। मा0 मंत्री जी, मा0 चौधरी साहब आपके भी विभागों से जुड़ी हुई यह चीजें हैं, उम्मीद करता हूं कि यह सरकार आगे जो बजट लेकर आयेगी, तो इस पर्यावरण विभाग पर बहुत पर बहुत गम्भीरता से विचार करेगी। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, वापस लेने या न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पत्र आया है भारत सरकार से पर्यावरण मंत्रालय का मा0 मुख्य मंत्री जी को संबोधित जो आमी नदी के सम्बन्ध में है उस पर

कार्यवाही सुनिश्चित करा दें। दूसरा शहर के बाहर का प्रदूषण का पानी जो नदियों में जा रहा है उसे चैक करा लें। और एक बात हर जनपदों में अपने आफिस बढ़ाईये क्योंकि कुछ ही जनपदों में आफिस हैं। और दूसरे बालू और पत्थर का खनन नदियों में हो रहा है इसको दिखवा लें और उसको रूकवाने का काम करें।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, महत्वपूर्ण विषय होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव सम्मानित कटौती प्रस्तावक मा0 श्री अखिलेश सिंह जी ने और अन्य सम्मानित सदस्यों ने रखे हैं। मान्यवर, हमें इस बात की खुशी है कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने पर्यावरण के विषय में ही विशेष शिक्षा ग्रहण की है और उन्होंने इस बात को अनुभव किया है कि राज्य की अपनी पर्यावरण नीति बननी चाहिये। मान्यवर, इस पर्यावरण संतुलन की आवश्यकता को हम सब महसूस करते हैं। मान्यवर, प्रदेश की विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के निदान हेतु सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और जन सामान्य को सहभागी बनाते हुये पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के लिये 'राज्य पर्यावरण नीति' प्रख्यापित किये जाने की योजना है जिससे जल, वायु और मृदा प्रदूषण की रोकथाम तथा पर्यावरण संगत विकास संभव हो सकेगा। मान्यवर, यह आप ही का सुझाव था मा0 अखिलेश सिंह जी जिसको हमारी सरकार मान रही है। दूसरा सुझाव जो आपका नदियों से और पहाड़ों से खनन कार्य के सम्बन्ध में है मान्यवर, इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। मान्यवर, लेकिन काश यह दो तीन साल पहले हो गया होता तो विन्धय क्षेत्र के पहाड़ियों की जो स्थिति है उसमें से छः बड़े पहाड़ों में से दो का अस्तित्व ही खत्म हो गया है वह रूक जाता। मान्यवर, आने वाली पीढ़ी यह जान ही नहीं पायेगी कि यहां कभी पहाड़ थे उस समय आपने उदारता बरत दी और नोएडा में वहां के पहाड़ों के पत्थर लगवा दिये। उस समय ही भारत सरकार ने अनुमति न दी होती तो अच्छा होता। मान्यवर शहर लखनऊ में आप देख लें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर वह सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित हुई थी और उसकी संस्तुतियों पर ही यह हुआ था।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, उन संस्तुतियों का भी हम लोग परीक्षण करायेंगे और जो भी इसमें सुधार की आवश्यकता होगी उसको किया जायेगा। मान्यवर हम लोग तो वृक्षा रोपण का अभियान चला रहे हैं। लखनऊ में चला रहे हैं। जेलों में चला रहे हैं। यह किसने अनुमति दी है। मान्यवर, यह केवल राज्य का विषय नहीं है यह पूरे देश का विषय है और सम्पूर्ण जन जीवन से जुड़ा विषय है। मुझको सुनकर अच्छा लगा कि हमारे दल के एक पर्यावरण की जानकारी रखने वाले मा0 सदस्य ने बहुत अच्छी बातें कही और सुझाव दिये हैं। उनके पास समय कम था फिर भी काफी बातें कही। मान्यवर, हमारी मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठित सरकार पर्यावरण के संतुलन को बनाये रखने के लिये जितने भी कदम और पैसों की जरूरत होगी उसके लिये कदम उठाये जायेंगे। मान्यवर, दो करोड़ की राशि इस विभाग के लिये लेखानुदान द्वारा ली गयी थी और एक करोड़ से अधिक की राशि इस बजट से मांगी गयी है। मान्यवर, हमारी सरकार की संकल्पबद्धता है कि जन जीवन सुखद हो। मान्यवर, जब

से हमारी समाजवादी पार्टी के नेता मा0 आदरणीय मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से और मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार गठित हुई है। हम लोग पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण के लिये प्रयासरत हैं। मान्यवर, केन्द्र में तो इसके लिये कुबेर का भण्डार है हमें वहां से भी इसके लिये भरपूर धन मिले इसमें हम आपके भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। मान्यवर, जो भी सुझाव आज मिला है और जनहित के लिये जो भी बातें लागू करना उपयोगी होगा उन्हें हम बेहिचक लागू करेंगे।

इतना मैं जरूर सदन के समक्ष आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

जो चिट्ठियां आई हैं। जांच के बाद चिट्ठियां आई हैं।

श्री बलराम यादव-

वही मैंने कहा, मैं विभाग से मंगवा लूंगा, विभाग के अधिकारी नोट भी कर रहे होंगे। मान्यवर, उन चीजों पर जो आपके सुझाव आये हैं उन चीजों का परीक्षण कराकर जिस स्तर की भी और जिस ढंग की कार्यवाही करना होगा हम लोग उसका संज्ञान लेंगे और कार्यवाही करेंगे। इन शब्दों के साथ आपने अनुभव किया कि इस महत्वपूर्ण विभाग को बहुत कम अनुदान की धनराशि है एक बार मैं निवेदन कर रहा हूं आप विद्वान सचेत हमारे इस विधान सभा के सदस्य हैं। आप इसको वापस ले लीजिये काहे कोई परम्परा बने। परम्पराओं में अध्यक्ष महोदय, परम्पराओं को निभाने के लिये परम्परायें मत स्थापित कीजिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

आप मंत्री हैं और आप निवेदन कर चुके हैं, और मंत्री के निवेदन का पालन न किया जाय उसका आदर न किया जाय तो यह भी गलत होगा, मैं वापस लेता हूं।

(कटौती प्रस्ताव वापस किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।)

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,53,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

*राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, सूचना विभाग के बजट पर इसके पूर्व कभी विवाद नहीं हुआ और सूचना विभाग पर विवाद की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चूंकि रख दिया गया है वह किन्हीं कारणों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से और 'विवाद नहीं होगा' यह नहीं लिखा गया है, मैं सिर्फ प्रस्ताव रख देता हूं आप कटौती रख दें और आप मतदान करा लीजिये।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,40,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

*श्री राजबली जैसल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, चूंकि सूचना विभाग अपने आप एक महत्वपूर्ण विभाग है और कभी-कभी छोटी चीज बहुत बड़ी होती है, देखने को छोटा लग रहा है लेकिन सूचना विभाग एक बहुत बड़ा तंत्र है उसका अपने आप में बहुत महत्व है। चूंकि ज्यादा कहना था और मैं नहीं कह पा रहा हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो सूचना है बिल्कुल इस सरकार द्वारा संवदेनशील सूचनाओं की भी उपेक्षा की जाती है जैसे कि सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी के सरकारी आवास 5, कालीदास मार्ग पर आहूत बैठक का बहिष्कार माननीय विरोधीदल नेता और विधान मण्डल दल के नेता बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया गया था लेकिन उसके बाद भी सूचना विभाग द्वारा प्रसारित न्यूज सूचना में माननीय मौर्य जी की उपस्थित होने की सूचना दी गयी जो कि बहुत ही अतिसंवेदनशील है। ऐसा नहीं होना चाहिये था। दूसरी चीज है कि मा0 मौर्य जी विरोधी दल के नेता है, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनके यहां अभी तक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि सूचना अधिकारी की नियुक्ति हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब प्रश्न उपस्थित करते हैं, मा0 अंबिका चौधरी जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मजबूरी हो गई है। मा0 अध्यक्ष जी, सूचना विभाग का बजट रखते समय मैंने जो निवेदन किया था, उसको आम तौर पर विपक्ष ने स्वीकार कर लिया और अपनी कटौती पर औपचारिक तौर पर जैसल साहब ने जो अपने विचार रखे हैं, मैं इसमें कोई बात अतिरिक्त रूप से नहीं कहना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था, सूचना विभाग का, कि हम अपनी झांकी राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस की परेड में, जो विजय पथ पर मान्यवर, निकाली जाती है। रायसीना रोड की पहाड़ियां जब देश भर की संस्कृति को देखती हैं, तो उत्तर प्रदेश की झांकी पिछले कई वर्षों से इस लायक नहीं हो सकी कि उत्तर प्रदेश की झांकी भी उसमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शामिल की जा सके। सूचना विभाग पूरी सतर्कता से अपनी प्रतिष्ठा को लौटाने के लिये कृत संकल्प है और हम निश्चित रूप से यह प्रयास करेंगे कि बहुत शानदार ढंग से उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुये वह सारी उपलब्धियां पुनः हासिल कर सकें हम, जिसके लिये हमारा सूचना विभाग पहले से जाना जाता रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी कटौती वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अब वह कहां वापस लेने वाले। वह सूचना अधिकारी नियुक्त करवाइये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,40,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत के अतिरिक्त 20,03,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,03,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,25,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,25,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व, विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व, विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,40,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व, विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,40,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,11,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,11,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,09,30,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,09,30,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,04,26,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,04,26,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,37,69,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,37,69,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-42

न्याय विभाग

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,37,39,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,37,39,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-19

कार्मिक विभाग

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,90,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,90,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-20

कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,25,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,25,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-61

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा आय-व्यय)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,62,10,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,62,10,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-62

वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,52,55,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,52,55,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-63

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,53,50,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,53,50,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-65

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,10,64,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,10,64,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-66

वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,95,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,95,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-88

संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,34,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,34,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-92

संस्कृति विभाग

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,06,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,06,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02 जुलाई, 2012 को नियम-51 की कुल 52 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें पहली सूचना श्री गुलाम मोहम्मद की लखनऊ बाराबंकी रोड पर आनन्दी वाटर पार्क के मोड़ पर अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री इरफान सोलंकी की उन्नाव की नगर पंचायत मोहान में दबंगों द्वारा दलित परिवार का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राघव लखनपाल शर्मा की सहारनपुर में नगर विकास द्वारा बढ़ाये गये सर्किल रेट को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की लखनऊ के अमीनाबाद पावर हाउस एवं हुसैनगंज पावर हाउस सहित सभी उपकेन्द्रों पर विद्युत लोड बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, तथा पांचवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की प्रबुद्धनगर में बढ़ते अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इन सभी सूचनाओं को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। छठी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में बरसात में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज में स्थित मौलाना आजाद महाविद्यालय, बायताल-कादिराबाद में बाबू जगजीवन राम योजना के अन्तर्गत केन्द्र वित्त पोषित योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के निर्माणाधीन छात्रावासों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की सेवानिवृत्त चपरासी, श्री बाबूलाल यादव, नगरपालिका परिषद्, उन्नाव को सेवानिवृत्ति के उपरान्त देयों का भुगतान एवं पेंशन का निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम रठौन्डा शिव मन्दिर के पास थाना खोले जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास के थाना उदयपुर में अतिशीघ्र एक अग्निशमन केन्द्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत दसवार, हड़या समेत अनेकों ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा बारहवीं सूचना श्री विजय कुमार मिश्र की गाजीपुर जनपद में गोंड़ एवं खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध, में। इन सभी सूचनाओं को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं :-

1-श्री सतीश महाना,

2-श्री उमाशंकर सिंह,

3-श्री जाकिर अली,

4-श्री मदन गोपाल वर्मा,

5-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

6-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

7-श्री संत प्रसाद,

8-साध्वी निरंजन ज्योति,

9-श्री बावन सिंह,

10-श्री मनीष असीजा,

11-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

12-श्रीमती कृष्णा पासवान,

13-श्री विजय बहादुर यादव,

14-श्री प्रदीप माथुर,

15-श्री पूरन प्रकाश,

16-ठा0 दलवीर सिंह,

17-श्री किशन पाल सिंह,

18-श्री सुनील कुमार सिंह यादव,

19-श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह,

20-श्री राज नारायण बुधौलिया,

21-श्री भगवान सिंह कुशवाहा,

22-श्री मदन चौहान,

23-श्री अजय मिश्रा,

24-श्री विजय कुमार दुबे,

25-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

26-श्री शेर बहादुर सिंह,

27-श्री विजय पासवान,

28-श्री श्याम बहादुर सिंह यादव,

29-श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय 'गामा',

30-श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि,

31-श्री प्रदीप चौधरी,

32-श्री दलजीत सिंह,

33-श्री गयादीन अनुरागी,

34-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

35-श्री उमेश पाण्डेय,

36-श्री काली चरन सुमन,

37-चौ0 गजेन्द्र सिंह,

38-श्री जयप्रकाश निषाद,

39-श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली तथा

40-श्रीमती सीमा द्विवेदी।

जनपद पंचशीलनगर में हापुड़ से मोदीनगर के बीच मार्ग के निर्माण में किये गये घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा निमय-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, श्री मदन चौहान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत ...

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[दिनांक 19-06-2012 को सदन में यह सूचना दी गई है कि मोदीनगर से हापुड़ मार्ग बेहद जर्जर है तथा 2011-2012 व 2010-2011 में काफी अच्छी धनराशि इस मार्ग के निर्माण हेतु अवमुक्त की गई है, लेकिन मार्ग के निर्माण में अनियमितताओं के चलते घटिया सामग्री के तहत लीपा-पोती करके बड़ी धनराशि का गबन किया गया है, जिससे करोड़ों रुपये की सरकारी धन की हानि हुई है तथा आज भी यह मार्ग जनता के आवागमन में समस्या बना हुआ है। यह सूचना अत्यन्त लोक महत्व की व अविलम्बनीय है। मैं उच्च स्तरीय शासन के प्रतिनिधि मण्डल से जांच की मांग के निर्देश देने हेतु तथा साथ-साथ वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

* नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार यह मार्ग प्रमुख जिला श्रेणी का मार्ग है, जो राष्ट्रीय मार्ग सं0-58 के किमी0-40 में स्थित मोदीनगर से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय मार्ग सं0-235 के किमी0-30 में स्थित हापुड़ में मिलता है। मार्ग की कुल लम्बाई 22.400 किमी0 है, जिसके चैनेज 0.00 से 13.00 तक का भाग जनपद गाजियाबाद में तथा चैनेज 13.00 से 22.400 तक का भाग जनपद पंचशीलनगर के क्षेत्रान्तर्गत है। भारी यातायात, अत्यधिक वर्षा तथा मार्ग की वांछित क्रस्ट कम होने के कारण मार्ग वर्ष 2010-11 में अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस पर यातायात का संचालन लगभग बन्द होने की स्थिति में था। वर्ष 2010-11 में वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण उक्त मार्ग पर कोई कार्य नहीं कराया गया। जून, 2010 में इस मार्ग का बेंकलमैनबीम टेस्ट आई0आई0टी0 रुड़की से कराया गया। आई0आई0टी0, रुड़की की डिजाइन रिपोर्ट के अनुसार मार्ग की वर्तमान क्रस्ट 42.50 सेमी0 के अतिरिक्त 75+75 एम0एम0 डब्लू0एम0एम0+50 एम0एम0 बी0एम0+25 एम0एम0 एस0डी0बी0सी0 कुल 225 किमी0 मोटाई बढ़ाने की संस्तुति की गई थी। वर्ष 2010-11 में आपदा राहत के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद के किमी0-1 से 6 हेतु रु0 90.46 लाख तथा किमी0-7 से 13 तक रु0 48.25 लाख की स्वीकृति जिला प्रशासन द्वारा दी गयी। उक्त के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनपद गाजियाबाद हेतु रु0 69.06 लाख धनराशि उपलब्ध करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रथम त्रैमास में क्रमशः रु0 48.25 एवं रु0 21.40 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, जिसका उपयोग करते हुए यातायात संचालन हेतु मार्ग को चालू किया गया।

3-वित्तीय वर्ष 2010-11 में वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2011-12 में शासनादेश सं0-1220 रा0स0नि0/23-1-11-334(8)रा0स0नि0/11, दिनांक 23-09-2011 द्वारा जनपद गाजियाबाद हेतु रु0 79.12 लाख तथा जनपद पंचशीलनगर के भाग हेतु रु0 143.11 लाख की स्वीकृति मार्ग की स्थिति एवं महत्ता को ध्यान में रखते हुए यातायात संचालन हेतु गड्ढा मुक्त के कार्य हेतु प्रदान की गयी, जिस पर सक्षम स्तर से प्राविधिक स्पीकृति प्राप्त है। मार्ग पर गड्ढा मुक्ति का कार्य कराने के उपरान्त मार्ग यातायात हेतु सुलभ करा दिया गया है। मार्ग का निरीक्षण समय-समय पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया है। निरीक्षण के दौरान किये गये कार्य में किसी भी तरह की अनियमितता अथवा घटिया सामग्री प्रयोग में लाया जाना नहीं पाया गया है।

4-मार्ग की वांछित क्रस्ट कम होने के कारण शासनादेश सं0-1598रा0स0नि0/23-1-11-400रा0स0नि0/11, दिनांक 05-12-2011 द्वारा जनपद गाजियाबाद में किमी0-7 से 13 तक सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रु0 736.29 लाख की स्वीकृति तथा जनपद पंचशीलनगर में किमी0-13.00 से 22.400 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु रु0 1045.65 लाख की स्वीकृति राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत प्रदत्त है। उक्त के सापेक्ष वर्ष 2011-12 में जनपद गाजियाबाद हेतु रु0 150.00 लाख तथा जनपद पंचशीलनगर हेतु रु0 100.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी।

5-उक्त स्वीकृति के सापेक्ष प्राविधिक स्वीकृति प्रदत्त है तथा अनुबन्धों के गठन का कार्य प्रगति में है। उक्त आवंटन के सापेक्ष जनपद गाजियाबाद में रु0 30.00 लाख का मोबलाइजेशन अग्रिम, रु0 1.83 लाख लेबर सेस, रु0 12.61 लाख अधिष्ठान व्यय, रु0 54.73 लाख का विटुमिन, रु0 25.83 लाख का विविध व्यय, इस प्रकार कुल रु0 150.00 का व्यय किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचशीलनगर में रु0 40.00 लाख का मोबलाइजेशन अग्रिम, रु0 1.86 लाख लेबर सेस, रु0 12.74 लाख अधिष्ठान व्यय तथा रु0 45.40 लाख का विटुमिन इमलशन, इस प्रकार कुल

रु0 100.00 का व्यय किया गया है। मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर है।

6-मोदीनगर से हापुड़ मार्ग की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0-1672/23-6-12-4नियम/2012, दिनांक 28-06-2012 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं इसमें एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, जो कुछ पूछना है बाद में मंत्री जी से पूछ लेना।

श्री अम्बिका चौधरी-

ठीक है, मान्यवर, मैं इनको अभी बता दूंगा।

जनपद बागपत स्थित ग्राम सुभानपुर में स्थापित फैक्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में श्रीमती हेमलता चौधरी एवं श्री लोकेश दीक्षित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पर अवगत कराना है कि....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[ग्राम सुभानपुर थाना खेकड़ा जिला बागपत में उद्योग मै0 आर0 एस0 एन0 डी0 एन्वायरो केयर प्रा0 लि0 की स्थापना उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के पत्र दिनांक 20-4-2012 के द्वारा निर्गत सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त की गयी थी। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में पुराने टायर व स्क्रेप रबर का प्रयोग कर रबर प्रोसेस्ड फ्यूल ऑयल, स्टील स्क्रेप एवं कार्बन ब्लैक का उत्पादन किया जाता है।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 19 जून, 2012 को उद्योग के स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेन्चुरी स्क्रबर की स्थापना की गयी है परन्तु वायु उत्सर्जन निस्तारण हेतु भूतल से मात्र 10 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित की गयी है जबकि बोर्ड द्वारा उद्योग को दी गयी अनापत्ति प्रमाण-पत्र मे उक्त चिमनी की ऊंचाई न्यूनतम 20 मीटर निर्धारित की गयी थी। बोर्ड के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के पत्र दिनांक 20 जून, 2012 के द्वारा उद्योग में परीक्षण उत्पादन कार्य माह मई, 2012 में प्रारम्भ किये जाने तथा विगत एक सप्ताह से बन्द होने की सूचना प्रेषित की गयी है। उद्योग में वांछित पूर्ण वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के स्तर से उद्योग के संचालन हेतु जल एवं वायु सहमति पत्र दिनांक 21 जून, 2012 के द्वारा निरस्त कर दी गयी है एवं स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि उद्योग में वांछित पूर्ण वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित होने के उपरान्त बोर्ड से सहमति प्राप्त कर ही उद्योग का संचालन किया जाये।]

जनपद हरदोई के चार ग्रामों में अलग से 11 केवी फीडर लगाए जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रजनी तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती रजनी तिवारी जी नहीं हैं।

(मा0 सदस्य की अनुपस्थिति के कारण व्यपगत माना गया)

जनपद मिर्जापुर के ग्राम सेमरा में हुई नाव दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

आगे चलिये मद संख्या-17, श्री रमेश चन्द्र जी हैं ? जब नहीं रहते हैं तो क्यों दे देते हैं ?

(सदस्य की अनुपस्थिति के कारण व्यपगत माना गया)

जनपद सिद्धार्थनगर के पीठानी में लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री विजय कुमार पासवान जी हैं ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, नहीं हैं।

(सदस्य की अनुपस्थिति के कारण व्यपगत माना गया)

जनपद फैजाबाद की विकास खण्ड मसोधा में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खेलकूद मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री तेज नारायण पाण्डेय जी हैं ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, नहीं हैं।

(सदस्य की अनुपस्थिति के कारण व्यपगत माना गया)

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत श्री संजय कपूर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा में दी गयी सूचना दिनांक 19-6-2012 में जनपद रामपुर की....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की मांग की गयी है और यह भी सूचित किया गया है कि भवन उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-227 एवं अनुच्छेद-235 मे दी गयी व्यवस्थानुसार अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मा0 उच्च न्यायालय का पूर्ण नियंत्रण होता है और इसलिये किसी जनपद विशेष/तहसील विशेष में किसी न्यायालय सृजन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है और मा0 उच्च न्यायालय के अभिमत सहमति प्राप्त होने पर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करते हुये शासन की वित्तीय स्थिति को देखते हुए न्यायालयों की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

प्रश्नगत प्रकरण में जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 सदस्य का एक पत्र दिनांक 29-5-2012 प्राप्त हुआ था जिसे मा0 उच्च न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित कर दिया गया है। चूंकि उक्त न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति अभी तक अप्राप्त है। अतः इस न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में सम्प्रति कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।]

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं, मैं जानकारी चाह रहा था, रामपुर की तहसील विलासपुर में बहुत दिनों से मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की मांग की जा रही थी। कुछ समय-सीमा बता दीजिए कि इतने समय में खुल जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जो आपका पत्र है वह मा0 उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है और मा0 उच्च न्यायालय को ही निर्णय लेना है, सरकार को निर्णय नहीं लेना है। अगर मा0 उच्च न्यायालय इस

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्ध में निर्णय लेता है तो सरकार की ओर से इसमें जो कुछ भी सहूलियत की आवश्यकता होगी, आप मुझे बताइएगा उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर जगह मौजूद है। सरकार कोई समय-सीमा बता दे कि कब तक वहां मुंसिफ कोर्ट खुल जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें निर्णय लेने का अधिकार सरकार को नहीं है। मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने का निर्णय हाईकोर्ट को लेना है। उच्च न्यायालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया। मैंने अतिरिक्त रूप से कह दिया कि सरकार का उसमें जितना भाग उत्तरदायित्व है उसके लिए जो भी आवश्यता होगी सरकार उसका प्रबन्ध करेगी। पहले उच्च न्यायालय तय तो करे।

प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु आधुनिक स्तर के स्टेडियम, एथेलीटिक्स स्ट्रोक व शूटिंग रेंज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खेलकूद मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री अखिलेश सिंह जी हैं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, नहीं हैं।

(सदस्य की अनुपस्थिति के कारण वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद सन्तकबीरनगर के ग्राम पंचायत महुली में दिनांक 02 अप्रैल, 2012 को बिजली का जर्जर तार टूटने से सैकड़ों एकड़ गेहूं जलकर राख हो जाने के अपराध में अज्ञात किसानों पर गम्भीर धारा लगा कर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अलगू प्रसाद चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीर नगर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 02-04-2010 को समय 12.15 बजे से 13.00 बजे दिन तक थाना महुली प्रांगण व आवास में जोगी मिश्र पुत्र श्री राम मिश्र निवासी थाना महुली जनपद....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है)

[सन्तकबीर नगर के नेतृत्व में करीब आठ नौ सौ लोग थाने के उत्तर गेंहू की फसल में आग लगने व समय से फायर सर्विस की गाड़ी न पहुंचने के कारण आक्रोशित होकर हमला बोल दिये

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिस पर थानाध्यक्ष महुली पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी जीप में लगे लाउडस्पीकर से उपद्रवियों व भीड़ को विधि विरुद्ध घोषित करते हुए उन्हें थाने पर हमला करने से मना किया गया किन्तु उपद्रवियों द्वारा पुलिस कर्मियों के ऊपर जान से मारने की नियत से ईंट-पत्थर, भाला, फरसा चलाते हुए कट्टा व तमंचा से फायर करते हुए थाने में घुस गये व थाने की खिड़की व जंगला-दरवाजों को तोड़ने लगे तथा थाना परिसर में स्थित सरकारी व प्राइवेट वाहनों एवं थाने के आवासीय परिसर में स्थित दरवाजों को तोड़कर लूटपाट करने लगे तथा थाने के मालखाने का ताला तोड़कर असलहा व सम्पत्ति लूटने का प्रयास करने लगे। सरकारी गाड़ियों से पेट्रोल निकालकर थाना कार्यालय में पेट्रोल छिड़कने लगे। उपद्रवियों के इस कार्य के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा जब मना किया गया तो उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाते हुए जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे जिस पर जान बचाने का कोई अन्य सूरत न देखकर पुनः चेतावनी देते हुए पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षार्थ व सरकारी सम्पत्ति के सुरक्षार्थ भीड़/उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायर किया गया तब जाकर भीड़ तितर-बितर हुई। उक्त घटना से पूरे कस्बा महुली में लोक व्यवस्था व शांति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी तथा एक दर्जन लोगों को चोटें आयीं।

इस सम्बन्ध में थाना महुली पर मु0अ0सं0-344/10 धारा 147/148/149/307/323/332/352/336/427/452/342/504/506/395/397/189 भा0द0वि0 व 7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 बनाम गनेश पुत्र सोमई माली निवासी व थाना महुली जनपद सन्तकबीर नगर आदि 29 व्यक्ति नामजद व आठ नौ सौ लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गयी। उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त गणेश, सुरेश, मुन्नीलाल, मोती खटिक व अन्य थाना महुली जनपद सन्तकबीर नगर के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त पाये जाने पर आरोप-पत्र संख्या-167, दिनांक 26-11-2010 को प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में मिनिस्टीरियल जांच की गयी। जांच में पाया गया कि विद्युत के सार्ट सर्किट से लगी आग प्राकृतिक घटना थी जिसमें ग्रामीणों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु आग बुझ जाने के बाद उग्र एवं हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करना, सरकारी सम्पत्ति एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना तथा लूटपाट करने से निवारित करने के उद्देश्य से उग्र भीड़ को चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ तथा सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षार्थ पुलिस कर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया है।]

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, एक गांव में किसानों का गेहूं जल गया था, सब अपनी रिपोर्ट बिजली का तार टूटने का लिखाना चाहते थे। लेकिन जो थाने वाले थे बजाय इसके मुकदमा लिखने के घेर के लोगों को मारा-पीटा। मुझे कोई इंट्रेस्ट नहीं है, मैं अपने स्तर से इसलिये कह रहा हूं कि ये सब लोग गये थे। उस घटना स्थल पर मा0 अलगू प्रसाद चौहान जी, मैं भी गया था, माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये थे। जो पीड़ित लोग थे उनको एक-दो लाख रुपया बांटा भी गया था। जो पुलिस का बयान आया। इसमें मुकदमा वापस कराने की बात थी। मंत्री जी, इसको दिखवा लेते।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका जो भी निर्णय इस सम्बन्ध में होगा सरकार शिरोधार्य करती है और आपने बिना कोई स्पष्ट आदेश दिये जिस ओर इशारा किया है सरकार इस सम्बन्ध में समुचित कदम उठायेगी।

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड फैजाबाद द्वारा पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजनान्तर्गत झरना नाले पर पुलिया का निर्माण व कतिपय मार्गों के अपूर्ण रहने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री रामचन्द्र यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली-1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दिये गये अपने नोटिस दिनांक 19-06-2012 द्वारा इस आशय की सूचना दी गई है कि .....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजना के अन्तर्गत झरना नाले पर 5x6 मी0 अस्पान की पुलिया के निर्माण व मवई पटरंगा मार्ग से सिपहिया होते हुए दुल्लापुर, उमापुर मार्ग तक शून्य से लेपन स्तर तक के कार्य की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है, जिसके क्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्य शुरू कराया गया। कार्य स्वीकृत होने की तिथि के समय लागत का आंकलन 53 लाख 12 हजार में पुलिया निर्माण व 27 लाख में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने की विभाग द्वारा सहमति दी गई। बाद में आंकलन बढ़ाकर दुगना कर दिया गया। धन की स्वीकृति होने के बावजूद भी विभाग द्वारा लापरवाही की गई तथा कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया, जिसके कारण 10 वर्षों से विकास खण्ड मवई की अधिसंख्य आबादी का यह रास्ता बाधित पड़ा हुआ है। निर्माण कार्य में अत्यन्त घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। कार्य की प्रगति भी धीमी गति से चल रही है। उक्त कार्यों के प्रभारी अवर अभियंता विकास खण्ड-रुदौली व मवई सहित कई अन्य जगहों पर कार्य कर रहे हैं। इनका कार्यकाल भी 10 वर्षों से इन्हीं विकास खण्डों में रहा है। विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आर0ई0एस0 विभाग की पिछले 10 वर्षों के सभी कार्यों की गुणवत्ता अत्यन्त निम्नकोटि की है। मानकों की अनदेखी करके कई करोड़ों का घोटाला किया गया है। पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजना, पूर्वांचल विकास निधि, जिला

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

योजना, विधान मण्डल दल विकास योजना तथा मवई विकास खण्ड व रुदौली विकास खण्ड के राज्य वित्त, तेरहवें वित्त आयोग की धनराशि का बड़ा दुरुपयोग विभाग के प्रभारी अवर अभियंता द्वारा किया गया है। विभाग में उक्त अभियंता द्वारा स्वीकृत कार्यों का प्राक्कलन कई बार बढ़ाकर कई करोड़ों की धनराशि का घोटाला किया गया है। मेरे द्वारा उपरोक्त योजनाओं में निर्मित किये जा रहे निर्माण कार्यों की जांच की मांग की गई, परन्तु विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान समय में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश में स्वीकृत उपर्युक्त वर्णित दोनों परियोजनाओं के अपूर्ण रहने से क्षेत्रीय जनता में भयंकर असंतोष है। विभाग की लापरवाही व उदासीनता के चलते कई करोड़ की धनराशि का अपव्यय हो रहा है।''

2-मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई प्रश्नगत नोटिस में उल्लिखित दोनों निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में तथ्यगत स्थिति निम्नानुसार है :-

बिन्दु संख्या-1 कार्य का नाम-मवई में ग्राम सिपहिया के पास झरना नाले पर 5x6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण-

पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में ग्राम सिपहिया के पास झरना नाले पर 5x6 मी0 स्पान की पुलिया के निर्माण हेतु नियोजन विभाग से निर्गत शासनादेश दिनांक 23-03-2003 द्वारा मु0 27.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में मु0 10.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। अवमुक्त धनराशि से पुलिया की पाइल फाउन्डेशन का कार्य तत्समय कराते हुए अवशेष धनराशि की मांग निरन्तर की जाती रही। लगभग 8 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् लोक निर्माण विभाग से निर्गत शासनादेश दिनांक 28-02-2011 द्वारा अवशेष धनराशि मु0 17.00 लाख अवमुक्त की गई, जिससे पाइल कैप, कालम का कार्य मु0 13.92 लाख व्यय करते हुए पूर्ण किया गया। अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने में हुए 8 वर्ष के विलम्ब के कारण पुलिया की लागत में वृद्धि हुई। पुलिया की बीम, स्लैब एवं पहुंच मार्ग का कार्य पूर्ण कराने हेतु रु0 22.74 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, जिसका संशोधित प्राक्कलन मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को प्रेषित किया जा चुका है।

बिन्दु संख्या-2 कार्य का नाम-मवई पटरंगा मार्ग से सिपहिया होते हुए उमापुर दुलापुर मार्ग पर लेपन कार्य-

पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में मवई पटरंगा मार्ग से सिपहिया होते हुए उमापुर दुलापुर मार्ग पर शून्य से लेपन स्तर तक कार्य हेतु शासन के पत्र दिनांक 23-03-2003 के द्वारा मु0 53.12 लाख रु0 की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में मु0 10.00 लाख रु0 प्रखण्ड फैजाबाद को उपलब्ध कराया गया। अवमुक्त धनराशि मु0 10.00 लाख रु0 की लागत से चैनेज 500 से 1300 मी0 तक लम्बाई 800 मी0 में लेपन स्तर तक का कार्य तत्समय पूर्ण करा दिया गया।

मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिये अवशेष धनराशि की मांग निरन्तर शासन से की जाती रही। लगभग 8 वर्ष के पश्चात् शासन के पत्र दिनांक 28-02-2011 द्वारा स्वीकृत धनराशि रु0 53.12 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि मु0 43.12 लाख रु0 अवमुक्त की गई। स्वीकृत/प्राप्त

कुल धनराशि मु0 53.12 लाख के सापेक्ष 2300 मी0 लम्बाई में लेपन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं चैनेज 4450 से 5700 मी0 तक लम्बाई 1250 मी0 में पी0एम0जी0एस0वाई0 इकाई बाराबंकी द्वारा लेपन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। चैनेज 0 से 1750 मी0 तक के निर्माण हेतु न्यूकनेक्टिविटी के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 इकाई फैजाबाद द्वारा प्रस्तावित/स्वीकृत है, जिसमें मरम्मत के अभाव में क्षतिग्रस्त चैनेज 500 से 1300 मी0 लम्बाई 800 मी0 सम्मिलित है।

मार्ग के अवशेष भाग चैनेज 2750 से 3850 तक लम्बाई 1100 मी0 में धनाभाव के कारण लेपन का कार्य नहीं हो पाया है, जिसको पूर्ण कराने हेतु लगभग मु0 40.00 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को प्रेषित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 8 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बे अन्तराल के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने के कारण कार्य की लागत में वृद्धि हुई है।

3-जहां तक उक्त कार्यों के प्रभारी अवर अभियन्ता के कार्यकाल का सम्बन्ध है, सूचित करना है कि श्री एजाज हुसैन, अवर अभियन्ता वर्ष 2008 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड बाराबंकी से स्थानान्तरित होकर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद में योगदान करने के पश्चात् विकास खण्ड-रुदौली के विभागीय कार्यों का सम्पादन करा रहे थे। श्री एजाज हुसैन जनपद-बाराबंकी में तैनाती के समय भी विकास खण्ड-रुदौली के कार्य देख रहे थे। माह जून, 2011 में अवर अभियंताओं की कमी के कारण विकास खण्ड रुदौली एवं मवई का विकास खण्डीय कार्य कराने का दायित्व भी श्री हुसैन को सौंपा गया, जिसके क्रम में श्री हुसैन द्वारा विकास खण्ड मवई के ही कार्यों का पर्यवेक्षण/सम्पादन कराया जा रहा है। विकास खण्ड रुदौली के विकास खण्डीय कार्यों का सम्पादन श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा कराया जा रहा है। सम्प्रति सम्बन्धित अवर अभियन्ता श्री एजाज हुसैन को प्रखण्डीय कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।

4-जहां तक दी गई नोटिस में उल्लिखित पूर्वांचल विकास निधि आदि में स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग किये जाने का आक्षेप है, अवगत कराना है कि पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजना, पूर्वांचल विकास निधि जिला योजना एवं विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का सम्पादन/भुगतान सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया गया है।]

श्री रामचन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा की यह सबसे बड़ी समस्या है, 10 वर्षों से ये दोनों कार्य अधूरे पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि ये दोनों कार्य हमारे कब तक करा लिये जायेंगे ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें कुछ धन अभी नहीं मिला है जैसे ही धन मिलेगा वैसे ही इसको तत्काल करवा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को गृहकर व जलकर जमा करने से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को गृहकर व जलकर जमा करने से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में .....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित थी। तद्नुक्रम में सैनिक कल्याण अनुभाग द्वारा मा0 विधायक का पत्र दिनांक 16-05-2012 जो मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था, के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग-9 की यथावश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था।

नगर विकास अनुभाग-9 के पत्र संख्या-1064/9-9-2012 दिनांक 25 जून, 2012 अवगत कराया गया है कि प्रदेश की नागर निकायें उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम-1959 तथा नगर पालिका परिषद्/पंचायतें उत्तर प्रदेश अधिनियम-1916 निहित व्यवस्थानुसार संचालित होती है। उक्त अधिनियमों में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के स्वामित्व के भवनों पर गृहकर/सम्पत्तिकर माफ किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है। गृहकर/सम्पत्तिकर नगरीय स्थानीय निकायों की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त भूतपूर्व सैनिकों को गृहकर/सम्पत्तिकर माफ किया जाना निकाय हित में नहीं पाया गया है।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास से होकर गुजरने वाले सिंचाई खण्ड सगरा रजबहा की सर्विस रोड को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रमोद तिवारी जी हैं ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, नहीं हैं।

(सदस्य की अनुपस्थिति के कारण वक्तव्य व्यपगत माना गया)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 04 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 02 जुलाई, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री गजराज सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-70 के उत्तर का संलग्नक

(नगर पालिका परिषद् हापुड़ के नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 05-06-2012 से पिछले पांच वर्षों में उ0प्र0 जल निगम द्वारा अधिष्ठापित कराये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की सूची)

वर्ष 2008-09

क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल	क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल
1	लज्जापुरी गली नं0-6	श्री गंगापाल के घर के पास	16	इन्द्रगढ़ी	श्री दयाचन्द के घर के पास
2	लज्जापुरी	रामलीला मैदान गेट नं0-1	17	सिकन्दर गेट	बाल्मीकि चौपाल
			18	तांगासराय	श्री शंकर शम्भू के घर के पास
3	दिल्ली रोड (मेरठ बुलन्दशहर)	प्राइवेट बस स्टैण्ड परिसर	19	मिनाक्षी रोड	रतन रेडियों
4	गढ़ रोड	मन्दिर तथा पंजाब नेशनल बैंक के पास	20	इन्द्रगढ़ी	मन्दिर के पास
			21	हापुड़ सिटी	जटवारी की चौपाल, शिवनगर
5	मेरठ रोड तिराहे पर	अम्बेडकर मूर्ति तथा गुरुद्वारे के पास	22	हापुड़ सिटी शिवपुरी	श्री सतेन्द्र सिंह लाल कोठी के नजदीक
6	हरद्वारीनगर	श्री घमंडी के घर के पास	23	हापुड़ सिटी शिवपुरी	सी0एच0सी0 डिलीवरी रूम के पीछे
7	शिवपुरी	भूमि विकास बैंक, मन्दिर	24	हापुड़ सिटी शिवपुरी	सी0एस0सी0 डा0 ए0 के0 गुप्ता के घर के पास
8	सादिकपुरा	वकील के घर के पास	25	हापुड़ सिटी शिवपुरी	सी0एस0सी0 श्री रमेश के घर के पास
9	मेरठ रोड	श्री बिरजू की दुकान के पास	26	हापुड़ सिटी सुभाषनगर	श्री रामजीलाल के घर के पास, सुखवीर
10	मोदीनगर रोड	श्री खजान सिंह की दुकान के पास	27	हापुड़ सिटी मार्केट रोड	आवास विकास कार्यालय एस0सी0 हाईडिल
11	कविनगर	श्री रामसिंह के घर के पास			
12	कृष्णानगर	श्री राजेन्द्र सिंह के घर के पास	28	हापुड़ सिटी	श्री हरपाल सोटा वाला
13	इन्द्रलोक	श्री आनन्द के घर के पास	29	हापुड़ सिटी साकेत	श्री नरेन्द्र मनु एडवोकेट
15	हासिमपुरा	श्री रामफूल के घर के पास	30	हापुड़ सिटी मुस्तफा पीर	दयाल गैस सर्विस के पीछे

वर्ष 2009-10

क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल	क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल
1	मो0 गांधी विहार	पुष्पांजलि पब्लिक स्कूल के पास	17	भीमनगर	श्री कशमीरी के प्लाट के पास
2	दिल्ली रोड	सरस्वती इण्टर कालेज के पास	18	देवलोक त्यागी नगर	चौधरी फत्ते व मन्दिर के पास
3	दिल्ली रोड	सरस्वती इण्टर कालेज परिसर में	19	तगा सराय	श्री राजेन्द्र के घर के पास
4	पंचशीलनगर कालोनी	श्री हीरालाल के मकान के पास	20	रफीक नगर	श्री अबू हसन के घर के पास
5	पंचशीलनगर कालोनी	श्री नरेश के मकान के पास	21	देवलोक न्यू शिवपुरी	श्री तेज कुमार शर्मा के घर के पास
6	सर्वोदय कालोनी	पार्क के पास गढ़ रोड	22	अर्जुन नगर	श्री कृष्ण शंकर के घर के पास
7	सर्वोदय कालोनी	श्री भूपेन्द्र सिंह मकान नं0-77 गढ़रोड	23	कवि नगर	श्री फूल सिंह के घर के पास
8	नवज्योति कालोनी	रोटरी भवन के पास	24	बनारसी पुरा	श्री प्रीतम के घर के पास
9	गढ़ रोड	देव नन्दनी अस्पताल के सामने, दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी के पास	25	पत्थर वाला कुआं	मूदा देवता वाले के पास कमेले के पीछे
10	मोहल्ला चमरी	श्री अहमद की चक्की के पास	26	भण्डा पट्टी	इस्लामिया मदरसा के पास
11	मोहल्ला चमरी	श्री जमाल के घर के पास	27	भण्डा पट्टी	कब्रिस्तानों के पास, भण्डो में
12	अम्बेडकर नगर	श्री यशपाल के घर के पास	28	मोती कालोनी	श्री नफीस मस्जिद के पास
13	सोटा वाली	श्री किशन जाटव के घर के पास	29	देवलोक कालोनी	जी0ए0 कश्यप के घर के पास
14	गांधी बिहार	श्री सुलेमान के घर के पास	30	नवी करीम	तिजोरी वालों के पास
15	भीमनगर	श्री सलेकचन्द दीवान जी के घर के पास	31	गांधी बिहार	श्री पवन व श्री अशोक कश्यप के घर के पास
16	भीमनगर	श्री इमरान के घर के पास			

क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल	क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल
32	मेरठ रोड	श्री कालूराम की दुकान के पास, दोनों फाटकों के बीच में	36	अम्बेडकर नगर	श्री किरोड़ी लाल के घर के पास
			37	प्रीति बिहार	श्री चरन सिंह के घर के पास
33	इन्द्रगढ़ी	श्री श्रीपाल के घर के पास	38	भीम नगर	एल0एन0 पब्लिक स्कूल के पास
34	सोटा वाली	श्री नानक चन्द के घर के पास	39	पंचशील कालोनी	श्री वेदराम बैंक वाले के सामने, पार्क में
35	मजीदपुर	श्री गुलजार मास्टर के घर के पास	40	चमरी रोड	सरस्वती पब्लिक के पीछे

वर्ष 2010-11

क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल	क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल
1	कोटला मेवातियान	श्री महेन्द्र के मकान के पास	6	पंचशील कालोनी	पार्क में, धर्मेन्द्र के घर के पास
2	कोटला मेवातियान	श्री राजकुमार ठेकेदार के पास	7	आदर्शनगर	श्री रतन सिंह की फैक्ट्री के पास
3	कोटला मेवातियान	श्री अनवर फर्नीचर की दुकान के पास, बुलन्दशहर रोड	8	लज्जापुरी कालोनी	रामलीला मैदान के गेट नं0-3 के पास
			9	चमरी	श्री प्रेमसिंह एवं शीशपाल के मकान के पास
4	कासिमपुरा	डायमंड केक फैक्ट्री के पास			
5	शम्भूपुरा	श्री हेमंत कुमार पुत्र श्री जगपाल के घर के पास	10	तहसील परिसर	कोतवाली के पास कक्ष नं0-6 के सामने

वर्ष 2011-12

क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल	क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल
1	मो0 आदर्शनगर	श्री संजय पुत्र श्री ब्रह्मपाल एस0सी0 गली नं0-4	4	अम्बेडकरनगर	मास्टर रोहिताश पुत्र श्री वेगराज
			5	शिव नगर	श्री मनोज पुत्र श्री वीर सिंह, विजयपाल
2	मो0 आदर्श नगर	श्रीमती प्रेमवती, एस0सी0 गड्ढा कालोनी	6	अर्जुन बिहार	श्री रोहताश के घर के पास
3	मो0 आदर्श नगर	श्रीमती सीमा एस0सी0 गली नं0-3			

क्र0	मोहल्ले का नाम	स्थल
7	अर्जन विहार	श्री रतनलाल के घर के पास
8	हर्ष विहार	श्री नैपाल सिंह कानूनगो के घर के पास
9	न्यू भीमनगर	सैनी मार्केट में
10	मो0 इन्द्रगढ़ी	श्री टीकम के घर के पास
11	मो0 साकेत	श्री मनोज कुमार शर्मा वकील के घर के पास
12	मो0 देवलोक	श्री धीरज कुमार शर्मा रेलवे वाले
13	त्यागी मार्केट	दिल्ली रोड, श्री इमरान की दुकान के पास
14	मो0 श्रीनगर	श्री नीतू अजरोड वाले के घर के पास
15	लज्जापुरी	श्री यादराम के घर के पास
16	कोटला सादात	श्री धर्मवीर के घर के पास
17	शिव नगर	श्री चन्द्रपाल के घर के पास
18	राजीव विहार	श्री राजेन्द्र के घर के पास
19	त्रिलोकपुरम्	श्री महेन्द्र चाय वाले के घर के पास
20	गढ़ रोड मंडी परिसर	डी0एम0 निवास पर गार्ड क्वार्टर के पीछे

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 180 पर)

श्री गुलाम मोहम्मद-

मान्यवर,

आज माननीय नगर विकास मंत्री श्री आजम खां साहब द्वारा नगर विकास विभाग का बजट सदन में पेश किया। बजट पेश करने का अन्दाज और लहजा खालिस इन्सानी खिदमत और दर्दमन्दाना था क्योंकि उनकी नियत और नीति साफ है। शहर हमारी सभ्यताओं के पालने हैं। इन का खूबसूरत और योजनाबद्ध विकास जरूरी है मेरठ नगर में माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा कमेले की गंदगी को को दूर कर सराहनीय कार्य किया है परन्तु अब उसके पास की सड़क के चौड़ीकरण कराकर, डिवाइडर बनवाकर लाईटस लगवाकर खूबसूरत बनवाकर उस इलाके का सौन्दर्यीकरण कराने का कष्ट करें। मुस्लिम बस्तियों में पार्क, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

मान्यवर मेरे क्षेत्र में सिवाय खास तथा भरनावल नगर पंचायत हैं जिनका विकास बहुत कम हो पाया है इनके विकास की व्यवस्था करने की मेहरबानी करें।

अल्पसंख्यक विकास (कल्याण)

मान्यवर,

माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को मुबारक देता हूं क्योंकि बजट में 81% बढ़ोत्तरी की गयी माननीय मंत्री जी से बताया कि 90 करोड़ रुपया जो सेन्टर द्वारा प्रदेश को दिये गये उनका उपयोग न होकर वापस केन्द्र को चले गये हैं इस सम्बन्ध में जांच कराई जानी चाहिये तथा भविष्य में ऐसा न हो इसकी व्यवस्था की जाये।

मान्यवर,

अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की तालीम का प्रतिशत बहुत कम है इसको ध्यान में रखकर देहात क्षेत्र में पांच हजार की आबादी वाले ग्रामों में सरकारी गर्लस इन्टर कालिज बनाये जायें। मेरे क्षेत्र में कम से कम दस ग्राम हैं जो अधिक आबादी वाले ग्राम है अन्त में एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं-

किया है अज्म कुछ ऐसा एहबाबे वतन ने।
एक फूल भी मुरझाये न मेरे चमन में।।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 180 पर)

श्री मदन चौहान-

मान्यवर,

निवेदन है कि न्यू हैदराबाद लखनऊ स्थित पुलिस चौकी के पास जल निगम लखनऊ इकाई द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन पिछले वर्ष मार्च माह में डाली गयी है परन्तु अब जगह-जगह गड्डे उत्पन्न हो गये हैं जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। इस पुलिस चौकी से लेकर मकान संख्या 11, 12, 13, 14 शान्ति निकेतन, न्यू हैदराबाद के आस-पास गली मार्ग में नगर निगम द्वारा तीन साल पूर्व निर्मित सड़क टूट फूट गयी है। इसे बनवाने का कष्ट किया जाये।

इसी स्थान पर पुलिस चौकी के पास से लेकर उक्त मकानों के समक्ष गली में जंगली कुत्ते घूमा करते हैं जिससे वहां रहने वाले निवासी बहुत घबराते हैं। इन कुत्तों को नगर निगम के कैटिल कैचिंग टीम द्वारा पकड़वा जाये।

इसी स्थान पर पुलिस चौकी के पास मकान संख्या 11, 12 शान्ति निकेतन न्यू हैदराबाद के सामने पार्क का निर्माण नगर निगम द्वारा चार वर्ष पूर्व किया गया है और उसके द्वारा उसकी देख-रेख भी की जाती है। इस पार्क की जो लगभग दो हजार स्कवायर फीट में है, की गेट और बाउण्ड्री ग्रिल्स की पेन्टिंग खराब हो गयी है और दीवार की पुताई भी खराब हो गयी है इसके साथ ही पार्क की दीवार में सीमेन्ट द्वारा लेपन कार्य तथा पुताई जरूरी हो गयी है। कृपया इस कार्य को करा दिया जाये। धन्यवाद।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 180 पर)

श्री गयादीन अनुरागी-

महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राठ नगर में पेयजल पुनर्गठन योजना जो जल निगम हमीरपुर द्वारा स्टीमेट बनाकर शासन स्तर पर पड़ी है। राठ नगर की पानी की भयंकर त्रासदी को देखते हुये पेयजल पुनर्गठन योजना को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी,

आपने बजट पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया मैं आभारी हूं।

मान्यवर जिस प्रकार से नगर विकास मंत्री महोदय ने अल्पसंख्यक लड़कियों की शादी में 30 हजार रु0 आर्थिक मदद की घोषणा की है स्वागत है परन्तु इसके साथ अच्छा रहेगा कि गरीब की कोई जाति नहीं होती गरीब तो गरीब है दलितों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में तथा अन्य हिन्दुओं में भी बहुत-बहुत गरीब हैं जिनके यहां उनकी पुत्रियों की शादी बगैर धन के रुकी पड़ी है लड़कियों की उम्र भी 20, 25 तक हो गयी है परन्तु धन के अभाव में शादी नहीं हो पा रही है। अतः सभी गरीब लड़कियों की शादी में सभी पात्रों को 30, 30 हजार आर्थिक सहायता शादी में प्रदान की जाये।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री प्रभू दयाल बाल्मीकि-

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के सफाई पेशे से जुड़े कर्मचारी की ओर ले जाना चाहता हूं।

(1) स्थानीय निकायों में प्रत्येक माह की प्रथम सप्ताह में वेतन बैंकों में भिजवाया जाए।

(2) स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों एवं चपरासियों को समय-समय पर वर्दी दिलाई जाये। मान्यवर, सर्दी के मौसम में मात्र एक कोट मिलता है। मान्यवर कोट के साथ एक कमीज व पैन्ट भी दिलाई जाये।

(3) स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों व सेवानिवृत्त के एक माह पश्चात् पेंशन, ग्रेज्युटी एवं बीमा, छुट्टियों का भुगतान कराया जाये।

(4) सेवानिवृत्त एवं मृत्यु उपरान्त बीमें की धनराशि आपने अपने 2003 के कार्यकाल में 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की थी। मान्यवर 25 हजार की बीमा की धनराशि बड़ी कम है। आज बड़ी महंगाई का समय है। अतः 25 हजार से बढ़ाकर यह राशि 5 लाख रुपये की जाये।

(5) मान्यवर स्थानीय निकायों में आपके 2003 की कार्यकाल में 65 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई। जिससे बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिला। जिसमें भिन्न-भिन्न जातियों के नौजवानों में सफाई पेशे में नौकरी प्राप्त कर ली। परन्तु मान्यवर स्थानीय निकाय के नगरों में सफाई का काम नहीं हो रहे है जिससे सरकार की जो शहरों की सफाई कराने की मंशा थी। वह धराशायी हो गयी।

मान्यवर, यदि स्थानीय निकायों में गोपनीय जांच कराई जाय तो आपको मालूम हो जाएगा कि 65 हजार सफाई कर्मचारियों में कितने प्रतिशत सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। मान्यवर, ऐसे सफाई कर्मचारियों को जिनका सफाई पेशे से कोई लेना-देना नहीं है। मात्र रोजगार पाने के लिये उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली है। मान्यवर, कृपया जांच कराने का कष्ट करें। मान्यवर, जो लोग सफाई, चपरासी, लिपिक का कार्य करते हुए। मर गये हैं या सेवानिवृत्त हो गये हैं। उनके स्थान पर भर्ती की जाये। मान्यवर मेरे नगर विकास विभाग के बजट भाषण को बल दिया अपनी बात समाप्त करता हूं और मेरे इस लिखे हुए भाषण को कार्यवाही से जोड़ने की कृपा करें।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री रघुराज सिंह शाक्य-

मा0 अध्यक्ष जी नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं। 2010 में आपने इटावा को सीवर लाइन के लिए जो पैसा दिया था वो बी0एस0पी0 के कार्यकाल में उस पैसे का बन्दर बांट हुआ। सीवर लाइन आज तक पूर्ण नहीं हुई। जो लाइनें डाली गयी हैं। बहुत पतली डाली गयी है। इनसे सीवर पानी नहीं निकलेगा। पूरे इटावा शहर को खोद के डाल दिया गया था। लेकिन अभी तक सीवर चालू नहीं हुआ है। उसको चालू कराया जाय एवं सीवर लाइन की जांच करायी जाये। दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय। आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा। इटावा पानी का जल स्तर नीचा है। हैण्डपम्प खराब हो गये। अतः शहर के 100 हैण्डपम्प नये लगवाये जायें। एवं तीन ट्यबवेल भी स्वीकृत कराने का कष्ट करें। मा0 अध्यक्ष जी मंत्री जी बड़े दयालू हैं। इनके दिल में गरीबों के लिए विशेष जगह रहती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इटावा शहर में गरीब मुस्लिम समाज के लोग गन्दे नालों के किनारे एवं झोपड़ पट्टी में बिना छत मकान के रहते हैं। बरसात में रहने को परेशान रहते हैं। उन तमाम मुस्लिम बस्तियों के लिए लोहिया ग्राम की तरह शहरी लोहिया आवास बनवाने का कष्ट करेंगे। जिससे तमाम गरीब के बच्चें गरीब लोगों के रहने की व्यवस्था हो जायेगी। पुनः मैं आपका व मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

धन्यवाद।

श्री मनीष रावत-

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम नगर विकास के बजट का समर्थन करता हूं साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान सिधौली विधान सभा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं सिधौली विधान सभा में नगर पंचायत है। नगर पंचायत का हाल गांवों से बत्तर है। नगर पंचायत सिधौली में न तो नालियां हैं न तो सड़कें हैं। वर्षा के समय पूरा नगर पंचायत जलमग्न हो जाता है। पूरे नगर पंचायत में सीवर लाइन बिल्कुल नहीं है। पूर्व की बसपा सरकार ने नगर पंचायत में कोई नया कार्य नहीं किया गया। यदि कुछ भी कार्य कराया गया। वह कार्य मानक के अनुरूप नहीं हुआ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो पूर्व की बसपा सरकार में नगर पंचायत में कार्य हुए उनकी जांच करायी जाये। साथ-साथ नगर पंचायत के विकास के लिये विशेष पैकेज मुहैया कराया जाये ताकि नगर पंचायत का विकास हो सके।

मान्यवर, मैं पुनः नगर विकास के बजट का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री दलजीत सिंह-

मा0 अध्यक्ष निम्नलिखित सुझाव कार्यवाही में शामिल करा लिये जायं, महान कृपा होगी। मा0 अध्यक्ष जी, जनपद बांदा की बांदा नगर नगरपालिका के इन्द्रानगर, सर्वोदय नगर, तुलसीनगर, शान्तीनगर मुहल्ले, बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित किये गये हैं। लेकिन आज तक न ही नगर पालिका में शामिल हैं, न ही किसी ग्राम सभा में शामिल हैं। सिर्फ लोक सभा व विधान सभा चुनाव में ही यहां के लोग मतदान कर पाते हैं, नगर व ग्राम सभा चुनाव मतदान से वंचित हैं, अतः सारे मुहल्ले नगर पालिका बांदा में शामिल कराये जाने का कष्ट करें। जिससे इन मोहल्लों का विकास हो सके।

धन्यवाद।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

सेवा में,

अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र 310 बस्ती सदर के अन्तर्गत स्थित नगरपालिका परिषद् बस्ती द्वारा शहर का मुख्य मार्ग दक्षिण दरवाजा से रेलवे स्टेशन तक का नवीनीकरण विगत वर्षों में करवाया गया था। नवीनीकरण के तुरन्त बाद सड़क की खुदाई कर बीचोंबीच डिवाईडर बनवा दिया गया जिससे सड़क पुनः क्षतिग्रस्त हो गयी। उसे अभी तक ठीक नहीं करवाया गया। जिससे आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है तथा शहर में सीवर लाइन न होने से वर्षा ऋतु में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उक्त दोनों समस्याओं का निराकरण जनहित में नितान्त आवश्यक है।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री रामचन्द्र चौधरी-

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र कादीपुर अनुसूचित जाति की विधान सभा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र कादीपुर में दो नगर पंचायत हैं जिसमें धोबी जाति के लिए कोई सुविधा नहीं है। नगर पंचायतें में धोबी घाट की सुविधा करायी जाय धोबियों की संख्या कम है। उन्हें लाण्ड्री खोलने के लिए बिना ब्याज के ऋण भी दिया जाय।

अन्त में नगर विकास मंत्री द्वारा लाये गये बजट का स्वागत करता हूं।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री प्रदीप चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी,

महोदय,

जनपद सहारनपुर नगर, नगर निगम बन चुका है लेकिन बापू जी नगर कालोनी में अभी तक सीवर की व्यवस्था नहीं है जिसमें कालोनीवासी बार-बार मांग करते रहते हैं सीवर लाइन नहीं होने से कालोनीवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।

अतः अनुरोध करूंगा कि इस समस्या को कार्यवाही में शामिल कर कार्यवाही कराने की कृपा करें।

धन्यवाद।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री सईद अहमद-

माननीय आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक 1-7-12 को मुझे इलाहाबाद के फाफामऊ घाट पर एक अन्तिम संस्कार में जाना पड़ा था।

मान्यवर,

फाफामऊ घाट पर बालू के मैदान में सैकड़ों कब्रों को देखकर परेशान हो गया पूछताछ करने पर पता चला कि इस गंगा जी बालू के तट पर जो गरीब आदमी दाह संस्कार हेतु लकड़ी नहीं खरीद पाता है, वही लोग लाश को बालू में दफनाते हैं जो कि बड़ा दुखद है वे लाशें जब सड़ती हैं तो उनकी सारी गन्दगी गंगा जी के जल में मिल जाती है इसकी रोकथाम अति आवश्यक है।

आज, गंगा जी शुद्ध एवं निर्मल करने के लिये जहां अरबों रुपया व्यय किया जा चुका है बड़े सन्त महात्मा अनशन पर बैठ रहे हैं। तमाम प्रयास किये जा रहे हैं केन्द्र व प्रदेश की सरकारें चिन्ताग्रस्त हैं। परन्तु गंगा जी के तट पर इतना कब्रिस्तान होगा बड़े आश्चर्य की बात है।

मान्यवर, इसके जनजागरण की बहुत आवश्यकता है। जो गरीब लकड़ी नहीं खरीद पाता है वही लाश को मात्र 3 फिट बालू खोदकर दफन कर रहे हैं।

मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि फाफामऊ घाट पर 2 विद्युत शवदाह गृह शीघ्र बनवाने की कृपा करें।

शीघ्र इलाहाबाद में महाकुम्भ होने वाला है संतों महात्माओं एवं स्नानार्थी की करोड़ों की संख्या में इलाहाबाद आयेंगे उनको बीमारी से बचाने के लिये अविलम्ब फाफामऊ घाट पर 2 विद्युत शवदाह गृह बनवाने की कृपा करें।

सादर।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री सत्यवीर मुन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी आपने नगर विकास विभाग के समर्थन में हमें अपने विचार रखने का अवसर दिया जिसके लिए आपका आभारी हूं।

मा0 अध्यक्ष जी, नगरीकरण और उनमें मिलने वाली नागरिक सुविधाएं किसी भी देश-प्रदेश की सरकारों के लिए एक चुनौती होती है। इनमें निरन्तर सुधार की संभावनाएं और प्राथमिकतायें चिन्हित करना आवश्यक है और हमें आशा है कि मा0 आजम खां जी जैसे ईमानदार और कर्तव्य निष्ठ मंत्री होने पर यकीनन नागरिक सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार होगा।

मा0 अध्यक्ष जी नगरों में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ जलापूर्ति, जलप्रवाह, अस्वस्थ जल प्रबन्धन, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, नगरीय यातायात व्यवस्था आवास एवं मलिन बस्ती प्रबन्धन जैसी चुनौतियां हमारे इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर में भी हैं जहां से 4-4 प्रधान मंत्री हुए और अगले वर्ष कुम्भ मेला भी सन्निकट है। हम इस हेतु मा0 आजम साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इलाहाबाद आकर तैयारियों की समीक्षा की।

मा0 अध्यक्ष जी गरीबों और फुटपाथ पर रहने वाले बेसहारा लोगों के लिए आसरा आवास योजना तथा यंत्रचलित रिक्शा योजना समाजवादी सरकार के मानवीय और जन कल्याणकारी सोच को परिलक्षित करता है।

मा0 अध्यक्ष जी हमारी सरकार द्वारा कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के संकल्प पर हमारा एक सुझाव है कि कब्रिस्तानों के बाउन्ड्रीवाल निर्माण में लोहे की ग्रिल या फिर जालीदार दीवार का प्रयोग किया जाए अन्यथा बन्द दीवारों में अपराध की संभावनाएं बढ़ सकती हैं जबकि पारदर्शी होने पर अपराध की संभावनाएं न्यूनतम रहेंगी।

मा0 अध्यक्ष जी इलाहाबाद में गृहकर निर्धारित करने का अधिकार मेयर और सभासदों को दिया जाए तथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के द्वारा कराये जा रहे कार्यों में विभिन्न विभागों का समन्वय स्थापित तथा सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ हम नगर विकास के बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मौका दिया इसके लिये धन्यवाद मैं वाङमय में वार्धक्य की अजस्य धारा बहाने वाले मोहतरम आजम खां के बजट भाषण का तहेदिल से समर्थन करते हुए उनके दलित-पलित पोषित उपेक्षितों की गरीबी गुरबद दूर करने के प्रयास की सराहना करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में एक छोटा सा नगर पंचायत जफराबाद है जिसके गली कूचे में गरीबों के आवागमन को बाधित किया है। सर्वदा अभावग्रस्त इलाके की घोर उपेक्षा गत सरकारों ने किया है। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में गौरा बादशाहपुर में नगर पंचायत का मानक पूर्ण करती है। नगर पंचायत बनाकर बजट भाषण को बल दें।

नगर पंचायत जफराबाद में अनवरत सड़क बनने से दुकानें नीचे होती जा रही हैं। इण्टरलॉक की व्यवस्था कराके नगर पंचायत को नीचे जाने से बचा करके बजट की सार्थकता को बल दें।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री लक्ष्मीकान्त (पप्पू) निषाद-

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष जी,

विधान सभा, उ0 प्र0।

मा0 अध्यक्ष जी आपने बोलने का अवसर दिया। नगर निगम बजट के पक्ष में आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी मेरा विधान सभा मेंहदावल है मेंहदावल नगर पंचायत बहुत पुरानी है उसको नगरपालिका का दर्जा दिया जाय। नगर पंचायत मेंहदावल में अभी जमींदारी प्रथा है उस जमींदारी प्रथा को मा0 मंत्री जी मेंहदावल के गरीबों को लाभ मिलेगा। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहते हैं मेरे विधान सभा में बखिरा, अमरडोभा सम्मिलित करके नगर पंचायत घोषित किया जाय तथा ग्राम पंचायत बेलहर कलां बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। लगभग 25,000 आबादी है बेलहरकलां को नगर पंचायत बनाया जाय।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री बाबू खां-

मा0 अध्यक्ष महोदय,

मान्यवर, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बजट का समर्थन करता हूं। मा0 मंत्री जी ने मदरसों और कक्षा 10 की पास लड़कियों को वजीफा और 30,000/ की मदद की घोषणा की है मैं स्वागत करता हूं।

मान्यवर, जनपद हरदोई के मल्लावां कस्बे में एक पुराना कब्रिस्तान है। उसमें दीगर धर्म जाति के लोग अतिक्रमण करते चले आ रहे हैं। कब्रिस्तान में घूरा और गन्दगी जमा करते हैं वहां का मुस्लिम बहुत आक्रोशित है। कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनी हैं। मेरी मांग है कि अतिक्रमण हटवाया जाये और रिकार्ड में कब्रिस्तान दर्ज कराकर उसकी बाउन्ड्री कराने की कृपा करके आदेश कराने का कष्ट करें।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

अध्यक्ष जी,

मेरी विधान सभा क्षेत्र में सिकन्दराबाद एक बहुत बड़ा नगर है इसकी आबादी लगभग एक लाख है यह तहसील मुख्यालय है तथा यहां पर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है इस नगर से प्रदेश सरकार को विभिन्न करों के रूप में करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर जनता के स्वास्थ्य लाभ के लिये तथा बच्चों के खेलने के लिये कोई पार्क नहीं है। यहां पर प्रातः सैर करना तथा बच्चों का मनोरंजन करना पूरी तरह असम्भव है। पार्क बनाने हेतु यहां पर रामबाग की जमीन उपलब्ध है यह जमीन नागरिक सुविधाओं के लिये आरक्षित है। लेकिन कोई निर्माण न होने के कारण इस जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। कृपया मंत्री जी से अनुरोध है कि सिकन्दराबाद नगर में एक पार्क का निर्माण कराया जाये।

मान्यवर, सिकन्दराबाद नगर में एस0डी0एम0 कालोनी, टीचर्स कालोनी, ज्ञान लोक कालोनी, शिव विहार कालोनी, शिव नगर कालोनी, थान सिंह नगर, सलेमपुर रोड आदि कालोनियां वर्षों पहले बस चुकी है लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से अभी भी देहात क्षेत्र में लगती है बार-बार नगरपालिका सिकन्दराबाद द्वारा प्रस्ताव पारित करने तथा शासन को भेजने के उपरान्त भी इन कालोनियों को सिकन्दराबाद नगर पालिका में शामिल नहीं किया गया है। इन कालोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इन कालोनियों में गन्दे पानी की जल निकासी न होने के कारण जल भराव की समस्या हमेशा रहती। जल भराव व गन्दगी ही बीमारियां फैलती रहती हैं कृपया इन कालोनियों को नगर पालिका में शामिल करें।

धन्यवाद।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री अशफाक अली खां-

आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी,

विधान सभा, उ0 प्र0।

सादर,

नगर विकास मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र नौगावा सादात में एक ही नगर पंचायत नौगावा सादात है। जहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। बरसात में कस्बा डूबने के कगार पर आ जाता है। कृपया पानी निकासी के लिए नाला की व्यवस्था कराने का कष्ट करना चाहें तथा कोई भी सरकारी गेस्ट हाउस तथा सार्वजनिक प्रयोग हेतु कम्यूनिटी सेन्टर भी नही है। कृपया बनवाने के लिए आदेश पारित करना चाहें।

सधन्यवाद।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्रीमती इन्द्राणी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी,

विधान सभा (लखनऊ)।

सादर अवगत कराना है कि जनपद श्रावस्ती में मात्र दो नगर पंचायत क्रमशः भिनगा व इकौना है। नगर भिनगा में जनपद श्रावस्ती का मुख्यालय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि भिनगा में एक नई टंकी पानी सप्लाई हेतु बनवाया जाय तथा साथ में दूसरी बोरिंग भी कराई जाय पुराने बोरिंग से बालू आ रहा है दूसरी बात मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मांग करती हूं कि बिजली की समस्या से कभी-कभी पानी सप्लाई में बहुत दिक्कत होती है दिन-दिन भर बिजली न होने के कारण पानी सप्लाई बन्द हो जाती है ऐसी स्थिति में एक बड़ा जनरेटर की व्यवस्था कराने की कृपा करें तथा नगर में सीवर लाइन भी बनवाने की कृपा करें।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर,

आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी मोहम्मद आजम खां साहब के बजट का समर्थन करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में कस्बा विसावर व कुरसऊ को नगर पंचायत व सादाबाद को नगरपालिका बनाने की कृपा करें व हाथरस नगरपालिका के अन्तर्गत काशीराम योजना आवास बनें हैं व सड़कों के निर्माण में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसके जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ व अधिकारियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही जांच कराकर गुणवत्ता के आधार पर की जाये क्योंकि बसपा के पूर्व मंत्री के परिवार वाले व रिश्तेदारों ने घोटाले किये हैं। इसकी सही जांच हो जाय। मैं आपका आभारी रहूंगा।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

गायत्री प्रसाद प्रजापति-

मा0 अध्यक्ष जी,

विधान सभा, उ0 प्र0।

विषय :-नगर विकास बजट पर सुझाव सम्मिलित किये जाने हेतु

मान्यवर,

अवगत करना है कि अमेठी विधान सभा 186 में नगर पंचायत अमेठी है। जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित किया जाय।

(1) अमेठी में आवास विकास कालोनी बनी है जो नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर है। जबकि नगर पंचायत अमेठी द्वारा टैक्स वसूली व देख-रेख करती है। परन्तु उक्त कालोनी की सफाई, नाली, सड़क, रोड लाइट, पार्क की देख-रेख नहीं करती नालियां गन्दगी से पटी रहती हैं। कालोनी के लोग चन्दा से सफाई कराते हैं। सड़कें 20 वर्ष पुरानी हो गयी हैं जर्जर हैं। पार्क एक भी नहीं डेवलप किये गये हैं। जबकि तीन पार्क हैं कालोनी में, मार्केट बनी है। जर्जर हो गयी हैं। नगर पंचायत में सफाई कर्मी अतिक्रमण किये हैं। ऐसे में उक्त कालोनी आवास विकास को नगर पंचायत सीमा में सम्मिलित करके कालोनी का विकास किया जाय।

(2) नगर पंचायत अमेठी पुरानी नगर पंचायत है। जो कि नगरपालिका का मानक पूरा करती है। जबकि अमेठी जिला बनाकर छत्रपति शाहू जी महराज नगर रखा गया है। ऐसे में अमेठी नगर पंचायत को नगर महापालिका का दर्जा बनाकर घोषित किया जाय।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

सुल्तान बेग-

मा0 अध्यक्ष जी मैं नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण का जो बजट मा0 नगर विकास मंत्री जी रखा है उस पर कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपने क्षेत्र की निम्न समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(1) कस्बा शीशगढ़ में पानी की निकासी हेतु शीशगढ़-बरेली मार्ग पर नाला निर्माण।

(2) नगर पंचायत मीरगंज में नेशनल हाई-वे से मुख्य चौराहा तक सड़क निर्माण।

(3) नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी में कन्जड़ समुदाय के लोगों को आवास देने तथा पीने के पानी का इन्तजाम तत्काल कराने का कष्ट करें।

(4) नगर पंचायत मीरगंज में गरीबों को आप जल्द से जल्द बनवाने दें क्योंकि नगर पंचायत में बहुत बड़ी आबादी तिरपाल डालकर जीने को विवश हैं।

अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता और इसको विधान सभा की कार्यवाही में शामिल कराकर तत्काल कार्यवाही करा दें।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री वीरपाल राठी-

माननीय अध्यक्ष जी नगर विकास विभाग पर आपने बोलने का मौका दिया। आपका धन्यवाद, मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पूरे प्रदेश के अन्दर नगर निगम व नगरपालिकाएं व नगर पंचायतें हैं। मान्यवर, आज नगर पंचायतों की हालत गांव जैसी है। गांव व नगर पंचायतों में अन्तर नहीं है। नगर पंचायतों में कोई शिविर की व्यवस्था नहीं है। तालाबों पर लोगों के कब्जे हैं। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, कुछ जगह तो ऐसी है कि लोग जहां गलियों में पानी भरा है। कीचड़ भरा है। लोग रह रहे हैं। बीमारियां फैल रही हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है बिजली की व्यवस्था भी गांव व नगर पंचायतों की एक जैसी है। इसलिए नगर पंचायत व गांवों में अन्तर नहीं है। अतः नगर पंचायतों पर अधिक ध्यान दिया जाये सफाई कर्मचारी बाल्मीकी समाज के लोग कार्य कर रहे हैं और चेयरमैन स्तर पर अन्य समाज के लोग भर्ती कर लिये जाते हैं और उनसे काम सफाई का न लेकर अन्य काम लिये जाते हैं। अतः सफाई कर्मी में बाल्मीकी समाज के लोग ही लिये जायें और इन कर्मियों को कम वेतन पर यानि संविदा पर रखा जाता है। इन्हें नियमित कराया जाये ताकि इन लोगों का स्तर भी ऊंचा हो सके आपने बोलने का मौका दिया।

धन्यवाद।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री राजबली जैसल-

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी कहना चाहूंगा कि रिक्शा योजना जो लागू हो रहा है उसमें कहा गया है कि रिक्शा जमाकर रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित सोलर चालित रिक्शा देना है उस पर मेरा सुझाव है कि शहर में रिक्शा चालक मातृ नाम के होते हैं सारे रिक्शा चालक ग्रामीण अंचल से आते हैं और किराये पर रिक्शा लेकर चलाने का कार्य करते हैं तो उस पर भी विचार कर लें जिससे लोगों को वास्तविक फायदा हो सके। नहीं तो वास्तविक रिक्शा चालक योजना से वंचित रह जायेंगे तथा दूसरी बात यह है कि मैं 26 HD ADA नैनी इलाहाबाद में रहता हूं ADA में रहने वालों कि संख्या लगभग 10 हजार के करीब होगी जो न तो किसी ग्राम सभा में शामिल हैं न तो नगर निगम यह एक विषम परिस्थित है। नैनी ADA कालोनी को नगर निगम में शामिल कर लिया जाय।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री रामपाल यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय,

आपने मुझे नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर मा0 नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसका मैं समर्थन करता हूं महोदय जो लोग हमेशा विकास के विरोधी रहे वह आज विकास की बात कर रहे उन्होंने पांच साल लूटपाट के अलावा कोई काम नहीं किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र में नगर बिसवां में जलभराव से मुक्ति दिलाने हेतु सीवर लाइन बिछाने का काम किया जाय, मान्यवर मेरे क्षेत्र में तीन ग्राम पंचायत एक में पुड़े, महराजनगर, धर्मपुर व गजनीपुर तीनों की आबादी 40,000 है कृपा करके उसे नगर पंचायत बनाने की कृपा करें तथा बिसवां नगर में चीनी मिल के पास ओवरब्रिज बनाने की कृपा करें मान्यवर इसी के साथ मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री छोटे लाल वर्मा-

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष महोदय,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा की नगर पंचायत फतेहाबाद का बर्षा व गन्दे पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है जिससे गन्दा पानी से बीमारी फैलती रहती है और मोहल्लों की गलियां कच्ची हैं जिससे गन्दा पानी भर जाने के कारण सुअर पड़े रहते हैं जिसमें नगर पंचायत की आबादी को नर्क का जीवन जीना पड़ता है।

मान्यवर, मेरा आपके द्वारा मा0 मंत्री जी से अनुरोध कि नगर पंचायत फतेहाबाद की पानी निकासी हेतु सीवर डालने का बजट भाषण में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

सादर।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री उमेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी,

विधान सभा, उ0 प्र0।

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे नगर विकास के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र मधुवन जो तीस हजार आबादी वाला गांव हैं जहां पर मधुवन तहसील स्थित है और उसे सुल्तानपुर बारागावां के नाम से जाना जाता है। यहां पर सी0ओ0 आफिस, कोतवाल मधुवन का कार्यालय स्थित है ग्राम सभा दुबारी, जिसकी आबादी लगभग बीस हजार है, दोनों ग्राम सभाएं नगर पंचायत हेतु पूरे मानक को पूरी करती है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दोनों बड़ी ग्राम सभाओं को नगर पंचायत का दर्जा देने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री पूर्णमासी देहाती-

माननीय अध्यक्ष जी,

आपने नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का नगर पंचायत रामकोला बहुत बड़ी नगर पंचायत है। जहां एक ही पेयजल की टंकी है वहां पर एक टंकी की और आवश्यकता है। नगर की नालियां व सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गयी हैं उसके विकास की भी आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की दूसरी नगर पंचायत 1917 की बनी नगर पंचायत है जिसका सीमा विस्तार करते हुए अन्य कई ग्राम भी सम्मिलित किये गये हैं। वह अंग्रेजों के जमाने की नगर पंचायत है उसे नगरपालिका परिषद् का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा नालियों और सड़कों का समुचित विकास किया जाना चाहिए। कप्तानगंज जंक्शन है और जहां कई दर्जन गाड़ियां बिहार से आती-जाती हैं। जहां क्रासिंग हमेशा बन्द रहती है जिससे जनता को काफी कठिनाई होती है। नगर पंचायत कप्तानगंज ढाले पर (क्रासिंग) ओवर ब्रिज जनहित में बनाया जाना आवश्यक है। मैं बजट का स्वागत करता हूं और समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

विधान सभा अध्यक्ष,

महोदय, आपको अवगत कराना है कि उ0 प्र0 में मुसलमानों की बदहाली को दूर करने के लिए संख्या के आधार पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग करता हूं।

अपनी विधान सभा धौरहरा में गवर्नमेन्ट गर्ल्स इण्टर कालेज की मांग करता हूं तथा अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य क्षेत्र में उनकी बेहतरी के लिए शिक्षा, चिकित्सा एवं बेरोजगारी हेतु उपाय किये जाएं जिससे वह समाज की मुख्य धारा में आ सके।

नगर पंचायत धौरहरा के विकास हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग करता हूं धौरहरा के अल्पसंख्यक विद्यालय को इण्टर तक किया जाय, फर्जी तरीके से अल्पसंख्यकों की फंसाया न जाय।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा रसड़ा-बलिया में तमाम ऐसे वार्ड मुहल्ले हैं जहां 800 से 1000 आबादी पर एक-एक हैण्डपम्प है जैसे मौलाना नगर पुरानी कोट में एक जर्जर शौचालय है जहां पर पानी तक की व्यवस्था नहीं है लोग अपने घरों से डिब्बे में पानी लेकर जाते हैं इसी तरह की रसड़ा नगरपालिका में जितने शौचालय हैं सभी जर्जर अवस्था में हैं जहां पर हजारों-हजारों महिलाएं, बच्चे, पुरुष नाक बन्द किये जाते हैं। मान्यवर इन शौचालयों की मरम्मत एवं यहां पर बोरिंग कराकर पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाय। यही नहीं मान्यवर रसड़ा नगरपालिका क्षेत्र में समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां पर जगह तो है पर शौचालय नहीं है। रेलवे स्टेशन पर भी शौचालय नहीं है। मान्यवर रसड़ा नगर के बीच से एक बहुत बड़ा नाला बहता है जो पूरा न बनकर बीच में ही छोड़ दिया गया है जिससे उसका पूरा पानी लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। इसको बनवाकर प्रधानपुर टोस नाले तक जोड़ दिया जाय मान्यवर गांधी पार्क हमारे रसड़ा पालिका क्षेत्र में है जहां पर रसड़ा के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों का जनाजा का नमाज अदा किया जाता है यहां पर एक बहुत बड़ा तालाब है जिससे सुन्दरीकरण कराया जाना एवं खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाया जाना चाहिए साथ ही श्री रोशन शाह एवं श्रीनाथ बाबा के प्रांगण का बाउन्ड्री एवं 3 एकड़ का पक्का जर्जर तालाब को भी सुन्दरीकरण कराया जाना चाहिए यहां पर स्थित रामलीला मैदान का भी सुन्दरीकरण कराया जाना चाहिए। साथ ही मान्यवर बहुत पहले से नगरा का विकास ग्राम सभा होने के नाते नहीं हो पा रहा है मान्यवर इसे शीघ्र टाउन एरिया घोषित किया जाय। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्माण कराकर ग्राम सभाओं को सौंप दिया जाता है फलस्वरूप ग्राम सभाएं उसका रख-रखाव नहीं कर पा रही हैं। इसलिए या तो जल निगम खुद देखे या ग्राम सभा को अग्रेतर बिजली मैन स्टाप आदि की व्यवस्था की जाय मान्यवर मैं बधाई देता हूं कि मा0 मंत्री जी ने बी0पी0एल0 परिवार की मुस्लिम लड़कियों को 10वीं पास करने के बाद शादी एवं शिक्षा के लिए व्यवस्था किया जाये। मान्यवर एक और आग्रह है कि रसड़ा विधान सभा के अन्तर्गत जितने भी कब्रिस्तान पर कब्जे हैं उसे हटवाया जाय। मान्यवर बहुत-बहुत धन्यवाद।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

चौ0 गजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी,

उत्तर प्रदेश विधान सभा,

लखनऊ।

महोदय,

मान्यवर अध्यक्ष जी आपने मुझे अल्पसंख्यक कल्याण योजना पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान मेरी विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम जलीलपुर थाना जहांगीराबाद में अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों के साथ हुई गलत मुकदमा 19-6-2012 तारीख के झूठे मुकदमें की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें इनके खिलाफ कई बार झूठे मुकदमें पंजीकृत कराये गये जो बाद जांच दौरान गलत साबित हुए जिसमें हाल में मस्जिद के बाद नमाज निकलकर आते हुए झगड़ा किया गया व फिर इन लोगों जिनके नाम हाजी खुदाबक्श, मुनव्वर व मतलूब व सईद जो अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान यानि अपने गांव मौके पर नहीं थे उनके खिलाफ गलत धाराओं में जो लोग मौके पर नहीं थे उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा करा दिया मान्यवर अध्यक्ष जी आपके माध्यम से चाहूंगा उन निर्दोष लोगों को जिन्हें इस फर्जी मुकदमें में दूसरे लोगों द्वारा फर्जी फंसाया गया है। सरकार से न्याय दिलाने की कृपा करें व इसी के साथ अल्पसंख्यक गांव जिनमें शासन द्वारा विद्युतीकरण के आदेश दिये गये थे। शासनादेश संख्या-456/पी0एस0डी0 2011 दिनांक 9-5-11 वि0 वि0 प्ला0 पत्रांक-657 पी0एस0डी0डी0/2011 वि0बि0प्ला0 दिनांक 1-7-11 पत्रांक-861/पी0एस0डी0डी0/2011 वि0बि0प्ला0, दिनांक 11-08-11 पत्रांक 656/पी0एस0डी0डी0/2011 वि0बि0प्ला0 दिनांक 1-7-11 के द्वारा निम्नलिखित गांवों बालका अहार मलकपुर, सिरौरा, जलीलपुर, नवीनगर, जुगसानाकला, खन्नपुरा, जुगसाना खुर्द शिवाली, बुढ़ाना, सदरपुर, नौबतपुर, विशनपुर, सराय छबीला, आलमगीरपुर चैनसुख, अकराबादकुठा, सहकारी नगर, दौलताबाद रामगढ़, खालौर, रसीदपुर, रसूलपुर तेलिया (मैथना), इस्माईला, मैथना जगतपुर और उपरोक्त आदेशों में अन्य गांव शामिल हैं में विद्युतीकरण कराकर अल्पसंख्यक गांवों में आपके माध्यम से विद्युतीकरण सरकार से कराना चाहूंगा जिससे अल्पसंख्यक गांवों का विकास हो सके।

सादर धन्यवाद सहित।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

चौ0 गजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी,

उत्तर प्रदेश विधान सभा,

लखनऊ।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। जहां पर प्रत्येक दिन प्रदेश व देश के कोने-कोने से लोग आकर गंगा स्नान कर मंदिरों में पूजा-अर्चना कर मनौती मांगते हैं। मेरी विधान सभा में 3 (तीन) नगर क्षेत्र आते हैं। जिसमें अनूपशहर जहांगीराबाद व औरंगाबाद आते हैं। इसमें अनूपशहर में गंगा किनारे घाटों का निर्माण अनूपशहर के मोहल्ला रुक्मणी विहार में इण्टर लाकिंग व सी0सी0 रोड और नगर के बाईपास मार्ग पर विद्युतीकरण बाईपास स्थित मोहल्ला नेहरू नगर में विद्युतीकरण व नगर जहांगीराबाद में भर्रपुर दौराहा से जहांगीराबाद तक व चादौंक दौराहा से जहांगीराबाद तक टूटी सड़क को पुनः निर्माण करवाने के लिये मान्यवर अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं व इसी के साथ जहांगीराबाद के मोहल्ला रामगढ़ी जो कि नगरपालिका का हिस्सा है उसमें नगर से विद्युत लाइन जुड़वाने का आग्रह करता हूं व नगर औरंगाबाद कि नगर पंचायत के मोहल्ला तालमनगर व रामनगर में सड़क निर्माण, विद्युतीकरण व तालमनगर में प्राइमरी विद्यालय के निर्माण की मांग मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से करता हूं। नगर विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का आपने अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सादर धन्यवाद सहित।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

कृष्णपाल सिंह राजपूत-

मा0 अध्यक्ष महोदय जी,

महोदय जी,

विनम्र अनुरोध है कि मेरे विधान सभा बबीना क्षेत्र जनपद झांसी से निर्वाचित हुआ हूं। मैं आपसे अनुरोध है कि मेरे ग्राम पुलगहना थाना शाहजहांपुर तहसील मोंठ में अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन पैसा लेकर अवैध रूप शराब कई जगह बनाई जा रही है और लगभग एक दर्जन गांव में शराब बेची जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अवैध शराब की भट्ठी चल रही है। उसे बन्द कराई जाय और पुलिस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी,

आपने बजट भाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है उसके लिये धन्यवाद।

मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाकाल शासन की व्यवस्था से बेहतर साबित हुआ है। गत सरकार की कार्यशैली अत्यन्त दुखद रही। थाना तहसील चन्द्र ताजेराते हिन्द की जालिम धाराओं के लोगों के हांथों कैद रहा करती थी छुट-पुट घटनायें होना प्रगतिशील समाज में साधारण चीज मानी जाती है। कुछ घिसी-पिटी परम्पराओं का निराकरण होना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी गत सरकार के अधिकारियों पर अंकुश लगाना होगा। वह सामाजिक तौर पर सरकार की छवि बिगाड़ने में लगे हैं। उन पर अंकुश लगे।

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ पर 180 पर)

श्री मनबोध प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी,

आपने मुझे नगर विकास पर मा0 मंत्री जी द्वारा लाये गये बजट भाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिये आपका आभारी हूं मान्यवर आपकी आज्ञा से अपने विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर देवरिया के उन तीन नगर पंचायतों की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं कि सलेमपुर, मझौली राज और लारबाजार जहां कि अधिकतर आबादी मुस्लिम समाज की है और इसके बाद गरीब दलित समाज के हैं लेकिन आपके माध्यम से उन मुस्लिम एवं दलित बाहुल इलाके में न तो नालियां हैं न ही बिजली है और न ही पीने के लिए पानी की टंकियां हैं और न ही सड़कों की ही व्यवस्था है इसलिए मान्यवर विशेष आग्रह है कि उक्त पंचायतों पर विशेष धन का प्रबन्ध कराकर विकास कार्य कराने का कष्ट करायें। मैं आभारी हूं आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

पी0एस0यू0पी0-एल0 203 विधान सभा (368)-4-10-2012-813 प्रतियां।